ग्रामीण विकास में
रोजगार कार्यक्रमों का मूल्यांकन
इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ में

शोध प्रबन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की

डाक्टर ऑफ फिलासफी (अर्थशास्त्र) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोधकर्ता
शैलेज गुप्ता
अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

निर्देशक
डॉ प्रहलाद कुमार
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

2001

मेरे पूजनीय परमाराध्य गुरूदेव एव
जगज्जननी मॉ के दिव्य कर कमलो मे समर्पित

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
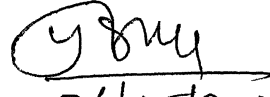
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शैलेज गुप्ता शोधछात्रा अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने अपना शोध प्रबन्ध "ग्रामीण विकास मे रोजगार कार्यक्रमो का मूल्याकन इलाहाबाद जिले के विशेष सन्दर्भ मे" मेरे निर्देशन मे सम्पन्न किया है।

26/05/2001

डा. प्रहलाद कुमार
रीडर अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

भूमिका

हमारे देश की शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविध आर्थिक क्षेत्रो मे विकास के लिए लगातार परिवर्तन हो रहे है और इसके लिए योजनाबद्ध आधार पर प्रयास भी किये जा रहे है। यद्यपि स्वतत्रता प्राप्ति के समय देश की इन अर्थव्यवस्थाओ का विकास अल्प–सन्तुलन की अवस्था मे था। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात इन क्षेत्रो मे सुधार हुआ और विकास की उच्च दशाए प्राप्त हुई, परन्तु वही आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो मे नवीन समस्याएँ उत्पन्न हुई है, जिनमे आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय विषमताएँ और बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्याएँ बढी है। देश की बढती हुई जनसख्या वृद्धि और रोजगार अवसरो की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्याएँ व्याप्त है। जो कि देश की आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या के रूप मे सामने आ रही है और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक समस्या और तनाव उत्पन्न कर रही है।

शहरी और ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रो की अर्थव्यवस्थाओ मे बेरोजगारी पायी जाती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी की यह समस्या अधिक व्यापक और गहन है। यह भी विदित है कि इन क्षेत्रो की मुख्य समस्या दीर्घकालिक बेरोजगारी की नही, अपितु अल्परोजगार और मौसमी बेरोजगारी की है। ग्रामीण क्षेत्र का व्यापक जनसमूह इस प्रकार का है, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई स्थायी परिसम्पत्ति नही होती है अथवा अत्यन्त कम है, अत इस वर्ग के लोगो को मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता पडती है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक प्रकार के रोजगार कार्यक्रमो को प्रारम्भ किया गया यथा–आई आर डी पी ट्राइसेम, एन आर ई पी , आर एल ई जी पी इत्यादि जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार पुरूषो तथा स्त्रियो के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो, और तीव्र विकासार्थ ग्रामीण अवस्थापनागत ढॉचा मजबूत करने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियो का सृजन किया जा सके।

अत प्रस्तुत शोध मे जिले के ग्रामीण विकास के सन्दर्भ मे उपर्युक्त इन्ही रोजगार कार्यक्रमो के नीति प्रतिविनिधानो का विश्लेषण किया गया है। इस शोध को दस अध्यायो मे विभक्त किया गया है। आरम्भिक अध्याय मे ग्रामीण विकास के परिचयात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास का अर्थ, परिभाषाएँ, मुख्य घटक, विभिन्न देशो के मध्य ग्राम विकास की तुलना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। इसके पश्चात गरीबी एव बेरोजगारी तथा भारत एव उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ मे रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दिग्दर्शनो के तत्पश्चात जिले मे रोजगार कार्यक्रमो की स्थितियो का विश्लेषण किया गया है।

इन जानकारियो का विश्लेषण अद्यतन आकडो के आधार पर किया गया है जिन्हे राजकीय प्रकाशनो तथा सरकारी एव गैर सरकारी वार्तालापो के माध्यम से एकत्र किया गया इसके अतिरिक्त जानकारियो एव नवीनतम सूचनाओ के लिए विविध जर्नल, रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि की भी सहायता ली गयी है इनका उल्लेख प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के अन्त मे सन्दर्भ सूची मे किया गया है। इनसे सम्बद्ध लोगो के प्रति मै अपना हार्दिक आभार एव सम्मान ज्ञापित करती हूँ।

कृतज्ञता

सर्वप्रथम इस शोध रचना के निर्देशक आदरणीय स्वर्गीय डा आर के द्विवेदी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति मै अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस प्रस्तुत रचना मे ग्रामीण क्षेत्रो एव अन्य जानकारियो के विषय मे, अपने सुझाव व परामर्श के द्वारा मुझे उनसे सहयोग के रूप मे योगदान प्राप्त हुआ, परन्तु उनका आकस्मिक निधन हो जाने के कारण आदरणीय परम पूज्य डा प्रहलाद कुमार के अथक परिश्रम, सतत प्रयत्नो के परिणामस्वरूप यह रचना पूर्ण हो सकी। उनके प्रति मै अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जिन्होने इस शोध को तैयार करने मे अपने समस्त कार्य मे व्यस्त रहने के उपरान्त भी हमे कई तरह से सहयोग दिया और शोध कार्य के लिए निरन्तर प्रोत्साहित किया।

मै अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय डा पी एन मल्होत्रा के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

विभाग के आदरणीय डा अजय जैन, डा गिरीश त्रिपाठी, डा जगदीश नारायण, डा अलका अग्रवाल, डा रविशकर श्रीवास्तव, डा प्रशान्त घोष एव समस्त प्राध्यापको के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होने अपने विशेष अनुग्रह के द्वारा अध्ययन अध्यापन से हमे अपनी शोध रचना के लिए उल्लेखनीय प्रोत्साहन एव सहयोग दिया।

मै रमेश, सुनीता अग्रवाल जी के विशेष अनुग्रह की आभारी हूँ।

मै उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार कार्यालय के अधिकारियो एव कर्मचारियो के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने न सिर्फ शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रतिवेदनो एव प्रकाशनो को उपलब्ध करवाया साथ ही साथ अपना बहुमूल्य समय देकर इस रचना से सम्बन्धित जिज्ञासाओ को शान्त किया। मै इस सन्दर्भ मे ग्राम्य विकास अभिकरण' जिला इलाहाबाद के कर्मचारियो एव

ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारियो के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने समय–समय पर रचना से सम्बन्धित अनेक जानकारियो से अवगत कराया।

इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष ऐग्रो एकनॉमिक्स रिसर्च सेन्टर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के प्रति अपार सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करती हूँ।

मै अपने परिवार के प्रति डा दीपक गुप्ता, डा अजू गुप्ता, डा आर एस गुप्ता, डा रूद्रा गुप्ता का भी आभार प्रकट करती हूँ, मै आइडियल कम्प्यूटर प्वाइन्ट के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने कम्प्यूटर डिजाइनिग एव टाइपिग मे महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

मै एक बार पुन विनम्रता पूर्वक परम् पूज्य डा प्रहलाद कुमार जी के प्रोत्साहन एव सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

तदर्थ मै मुक्त ह्रदय से सभी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करती हूँ।

शैलेज गुप्ता
शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

तालिका-सूची

लेखाचित्र एवं मानचित्रों की तालिका

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के अनुसार "भारत गॉवो मे बसता है और जब तक गाँवों का विकास नही होगा तब तक भारत का विकास नही हो सकता।"

1-0 अध्ययन के विषय में

'भारत गॉवो का देश है जहॉ गॉवो की सख्या लगभग 5 लाख 80 हजार है। इन गाँवो मे बसने वाली जनसंख्या भी शहरी जनसख्या की तुलना मे लगभग तीन गुनी अर्थात् शहरी जनसख्या 23 करोड के विपरीत ग्रामीण जनसंख्या 67 करोड है।[1] सामाजिक–आर्थिक रूप से उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रो के पिछडेपन का एक प्रमुख कारण वहॉ की निर्धनता है। ग्रामीण निर्धनता गॉवों के चतुर्मुखी विकास के लिए अभिशाप है। अधिकाश ग्रामीण समुदाय अशिक्षा एव अज्ञानता की सकीर्णता से समस्याओ को हल कर पाने मे असमर्थ दिखायी देते है। स्वतत्रता के पश्चात सरकार ने राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित किया, तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्तियो की सामाजिक एव आर्थिक उन्नति, कृषि विकास, रोजगार, निम्न वर्ग के लोगो की आय मे वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा, सचार व्यवस्था, और आवास सुविधा जैसे कार्यक्रमो को सम्मिलित किया है। इस प्रकार आज ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। वस्तुत गॉव मे बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का (वह चाहे कोई भी हो) आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सभी तरह का विकास हो सके यही ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण विकास एक लम्बी और व्यापक प्रक्रिया है। भारतीय सन्दर्भ मे ग्रामीण विकास एक जटिल समस्या है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे रहने वाले गरीब लोगो के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यापक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

स्रोत–1. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, मई 1995, पृष्ठ सख्या–21

ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ को चार समूहो मे विभक्त किया जा सकता है —

1 कृषि, भूमि सुधार, पानी की व्यवस्था, परिवहन और कृषि सम्बन्धी गतिविधिया आदि ग्रामीण जनसख्या की जीविका का साधन है।

2 लघु और मध्यम स्तर पर कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देना जिसके द्वारा श्रमिको और अन्य लोगो को कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवसाय प्राप्त हो सके।

3 आवास, सडके, इन्जीनियरिंग, और तकनीकी को एक कार्यशक्ति के रूप मे लेना।

4 शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, अनौपचारिक और प्रौढ शिक्षा का जनसख्या के आयु—वर्ग के आधार पर प्रबन्ध करना।

इस प्रकार ग्राम विकास अविकसित एव अर्द्धविकसित ग्रामीण गरीब जनता के विकास से सम्बन्ध रखता है। ग्राम विकास से सम्बन्धित विभिन्न अर्थशास्त्रियो व विद्वानो ने भिन्न—भिन्न मत प्रस्तुत किए है। जो इस प्रकर निम्नवत् है .—

1 विश्वबैक के अनुसार 'ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्र के एक विशेष घटक अर्थात् ग्रामीण गरीबो के आर्थिक एव सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने हेतु बनाई गई रणनीति है, यह घटक सीमान्त एव लघु कृषक बटाईदार तथा कृषि मजदूरो को समाहित करता है'।[1]

2 उमा लेले ने ग्राम विकास के सम्बन्ध मे कहा है—'ग्राम विकास ग्रामीण निम्न आर्थिक स्तर की जनता के जीवन स्तर को सुधारने की योजना है'।[2]

3. गॉधी जी ने ग्राम विकास के बारे मे अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि 'ग्राम ग्रामीण सरकार जिसे हम पचायत कहते है, के द्वारा शासित होगा जो ग्रामीण क्षेत्र मे शिक्षा, सफाई, कृषि एव रोजगार आदि की व्यवस्था करेगी।'

---

1. World Bank [1975], Rural Development, Sector Policy Paper, 1975, p, 03,
2. Uma Lele [1975] The Desing of Rural Development - Lessons froms World Bank, Africa.)

4 शर्मा और मल्होत्रा ने ग्राम विकास को परिभाषित करते हुए कहा है 'ग्राम विकास, विकास की एक योजनाबद्ध प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत ग्राम का समग्र विकास किया जाता है समग्र विकास के अन्तर्गत न केवल आर्थिक क्रिया कलापो का समावेश है बल्कि इसके अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, साक्षरता, नागरिक सुविधाए, परिवार नियोजन, आदि को सम्मिलित कर ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे गुणात्मक परिवर्तन लाना है।[3]

5 मिश्रा और सुन्दरम् के अनुसार–'ग्रामीण विकास ग्राम की जनता के जीवन मे सख्यात्मक एव गुणात्मक सुधार लाना है। इसके अन्तर्गत सभी दृष्टिकोणो से दृश्य सामाजिक–आर्थिक तकनीकी आदि दृष्टि से अपेक्षित सुधार करना है[4]।

अत समग्र ग्राम विकास का आशय ग्रामोउद्धार के लिए सभी कार्यक्रमो का कार्यान्वयन करना है।

1.1 ग्रामीण विकास के मुख्य घटक

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहॉ कि लगभग73 3 प्रतिशत जनसख्या गॉवो मे निवास करती है। अत इस दृष्टिकोण से समय–समय पर सरकार एव योजनाकारो ने ग्रामीण प्रगति करने के लिए ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जिसमे ग्रामीण विकास के मुख्य घटको पर भी जोर दिया गया।

वस्तुत ग्रामीण विकास के मुख्य घटको का विवरण व महत्त्व कुछ इस प्रकार स्पष्ट है—

1.1.1. कृषि विकास

भारत के ग्रामीण विकास मे योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होते ही, कृषि क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इसका स्पष्ट कारण, हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता एव ग्रामीण समाज के वर्ग की आय का काफी बडा स्रोत है। चौथी पचवर्षीय योजना (1969–74) मे कृषि सम्बन्धी योजनाओ के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, और कृषि विकास

3 Ashok Kumar, Planning and Development of Rural India (1984-85) PP4)
4 Ashok Kumar, Planning and Development of Rural India (1984-85), PP 5)

की दृष्टि मे विभिन्न उपाय जैसे सिचाई सुविधाओ, उर्वरको, कृषि सम्बन्धी यत्रो का विस्तार, कृषि विपणन प्रणाली मे सुधार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति की घोषणा, द्वारा कृषि उत्पादकता मे वृद्धि के प्रयास किए गए।

भारत मे लाखो किसानो के रोजगार अवसरो व आय मे वृद्धि, कृषि और उससे सम्बन्धित ग्रामोद्योग की सहायता मे कृषि विकास का अत्यन्त महत्त्व है।

1.1.2. पशुपालन

ग्रामीण विकास मे पशुपालन के क्षेत्र मे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, गो पालन, भेड पालन, इत्यादि की अहम् भूमिका की उपेक्षा नही की जा सकती। देश मे कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय मे पशुधन का योगदान करीब 10—12 प्रतिशत तक है। अत कृषि का एक महत्त्वपूर्ण अग पशुपालन है। इस दृष्टि से यह लघु और सीमान्त किसानो, ग्रामीण महिलाओं, और भूमिहीन कृषि श्रमिको को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

यह दूध, गोबर, अण्डे, ऊन, चमडा, खाल और हड्डिया देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। जहॉ एक ओर बैल, ऊँट, घोडे आदि हल जोतते है तो दूसरी ओर ग्रामीण पशु, कच्ची सडको पर यातायात के एकमात्र साधन भी है।

1.1.3. लघु एवं कुटीर उद्योग

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे गरीबी, बेरोजगारी, अर्द्धबेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी के कारण गंभीर परिस्थितिया विद्यमान है अत लघु एव कुटीर उद्योगो मे कम पूँजी के द्वारा अधिक हाथों को रोजगार दिया जाना संभव होता है। ग्रामीणो की शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया मे कमी व छोटे उद्योगो की स्थापना से गॉव मे महिला श्रम का सदुपयोग भी होता है। अतः ग्रामीण विकास के घटकों में लघु एव कुटीर उद्योग के महत्त्व को स्वीकार करते हुए महात्मा गाँधी का यह कथन—"भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उद्योगों मे निहित है।" आज भी प्रासंगिक है।

1.1.4. कृषि वानिकी

ग्रामीण विकास के मुख्य घटको मे कृषि वानिकी का भी महत्त्व है। फसलो के साथ–साथ उसी भूमि पर वृक्षो की सख्या को भी क्रमबद्ध तरीके से उगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। वृक्षो की कटाई से भारत वर्ष का वन क्षेत्र दिन–प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब भारत मे समस्त भूमि के 13 प्रतिशत क्षेत्रफल मे ही वन रह गए है। अत उपरोक्त परिस्थितियो मे किसानो को अपनी भूमि पर कृषि वानिकी पद्धति को अपनाना चाहिए, क्योकि कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य ग्राम वासियो को ईधन उपलब्ध कराना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, वन उपज एव औषधि देने वाले पौधे लगाकर लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योग को बढावा देना है। इसके अतिरिक्त जानवरों की चारे की आवश्यकता पूर्ति के लिए फसलो के साथ–साथ पेड पौधो तथा उपयोगी झाडीनुमा पौधो को भी शामिल किया जाता है।

1.1.5. ग्रामीण विद्युतीकरण

किसी देश मे प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वहॉ की समृद्धि और प्रगति का मापदण्ड माना जाता है। बिजली ऊर्जा का सबसे सशक्त और महत्त्वपूर्ण साधन है। यद्यपि हमारा देश बिजली के उत्पादन मे न केवल विकसित देशो से बल्कि अनेक विकासशील देशो से भी काफी पीछे है। उक्त तथ्यों की पुष्टि विश्व बैक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मे यह खपत 9348 किलोवाट, जापान मे 4008, दक्षिण कोरिया मे 2206, तथा भारत मे केवल 223 किलोवाट है।[1] तथापि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे बिजली का अत्यन्त महत्तवपूर्ण स्थान है क्योकि सिचाई तथा खेती बाड़ी के अन्य कार्यो मे बिजली के उपयोग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सडको और घरो मे रोशनी और सूचना के माध्यमो तथा पढ़ाई–लिखाई के लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। गॉवो मे बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) तथा ग्रामीण बिजली सहकारी समितियो की स्थापना की गई।

---

1. World Bank, World Development Report 1994. Table 108. pp. 112

1.1.6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संसाधनों में भूमि, सिंचाई सुविधाएं, सडक, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं आवास तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना

ग्रामीण जनता के विकास पहलुओ मे इनकी अहम् व महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से बुनियादी न्यूनतम सेवाओ के अन्तर्गत प्रत्येक गॉव मे शत–प्रतिशत शुद्ध पेयजल सुलभ करने, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने, आवासहीन व झोपड़–पट्टियो मे रहने वाले लोगो तथा वृद्धो एव गरीब परिवारो को आवासीय सुविधा देने और परिवहन व यातायात सुविधा के अन्तर्गत गॉवो को पक्की सडको से जोडने की आवश्यकता है।

1.1.7. शिक्षा एवं साक्षरता

महात्मा गॉधी ने शिक्षा एव साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था—"करोडो लोगो का निरक्षर रहना राष्ट्र के माथे पर कलक है तथा देश की स्वाधीनता के लिए खतरा, हमे इससे मुक्ति पानी ही होगी।" उक्त विचारो से स्पष्ट है कि देश का विकास तभी सभव है जब देश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के नागरिक शिक्षित और सुसस्कृत हो। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के योजनाकारो ने शिक्षा की प्राथमिकता को सवैधानिक स्थान दिया। परन्तु आज 47 वर्षो के बाद भी विश्व बैक के अनुसार विश्व के सर्वाधिक निरक्षर लोग सिर्फ भारत मे है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्रामीण विकास की अनेक योजनाए लागू होने के बाद भी प्रत्येक गॉवो मे न तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो पायी है और न ही प्राथमिक विद्यालयो की ठीक तरह से स्थापना की गई है। अत गॉवो मे रूढिवादी परम्पराओं को समाप्त करके शिक्षा एव साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का विकास कर गॉवों के भी विकास मार्ग को विस्तृत आयाम दे सकती है।

1.1.8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास के द्वारा गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ सस्ती कीमतो पर उपलब्ध कराई जाती है अत मूल्यो में स्थिरता लाने और निर्धनो को जरूरी चीजे वितरित करने मे इनके महत्त्व को देखते हुए प्रत्येक गॉवों मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना आवश्यक है।

ग्रामीण विकास के मुख्य घटको के अतिरिक्त अन्य घटको के रूप मे कार्यान्वित योजनाए जैसे—एकीकृत ग्राम विकास योजना, महिला एव बाल विकास योजना एव पुष्टा आहार योजना इत्यादि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो के प्रत्येक वर्ग को इन योजनाओ के साथ जोडकर उन्हे विकास कार्यो मे सहभागी बनाया जाता है। जिससे ग्रामीण समाज की दशा मे चर्तुमुखी प्रगति उपलब्ध हो सके।

1.2 ग्राम विकास के प्रत्यागम

भारत मे समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता दीर्घकाल से अनुभव की जा रही थी। विचारको और नीतिनिर्धारको का यह विचार था कि विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यो मे ग्राम वासियो को सहभागी बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से स्वतत्रता से पूर्व व्यक्तिगत प्रयासो के आधार पर जनसहभागिता की परिकल्पना मे वर्धा, श्री निकेतन, मारतऽम, गुडगॉव, बडौदा, इटावा एव फरीदपुर मे ग्रामीण विकास की अनेक परियोजनाए व रणनीतियॉ बनायी गयी। परन्तु विदेशी शासन की तटस्थ नीति और ससाधनो की कमी के कारण इसको अपेक्षित सफलता नही मिल सकी। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद ही ग्राम विकास को व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया और इसके लिए योजनाए बनाई गई और उन्हे प्रतिपादित किया गया, इनमे से कुछ का वर्णन इस प्रकार है—

1.2.1 सामुदायिक विकास सिद्धान्त

सामुदायिक विकास से आशय उन संगठित एव सुनियोजित क्रियाओ से है जिनमे विकास और कल्याणकारी क्रियाओ मे जनसमुदाय के प्रयास के साथ—साथ राजकीय प्रयास को भी मिलाया जाता है। जनसमुदाय और सरकार की विकासगत और कल्याणकारी क्रियाओ के समन्वय को ही सामुदायिक विकास कहते है। इस प्रकार "सामुदायिक विकास सिद्धान्त एक प्रक्रिया, एक सिद्धान्त, एक कार्यक्रम तथा ग्राम विकास का एक आन्दोलन है।"[1]

ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत मे सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 मे प्रयोगात्मक आधार पर 55 मार्गदर्शी योजनाओ

1 Padhy, K C . 'Rural Development ın Modern.Indıa' 1986, pp 81

से आरम्भ किया गया था। इनमे 27388 गॉव और 1 64 करोड जनसख्या सम्मिलित थी। प्रत्येक परियोजना का विस्तार–क्षेत्र लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर था। अप्रैल 1958 मे इस ढॉचे मे परिवर्तन लाया गया, जिसके अनुसार एक सामुदायिक विकास क्षेत्र मे सामान्यत 110 गॉव 92 हजार जनसख्या और 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। अब देश के समस्त गॉवो मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम फैला है इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को विकास खण्डों मे विभाजित करके ग्राम स्तर पर कर्मचारियो को नियुक्त कर सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि एव ग्रामीण उद्योग धन्धो के विकास के लिए विभिन्न योजनाए बनाई जाती है।

सामुदायिक विकास कार्य का सगठन और प्रशासन बहुस्तरीय है। कार्यक्रमों का व्यापक प्रतिरूप केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। कार्यक्रमो को लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है। कार्यक्रमो के क्रियान्वयन हेतु जिला, खण्ड, एव गॉव स्तर के कर्मचारियो एव अधिकारियो की एक श्रृखला होती है। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी लगभग 10 गॉवो मे इस कार्यक्रम को चलाता है।

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत विशेष तौर से उन विन्दुओ पर बल दिया गया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे निम्न आर्थिक स्तर की जनता से सम्बन्ध रखते थे। सामान्यत. सामुदायिक विकास कार्यक्रमो मे देश के आर्थिक विकास मे कुछ सहयोग दिया जिसे सामान्य जनता मे उन्नत जीवन के निर्माण की आशा निर्मित हुई। इस कार्यक्रम की प्रशसा करते हुए नेहरू जी ने कहा था, "सामुदायिक परियोजनाए कान्तियुक्त अत्यन्त आवश्यक एव गतिवान चिन्गारिया है, जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणे प्रवाहित होती है।"[2]

यू.एन टेक्निकल मिशन के अनुसार, "भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20वी शताब्दी के सबसे प्रमुख प्रयोगो मे से है, जिसके परिणामो मे समस्त विश्व को रूचि है।[3]

---

2. डा. बद्री बिशाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 1987, पृ स 385
3. डा. बद्री बि शाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 1987, पृ स 385

इन उपलब्धियो के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपेक्षित प्रगति नही कर सका। इस कार्यक्रम की प्रगति मद गति से हुई और इस कार्यक्रम का अधिकाश लाभ समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगो को मिले है जबकि छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, मजदूर, शिल्पकार इत्यादि लोग अत्यन्त कम लाभ प्राप्त कर सके है। इस कार्यक्रम मे समुचित प्राथमिकताओ के क्रम के आभाव के कारण ही अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रमो को पूरा नही किया जा सका, इसके अतिरिक्त कर्मचारियो मे सेवा भावना की कमी भी पायी गयी इस सम्बन्ध मे प्रो एस सी दुबे ने गभीर विवेचन किया तथा उनका विचार है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर शाह की भाति कार्य करते है और वे सक्रिय समाज सेवा भावना द्वारा परिवर्तन के अभिकर्ता नही बने है। सामुदायिक विकास—विषयक अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि इनमे आर्थिक विकास के अधिक आवश्यक कार्यक्रमो जैसे—उत्पादकता मे वृद्धि, अधिक उपजाऊ किस्मो के बीज, रोजगार की व्यवस्था इत्यादि को अधिक महत्त्व न देकर वरन् कल्याण कार्यक्रमो जैसे मनोरजन के साधन, अस्पताल आदि के विकास पर अधिक जोर दिया गया। अस्तु इनकी उपलब्धियो मे कमी के कारण इसके स्थान पर विभिन्न स्थानीय महत्त्व की योजनाए प्रारम्भ की गई जैसे आई आर डी पी, एन आर ई पी , आर एल ई जी पी., डी.पी.ए.पी, डी.डी.पी डी डब्लू.सी.आर ए इत्यादि।

1.2.2. महात्मा गॉधी का ग्राम विकास सिद्धान्त

गॉधी जी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होने स्वतत्रता आन्दोलन के साथ—साथ ग्राम विकास पर भी बल दिया और समग्र ग्राम विकास हेतु रूप—रेखा तैयार कर 1920 मे सेवाग्राम तथा 1938 मे वर्द्धा मे आदर्श केन्द्र स्थापित किए। 30 जनवरी 1948 को गॉधी जी ने काग्रेस की महासमिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमे उन्होने कहा था कि—"भारत को राजनैतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन उसे अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी है। वह भी, शहरों और कस्बों से भिन्न, उसके 7 लाख गॉवो के सन्दर्भ मे।"

जब देश मे पचवर्षीय योजना पर विचार शुरू हुआ तो गॉधी जी ने चेतावनी देते हुए कहा था—"करोडो निर्धन जनता की परवाह न करने वाली कोई भी योजना न तो देश में समतोल कायम रख सकती है और न

सब इनसानो को बराबरी का दरजा दे सकती है।[4] इसीलिए गॉधी जी ने ऐसी योजना की हिमायत की जिसमे गॉव को ही अर्थ रचना का केन्द्र माना जाए।

इस प्रकार गॉवो मे उत्पन्न समस्याओ को उन्होने प्रत्यक्ष रूप मे देखा और अपनी यात्राओ के द्वारा उन पर विचार करके ग्राम विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके कुछ विचार एव कार्यक्रम इस प्रकार थे—

उन्होने ग्राम विकास मे ग्रामीण जनता के पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक ग्रामीण जनता, जिसके लिए विकास करना है स्वय अपना विकास करने के लिए अग्रसर नही होगी, तब तक विकास की सरकारी योजनाए कारगर सिद्ध नही होगी। उन्होने स्वावलम्बन द्वारा अर्जित विकास को वास्तविक विकास की सज्ञा दी। उन्होने कहा ग्रामीण अचलो मे सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब जनता स्वय विकास के महत्त्व को समझेगी और स्वय विकास करेगी।

गॉवो मे जमीदारी प्रथा के कारण छोटे किसानो और मजदूरो का निरन्तर शोषण हो रहा था, गॉधी जी ने जमीदारी प्रथा का विरोध किया। वे ग्राम विकास के लिए कृषको की स्थिति मे सुधार लाना परमावश्यक समझते थे। इसके अतिरिक्त मजदूरो के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होने कहा—"पूँजी की अपेक्षा श्रम का महत्त्व कही अधिक है। बिना श्रम के सोना, चादी, ताबे का कोई महत्त्व नही। श्रमिक ही इन कीमती धातुओ को धरती के गर्भ से निकालते है। सोना नही श्रम अनमोल है। श्रम के साथ जब तक पूँजी का गठबधन न हो तब तक पूँजी का कोई महत्त्व नही। दोनो के सहयोग से आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते है। इस सहयोग के लिए दोनो के बीच बाइज्जत समानता जरूरी है।[5] सब लोगो का उदय या "सर्वोदय" ही गॉधी जी का लक्ष्य था उनके मतानुसार सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज व्यवस्था है इस समाज व्यवस्था मे सब बराबर के सदस्य होगे किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन या शोषण नही किया जाएगा, इस प्रकार यदि आदर्श ग्राम सेवक तैयार हो जाए तो आदर्श गॉव की स्थापना हो सकती है।

---

4 हरिजन सेवक, 26 मार्च, 1947

5. महात्मा गॉधी द लास्ट फेज, खण्ड–1

उनका विचार था कि देश का आर्थिक भविष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हो, इसलिए वे कुटीर और ग्रामोधोग पर बल देते थे। उन्होने "हाथ से कमाओ और सीखो" पर बल दिया।

ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए गॉधी जी ने जो कार्यक्रम तैयार किए वे इस प्रकार थे—खादी का प्रयोग, ग्रामोद्योग मे धान कूटकर चावल तैयार करना, गुड बनाना, नीम का तेल निकालना, हाथ से कपडा बुनना, मृत पशुओ का उपयोग, हाथ द्वारा कागज बनाना, ऊँनी कम्बल तैयार करना, प्रारम्भिक और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, पिछडे वर्ग को ऊपर उठाना, नारी कल्याण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र की शिक्षा, आर्थिक समानता लाने की गतिविधियॉ, छुआछूत दूर करना, साम्प्रदायिक शाति, नशाबन्दी, मातृ और राष्ट्रभाषा का प्रसार आदि।

गॉधी जी ने ग्राम-विकास के लिए अक्षर ज्ञान की भी चर्चा की। सिचाई साधनो का अधिकाधिक विकास होना चाहिए वे कहते थे कि देश की नदियो की उपयोगिता बाध-बाधकर की जा सकती है इससे कम समय मे अधिक खेती को पानी दिया जा सकता है और उपज मे वृद्धि की जा सकती है जो कि कृषि विकास मे सहायक सिद्ध होगी।

वे गॉवो मे पचायती राज के समर्थक थे, उनके विचारो से प्रेरणा लेकर ही आजाद भारत की सविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यो के लिए ग्राम पचायतो को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए। और पचायत राज्य कानून मे महिलाओ, अनुसूचित जातियो और जनजातियो की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया।

वे मानते थे कि "जब गॉवो का पूरा—पूरा विकास हो जाएगा, तो देहातियो की बुद्धि और आत्मा को सन्तुष्ट करने वाले कला के धनी स्त्री—पुरूषो की गॉव मे कमी नही रहेगी"। गॉधी जी के शब्दो मे—"यदि आदर्श गॉव का मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो भारत के सात लाख गॉवो, गॉव मे से हर एक समृद्ध प्रजातत्र बन जाएगा।"[6] गॉधी जी के ग्राम विकास सम्बन्धी उपर्युक्त विचार एव कार्यक्रम गॉवो के चर्तुमुखी विकास मे सहायक है।

---

6 डा मदन केवलिया . 'ग्राम विकास और गॉधी जी', कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, '1994', पृ स 33

1.2.3. भूदान आन्दोलन

विनोबा भावे दूर दृष्टा, दर्शन और तर्कशास्त्र के मर्मज्ञ थे, उन्होने जहॉ राष्ट्रीय स्वतत्रता के आन्दोलन मे सक्रिय रूप से भाग लिया था, वही धार्मिक स्तर पर गीता का सार भी लिखा। वे खादी ग्रामोधोग, गोपालन, आचार्य कुल स्वावलम्बन जैसे अनेक कार्यक्रमो के सूत्रधार भी थे। वे सम्पूर्ण जगत का कल्याण चाहते थे। विनोबा भावे जी ने भारतीय दरिद्रनारायण की रक्षार्थ एव ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु भूदान आन्दोलन का सूत्रपात किया। जिसके अन्तर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक गॉव मे ऊसर, बन्जर, चारागाह तथा अन्य उपयोग मे लाने हेतु बेकार पडी हुई भूमि को सुधारा जाए, और उसे गरीब एव कृषि मजदूरो मे वितरित किया जाए, ताकि उनकी सामाजिक एव आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके।

इस प्रकार देश मे विनोबा जी ने भूदान का सदेश दिया। वे गॉव मे भूमिवान से कहते—"घर मे आप पाच सदस्य है, भूमिहीनो के प्रतिनिधि के रूप मे मुझे छठा मानिए और इसलिए उनकी खातिर अपनी जमीन का छठा हिस्सा मुझे दीजिए।" उन्होने कहा—"दान सविभाग (दान माने समान वितरण)। उन्होने वेद का हवाला देकर कहा—माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या अर्थात (भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र है)।

भूमिहीनो के लिए लगभग चालीस लाख एकड जमीन विनोबा जी को मिली। इसमे से आधी के करीब बाटी जा चुकी है। इस भूदान आदोलन के विषय मे अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी.आर गाडगिल ने दिसम्बर 1957 मे कहा है कि—"भूदान आदोलन कल्पना की दृष्टि से ऐसा मौलिक है, शैली की दृष्टि से इतना अद्‌भुत है और उद्देश्य की दृष्टि से इतना क्रातिकारी है कि इसको समझने और सही सन्दर्भ मे रखने के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत है।"

सरकार ने भूदान के प्रति अपना अधिक सहयोग नही दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज देश मे भूमि विषमता बढी है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि गॉव—गॉव की भूमि पर किसी व्यक्ति या सरकार का स्वामित्व न होकर ग्राम पचायत का होना चाहिए और भूमि की खरीद व बिक्री समाप्त होनी चाहिए। भूमि जोतने वाले को दी जानी चाहिए और गॉव के उद्योग धन्धे पशु—पालन, शिक्षा आदि के लिए भूमि निर्धारित की जाए जिससे गॉव मे कोई बेरोजगारी न रहे। इसके अतिरिक्त यदि राज्य या

केन्द्र सरकार या किसी अन्य समुदाय को भूमि की आवश्यकता होने पर उसका निर्णय ग्राम पचायत द्वारा ही करना चाहिए।

1.2.4. जिला ग्राम विकास अभिकरण

1980 के दशक मे भारत सरकार ने ग्राम विकास हेतु जनपद स्तर पर कार्यरत सभी विभागो को सगठित कर, जिलाधिकारी के नेतृत्व मे प्रत्येक जनपद मे जिला ग्राम विकास अभिकरणो की स्थापना की। इस योजना के अन्तर्गत विकास के लिए मुख्य रूप मे जिलाधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया।

जिला ग्राम विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामो का समग्र विकास करने हेतु जिलाधिकारियो को और अधिक प्रशासकीय एव आर्थिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया। जिलाधिकारी को विकास कार्यो मे सहयोग देने के लिए 'मुख्य विकास अधिकारी' का पद सृजित किया गया। जिसे जिला अधिकारी के स्थान पर विकास कार्यो के लिए विशेष दायित्व सौपा गया।

1.2.5. ग्राम विकास में स्वयं सेवी संगठन एजेन्सी के योगदान की योजना

ग्रामीण विकास एक जटिल कार्य है जिसे सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए न तो अपेक्षित ससाधन है और न ही अपेक्षित सक्षम मशीनरी। ग्रामीण विकास के कार्य को स्वयसेवी सस्थाओ के सहयोग से काफी बढावा दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से 1980 के उत्तरार्द्ध मे ग्रामीण विकास कार्यो मे स्वयसेवी सगठनो को भागीदारी सौपी गई। स्वय सेवी सगठन स्थानीय लोगो को विकास कार्यक्रमो से जोडने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ग्रामीण विकास के कार्यो मे लगी स्वयसेवी एजेसियो को वित्त लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् कापार्ट के माध्यम से दिया जाता है। यह ग्रामीण विकास मत्रालय की एक पजीकृत सस्था है।

जनवरी 1994 मे कापार्ट द्वारा 11733 परियोजाए बनायी गई और इसी अवधि मे लगभग 4285 स्वयसेवी सगठन एजेसियो को 233 करोड रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई। इस वर्ष सरकार द्वारा कार्पाट को ग्रामीण विकास मे लगी एजेसियो की सहायता के लिए 72 50 करोड

रुपये भी दिए गए, जबकि पिछले वर्ष 61 करोड रुपए ही मिले थे। इस प्रकार स्वयसेवी सगठनो को वित्तीय सहायता देकर विभिन्न ग्राम विकास कार्यो के लिए नियुक्त किया गया।

वर्तमान मे स्वयसेवी सस्थाए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व मे शिक्षा, सफाई, मनोरजन, भूमि सुधार, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पर्यावरण सुरक्षा, आदि क्षेत्रो मे अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

1.3 विभिन्न देशों में ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन

विश्व के किसी भी देश का ग्रामीण विकास वहॉ के आर्थिक विकास दर पर निर्भर करता है। चूँकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमे निर्धनता दूर करना, वास्तविक आय मे दीर्घकालीन वृद्धि करना, आर्थिक असमानता मे कमी लाना, उपभोग का न्यूनतम स्तर लाना, विभिन्न क्षेत्रो मे विकास एव समृद्धि मे भारी अन्तर को कम करना, अर्थव्यवस्था का विभेदीकरण तथा आधुनिकीकरण आदि सम्मिलित है। विभिन्न विश्व स्तर के देशो मे आर्थिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण विकास की सम्भावनाओ मे काफी अन्तर पाया जाता है। अत इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अर्थव्यवस्था को दो भागों मे विभाजित किया जाता है। प्रथम–विकसित और द्वितीय अल्पविकसित अर्थव्यवस्था।

विकसित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नागरिको को भोजन, कपडा व मकान की आवश्यकताए सरलता से सन्तुष्ट कर देती है, इन अर्थव्यवस्थाओ मे निर्धनता एव बेरोजगारी नियत्रित रहती है। विकसित देशो मे अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन आदि आते है।

इसके विपरीत ससार मे ऐसे भी देश है जहॉ नागरिको को भरपेट भोजन प्राप्त नही हो पाता। जीवन स्तर बहुत नीचा है, और बेरोजगारी एव अशिक्षा अधिक मात्रा मे पायी जाती है ऐसे देशो मे भारत पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा आदि आते है, ये सभी देश अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले है।

विश्व के अन्य देशो के साथ भारतीय ग्रामीण विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते है—

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहॉ जनसख्या का अधिकाश भाग कृषि व्यवसाय मे लगा होता है। भारत मे लगभग 67 प्रतिशत जनसख्या कृषि व्यवसाय मे लगी है जिसका राष्ट्रीय आय मे योगदान 34 प्रतिशत है। इसके पूर्व विश्व बैक की विश्व विकास रिपोर्ट 1983, 1988 के अनुसार 'कृषि मे लगी कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत भाग इग्लैण्ड मे 2 प्रतिशत जिसका कुल राष्ट्रीय आय मे योगदान 2 प्रतिशत है इसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका मे 2 प्रतिशत सोवियत सघ मे 14, व जापान मे 12 प्रतिशत है' जिनका कुल राष्ट्रीय आय मे योगदान क्रमश 3, 16 व 4 प्रतिशत है जबकि भारत मे इन्ही योजनावधि के अन्तर्गत 71 प्रतिशत चीन मे 74 प्रतिशत और ब्राजील मे 30 प्रतिशत था। अत इन आकडो का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व के अन्य देशो की तुलना मे भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि पर अत्यधिक जनसख्या लगी है अत कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने के बावजूद कृषि विकास का स्तर नीचा ही है अर्थात् कृषि का पिछडापन है, फलत कृषि क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाली आय इस व्यवसाय मे लगी हुई जनसख्या के अनुपात से नीची है। अत आय के नीचे स्तर के कारण आर्थिक विकास की गति अल्पविकसित अवस्था मे होने से ग्रामीण विकास की प्रगति भी इन देशो की तुलना मे अपेक्षाकृत धीमी है क्योकि कृषि के मौसमी व्यवसाय होने के कारण अधिकाश ग्रामीण जनता को सालभर मे 5–6 महीने ही काम उपलब्ध हो पाता है शेष खाली महीनो के समय मे उन्हे अन्य क्षेत्रो मे रोजगार के अभाव के कारण बेराजगार रहना पडता है फलत उनके आय एव उपभोग के स्तर मे गिरवट आती है। विभिन्न देशो के ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि मे लगी कार्यशील जनसख्या के प्रतिशत आकडो को तालिका 1 1 मे प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय ग्रामीण ढॉचे मे कृषि के आंकडो की तुलना अन्य देशो से भूमि की उत्पादकता और कृषि मे लगे श्रम की उत्पादकता के आधार पर करने पर यह बात सिद्ध होती है कि भारत मे भूमि की उत्पादकता अन्य देशो की तुलना मे कम है। तालिका 1 2 के आकडो के तुलनात्मक अध

ययन से ऐसा स्पष्ट होता है, भारत मे गेहूँ और गन्ने की उत्पादकता अमेरिका की तुलना मे तीन–चौथाई है। चावल और मूँगफली की उत्पादकता भार मे तो अमेरिका की तुलना मे केवल एक–चौथाई है। भारत मे उत्पादकता कई अन्य अल्पविकसित देशो जैसे चीन, मिस्र, और इडोनेशिया की तुलना मे भी कम है। उदाहरण के लिए भारत मे गेहूँ की उत्पादकता मिस्र मे उत्पादकता का मात्र 56 7 प्रतिशत है, चावल की उत्पादकता चीन मे उत्पादकता का केवल 26 9 प्रतिशत है, गन्ने की उत्पादकता इडोनेशिया की तुलना मे मात्र 67 9 प्रतिशत है तथा मूँगफली की उत्पादकता चीन मे उत्पादकता का केवल 44 7 प्रतिशत है बाकी के फसलो मे भी लगभग यही स्थिति पाई जाती है।

तालिका 1 1

विश्व के विभिन्न देशो मे कृषि में कार्यशील जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय मे कृषि के प्रतिशत आकडो की तुलना (वर्ष 1981)

देश	कृषि मे लगी कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत भाग	कुल राष्ट्रीय आय मे कृषि का प्रतिशत भाग
इग्लैण्ड	2	2
स राज्य अमेरिका	2	3
सोवियत सघ (1980)	14	16
जापान	12	4
भारत	71	37
चीन	74	35
ब्राजील	30	13

स्रोत World Bank, World Development Repoıt, 1983, Table-3, pp 152-3
World Bank, World Development Report 1988, Table 21, pp 214-5

तालिका 1 2

विश्व के कुछ देशो मे फसल उत्पादकता मे अन्तर के ऑकडे (वर्ष 1985)

फसल		(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)
		उत्पादकता
गेहूँ	फ्रास	6 454
	मिस्र	3,300
	अमेरिका	2,600
	भारत	1,870
चावल	जापान	6,414
	अमेरिका	5,520
	चीन	5,271
	भारत	1,417
गन्ना	अमेरिका	84,238
	इडोनेशिया	85,345
	चीन	62,001
	भारत	57,673
मूँगफली	अमेरिका	3,270
	जापान	1,787
	चीन	2,007
	भारत	898

स्रोत Government of Indıa, Indıan Agricultural ın Brıef, 21st edıtıon, Table 3 6, pp 377-79

तालिका 1 3

भारत तथा विश्व के कुछ देशो के मध्य ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि मे लगे श्रम की उत्पादकता के तुलनात्मक आकडे (वर्ष 1985)

देश	प्रति पुरुष श्रमिक उत्पादन
भारत	2 2
जापान	13 1
कनाडा	115 2
अमेरिका	123 5
अर्जेन्टाइना	42 9
आस्ट्रेलिया	125 8
इग्लैण्ड	57 3
जर्मनी	49 6
नार्वे	33 4
ताइवान	8 1

स्रोत · S N Kulshreshtha and D D Tıwarı, "Agrıculture ın Indıa Problems and Prospects", ın J S Uppal (ed) Indıa' Economıc Problems, (New Delhı, Reprınt 1987) Table 5 12, p 107

भारत मे कम उत्पादकता के ये स्तर इस बात के प्रतीक है कि भारतीय गॉवो मे उचित युक्ति नीतिया इन देशो की अपेक्षा कम विकसित है। जिससे भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति इन देशो की तुलना मे कम है।

इसी प्रकार भारतीय कृषि मे लगेश्रम की उत्पादकता भी अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है, ऐसा तालिका 1 3 के आकडो से स्पष्ट है। 1985 मे भारत मे श्रम की उत्पादकता अमेरिका मे श्रम की उत्पादकता का मात्र 1 8 प्रतिशत जापान मे श्रम की उत्पादकता का मात्र 16 8 प्रतिशत तथा ताइवान मे श्रम की उत्पादकता का मात्र 27 1 प्रतिशत थी।

भारत मे पूजी का अभाव है इस सन्दर्भ मे सयुक्त राष्ट्र सघ के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे 1989–90 मे पूजी निर्माण की दर 15 3 प्रतिशत थी जबकि जापान मे 33 प्रतिशत एव कनाडा मे 21 प्रतिशत है। अत विश्व के अन्य देशो की तुलना मे भारत मे पूजी निर्माण की दर

नीची है, इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे योजनाओ का लाभ न पहुँचाने का कारण पूजी निर्माण की नीची दर व पूजी के अभाव को माना जाता है। इसके कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे आधारभूत सुविधाओ का विकास नही हो पाया है। उद्योग स्थापना के लिए, पानी, बिजली, सडके जैसी आधारभूत सुविधाए आवश्यक होती है, क्योकि उद्योग पति इन सुविधाओ को ध्यान मे रखता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे उद्योग स्थापित करने मे अधिक मात्रा मे पूजी की आवश्यकता पडती है। पूजी के अभाव के कारण औद्योगिक विकास मे बाधा आती है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास अवरूद्ध होता है। सम्भवत यही कारण है कि विश्व के अन्य विकसित देशो की तुलना मे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे पिछडापन मौजूद है।

भारत मे जनसख्या का घनत्व, विकसित देशो की तुलना मे अधिक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत मे प्रतिवर्ग किलोमीटर मे 267 व्यक्ति रहते है जबकि अमेरिका मे यह सख्या 22 और सोवियत सघ मे 11 है। भारत के न केवल शहरी क्षेत्रो मे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रो मे भी गरीबी, अज्ञानता और धार्मिक रूढिवादिता के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रमो को अधिक सफलता नही मिल पायी है, जिससे शहरी जनसख्या के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे जनसख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है।

यदि विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशो की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट है कि पिछले तीस वर्षो मे दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशो मे जनसख्या जिस तेजी के साथ बढी है उसके कारण इन देशो के ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर मे सुधार की विशेष सम्भावनाए नही है और रहन–सहन का स्तर गिर गया है। इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि यदि किसी देश मे जनसख्या मे वार्षिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत है तो प्रति व्यक्ति आय को स्थिर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय मे कम से कम 2 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए जिसके लिए कम से कम 8 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का निवेश होना चाहिए जो कि पिछडी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सम्भव नही होता है जिससे आर्थिक विकास को प्राप्त करना कठिन होता है और ग्रामीण विकास के तीव्रता की सम्भावना कम बनी रहती है।

यदि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व के अन्य विकसित देशो के कृषि के तकनीकी दृष्टिकोण से की जाए तो स्पष्ट है कि भारतीय

तकनीक पिछडी अवस्था मे है क्योकि अन्य अल्पविकसित देशो की तरह भारत मे भी पूजी का अभाव और श्रम की अधिकता के कारण नये तकनीक का प्रयोग सम्भव नही हो पाता और वे गरीबी के कारण पुरानी तकनीक को ही अपनाए रहते है। इसके विपरीत पश्चिमी देशो मे ग्रामीण कृषक उत्पादन की नई रीति अथवा मशीनो के प्रयोग को आसानी के साथ अपना लेते है जिसके परिणामस्वरूप इन देशो की कृषि उत्पादन मे वृद्धि से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि, आर्थिक विकास एव ग्रामीण विकास की प्रगति मे सहायक हुई है।

विश्व के कई विकसित देशो मे से अमेरिका, कनाडा, बिट्रेन इत्यादि रूढिवादी देश नही है, परन्तु भारत देश के सामाजिक ढॉचे मे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे रूढिवादिता अभी भी बनी हुई है यद्यपि देश मे भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए तथापि ग्रामीण सरचना ज्यो की त्यो है। ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि वित्त प्रदान करने के विशिष्ट सस्थाओ के अतिरिक्त महाजनो की जकड पूर्ववत् बनी हुई है।

उपर्युक्त तत्त्वो के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण विकास की प्रगति विश्व के अन्य देशो की तुलना मे धीमी व अल्पविकसित है।

1.4. ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ह्रास लगभग दो सौ वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ जब हमारा देश उपनिवेशवादी शासन के चगुल मे फस गया था, मध्यकालीन सामतवादी व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता मे लगातार हस्ताक्षेप करके उस पर गहरे घाव छोड दिए थे।

यद्यपि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर और अतिरेक वाली अर्थव्यवस्था थी। अधिकाश आवश्यकताओ के सन्दर्भ मे गॉव आत्म निर्भर थे। भू—राजस्व का समयानुसार भुगतान करना ग्राम वासियो का मुख्य दायित्व था। विभिन्न प्रकार की धातुओ के मिश्रण और उन पर आधारित निर्माण कार्य, स्वर्ण और चादी के आभूषण ताबे की कलात्मक वस्तुओ का व्यवसाय, इत्यादि अत्यन्त विकसित थे।

ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की उपरोक्त व्यवस्था की सबल और सन्तुलित आर्थिक स्थिति के कारण ही इसे प्रभूत धन सम्पदा वाला देश माना जाता था। यद्यपि इसके वैज्ञानिक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नही है

परन्तु इसका कुछ आभास तत्कालीन आर्थिक साहित्य, जिसका विवरण मुख्यत दूसरे देशो से आये हुए प्रमुख पर्यटको के यात्रा वृतातो से मिलता है। 17वी और 18वी शताब्दी के आरम्भ मे आने वाले विदेशी पर्यटको ने प्राय इस बात का उल्लेख किया है कि उस समय भारत के गॉव अत्यन्त समृद्ध थे। औरगजेब के मुख्य चिकित्सक मनूची ने अलग–अलग प्रान्तो का विवरण लिखा है। बगाल का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि "मुगल शासको के सभी राज्यो मे से बगाल अपनी समृद्धि के लिए फ्रास मे सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बगाल की बेहद उर्वरता का प्रमाण उसकी अपूर्व सम्पदा है जो वहॉ से यूरोप भेजी जाती है। वह किसी भी सन्दर्भ मे मिस्र से कम नही है, बल्कि सिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन मे वह मिस्र से भी आगे है। यहॉ फल, दाल, अनाज, मलमल, जरी तथा रेशम के कपडे आदि सभी चीजो से बाजार भरी पडी है।"[1]

सत्रहवी शताब्दी मे भारत की यात्रा का विवरण देते हुए टेवर्नियर ने अपनी पुस्तक "ट्रेवेल्स इन इडिया" मे लिखा है कि "छोटे–छोटे गॉव मे भी चावल, आटा, मक्खन दूध और विभिन्न सब्जिया पर्याप्त मात्रा मे मिल सकती है" 1916–18 के प्रथम औद्योगिक आयोग ने इस वक्तव्य के साथ अपनी रिपोर्ट आरम्भ की है कि ऐसे समय जब आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान यूरोप मे असभ्य जातिया बसा करती थी, भारत अपने शासको की समृद्धि और अपने करीगरो की अत्यन्त कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था।[2]

इस प्रकार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रेक्षको एव आयोगो के विवरण की सत्यता पर कतिपय प्रतिशत मे सन्देह किया जा सकता है।

लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन, ग्रामीण भारत पर ब्रिटिश प्रभाव बहुत व्यापक और दूरगामी रहा। उपनिवेशवादी नीतियो ने ग्रामीण व्यवस्था और सामुदायिक एकता के मेरूदण्ड को ही तोड दिया था, इसका उल्लेख ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के एक सदस्य विलियम फुल्लर्टन ने किया था, "बीते

---

1 Quoted by R Plam Dutt in India Today p 44

2 Indian Industrial Commission p 6

दिनो मे यहॉ के गॉव मे विभिन्न जातियो के लोगो से भरे पूरे थे और वाणिज्य धनसपदा तथा उद्योगो के भडार थे लेकिन हमारे कुशासन ने 20 वर्षो मे ही इन गॉवो के बहुत सारे हिस्सो को बजर बना दिया। खेतो मे अब खेती नही की जाती, काफी इलाको मे झाडियॉ उगी पडी है, किसान लुट चुके है, औद्योगिक निर्माताओ का दमन किया जा चुका है। बार–बार अकाल पडे है और फलस्वरूप जनसख्या कम हुई है।"[3]

एडमड बर्क ने इनके शोषण की निन्दा करते हुए कहा था कि—"यदि हमे भारत छोडकर भागना पडे तो हमारे शासन काल के शर्मनाक वर्षो की कहानी कहने के लिए जो प्रमाण बचे रहेगे उनसे यही पता चलेगा कि यहा का शासन किसी भी अर्थ मे औराग–उटाग या चीते के शासन से अच्छा नही था।[4]

ब्रिटिश शासको ने क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण उद्योगो और हस्त–शिल्पो को नष्ट कर दिया था इसका उल्लेख अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करते है उदाहरण स्वरूप डी एच बकानन के अनुसार "भारत मे बडी सख्या मे लोग लोहा गलाने का काम करते थे लेकिन सस्ते ढग से तैयार किए गए यूरोपीय लोहे ने लोहा गलाने के उद्योग को भारी धक्का पहुँचाया और इस काम को करने वाले लोग अकुशल मजदूर बनकर रह गए। इस तरह औद्योगिक पतन से ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि नगरो की आबादी मे भारी कमी हुई क्योकि दस्तकार अपना धन्धा छोडकर गॉवो मे चले गए।"[5]

इस प्रकार 1900 ईस्वी तक ग्रामीण भारत छिन्न–भिन्न हो चुका था, गॉवो की स्वावलम्बन क्षमता नष्ट हो गई थी, कृषि का आधार नष्ट हो गया था क्योकि किसानो को अग्रेजो और उनके दलालो द्वारा निर्धारित नितान्त नीची कीमत पर अपने उत्पादन को बेचना पडता था और उनके निर्देशो के अनुसार कार्य करना इनकी बाध्यता थी। उस समय, उनकी सामाजिक सास्कृतिक एकता भी छिन्न–छिन्न हो गयी थी।

उपर्युक्त तथ्यो से यह तात्पर्य नही कि उन दिनो ग्रामीण भारत मे जो कुछ था वह महान था बल्कि उनमे अनेक कमिया थी। जिसमे परिवर्तन

---

3 William Fullarton, Quoted in R Palme Dutt, of cit p 108
4 Edmund Burke, Quoted in R Palme Dutt, of cit p 108
5. D H. Buchanan, Quoted in R Palme Dutt of cit p 109

लाने और सुधार करने की आवश्यकता थी परन्तु ब्रिटिश राज ने सुधार न करके उसमे और अस्थिरता लाकर ग्रामीण आय के स्रोतो को ही बरबाद कर दिया।

ब्रिटेन मे 1600 ईस्वी मे जब औद्योगिक क्रान्ति आयी उसके अनुभवो का लाभ उठाते हुए उन्होने भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा मे धकेल दिया उन्होने भारत की विविधता पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी अर्थव्यवस्था तथा केन्द्रित उद्योगो की अर्थ–व्यवस्था थोप दी। औद्योगिक क्रान्ति के इन प्रभावो से भारत मे ग्रामीण लोगो की हालत बिगडती ही गयी।

स्वतत्रता के पश्चात् भारत मे ग्रामीण क्षेत्रो का जो ढाचा है उसमे आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कृषि कार्य मे सुविधा लगान की छूट, शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था और समानता का अधिकार आदि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओ की पूर्ति की आशा सरकार से ही की जाने लगी।

स्वतत्रता से पहले गॉव मे उत्पादन के प्रमुख साधनो पर जमीदारो, सामतो, और बडे भूपतियो का स्वामित्व था। स्वतत्रता के पश्चात गॉव मे किसानो का शोषण रोकने के लिए सबसे पहला कदम 1948 मे जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के रूप मे उठाया गया। इस कदम से किसानो मजदूरो और पिछडे वर्गो के विकास के लिए नई योजनाए कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जमीदारी उन्मूलन के साथ ही भूमि के उचित वितरण के लिए भूमि सुधार आन्दोलन चलाया गया विभिन्न राज्यो मे वहॉ की भूमि व्यवस्था के आधार पर भिन्न–भिन्न सुधार कानूनो को पास किया गया।

1950 और 60 के दशक मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण मे औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। विकास के लिए एजेन्सियॉ बनाई गई, कार्यक्रमो को लागू करने की दिशा मे प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया आरम्भ की गई। अनेक प्रकार के अनुदान, सरकारी ऋण विकास–पत्र आदि जारी किए गए। कृषि, उद्योग, यातायात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार व प्रयास आरम्भ किया गया। नवीन कृषि निवेशो का प्रयोग बढा और उन्नत फसल व्यवस्था युक्त नवीन तकनीक हरित क्रान्ति के समावेश से उत्पादन और उत्पादिता बढी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एव पचायती

राज सस्थाओ को बुनियादी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास एव लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक महत्तवपूर्ण तत्त्व माना गया। इसके बाद पचायती राज की तीन स्तर वाली सरचना को अपनाया गया जिसमे गॉव को मूल इकाई एव दूसरे स्तर पर विकास खण्ड तथा तीसरे स्तर पर जिले को रखा गया।

इस प्रकार सरकार ने ग्रामीण विकास नीति के अन्तर्गत, ग्रामीण समुदायो को साधनो की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्यक्रमो के द्वारा लाभ पहुँचाने का प्रयास किया था। परन्तु फिर भी हमारे देश मे व्यापक गरीबी व बेरोजगारी जो लगभग स्वतत्रता प्राप्ति के समय से ही विद्यमान है इनको समाप्त करने का प्रयास वर्षो से किया जा रहा है, इस दृष्टि से 1970 के दशक मे राज्य द्वारा गरीब वर्गो और आर्थिक दृष्टि से पिछडे लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये। इन कार्यक्रमो से पहले एक दृष्टि डालना होगा भारत मे गरीबी रेखा से नीचे जनसख्या का प्रतिशत एव बेरोजगारी के विषय मे।

1.5 भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी

गरीबी सामाजिक विषमता और बेरोजगारी का ही सीधा परिणाम है परन्तु सर्वप्रथम इस बात को जाना जाए कि गरीबी है क्या ?

"जीवन मे स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए उपयोग की न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे अयोग्यता ही निर्धनता अर्थात् गरीबी है।"

गरीबी रेखा को पहली बार छठी पचवर्षीय योजना (1980–85) मे निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा से तात्पर्य योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल "Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand" की रिपोर्ट के अनुसार "ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन जिन्हे भी न्यूनतम मात्रा मे आवश्यक कैलोरी नही मिल पाती है उन्हे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।"[1]

भारत के ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रो मे गरीबी स्पष्ट रूप से देखी

1. Planning Commission Task force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand

जा सकती है। भारत मे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या के सम्बन्ध मे विभिन्न एजेन्सियो द्वारा लगाए गए अनुमान मे काफी विभिन्नता है देश मे निर्धनता के सम्बन्ध मे सरकारी आकडे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकलन पर आधारित होते है। एन एस एस के सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न वर्षो के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या का प्रतिशत तालिका 1 4 मे दिये गये है—इसके अतिरिक्त योजना आयोग के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 1987—88 के बाद देश मे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या व इसके प्रतिशत मे कमी आयी है।

तालिका 1 4 के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन (एन एस एस.ओ) के 50वे चक्र के सर्वेक्षण पर आधारित आकलन के अनुसार वर्ष 1993—94 मे देश मे 18 96 प्रतिशत जनसख्या ही गरीबी की रेखा से नीचे थी, इससे पहले NSS के 48वे दौर मे यह 1991 मे 38 प्रतिशत तथा 1992 मे 40 प्रतिशत थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन वर्षो मे निर्धनता रेखा के प्रतिशत मे वृद्धि हुई थी। परन्तु जैसा कि तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 1993—94 मे यह घटी। 1987—88 मे यह अनुपात (25 49) प्रतिशत (सशोधित अनुमान) था। आकडो के अनुसार 1993—94 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे 37 27 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रो मे 32 36 प्रतिशत जनसख्या गरीबी रेखा से नीचे थी।

एन एस एस ओ के सर्वेक्षण पर आधारित योजना आयोग के नवीनतम सशोधित आकलन के अनुसार 1987—88 मे देश में कुल 20 141 करोड जनसख्या (ग्रामीण क्षेत्र मे 16 830 करोड व शहरी क्षेत्र मे 3 311 करोड जनसंख्या) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही थी, अनन्तिम आकलन के अनुसार 1993—94 में देश मे गरीबी की रेखा से नीचे कुल जनसख्या 16 857 करोड ही थी, इसमे 14 105 करोड लोग ग्रामीण क्षेत्रो मे व 2.752 करोड शहरी क्षेत्रो मे निर्धनता रेखा से नीचे थे।

योजना आयोग के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धनता का अनुपात पूरे देश मे समान नही है, विभिन्न राज्यो मे निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जन सख्या व इनके प्रतिशत को तालिका 1 5 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 4

भारत मे निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत

क्षेत्र	1972-73	1977-78	1983-84	1987-88	1993-94
ग्रामीण	54 1	51 2	40 4	28 37	37 27
शहरी	41 2	38 2	28 1	16 82	32 36
अखिल भारत	51 5	48 3	37 4	25 49	18 96

स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग के अनुमान

तालिका 1 5

विभिन्न राज्यो मे गरीबो की सख्या के आकडे (वर्ष 1993-94)

राज्य	कुल जनसख्या (करोड मे) 1991	गरीबो की सख्या (करोड मे)	गरीबी का प्रतिशत %
असम	2 24	0 96	40 87
अरूणाचल प्रदेश	0 08	0 04	39 35
अण्डमान निकोबार	0 02	0 01	34 47
बिहार	8 63	4 93	54 96
आन्ध्रप्रदेश	6 65	1 53	22 19
नागालैण्ड	0 12	0 05	37 92
मणिपुर	0 18	0 06	33 78
मिजोरम	0 06	0 01	25 66
त्रिपुरा	0 27	0 11	39 01
मेघालय	0 17	0 07	37 92
सिक्किम	0 04	0 01	41 43
जम्मू—कश्मीर	0 77	0 20	25 17
हिमाचल प्रदेश	0 51	0 15	28 44
पश्चिम बगाल	6 80	2 54	35 66
पाण्डिचेरी	0 08	0.03	37 40
तमिलनाडु	5 58	2 02	35 03
उडीसा	3 16	1 60	48 56
मध्यप्रदेश	6 62	2.98	42 52
पजाब	2 02	0 25	11 77

चडीगढ	0 06	0 008	11 35
उत्तर प्रदेश	13 91	6 04	40 85
दिल्ली	0 94	0 15	14 69
दादरा एव नागर हवेली	0 01	0 008	50 84
हरियाणा	1 64	0 44	25 05
राजस्थान	4 40	1 28	27 41
गुजरात	4 13	1 05	24 21
दमन एव दीव	0 01	0 002	15 80
महाराष्ट्र	7 89	3 05	36 86
गोवा	0 12	0 02	14 92
कर्नाटक	4 49	1 56	36 86
केरल	2 00	0 76	25 43
लक्षद्वीप	0 50	0 001	25 04
भारत	**84 63**	**32 04**	**35 97**

स्रोत 'कुरूक्षेत्र' मासिक पत्रिका

उपरोक्त आकडो के विश्लेषण एव विशेषज्ञो के अध्ययन अनुसार विगत वर्षो मे निर्धनता अनुपात मे वृद्धि का मुख्य कारण मूल्य स्तर मे विशेषकर खाद्यान्नो के मूल्यो मे तीव्र वृद्धि हुई है। यह तथ्य बडा महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोग व्यय का लगभग 65 प्रतिशत खाद्यान्नो पर ही व्यय होता है।

निर्धनता अनुपात मे वृद्धि के कारण दूसरी ओर भारत मे विगत वर्षो मे न केवल बेरोजगारी की सख्या मे वृद्धि हुई है वरन बेरोजगारी की दर मे भी वृद्धि हुई है इस दृष्टिकोण से विश्लेषण मे सुविधा की दृष्टि से हम भारत में बेरोजगारी को दो श्रेणियो मे रखना चाहेगे—

1 शहरी बेरोजगारी
2 ग्रामीण बेरोजगारी

शहरी बेरोजगारी दो प्रकार की है –

1 शिक्षित लोगो मे बेरोजगारी

2 औद्योगिक मजदूरो और शारीरिक श्रम करने वाले लोगो मे बेरोजगारी।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रो मे मुख्य रूप से तीन प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है –

प्रथम–मौसमी बेरोजगारी, द्वितीय-छिपी हुई बेरोजगारी, तृतीय – अर्द्धबेरोजगारी।

अत ग्रामीण क्षेत्रो मे पाई जाने वाली उपरोक्त बेरोजगारी के स्वरूपो को देखते हुए इस सदर्भ मे यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान श्रम अतिरेक देश मे विशेषकर अनैच्छिक, छिपी हुई व प्रच्छन्न बेरोजगारी की प्रधानता है ऐसा कृषि मे अतिरिक्त जनसख्या के दबाव के कारण है। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी के विषय मे विस्तृत अध्ययन के दृष्टिकोण से नर्क्स के विचारो फाई–रेनिस व लुइस मॉडल को भी इस अध याय मे सम्मिलित किया गया है जिनका आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत है—

1.5.1 अनैच्छिक बेरोजगारी सिद्धान्त के प्रारूप

नर्क्स के विचार

नर्क्से ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा को विकास के सन्दर्भ मे प्रयोग किया है उनके अनुसार कृषि प्रधान देशो मे कृषि कार्य मे जितने लोग लगे हुए है उन सभी का उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए इस व्यवसाय मे लगा रहना आवश्यक नही है, फिर भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशो मे कृषि पद्धति मे सुधार के द्वारा श्रम शक्ति को कम करके कृषि पद्धति मे सुधार के द्वारा श्रम शक्ति को कम करके कृषि उत्पादन के स्तर को स्थिर रखा जा सकता है, परन्तु अतिरेक जनसख्या वाले अर्थात् अल्पविकसित देशो मे स्थिति ऐसी है कि यदि उत्पादन तकनीक मे कोई सुधार नही भी किया जाए तो भी कुछ लोगो को खेती से हटा लेने के पश्चात् उत्पादन मे कोई कमी नही होती है। चूँकि इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के लोगो की खेती मे उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पडता है, इसलिए उनके श्रम को फालतू श्रम अर्थात् अतिरेक श्रम (Surplus Labour) कहा जाता है। अतिरेक श्रम की खेती मे उपस्थिति से साधनो की बर्बादी होती है और इस प्रकार के श्रम की कृषि क्षेत्र मे सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार कहते है उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष किसान परिवार के

7 सदस्य मिलकर खेती करते है और वर्ष मे 25 क्विन्टल चावल का उत्पादन करने मे समर्थ है और यदि कृषि पद्धति मे परिवर्तन न करने के उपरान्त भी परिवार के 6 सदस्य इतना ही उत्पादन करने मे सफल हो जाते है तो यह स्पष्ट होता है कि सातवे व्यक्ति की उत्पादकता शून्य होगी और वह प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएगा। आर नर्क्से का विचार है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात् अदृश्य बेरोजगारी पूजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत है। वे इसे 'छिपी हुई बचत शक्ति' भी मानते है। उनका मत है कि भूमि पर लगी हुई इस 'अतिरेक शक्ति' को भूमि से निकाल कर पूँजी निर्माण के कार्य जैसे भवन, सडक, सिचाई फैक्टरी निर्माण परियोजनाओ इत्यादि पर लगाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि एक ओर भूमि पर से जनसख्या का दबाव कम होगा, तथा दूसरी ओर वास्तविक पूजी का निर्माण भी होगा।

परन्तु नर्क्से के अनुसार प्रमुख समस्या यह है कि वास्तविक पूजी निर्माण से सम्बन्धित उपरोक्त परियोजनाओ को चलाने के लिए आवश्यक पूजी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए क्योकि उन परियोजनाओ के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिको की खाद्य पदार्थो की व्यवस्था के रूप मे यह समस्या उत्पन्न होती है।

अत सभी अल्पविकसित देशो मे थोडी बहुत ऐच्छिक बचत के द्वारा इन श्रमिको की खाद्य पदार्थो की आशिक रूप से व्यवस्था हो सकती है और सरकार विलासिता से सम्बन्धित वस्तुओ के उपयोग पर कर लगाकर कुछ साधनो को इकट्ठा कर सकती है। परन्तु नर्क्से के अनुसार इस प्रकार के अनिवार्य बचत के द्वारा पर्याप्त राशि एकत्रित कर पाना सम्भव नही होता है। इस प्रकार एक उपाय यह है कि विदेशी पूजी के आयात के द्वारा बचत के अभाव को दूर किया जाए परन्तु नर्क्स इसे अनिश्चितता के कारण अनुपयुक्त मानते है।

नर्क्से का विचार है कि जिन श्रमिको को कृषि क्षेत्र से हटाकर नई पूँजी निर्माण परियोजनाओ के अन्तर्गत कार्य दिया जाता है उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने का एक तीसरा उपाय यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मे निहित प्रच्छन्न सभाव्य बचत प्रयोग कृषि से स्थानातरित होने वाले व्यक्तियो की खाद्य व्यवस्था के लिए किया जाए।

अत नर्क्से ने इस प्रच्छन्न सभाव्य बचत की उपस्थिति को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। यदि किसी परिवार के पास 3 हैक्टर का खेत है जिस पर परिवार के पाच व्यक्ति मिलकर 20 क्विन्टल चावल का उत्पादन करते है इस परिवार के जब तीन व्यक्ति खेती करते है तो भी उत्पादन 20 क्विन्टल ही रहता है परन्तु जब 2 व्यक्ति काम करते है तो उत्पादन 16 क्विन्टल हो जाता है ऐसी स्थिति मे चौथे तथा पाचवे व्यक्तियो की उत्पादिता शून्य है इन्हे अनुत्पादक श्रमिक और अन्य तीन व्यक्तियो का श्रम उत्पादक कहा जाता है।

अत स्पष्ट है कि उत्पादक श्रमिक अपने उपभोग से अधिक उत्पादन करते है यदि यह मान लिया जाए कि परिवार के सभी सदस्य बराबर उपभोग करते है तो परिवार के उत्पादक सदस्यो का उपभोग जहॉ 12 क्विन्टल चावल होगा वहॉ अनुत्पादक सदस्य 8 क्विन्टल चावल का उपभोग करेगे इस प्रकार उत्पादक श्रमिको की वास्तविक बचत 8 क्विन्टल चावल के बराबर है परन्तु यह बचत परिवार के अनुत्पादक सदस्यो के भरण–पोषण पर व्यय हो जाने के कारण व्यर्थ नष्ट हो जाती है।

दूसरी ओर यदि किसान परिवार के अनुत्पादक सदस्यो को कृषि कार्य से हटाकर वास्तविक पूजी निर्माण परियोजनाओ के अन्तर्गत काम करने के लिए भेज दिया जाता है और जब परिवार के उत्पादक सदस्य खाद्यान्न भेजकर इनका भरण–पोषण करते है तो एक ओर जहॉ अनुत्पादक श्रम उत्पादक श्रम का रूप धारण कर लेगा, वही दूसरी ओर किसान परिवार के उत्पादक सदस्यो की वास्तविक बचत व्यर्थ नष्ट नही होगी बल्कि प्रभावशाली बचत बन जाएगी। इस प्रकार परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग की मात्रा पहले जितनी ही रहेगी परन्तु कृषि क्षेत्र का अनुत्पादक श्रम पूजी निर्माण योजनाओ के अन्तर्गत उत्पादक बनकर राष्ट्रीय आय के साथ–साथ राष्ट्रीय बचत मे वृद्धि करेगा और साथ ही कृषि क्षेत्र की अतिरेक जनसख्या का अनुत्पादक उपभोग उत्पादक उपभोग कहलाएगा।

इस सभाव्य बचत को उपर्युक्त ढग से वास्तविक रूप से कृषक परिवारो के उत्पादक सदस्यो को अपने उपभोग मे कमी करने की आवश्यकता नही होगी उन्हे यह करना चाहिए कि जब उन पर आश्रित परिवार के अनुत्पादक सदस्य कृषि कार्य छोडकर पूजी निर्माण परियोजनाओ

पर काम करने के लिए चले जाते है तो उत्पादक सदस्य अपने उपभोग मे वृद्धि न करे और उनके भरण–पोषण के लिए पहले की भाति खाद्य सामग्री उपलब्ध करते रहे इस प्रकार कृषि से स्थानान्तरित श्रमिक को अपने उपभोग के लिए अपने उत्पादक सदस्यो पर ही आश्रित रहने चाहिए, इस व्यवस्था से किसी को भी अपने उपभोग मे कमी करने की आवश्यकता नही पडेगी। परन्तु इस प्रकार श्रम का पुर्नआबटन हो जाने से पूजी निर्माण मे सहायता प्राप्त होती है।

फाई-रेनिस मॉडल

फाई–रेनिस मॉडल का सबध एक विकासशील श्रम–अतिरेक तथा ससाधनहीन अर्थव्यवस्था से है। जिसमे अधिकतर जनसख्या विस्तृत बेरोजगारी और जनसख्या की ऊँची वृद्धि दरो के बीच कृषि मे कार्यरत है। कृषि अर्थव्यवस्था गतिहीन है। जहॉ लोग पारम्परिक कृषि व्यवसाय मे सलग्न रहते है। इसके अतिरिक्त कृषि रहित व्यवसाय भी पाए जाते है किन्तु उनमे कम पूजी का उपयोग होता है जिसमे एक सक्रिय तथा गत्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र भी है। जहॉ से कृषि अतिरेक श्रमिको का औद्योगिक क्षेत्र को पुन स्थानान्तरण किया जाता है, जिनका कृषि उत्पादन मे योगदान शून्य होता है।

फाई–रेनिस ने अपने मॉडल को प्रस्तुत करते हुए यह मान्यता दी है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन होता है। भूमि मे सुधार के अतिरिक्त कृषि मे पूजी का सचय नही होता है। भूमि की पूर्ति स्थिर है। कृषि मे पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते है तथा औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन केवल पूजी तथा श्रम का फलन है और इन क्षेत्रो मे वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है यह कृषि क्षेत्र की प्रारम्भिक वास्तविक आय के बराबर होती है उन्होने इसे सस्थानिक (institutional) मजदूरी कहा है।

उपर्युक्त मान्यताओ के आधार पर फाई तथा रेनिस ने अतिरिक्त श्रम वाली अर्थव्यवस्था के विकास को तीन अवस्थाओ मे प्रस्तुत किया है। प्रथम अवस्था मे, अदृश्य बेरोजगार श्रमिक (जो कृषि उत्पादन मे कोई वृद्धि नही करते) को निरन्तर सस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित कर दिया है।

द्वितीय अवस्था मे कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन मे वृद्धि तो करते

है किन्तु प्राप्त सस्थानिक मजदूरी से कम उत्पादन करते है, ऐसे श्रमिको को भी औद्योगिक क्षेत्र मे भेज दिया जाता है। फाई–रेनिस ने यह स्पष्ट किया है कि यदि श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे निरन्तर स्थानान्तरण किया जाता रहता है, तो अन्त मे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब खेतिहर श्रमिक सस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन करते है, इसी से तृतीय अवस्था प्रारम्भ होती है, जो कि आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ और उत्कर्ष की अन्तिम स्थिति है। इस अवस्था मे जबकि खेतिहर मजदूर सस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते है, अत श्रम अतिरेक समाप्त हो जाता है और कृषि क्षेत्र का व्यापारिककरण होता है।

फाई–रेनिस मॉडल को चित्र की सहायता से समझा जा सकता है लेखा चित्र–I (A) मे फाई–रेनिस ने कृषि क्षेत्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है जहॉ श्रम (L) तथा भूमि (Z) द्वारा वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है श्रम के माप को अनुलम्ब अक्ष पर तथा भूमि को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया है उत्पादन की अवस्था को वक्र OR दर्शाती है वक्र ABC कृषि वस्तुओ के उत्पादन की परिधि रेखा है OZ रेखा पर भूमि को स्थिर मानकर श्रम ON1 अधिक[illegible] उत्पादन करता है।

चित्र–I (B) मे TP वक्र श्रम की कुल उत्पादकता को प्रस्तुत करता है। यदि OZ भूमि के साथ N1 के बाद अधिक श्रम लगाया जाता है जो उत्पादन मे कोई वृद्धि नही होगी। क्योकि TP वक्र पर M बिन्दु के बाद श्रम की कुल उत्पादकता स्थिर हो जाती है और सीमान्त उत्पादकता शून्य की ओर चला जाता है।

कृषि क्षेत्र को दर्शाते हुए फाई रेनिस मॉडल

लेखाचित्र (I) (A) & (B)

श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य

लेखाचित्र - II

श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे तीन अवस्थाओ मे स्थानान्तरण को दर्शाते हुए फाई-रेनिस माडल

लेखाचित्र - III (A), (B) & (C)

लेखाचित्र–2 मे यह प्रदर्शित किया गया है कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता किस प्र कार से शून्य होती है। अत लेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि जब OL श्रम की मात्रा नियुक्त की जाती है तब TP कुल उत्पादन वक्र क्षैतिज हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि OL पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य हो जाती है इस बिन्दु से परे और श्रम नियुक्त करने का कोई लाभ नही है इस प्रकार L_2L_1 मजदूर प्रच्छन्न बेरोजगार है। और L बिन्दु पर श्रम की (MP) सीमान्त उत्पादकता शून्य और L_2L_1 परिसीमा के अन्तर्गत श्रमिको की सीमान्त उत्पादकता कुछ नही है।

अत मजदूर की सीमान्त उत्पादकता (MP) शून्य होती है और इस सीमान्त पर श्रम की उत्पादकता ठीक शून्य के बराबर होती है। और यही से अदृश्य व प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रारम्भ होता है। फाई–रेनिस के अनुसार कृषि क्षेत्र से इन अदृश्य बेरोजगार मजदूरो को औद्योगिक क्षेत्रो मे तीन अवस्थाओ मे स्थानान्तरित कर दिए जाने पर अर्थव्यवस्था का अर्थात् आर्थिक विकास होता है। फाई–रेनिस के माडल की इन तीन अवस्थाओ को लेखाचित्र–3 मे प्रस्तुत किया गया है। लेखाचित्र –3 मे (A), (B) तथा (C) भागो मे दर्शाया गया है जहॉ भाग (A) औद्योगिक क्षेत्र को और भाग (B) तथा (C) कृषि क्षेत्र को दर्शाते है। पहले भाग (C) पर श्रम शक्ति को बाई ओर क्षैतिज अक्ष ON पर, तथा कृषि उत्पादन को O से नीचे की ओर अनुलम्ब अक्ष OY पर मापा गया है। वक्र OCX कृषि क्षेत्र की कुल भौतिक उत्पादकता का वक्र (TPP) है। वक्र CX का समानान्तर भाग यह प्रदर्शित करता है कि इस क्षेत्र मे कुल उत्पादकता स्थिर है, इसलिए वक्र MN पर श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य है। इस प्रकार MN अतिरेक श्रम है तथा इसे औद्योगिक क्षेत्र मे लाने पर अर्थात् स्थानान्तरित करने पर कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पडता है। यद्यपि यह मान लिया जाता है कि सम्पूर्ण श्रम शक्ति ON कृषि क्षेत्र मे लगी हुई है तो यह कृषि उत्पादन उत्पादित करता है। यह लेखाचित्र–I (B) का उल्टा किया हुआ OTP वक्र है यह मानते हुए कि समस्त उत्पादन NX कुल श्रम शक्ति ON द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो वास्तविक मजदूरी NX / ON अथवा किरण OX की ढाल है यह सस्थानिक मजदूरी है।

उत्कर्ष के पश्चात आबटन प्रक्रिया को लेखा चित्र–3 के भाग (B) के माध्यम से दर्शाया गया है। जहॉ कुल श्रम शक्ति को दाई ओर से बाई ओर अनुलम्ब अक्ष ON पर तथा औसत उत्पादन को क्षैतिज अक्ष NV पर मापा गया है NMRU वक्र श्रम की सीमात भौतिक उत्पादकता MPP) को दर्शाती है। NW सस्थानिक मजदूरी वक्र पर मजदूरो को इस क्षेत्र मे लगाया जाता है। अवस्था I मे चित्र के भाग (B) मे NM वक्र पर श्रमिक अदृश्य बेरोजगार है और उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है जिसे MPP अथवा TPP वक्र लेखा चित्र 3 के भाग (C) मे CX द्वारा दर्शाया गया है। अतिरिक्त श्रम शक्ति NM जिसे भाग (A) के OM मे दर्शाया गया है उसी सस्थानिक मजदूरी OW (=NW) पर स्थानान्तरित की गई है।

इस मॉडल के लेखा चित्र 3 के भाग (B) मे जैसा कि यह प्रदर्शित किया गया है कि अवस्था II मे, MPP वक्र NMRU पर MK कृषि मजदूरो की सीमात भौतिक उत्पादकता वक्र MR रेज मे धनात्मक है लेकिन यह सस्थानिक मजदूरी KR (=NW) जो प्राप्त करते है से कम है कुछ अदृश्य बेरोजगार श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। किन्तु इस अवस्था मे औद्योगिक क्षेत्र मे सस्थानिक मजदूरी के बराबर नही होगी, यह इस कारण से है कि श्रम के औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरण से कृषि उत्पादन कम प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप कृषि वस्तुओ की कमी हो जाती है जिससे औद्योगिक वस्तुओ की सापेक्षता मे उनकी कीमते बढ जाती है इससे औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्ते खराब हो जाती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मे सामान्य मजदूरी मे वृद्धि करने की आवश्कता पडती है। सामान्य मजदूरी OW से LH तथा KQ तक सस्थानिक मजदूरी से अधिक बढ जाती है इसे श्रम के पूर्ति वक्र WT से H तथा Q से ऊपर W_1 तक भाग A मे दर्शाया गया है। जब ML तथा LK मजदूर धीरे–धीरे औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित हो जाते है तो T से ऊपर की ओर श्रम का पूर्ति वक्र WTW_1 पर गति लुइस का मोड बिन्दु कहलाता है।

जब तीसरी अवस्था III प्रारम्भ होती है तो फाई–रेनिस के अनुसार कृषि मजदूर कृषि उत्पादन को सस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादित करना शुरूकर देते है और अन्तत सस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन प्राप्त करते है यह उत्कर्ष का अन्त तथा आत्मजनक वृद्धि का प्रारम्भ है इसे

भाग (B) मे RU वक्र के माध्यम से दर्शाया गया है जो कि सस्थानिक मजदूरी KR (=NW) से अधिक है। परिणामस्वरूप KO श्रम को चित्र के भाग (A) मे KQ से ऊपर बढती हुई सामान्य मजदूरी पर कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे भेज दिया जायेगा यह कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे भेज दिया जाएगा यह कृषि क्षेत्र मे अतिरिक्त श्रम को समाप्त करता है जिससे पूरी तरह व्यापारिकरण हो जाता है।

फाई–रेनिस के अनुसार जब कृषि श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो कृषि वस्तुओ का अतिरेक प्रारम्भ होता है कृषि वस्तुओ के अतिरेक को (Total Agricultural Surplus or TAS) लेखा चित्र–3 के भाग–C मे रेखा OX तथा TPP वक्र OCX के बीच की अनुलम्ब दूरी से मापा गया है। अवस्था–I मे TAS है BC वक्र और अवस्था II मे TAS DE तथा FG है।

इसके अतिरिक्त औसत कृषि अतिरेक भी उत्पन्न होता है इस प्रकार AAS वक्र को WASO वक्र के रूप मे चित्र के भाग B मे प्रदर्शित किया गया है। AAS वक्र अवस्था I मे सस्थानिक मजदूरी के वक्र WA के साथ समरूप है अवस्था II मे यह A से S तक गिरती है और अवस्था III मे भाग (B) मे AAS अधिक तीव्रता से S से O तक कम होता है। और भाग (C) मे यह FG वक्र से O तक सिकुडने पर TAS भी कम हो जाता है कृषि श्रमिको की MPP सस्थानिक मजदूरी से अधिक बढने के कारण AAS तथा TAS दोनो मे कमी होती है जो कि अन्तत बचे हुए अतिरिक्त श्रमिको को औद्योगिक क्षेत्र मे ले जाती है।

फाई तथा रेनिस अवस्था I तथा अवस्था II के बीच की सीमा को 'दुर्लभता बिन्दु' कहते है जो कि AAS (WASO वक्र का AS भाग) के न्यूनतम सस्थानिक मजदूरी (NW) से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। और अवस्था II तथा अवस्था III के बीच की सीमा व्यापारिककरण बिन्दु है।

फाई–रेनिस अपने मॉडल मे यह भी प्रदर्शित करते है कि यदि कृषि उत्पादकता बढती है तो दुर्लभता बिन्दु तथा व्यापारिककरण बिन्दु मिल जाते है। लेखाचित्र 3 के भाग (B) मे MRU तथा ASO वक्र ऊपर की ओर इस प्रकार से स्थानान्तरित हो जाते है कि दुर्लभता बिन्दु A तथा व्यापारिककरण बिन्दु R मिल जाते है तथा अवस्था II समाप्त हो जाएगी।

फाई तथा रेनिस के मतानुसार द्वितीय अवस्था के समाप्त होने का आर्थिक महत्त्व यह है कि यह अर्थ व्यवस्था को आत्मजनक वृद्धि से चलने की योग्यता प्रदान करता है।

सतुलित वृद्धि

लेखाचित्र- IV

संतुलित वृद्धि

फाई–रेनिस मॉडल ने यह दर्शाया है कि सन्तुलित वृद्धि की अवस्था मे कृषि तथा औद्योगिक दोनो क्षेत्रो मे एक साथ निवेश आवश्यक है। इसे लेखा चित्र 4 मे दर्शाया गया है जहॉ PP श्रम का प्रारम्भिक माग वक्र तथा S_1S_1 श्रम का प्रारम्भिक पूर्ति वक्र है ये दोनो वक्र बिन्दु a पर काटते है जहॉ OM श्रम शक्ति औद्योगिक क्षेत्र मे काम मे लगी है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के इस स्तर पर S_1aP क्षेत्र के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यह लाभ अर्थव्यवस्था का कुल उपलब्ध निवेश कोष है। इस कोष का एक भाग

कृषि क्षेत्र को आबटित करने पर कृषि उत्पादकता मे वृद्धि से श्रम का पूर्ति वक्र औद्योगिक क्षेत्र मे नीचे दाई ओर S_1S_1 से S_2S_2 पर स्थानान्तरित होता है। निवेश कोष के शेष बचे हुए भाग को औद्योगिक क्षेत्र मे आबटित करने पर औद्योगिक माग वक्र को ऊपर PP से P_1P_1 तक स्थानान्तरित करता है। ये दोनो ही S_2S_2 तथा P_1P_1 वक्र सन्तुलित वृद्धि पथ S_1q_3 पर स्थित बिन्दु a वक्र को काटते है। इस प्रकार जब काल पर्यन्त निवेश कोष दोनो क्षेत्रो को लगातार आबटित किए जाते है तो अर्थव्यवस्था सन्तुलित वृद्धि पथ पर चलेगी। कभी–कभी वास्तविक वृद्धि पथ सन्तुलित पथ से विचलित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि औद्योगिक क्षेत्र मे अति निवेश के फलस्वरूप श्रम–माग वक्र P_2P_2 पर स्थानान्तरित हो जाता है तथा a_2 पर श्रम पूर्ति वक्र को S_2S_2 पर काटता है जिसके कारण वास्तविक वृद्धि पथ सन्तुलित वृद्धि पथ से ऊपर होगा इससे कृषि वस्तुओ मे कमी होगी तथा औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार शर्तो मे गिरावट आएगी इससे औद्योगिक क्षेत्र मे निवेश हतोत्साहित होगा कृषि क्षेत्र मे निवेश प्रोत्साहित होता है इसके द्वारा वास्तविक पथ सन्तुलित वृद्धि पथ a_3 के स्तर पर आ जाएगा।

फाई–रेनिस मॉडल की कई आधारो॰ पर आलोचना की गई है—

फाई तथा रेनिस यह मानते है कि विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। दीर्घ अवधि मे, फसल एकड उत्पत्ति का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि भूमि की मात्रा स्थिर नही रहती उदाहरणार्थ फसल क्षेत्र का सूचकाक (आधार 1961–62) 1950–51 मे 82 था जो कि बढकर 1970–71 मे 107 3 हो गया।

यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि विकास प्रक्रिया की अवस्था–I तथा II के अन्तर्गत सस्थानिक मजदूरी स्थिर होती है तथा MPP से अधिक होती है परन्तु वास्तव मे श्रम अतिरेक देशो मे कृषि श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी MPP से अधिक होती है परन्तु वास्तव मे श्रम अतिरेक देशो मे कृषि श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी MPP से कही अधिक कम होती है।

इस मॉडल मे यह भी माना गया है कि कृषि उत्पादकता मे वृद्धि होने के बावजूद पहली दो अवस्थाओ मे सस्थानिक मजदूरी स्थिर रहती है यह अत्यधिक अवास्तविक है क्योकि कृषि उत्पादकता मे सामान्य वृद्धि के

कारण फार्म मजदूरी का बढना सुनिश्चित है[9]। उदाहरणार्थ, पजाब मे हरित क्रान्ति के पश्चात किए फार्म सर्वेक्षण से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न कृषि वर्गो के लिए दैनिक वास्तविक मजदूरी की दरे 41 7 प्रतिशत से 55 2 प्रतिशत हो गई थी।

फाई रेनिस का मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है जहॉ विदेशी व्यापार नही होता यह मान्यता इस कारण से सार्थक नही है क्योकि अल्पविकसित देश बन्द अर्थव्यवस्थाए न होकर खुली अर्थव्यवस्थाए होती है जहॉ कमी आने पर कृषि वस्तुओ को आयातित किया जाता है।

फाई तथा रेनिस मानते हैं कि भूमि की स्थिर मात्रा के साथ जनसख्या का एक बहुत बडा आकार होगा जो कि MPP को शून्य बनाएगा। परन्तु शुल्ज इस मत से सहमत नही है कि श्रम–अतिरेक अर्थव्यवस्थाओ मे MPP शून्य है उनके अनुसार यदि ऐसा होता तो सस्थानिक मजदूरी भी शून्य होती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलती है जो भले ही वस्तु के रूप मे हो यदि नकदी के रूप मे नही। अत यह कहना नितान्त असत्य है कि कृषि क्षेत्र मे MPP शून्य होती है।

फाई–रेनिस मॉडल की उपरोक्त कमिया इनके महत्त्व को हीन नही करती है, अपितु यह मॉडल अल्पविकसित देशो के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रो के परस्पर प्रभावो की विकास प्रक्रिया का उत्कर्ष से आत्मजनक वृद्धि का व्यवस्थित ढग से विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यह मॉडल लुइस के मॉडल का एक सुधरा हुआ रूप है क्योकि लुइस मॉडल कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान मे न रखते हुए केवल औद्योगिक क्षेत्र पर ही केन्द्रित रहता है। जबकि यह दोनो क्षेत्रो के परस्पर प्रभाव को दर्शाते है। इस मॉडल की मुख्य श्रेष्ठता यह है कि यह अल्पविकसित देशो अर्थात् श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्थाओ मे पूॅजी के सचय के लिए कृषि वस्तुओ के महत्त्व को प्रकट करता है।

लुइस मॉडल

लुइस मॉडल

लुइस का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि अल्प विकसित देशो मे पूँजी सचय किस प्रकार होता है जहॉ श्रम का अतिरेक (बाहुल्य) और पूँजी की दुर्लभता हो। वे यह मानते है कि अल्पविकसित देशो मे निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है जब श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूँजीवादी क्षेत्र मे लगाया जाता है तब पूँजी सचय होता है।

उन्होने अपने मॉडल मे यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग करता है और पूँजीपतियो को उसके प्रयोग के लिए भुगतान करता है यह क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए श्रमिको को मजदूरी देकर उन्हे खानो, फैक्ट्रियो, रोपणो (Plantatıon) मे लगाता है।

निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुन उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग नही करता इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति उत्पादन पूँजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है।

लुइस के अनुसार निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण लोचदार पूर्ति का क्लासिकी मॉडल अनेक अविकसित देशो मे सही ठहरता है क्योकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओ मे पूँजी तथा प्राकृतिक साधनो की तुलना मे जनसख्या अधिक होती है, और श्रम की असीमित पूर्ति के कारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य और कभी–कभी ऋणात्मक होती है।

इसलिए चालू मजदूरी पर बिना किसी सीमा के निर्वाह क्षेत्र से श्रमिको को निकालकर पूँजीवादी क्षेत्र मे लगाकर, नए उद्योग स्थापित किए जा सकते है। चालू मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक निर्वाह क्षेत्र से कमाते है। इसके अतिरिक्त लुइस यह मानते है कि जब आर्थिक विकास होगा तो जिन स्रोतो से निर्वाह मजदूरी पर श्रमिक आएगे वे है "कृषक, आकस्मिक श्रमिक, छोटे मोटे व्यापारी नौकर–चाकर (घरेलू तथा वाणिज्यिक), घरेलू–काम काज करने वाली औरते तथा जनसख्या वृद्धि" परन्तु पूँजीवादी क्षेत्र को कुशल श्रमिक भी चाहिए इसलिए लुइस यह तर्क देते है कि कुशल श्रम 'आशिक अडचन' है जो अकुशल श्रमिको को प्रशिक्षण सुविधाए प्रदान करके दूर की जा सकती है।

निर्वाह–मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है श्रमिको की निर्वाह–मजदूरी आवश्यक न्यूनतम कमाई द्वारा निर्धारित होती है। यह स्पष्ट है कि निर्वाह क्षेत्र मे मजदूरी–स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन (कुल उत्पादन Total Productıon) से कम नही हो सकता दूसरे शब्दो मे निर्वाह क्षेत्र मे मजदूरी स्तर के सम्बन्ध मे दो सम्भावनाए व्यक्त की गई है– प्रथम यह कि निर्वाह क्षेत्र मे मजदूरी स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से कम नही हो सकता। और दूसरा मजदूरी–स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से अधिक

भी हो सकता है। उन स्थितियो मे जबकि, कृषको को लगान का भुगतान करना हो अथवा उनके खाने मे खर्च की अधिकता या यदि वे यह महसूस करते है कि घर छोडने की मानसिक कष्ट कारिताए अधिक है।

यद्यपि निर्वाह मजदूरी पूजीवादी मजदूरी की न्यूनतम सीमा निश्चित करती है। परन्तु व्यवहार मे निर्वाह–मजदूरी से पूँजीवादी मजदूरी 50 प्रतिशत अधिक होती है। (1954 के लेख मे लुइस ने इस अन्तर को 30 प्रतिशत आगणित किया था वास्तव मे इस अन्तर का सही–सही परिणाम नही बताया जा सकता क्योकि स्थानीय परिस्थितियो के साथ यह बदलता रहता है।) क्योकि (1) निर्वाह क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन मे होने वाली वृद्धि वास्तविक आय को बढाकर श्रमिको को इसलिए प्रेरित कर सकती है कि वे रोजगार कार्यो मे हिस्सा लेने से पहले अधिक ऊँची मजदूरी की माग करे।

(11) यदि निर्वाह क्षेत्र से श्रम हटा लेने पर कुल उत्पादन पहले जितना ही रहता है तो पीछे रह जाने वालो का औसत उत्पादन और उनकी वास्तविक आय मे वृद्धि हो जाएगी और हटाए गए श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र मे अधिक मजदूरी की माग कर सकते है।

(111) यह भी हो सकता है कि ऊँचे निर्वाह–व्यय और मालिक मानव हितो के दृष्टि से प्रेरित होकर श्रमिको की वास्तविक मजदूरी बढा दे अथवा सरकार श्रमिक सघ को प्रोत्साहन दे और उनकी मजदूरी के लिए सौदेबाजी के प्रयत्नो का समर्थन करे तो भी वर्तमान पूँजीवादी मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार मानी जाती है। पूँजीवादी मजदूरी की तुलना मे पूँजीवादी क्षेत्र मे श्रम की सीमान्त उत्पादकता अधिक होती है। इसका परिणाम पूँजीवादी अतिरेक होता है।

लुइस ने अपने मॉडल मे यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजी निर्माण पूँजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है जब पूँजीवादी अतिरेक नई पूँजीवादी परिसम्पत्तियो (assets) मे पुन आयोजित होता है तब पूँजी का निर्माण होता है। और निर्वाह क्षेत्र से और श्रमिक रोजगार पर लगाए जाते है यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूँजी श्रम अनुपात नहीं बढ जाता और श्रम की पूर्ति लोच रहित नही बन जाती। लुइस मॉडल की व्याख्या लेखाचित्र 5 की सहायता से की जा सकती है।

OX क्षैतिज अक्ष पर रोजगार पर लगे श्रम की मात्रा को मापता है और OY अनुलम्ब अक्ष पर श्रमिको की मजदूरी और सीमान्त उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। SS वक्र औसत निर्वाह कमाई (निर्वाह मजदूरी) को प्रकट करता है और WW वक्र पूँजीवादी मजदूरी को। पूँजीवादी क्षेत्र मे श्रम की मात्रा ON_1 पर श्रम की सीमान्त उतपादकता शुरू मे P_1Q_1 है इस अवस्था पर WQ_1P_1 पूँजीवादी अतिरेक के रूप मे प्राप्त होता है और जब यह आलेख पुन आयोजित किया जाता है तो सीमान्त उत्पादकता का वक्र ऊपर को P_2Q_2 पर सरक जाता है अत अब पूँजीवादी अतिरेक और रोजगार पहले से अधिक हो जाते है जो कि क्रमश WQ_2P_2 तथा ON_2 है। इसके उपरान्त पुन और अधिक निवेश सीमान्त उत्पादकता वक्र तथा रोजगार के स्तर को बढाकर P_2Q_4 तथा N_4 पर ले जाते है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई अतिरेक श्रम न बचे।

इस प्रकार पूँजीवादियो द्वारा अर्जित लाभो से पूँजी का निर्माण होता है।

यह मॉडल प्रकट करता है कि वृद्धि की प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए नही चलती रह सकती इसे रूकने के लिए लुइस ने बताया है कि

1 यदि पूँजी निर्माण के परिणामस्वरूप कोई अतिरेक श्रम न बचे,
2 यदि पूँजीक्षेत्र इतनी तेजी से विकास करे कि निर्वाह क्षेत्र मे जनसख्या बिल्कुल घट जाए क्योकि उत्पादन को बाटने वाले बहुत कम लोग रह गए है। और इस प्रकार पूँजीवादी क्षेत्र मे मजदूरी बढ जाए (चित्र मे SS तथा WW वक्र ऊपर की ओर सरक जाए और लाभो को घटा दे।
3 यदि निर्वाह क्षेत्र की सापेक्षता मे पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होने के परिणामस्वरूप व्यापार की स्थितिया पूँजीवादी क्षेत्र के विरूद्ध हो जाए और कच्चे माल तथा अन्न की बढती हुई कीमतो के साथ पूँजीपति को अधिक ऊँची मजदूरी का भुगतान करना पडे।

यदि निर्वाह क्षेत्र उत्पादन की नई तकनीके अपना ले, जिससे पूंजीवादी क्षेत्र मे वास्तविक मजदूरी बढ जाए तथा इस प्रकार पूजीवादी अतिरेक कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि श्रमिक पूजीवादी क्षेत्र मे ऊँची मजदूरी के लिए सघर्ष करे और सफल हो जाएँ तो पूँजी–निर्माण की दर और पूँजीवादी अतिरेक कम हो जाएँगे।

लुइस के मॉडल की कुछ मान्यताए इनकी व्यवहार्यता को सीमाबद्ध करती है—

1 लुइस यह मानते है कि अल्पविकसित देशो मे श्रम की असीमित पूर्ति होती है परन्तु दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के थोडी आबादी वाले अनेक देशो के सम्बन्ध मे यह धारणा अयथार्थिक है।

2 लुइस ने अपने मॉडल मे अकुशलश्रम का अस्तित्त्व माना है और कुशल श्रम को अस्थायी अडचन माना गया है। परन्तु अल्पविकसित देशो मे कुशल श्रम की थोडी पूर्ति होती है तथा कौशल—निर्माण एक गभीर समस्या प्रस्तुत करता है क्योकि ऐसे देशो मे बहुसख्या को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने मे बहुत अधिक समय लगता है।

3 अल्पविकसित देशो मे पूँजीपति वर्ग मौजूद रहता है वृद्धि की समस्त प्रक्रिया ऐसे वर्ग के अस्तित्त्व पर निर्भर रहती है जिससे पूँजी—सचय की आवश्यक कुशलता हो वस्तुत अल्पविकसित ऐसे देशो मे उद्यम तथा उपक्रम की बहुत कमी पाई जाती है।

4 लुइस मॉडल श्रम की सीमान्त उत्पादकता को शून्य मानता है जबकि अति जनसख्या वाले अविकसित देशों मे श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य नही होती है यदि ऐसा होता तो निर्वाह मजदूरी भी शून्य होती।

5 लुइस के अनुसार जब अतिरेक श्रम निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी क्षेत्र मे चला जाता है तो निर्वाह क्षेत्र मे कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पडता जबकि वास्तविकता यह है कि श्रमिको को खेतो से हटाने पर उत्पादन मे कमी होती है।

6 लुइस का यह मत भी है कि पूँजी—निर्माण के लिए स्फीति स्वय विनाशकारी होती है जबकि स्फीति स्वय विनाशकारी नही होती।

7 लुइस का यह कथन है कि कराधान बढती हुई आय को इकट्ठा करता है माना नही जा सकता क्योकि अल्पविकसित देशो मे कर प्रशासन इतना कुशल और विकसित नही होता कि पूँजी—सचय के लिए पर्याप्त मात्रा मे कर इकट्ठा कर सकता है।

उपरोक्त मॉडलो के अध्ययन के पश्चात भारत मे निरन्तर बढती हुई बेरोजगारी को भी जानना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी के अनुमान को विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। जिसमे अर्थशास्त्रियो एव आयोगो के अनुमानो को भी प्रस्तुत किया गया है। बेरोजगारी पर अध्ययन के दृष्टि से, बेरोजगारी की गम्भीरता को समझते हुए विलियम बेवरिज ने लिखा था—"लोगो को बेरोजगार रखने के स्थान पर उनसे गढ्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है।"

बेरोजगारी सम्बन्धी अनुमानो के विषय मे योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति (The Committee of Experts on Unemployment Estimates 1970) ने अपनी रिपोर्ट मे यहॉ तक कहा था कि इस देश की पेचीदा अर्थव्यवस्था मे श्रम शक्ति, रोजगार और बेरोजगारी की प्रकृति इतनी भिन्न है कि सभी रोजगारो को एक ही श्रेणी मे रखकर देखना ठीक नही"[1]।

योजना आयोग का कुल बेरोजगारी के सन्दर्भ मे यह अनुमान है कि 1951 मे देश की कुल जनसख्या 36 करोड मे से कुल बेरोजगारी की सख्या 3 करोड थी। तालिका 1 6 मे पहली और छठी पचवर्षीय योजना अवधि की बेरोजगारी की दर एव प्रतिशत आकडो को दर्शाया गया है। आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जहॉ प्रथम पचवर्षीय योजना अवधि मे कुल जनसख्या 36 करोड थी वही छठी योजना (1980–85) मे यह बढकर 68 करोड हो गयी और इस अवधि मे कुल बेरोजगारी 2 करोड अर्थात् 3 प्रतिशत थी।

सातवी योजना अवधि (1985–90) मे बेरोजगारी की सख्या बढकर 3 9 करोड हो गई।

---

1 Planning Commission Report of the Committee of Experts on Unemployment Estimates, P 31)

तालिका 1 6

भारत मे बेरोजगारी की दर एव प्रतिशत आंकडे

वर्ष	कुल जनसख्या (मिलियन मे)	कुल बेरोजगारी (मिलियन मे)	कुल बेरोजगारी (प्रतिशत मे)
1951–56	36 3	3 3	9 0
1980–85	68 0	2 0	3 0
1990–95	91	3 67	4 0

स्रोत . योजना आयोग भारत सरकार '1994–95'

योजना आयोग के अनुसार आठवी योजना (1992–97) मे 3 5 करोड अतिरिक्त श्रमशक्ति के उत्पन्न होने का अनुमान है। परिणाम स्वरूप गत लगभग 20 वर्षो मे बेरोजगारी का भार प्रतिवर्ष 0 3 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान है।

योजना आयोग ने सन् 2002 तक सभी के लिए रोजगार (Jobs for all) का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। वर्तमान समय मे रोजगार चाहने वालो की सख्या को तालिका 1 7 मे प्रदर्शित किया गया है। इन आकडो के अध्ययानुसार बेरोजगारी मे वृद्धि के फलस्वरूप जहाॅ वर्ष 1992–93 मे रोजगार चाहने वालो की सख्या 2 3 करोड थी वही आठवी योजना (1992–97) मे यह 3 5 करोड और नवी योजना 1997–2002 तक 3 6 करोड रोजगार चाहने वालो की सख्या मे वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार इन कुल वर्षो की अवधि मे (1992–2002) कुल 9 4 करोड लोगो को रोजगार की तलाश मे होने का अनुमान है।

आयोग के एक अनुमान के अनुसार नवी योजना मे कम से कम 95 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष सृजित करने होगे इससे सन् 2002 तक पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाएगी।

तालिका 1.7
भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या के आंकडे
(1992-93, 1997-2002)

वर्ष	रोजगार चाहने वालों की संख्या (करोड में)
1992–93	2 3
1992–97	3 5
*1997–2002	3 6
कुल अवधि	**9.4**

स्रोत भारत सरकार योजना आयोग '1994–95'
नोट *अनुमानित (1997–2002, नवी पचवर्षीय योजना)

1.6 ग्रामीण बेरोजगारी

हमारे देश मे तीन चौथाई जनसख्या के गॉवो मे होने के कारण इस समस्या की ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यापकता स्वाभाविक है। यद्यपि ग्रामीण बेरोजगारी के समयबद्ध क्रमवार आकडे, उपलब्ध नही हुए है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (48वॉ चक्र जनवरी–दिसम्बर 1992) के अनुसार देश मे ग्रामीण श्रमिको की कुल सख्या 24 4 करोड थी। एन एस एस ने अपने नवीनतम सर्वेक्षणो मे बेरोजगारी की दो अवधारणाओ को अपनाया है–

सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी। जिसमे सामान्य स्थिति के अनुसार लगभग 26 लाख अर्थात् (1 06 प्रतिशत) व्यक्ति बेरोजगार थे और साप्ताहिक स्थिति के अनुसार यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रो मे 59 प्रतिशत और दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगार श्रमिको की कुल सख्या का लगभग 1 9 अर्थात् लगभग 46 लाख अनुमानित की गई।

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे श्रम शक्तियो मे पुरूष व महिलाओ की (विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार) बेरोजगारी की दर के प्रतिशत ऑकडो को (वर्ष 1977–78 से जुलाई–दिसम्बर 1991 तक) तालिका 1 8, 1 9, 1 10 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 8 मे प्रदर्शित भारत के ग्रामीण क्षेत्र मे विभिन्न आयु वर्ग के श्रम शक्ति मे बेरोजगारी के प्रतिशत आकडो से यह ज्ञात होता है है कि जहॉ भारत के ग्रामीण क्षेत्र मे अन्य आयु वर्गो की अपेक्षा 15–29 आयु वर्ग

के अन्तर्गत आने वाले पुरूषो मे बेरोजगारी की दर वर्ष 1977–78 मे 4 9 प्रतिशत थी वही वर्ष 1983 मे 4 7 प्रतिशत और 1987–88 मे बढकर 6 2 प्रतिशत तथा 1989–90 मे यह घटकर पुन 1977–78 के समान 4 9 प्रतिशत हो गई, परन्तु वर्ष 1990–91 मे 1989–90 की तुलना मे बेरोजगारी कम होकर 3 2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 मे जुलाई से दिसम्बर के अन्तर्गत बेरोजगारी पुन बढकर 4 6 प्रतिशत आकी गयी।

इसी प्रकार तालिका 1 9 के आकडो के विश्लेषण के अनुसार भारत मे शहरी क्षेत्रो की श्रम शक्तियो मे भी विभिन्न आयु वर्गो की अपेक्षा 15–29 आयु के पुरूषो मे वर्ष 1977–78 मे 14 0 प्रतिशत बेरोजगारी थी। जो कि ग्रामीण क्षेत्र से इन वर्षो मे इन्ही आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले पुरूषो की अपेक्षा अधिक बेरोजगारी थी।

1990–91 वर्ष की तुलना मे (11 3 प्रतिशत) यह घटकर जुलाई–दिसम्बर 1991 तक 9 2 प्रतिशत हो गयी।

तालिका 1 8 के आकडो से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओ मे बेरोजगारी की दर वर्ष 1977–78 मे 8 5 प्रतिशत थी जो कि चालू वर्षो की तुलना मे अधिक थी। परन्तु वर्ष 1991 मे जुलाई से दिसम्बर मे यह घटकर 1 8 प्रतिशत हो गयी। जबकि (तालिका 1 9) शहरी क्षेत्रो मे इस आयु वर्ग की महिलाओ मे बेरोजगारी की दर 1977–78 वर्ष मे 31 4 प्रतिशत थी जो कि अन्य चालू वर्षो की अपेक्षा सबसे अधिक थी। जुलाई से दिसम्बर 1991 के वर्षो मे यह 4 6 प्रतिशत आकलित की गयी थी।

इन आकडो का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त ऐसा स्पष्ट होता है कि भारत मे वर्ष 1977–78 से जुलाई–दिसम्बर 1991 योजना की अवधियो मे विभिन्न आयु वर्गो की अपेक्षा 15–29 आयु के अन्तर्गत आने वाले स्त्री पुरूषो मे बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना मे शहरी क्षेत्रों मे अधिक अनुमानित की गई।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन के तालिका 1 10 के आकडो के अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे वर्ष 1977–78 से जुलाई–दिसम्बर 1991 तक, श्रमशक्ति मे सभी आयुवर्ग के अन्तर्गत आने वाले स्त्री–पुरूषो मे ग्रामीण क्षेत्रो की अपेक्षा शहरी क्षेत्रो मे बेरोजगारी की दर अधिक आकलित की गयी है।

तालिका 1-8

भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे श्रम शक्ति मे पुरूष व महिलाओ की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आकडे

	पुरूष आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे)					महिलए आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे)				
वर्ष	**5-14**	**15-19**	**30-44**	**45-59**	**60-A**	**5-14**	**15-29**	**30-44**	**45-59**	**60-A**
1977-78	2 0	4 9	0 6	0 4	0 3	4 7	8 5	4 1	3 0	2 0
1983	2 8	4 7	0 5	0 2	0 2	1 2	2 8	0 5	0 4	0 6
1987-88	3 2	6 2	0 9	0 5	0 5	2 9	5 4	2 4	1 9	1 8
1989-90	1 9	4 9	0 5	0 0	0 6	1 4	1 5	0 4	0 6	-
1990-91	0 6	3 2	0 3	0 3	0 0	0 0	1 0	0 3	0 0	0 0
July to Dec 1991 तक	2 6	4 6	0 4	0 05	0 14	1 4	1 8	0 4	0 3	-

स्रोत : नेशनल सैम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन 1990-91'

तालिका 1.9

भारत के शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति में पुरूष व महिलाओं की बेरोजगारी दर के प्रतिशत आंकडे

	पुरूष आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे)					महिलाए आयु वर्ग के अनुसार (सालो मे)				
वर्ष	**5-14**	**15-19**	**30-44**	**45-59**	**60-A**	**5-14**	**15-29**	**30-44**	**45-59**	**60-A**
1977-78	7 7	14 0	1 3	1 0	1 5	7 8	31 4	10 4	4 8	2 2
1983	10 6	12 2	1 4	0 7	0 6	2 3	15 5	2 1	0 7	9 1
1987-88	9 3	13 6	1 2	0 7	4 1	4 1	18 8	3 5	1 1	1 1
1989-90	11 1	9 7	0 9	0 9	1 8	-	7 9	1 1	0 5	-
1990-91	9 0	11 3	0 8	0 3	0 9	0 0	13 2	1 4	0 4	0 0
July to Dec 1991 तक	12 1	9 2	1 1	0 5	0 2	4 6	11 6	2 5	-	-

स्रोत : नेशनल सैम्पिल सर्वे ऑर्गनाइजेशन '1990-91'

तालिका 1.10

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी आयुवर्ग के अनुसार पुरूष व महिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत आंकडे

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	पुरूष	महिलाए	पुरूष	महिलाए
1977–78	22	55	65	178
1983	21	14	59	69
1987–88	28	35	61	85
1989–90	16	08	44	39
1990–91	13	04	45	44
जुलाई से दिसम्बर 1991 तक	20	08	43	56

स्रोत · नेशनल सैम्पिल सर्वे आर्ग–नाइजेशन '1990–91'

अत इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी की व्यापकता को देखते हुए सरकार का यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो से गरीबी को दूर किया जाए यह तभी सम्भव है जबकि रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए जाए इस दृष्टि से पचवर्षीय योजनाओ तथा सरकारी स्तर पर रोजगार के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है –

1.7 बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)

खादी एव ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (1957)

पैकेज कार्यक्रम (1960)

गहन जिला कृषि कार्यक्रम (1964)

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1972)

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972)

काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1977)

मरूभूमि विकास कार्यक्रम	(1977)
ट्राइसेम कार्यक्रम	(1979)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(1979)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	(1980)
नया बीस सूत्री कार्यक्रम	(1982)
ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम	(1982)
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	(1983)
जवाहर रोजगार योजना	(1989)
प्रधानमत्री रोजगार योजना	(1993)
सुनिश्चित रोजगार योजना	(1993)
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	(1999)

शोध प्रविधि

अध्याय 2

2.0 शोध प्रविधि

2 1 अध्ययन की आवश्यकता

2 2 अध्ययन का महत्त्व

2 3 अध्ययन के उद्देश्य

2 4 परिकल्पनाए

2 5 समग्र

2 6 प्रतिदर्श

2 7 आकडो का सकलन

2 8 आकडो का विश्लेषण

2 9 अध्ययन की रूपरेखा

अध्याय 2

शोध प्रविधि

2.1 अध्ययन की आवश्यकता

भारत मे रोजगार के अवसर पैदा करना विकास योजनाओ का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। रोजगार चाहने वालो की सख्या मे अपेक्षाकृत वृद्धि के कारण बेरोजगारी की सख्या मे लगातार वृद्धि हुई है। बेरोजगारी व्यक्तियो का नैतिक पतन करती है और वे आत्म–सम्मान खो देते है। बडे पैमाने पर बेरोजगारी अनेक सामाजिक बुराइयो को उत्पन्न करती है, तथा अर्थतत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है अत टिकाऊ विकास को तभी सुनिश्चित समझा जा सकता है जबकि बेरोजगारी की भयकर समस्याओ पर अकुश लगाया जा सके। हमारी योजना प्रक्रियाए भी इस धारणा पर आधारित है कि रोजगार के अवसरो मे वृद्धि और श्रमिको की बढती हुई सख्या की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताए पूर्ण हो सकेगी, इसी दृष्टिकोण से चूँकि अब तक बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये है उनका बेरोजगारी पर कितना प्रभाव पडा है इसके अध्ययन की आवश्यकता है विशेष रूप से जिले के सन्दर्भ मे ताकि सुधारात्मक कदम उठाये जा सके।

इससे पहले कि सर्वेक्षण द्वारा इनका विश्लेषण किया जाए एक दृष्टि डालना होगा इस विषय के 'अध्ययन के महत्त्व पर।

2.2 अध्ययन का महत्त्व

आज भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जनसख्या की अधिकता के कारण बेकारी व बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ रही है जिसके फलस्वरूप गरीबी, राजनैतिक अस्थिरता, अराजकता इत्यादि के गम्भीर परिणाम समाज मे स्पष्ट रूप से दिखाई देते है इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विषय के अध्ययन के महत्त्व को प्राथमिकता देने का मुख्य तर्क इस प्रकार है कि जब अर्थव्यवस्था मे रोजगार बढता है तो आय मे भी वृद्धि होती है और जन साधारण की बढी हुई आय स्थानीय उत्पादित आधारभूत

उपभोगता वस्तुओ की माग मे वृद्धि करती है क्योकि ऐसी वस्तुए श्रम गहन होती है इसलिए रोजगार के अधिक सुअवसरो का निर्माण करती है तथा आय मे वृद्धि करती है इस प्रक्रिया के द्वारा अन्तत अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन और रोजगार के स्तरो मे वृद्धि होती है।

रोजगार सुअवसरो का निर्माण आय के पुन वितरण के लिए अच्छा उपाय है। सरकार द्वारा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अभिप्राय यह है कि समाज मे आयो का अधिक प्रसार और परिणामस्वरूप आय का सही वितरण करना।

इसके अतिरिक्त रोजगार के सुअवसर काम के स्थान निर्धारण से भी सम्बन्धित होते है अधिकतर बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रो मे रहते है जिन्हे श्रम गहन तकनीक जैसे सडक निर्माण, भवन निर्माण, डेरी पालन इत्यादि के माध्यम से रोजगार प्रदान करने चाहिए। दूसरी ओर शहरी बेरोजगारी जैसी दीर्घकालीन समस्या के समाधान मे श्रम व पूजी गहन तकनीक सहायक हुई है।

अत उपरोक्त तथ्यो की दृष्टि से अध्ययन का विशेष महत्त्व है।

2.3 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन मे निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए है—

1 रोजगार परक कार्यक्रमो के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
2 लक्षित परिवारो की सामाजिक एव आर्थिक स्थिति का दिग्दर्शन करना।
3 ग्रामीण बेरोजगारी पर रोजगार कार्यक्रमो के प्रभाव का मूल्याकन करना।
4 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत लक्षित परिवारो की आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
5 रोजगार कार्यक्रमो के कार्यान्वंयन मे उत्पन्न बाधाओ इत्यादि का विश्लेषण करना।
6 ग्रामीण जनता एव कर्मचारियों के रोजगार कार्यक्रमो के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
7 रोजगार कार्यक्रमो को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए नीति–परख सुझाव प्रस्तुत करना।

2.4 परिकल्पनाएं

1 रोजगार परक योजनाओ से ग्रामीण बेरोजगारी नियत्रित हुई है।

2 रोजगार परक कार्यक्रमो से ग्रामीण क्षेत्रो मे मजदूरो का पलायन रूका है।

3 रोजगार परक कार्यक्रमो से मजदूरो की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है।

4 रोजगार योजनाए सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई है।

5 रोजगार योजनाओ के लिए वाछित वित्तीय एव भौतिक ससाधन उपलब्ध कराए गए है।

2.5 समग्र

इलाहाबाद जनपद को भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन सम्भागो मे बाटा गया है—

1 जमुनापार सम्भाग

2 द्वाबा सम्भाग

3 गगापार सम्भाग

जनपद के ये तीनो सम्भाग सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से भिन्न—भिन्न है। अत रोजगार—परक कार्यक्रमो का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए जनपद के इन तीनो भागो को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक सम्भाग से औसत दो—दो ग्रामो का चयन किया गया। चयनित ग्रामो से लाभान्वित परिवारो की सूचीयॉ तैयार की गई, सूचीयो मे सम्मिलित परिवारो एव उन परिवारो मे उपलब्ध कर्मकरो को सम्मिलित कर समग्र तैयार किया गया।

2.6 प्रतिदर्श

इलाहाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मे स्थित है। इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रो को 28 विकास खण्डो मे बाटा गया है। इनमे 2375 ग्राम सभा सम्मिलित है। इन 28 विकास खण्डो को तीन सम्भागो गगापार, जमुनापार और द्वाबा के क्षेत्रो मे विभाजित किया जाता है। इनमे गगापार सम्भाग मे आने वाले 11 विकास खण्डो मे—

1 धनूपुर

2 हडिया

3 प्रतापपुर

4 सैदाबाद

5 बहादुर पुर

6 फूलपुर

7 होलागढ

8 बहरिया

9 कौडिहार

10 मऊआइमा

11 सोराव

सम्मिलित है तथा द्वाबा सम्भाग मे आने वाले 8 विकास खण्ड मे—

12 चायल

13 नेवादा

14 मूरतगज

15 कौशाम्बी

16 मझनपुर

17 सरसवा

18 कडा

19 सिराथू

और जमुनापार सम्भाग मे आने वाले 9 विकास खण्ड मे सम्मिलित है—

20 चाका

21 करछना

22 कौधियारा

23 जसरा

24 शकरगढ

25. कोरॉव

26 माण्डा

27 मेजा

28 ऊरवा

प्रस्तुत सर्वेक्षण के लिए बहु स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया है। जिनमे प्रथम स्तर पर इलाहाबाद जनपद के तीन सम्भाग द्वाबा, गगापार और जमुनापार लिए गये। दूसरे स्तर पर प्रत्येक सम्भाग से एक—एक विकासखण्ड का चयन किया गया। तीसरे स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो—दो गॉवो का चयन किया गया। जिसमे एक शहर के समीप और दूसरा दूरस्थ क्षेत्र मे स्थित है। चतुर्थ स्तर पर 6 चुने गए गॉवो मे कुल 2169 परिवार पाये गये जिसमे 433 परिवार रोजगार कार्यक्रमो से लाभान्वित हुए, इनमे से 20 प्रतिशत नमूने के द्वारा कुल 87 परिवारो का एक प्रतिदर्श लिया गया, जिनमे कृषक, गैर कृषक और मजदूर परिवार सम्मिलित थे।

प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित गॉवो के नाम इस प्रकार है—

1. फूलपुर विकास खण्ड —

अ. कालूपुर ग्राम

(जिला मुख्यालय से 59 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 16 किमी)

ब. सिकन्दरा ग्राम

(जिला मुख्यालय से 56 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 13 किमी)

2. मूरतगंज विकास खण्ड

अ. पल्हना ग्राम

(जिला मुख्यालय से 44 किमी ब्लाक मुख्यालय से 10 किमी)

ब. मौली ग्राम

(जिला मुख्यालय से 47 किमी ब्लाक मुख्यालय से 11 किमी)

3. जसरा विकासखण्ड

अ. इरादतगंज ग्राम

(जिला मुख्यालय से 13 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 6 किमी)

ब. अमरेहा ग्राम

(जिला मुख्यालय से 21 किमी, ब्लाक मुख्यालय से 2 किमी)

तालिका 2.1

नमूना चयन की प्रक्रिया

सम्भाग	तहसील	ब्लाक	चयनित ग्राम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	रोजगार कार्यक्रमो से लाभान्वित परिवार	चयनित परिवार
गगापार	फूलपुर	फूलपुर	कालूपुर	2890	412	85	17
			सिकन्दरा	2010	287	70	14
द्वाबा	चायल	मूरतगज	पल्हना	2782	397	78	16
			मौली	2774	375	65	13
जमुनापार	बारा	जसरा	इरादतगज	2353	366	70	14
			अमरेहा	2266	332	65	13
कुलयोग				**15075**	**2169**	**433**	**87**

स्रोत · सर्वेक्षण

2.7 आंकड़ों का संकलन

इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रो मे वर्ष 1995 मे किए गए सर्वेक्षण से प्रतिपादित जानकारी को आकडो के आधार पर एकत्र किया गया है, जिसके अनुसार इस जिले के चयनित ग्रामो मे परिवार का आकार, उनकी परिसम्पत्ति और आय का विवरण, स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार, रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार और आय सृजन के आकडे, ग्रामीणो एव कर्मचारियो के मन्तव्य इत्यादि बातो को जाना गया। द्वितीयक समको का एकत्रीकरण 'ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद जनपद, विकासखण्डो इत्यादि के आफीसियल रिकार्ड से एकत्र किया गया है।

2.8 आंकड़ों का विश्लेषण

सकलित आकडो का विश्लेषण प्रमुख धन्धे, आर्थिक स्तर एव प्राप्त रोजगार दिवसो के आधार पर समूह बनाकर किया गया। आकडो के विश्लेषण मे साख्यिकीय सूत्रो जैसे औसत, प्रतिशत, चार्टस, ग्राफ, आदि का भी प्रयोग किया गया। तालिकाओ के माध्यम से सूचनाए प्रस्तुत की गयी।

2.9 अध्ययन की रूपरेखा

प्रस्तुत अध्ययन मे निम्नलिखित अध्याय तैयार किये गए है—

अध्याय - 1

प्रस्तावना

अध्याय - 2

शोध प्रविधि

अध्याय - 3

भारत मे रोजगार—परक कार्यक्रमो का कार्यान्वयन

अध्याय - 4

उत्तर प्रदेश मे रोजगार परक कार्यक्रमो का दिग्दर्शन

अध्याय - 5

इलाहाबाद जिले की रोजगार एव आर्थिक स्थिति का निरूपण

अध्याय - 6

चयनित ग्रामो की सामाजिक-आर्थिक एव रोजगार की स्थितिया

अध्याय - 7

चयनित परिवारो की सामाजिक-आर्थिक दशाओ का दिग्दर्शन

अध्याय - 8

चयनित परिवारो का रोजगार ढॉचा

अध्याय - 9

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

अध्याय - 10

निष्कर्ष एव सुझाव

भारत में रोजगार परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

अध्याय 3

3.0 भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

3 1 रोजगार कार्यक्रमो का महत्त्व

3 2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3 2 1 भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय योजना

3 2 2 भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति

3 3 ग्रामीण युवा—स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

3 3 1 भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

3 3 2 भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

3 4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

3 4 1 भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति

3 4 2 भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियॉ

3 5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

3 5 1 भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

3 5 2 भारत मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

3 6 जवाहर रोजगार योजना

3 6 1 भारत मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

3 6 2 भारत मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ

3 7 प्रधानमत्री रोजगार योजना

3 7 1 प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ

3 8 सुनिश्चित रोजगार योजना

3 8 1 भारत मे सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ।

3 9 ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम

3 9 1 भारत मे ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति

3 10 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

अध्याय - 3

भारत में रोजगार-परक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

3.1 रोजगार कार्यक्रमों का महत्त्व

वर्तमान मे भारत की ग्रामीण जनसख्या देश की कुल जनसख्या की दो तिहाई है। इसमे एक बडा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करता है। इसी कारण अब तक गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन देश की आर्थिक योजनाओ तथा विकास प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। स्वतत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गॉधी ने लिखा था—''जिस दिन मै गावो से गरीबी दूर करने मे कामयाब हो जाऊँगा मै समझूँगा कि मैने स्वराज प्राप्त कर लिया।'' पडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गाधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए जो नीतिया बनायी उनमे ग्रामीण क्षेत्रो से गरीबी व बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। बेरोजगारी के कारण गावो से शहरो की ओर पलायन और देहाती क्षेत्रो मे गरीबी की दयनीय दशा ऐसी समस्याये है जिनमे सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान एव रोजगार सवर्धन हेतु उपाय सुझाने के लिए 1991 के प्रारम्भ मे एक समिति का गठन किया था जिसने लगभग 10 वर्षो की अवधि मे पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय सुझाये थे। उनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है—

1 उत्पादकता रोजगार के अतिरिक्त अवसरो का सृजन करना।
2 द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियो का विस्तार करना।
3 महिलाओ, सीमान्त कृषको और मजदूरो आदि की आवश्यकताओ पर पुन बल देना।
4 श्रम बाजार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की विश्वसनीयता को बढाना।
5 शिक्षित महिलाओ को अधिक से अधिक सख्या मे रोजगार उपलब्ध कराना।
6 चल रहे विशेष कार्यक्रमो का व्यापक पुनर्गठन करना।

अत वर्तमान सरकार ने उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमो के खर्च मे लगातार वृद्धि की है। वर्ष 1992–93 मे ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 50 अरब रुपये की धनराशि आबटित की। वर्ष 1993–94 मे यह धनराशि बढकर 65 अरब रुपये हो गयी। चालू वित्त वर्ष (1994–95) मे ग्रामीण विकास के लिए 85 अरब रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। आठवी पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण विकास कार्यक्रमो पर कुल 30 अरब रुपये की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यवस्था के अनुसार गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रो के गरीबो को रोजगार और आय के एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाने और स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर बढाने की आवश्यकता बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप देश मे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर बढाने पर योजनावधि मे अधिक ध्यान दिया गया और समय–समय पर रोजगार सृजित करने के विशेष कार्यक्रम चलाए गए भारत मे इन कार्यक्रमो के क्रियान्वयन का वर्णन प्रस्तुत अध्याय मे किया जा रहा है।

3.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण लोगो की आय मे वृद्धि करने व उत्पादन परिसम्पत्ति उपलब्ध करवाने हेतु, आई आर डी पी की शुरूआत 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश मे की गयी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पता लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारो को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है। आई आर डी पी की शुरूआत इनके अन्तर्गत उपलब्ध कार्यक्रमो की विविधता है। प्राथमिक क्रियाए जैसे कृषि, बागवानी, रेशमी कीडे पालना, पशुपालन, आदि द्वितीयक क्रियाएं जैसे सेवाए एव व्यापार क्रियाएँ, इत्यादि सम्मिलित है। आई आर डी पी के कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र और शेष 50 प्रतिशत भाग राज्यो द्वारा दिया जाता है। यह योजना देश के सभी विकास खण्डो मे चलाया जा रहा है।

लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियो के चयन मे लघु तथा सीमान्त किसान, कृषि मजदूर, तथा ग्रामीण कारीगर, शामिल है। गरीबी की रेखा वर्तमान मे 11,000 रुपये की वार्षिक आय पर निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,500 रुपये से कम और इसके साथ–साथ 6,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले मदद दी जाती है।

चयनित लक्षित समूह मे लाभान्वित होने वाले परिवारो मे कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसके अलावा विकास प्रक्रिया मे महिलाओ की भागीदारी बढाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि सहायता प्राप्त करने वालो मे से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाए होनी चाहिए। सहायता प्राप्त करने वाले परिवारो मे 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलाग लोग लिए जाने चाहिए।

सहायता देने मे फालतू भूमि के आबटियो तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के ग्रीन कार्ड धारको के परिवारो को भी प्राथमिकता दी जाती है।

मुक्त बधुवा मजदूरो को भी सहायता देने मे प्राथमिकता दी जाती है।

सब्सिडी की पद्धति

इस कार्यक्रम मे सब्सिडी की पद्धति के अनुसार छोटे किसानो को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानो, कृषि मजदूरो और ग्रामीण कारीगरो के लिए 33 1/2 प्रतिशत और अनूसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियो तथा शारीरिक रूप से विकलागो के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

पूँजी निवेश

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि एव सम्बन्धित व्यवसाय के लिए 15,000/– रुपए तथा उद्योग–सेवा, व्यवसाय सेक्टर के लिए 25,000 रुपए की सीमा तक जमानत मुक्त ऋण अनुमान्य है। प्रत्येक दशा मे प्रति परिवार पूँजी निवेश न्यूनतम 16,000/– रुपए सुनिश्चित किया जाता है। जिससे लाभार्थी परिवार वास्तविक रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके।

लाभार्थी सलाहकार समिति का गठन

विशेष अभियान चलाकर न्याय, पचायत स्तर, बैक शाखा क्षेत्र, तथा विकास खण्ड स्तरीय, लाभार्थी सलाहकार समितियो का गठन कर लिया जाता है इन समितियो की यथा निर्धारित बैठके आयोजित कराकर प्राप्त सुझावो के अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे गुणात्मक सुधार लाया जाता है।

खातों का संचालन, रख रखाव व सम्प्रेक्षण

इस कार्यक्रम की समस्त धनराशि निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से बैको मे ही रखी जाती है। यह धनराशि डाकघर कोषागार के पी एल ए. अथवा अन्य किसी भी वित्तीय सस्था मे जमा नही की जाती है।

कार्यान्वयन एजेंसी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियो के माध्यम से किया जाता है। राज्य स्तर की समन्वय समिति (एस एल सी सी) कार्यक्रम की निगरानी करती है निधियो के केन्द्रीय अश को रिलीज करने, नीति बनाने, समूचा मार्गदर्शन करने तथा कार्यक्रम की निगरानी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रालय की है।

आई आर डी पी योजना के अन्तर्गत दो और सहायक कार्यक्रम चलाए गए इनमें स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवको को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाओ एव बच्चो के विकास का कार्यक्रम (ड्वाकारा), सम्मिलित है।

3.2.1 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय योजना •

भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना, तालिका 3 1 मे प्रदर्शित की गई है इन आकडो के अनुसार वर्ष 1985–86 मे केन्द्र सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 212 50 करोड रुपए का व्यय प्रस्तावित किया था, जो कि वर्ष 1986–87 मे बढकर 287 50 करोड रुपए हो गया। इन आकडो से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1985–86 से 1991–92 योजनावधि के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रस्तावित व्यय मे लगातार वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1991–92 मे 390 40 करोड रुपये के व्यय हेतु बजट प्रस्तावित किया गया।

वर्ष 1985–86 को मूल वर्ष मानकर 1986–87 मे केन्द्र सरकार की प्रस्तावित व्यय 287 50 करोड रुपये के लिए 135 29 सूचकाक आकलित किया गया था प्रत्येक वर्ष मे केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्तावित व्यय मे निरन्तर वृद्धि के कारण वर्ष 1991–92 मे 390 40 करोड रुपये व्यय के लिए 183 72 के सूचकाक मे वृद्धि हुई। उपरोक्त विश्लेषण को लेखाचित्र–6 के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

तालिका 3 1

भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना

(मूल वर्ष 1985-86)

वर्ष	प्रस्तावित व्यय (करोड रु. मे) (Approved outlay during)	सूचकाक (Index Number)
1985-86	212 50	100 00
1986–87	287 50	135 29
1987–88	320 25	150 71
1988–89	355 00	167 06
1989–90	390 00	183 53
1990–91	390 00	183 53
1991–92	390 40	183 72
*1997–98	611 00	287 52
*1998–99	800 00	376 47

स्रोत ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट – 1991–92'

*आर्थिक सर्वेक्षण – 1998–99

भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रस्तावित केन्द्रीय व्यय योजना

लेखाचित्र -6

3.2.2 भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

तालिका 3 2 मे प्रदर्शित, भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति के आकडो से यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा इस योजना को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985–86 मे 407 36 करोड रुपए के आबटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमे से 441 10 करोड रुपए व्यय हुए जो कि व्यय का 108 28 प्रतिशत था। वर्ष 1986–87 मे 543 83 करोड रुपए लक्ष्य के विरूद्ध 613 38 (112 79 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुए। इरा प्रकार सातवी पचवर्षीय योजना (1985–90) की अवधि तक वित्तीय प्रगति के आबटन लक्ष्य एव पूर्ति मे निरन्तर वृद्धि हुई, परन्तु वर्ष 1990–91 मे वित्तीय आबटन मे कुछ कमी के कारण 747 31 करोड रुपये लक्ष्य के विरूद्ध 809 49 (108 32 प्रतिशत) करोड रुपये व्यय हुआ जो कि लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 1990–91 की तुलना मे, 1991–92 मे इस योजना मे व्यय धनराशि कम होकर 773 09 (109 87 प्रतिशत) करोड रुपए हो गयी, क्योकि लक्ष्य 703 61 करोड रुपये अर्थात् वर्ष 1990–91 की लक्ष्य की तुलना मे (747 31 करोड रुपये) कम निर्धारित किया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति के उद्देश्य से जिन परिवारो को सहायता दी गई थी, उनमे वर्ष 1985–86 मे 24 71 लाख सहायता दिए जाने वाले परिवारो के लक्ष्य के विरूद्ध 30 61 लाख परिवारो को सहायता की उपलब्धि प्राप्ति हुई जो कि इस उपलब्धि का 123 87 प्रतिशत थी। तालिका मे प्रदर्शित आकडो व लेखाचित्र 7 से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985–86 से 1987–88 तक सहायता दिए जाने वाले परिवारो के लक्ष्य एव उपलब्धियो मे वृद्धि हुई थी। परन्तु वर्ष 1988–89 से 1991–92 तक इन भौतिक प्रगति मे कुछ कमी हुई, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1991–92 की योजनावधि मे 22 52 लाख परिवारो को सहायता दिए जाने के लक्ष्यों के विरूद्ध 25 37 अर्थात् 112 65 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई।

उपर्युक्त जानकारी से यह भी ज्ञात होता है कि इस भौतिक प्रगति की उपलब्धियो मे कमी का कारण यह है कि वर्ष 1991–92 मे वित्तीय लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था।

इस कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियो की तालिका 3 3 के आकडो के अनुसार 1980–85 वर्ष के अन्तर्गत आबटन राशि का लक्ष्य 1,766 81 करोड रुपए आकलित किया गया। जबकि खर्च 1,661 17 करोड रुपए ही हुआ (व्यय का 94 02 प्रतिशत)। इन वर्षो मे ही कार्यक्रमो के सचालन के लिए 3,101 61 करोड रुपए कार्यवृत ऋण उपलब्ध किया गया था। वर्ष 1985–90 की कुल अवधियो के अन्तर्गत आबटन धनराशि का लक्ष्य 3,000 29 करोड रुपए के विरूद्ध 3,315 82 करोड (110 51 प्रतिशत) रुपए व्यय हुए इनमे कार्यवृत्त ऋण की मात्रा 5,372 53 करोड रुपए उपलब्ध थी। वर्ष 1992–93 और 1993–94 मे आबटन धनराशि का लक्ष्य 662 22, 1,089 90 करोड रुपए के विरूद्ध वर्ष 1992–93 मे 693 08 (104 6 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुआ।

तालिका 3 4 मे योजना आयोग, भारत सरकार '1994–95', की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियो के स्पष्टीकरण के द्वारा वर्ष 1980–85 से 1985–90 की कुल अवधियो मे क्रमश 151 02, 151 38 लाख परिवारो को सहायता दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 165 62, 181 77 की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि इन उपलब्धियो की क्रमश 109 67 प्रतिशत, 120 07 प्रतिशत थी। आठवी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 से 1993–94, और 1994–95 (नवम्बर 1994 तक) इन तीन वर्षो के आकडो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इन तीन वर्षो के अन्तर्गत सबसे अधिक भौतिक प्रगति वर्ष 1993–94 योजनावधि मे लक्ष्य 25 73 लाख के विरूद्ध 25 38 लाख की उपलब्धि प्राप्त हुई यह उपलब्धि 98 64 प्रतिशत थी। वर्ष 1994–95 मे यह घटकर 46 86 प्रतिशत हो गई। इसमे केवल 21 15 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 9 91 लाख परिवारो को ही सहायता प्रदान की गई। इस योजना की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियो (1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 योजना अवधि) के अन्तर्गत वित्तीय आबटन राशि 543 83 करोड रुपए लक्ष्य के साथ 375 81 करोड रुपए की उपलब्धि प्राप्त हुई। जो कि उपलब्धियो का 69 10 प्रतिशत थी। इस आबटन धनराशि मे से केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त 277 3 करोड रुपए लक्ष्य के विरूद्ध 278 76 करोड रुपए की उपलब्धि (व्यय का 100 54 प्रतिशत) को आकलित किया गया। इसी समयावधि के अन्तर्गत इन कुल वर्षो मे अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिशत परिवारो को दी जाने वाली सहायता से 30 00 लाख लक्ष्य से अधिक 41 12 लाख की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1995–96 मे 20 50 लाख परिवारो को सहायता प्रदान की गई जिसे 92 प्रतिशत आकलित किया गया है। (तालिका 3 4)

तालिका 3 2

भारत मे समन्वित ग्राम विकास योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति
(1985-86 से 1991-92 तक)

	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति सहायता दिए जाने वाले परिवार लाखो मे		
वर्ष	लक्ष्य (करोड रु)	पूर्ति (करोड रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	407 36	441 10	108 28	24 71	30 61	123 87
1986-87	543 83	613 38	112 79	34 99	37 47	107 08
1987-88	613 38	727 44	118 59	39 64	42 47	107 13
1988-89	687 95	768 47	111 70	31 94	37 72	118 09
1989-90	747 75	765 43	102 37	29 09	33 51	115 19
1990-91	747 31	809 49	108 32	23 71	28 98	122 23
1991-92	703 61	773 09	109 87	22 52	25 37	112 65

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92

भारत मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

लेखाचित्र 7

तालिका 3.3

भारत मे आई आर डी पी की वित्तीय उपलब्धिया (1980-85 से 1997-98 तक)

अवधि	आबटित राशि का लक्ष्य	पूर्ति (करोड रु मे)	प्रतिशत	कार्यवृत्त ऋण (करोड रु मे)
1	2	3	4	5
1980-85	1,7,66 81	1,6,61 17	94 02	3,101 61
1985-90	30,00 27	3,3,15 82	110 51	5,372 53
1992-93	662 22	693 08	104 66	1,036 80
1993-94	1,089 90	NA	-	NA
1994-95	NA	NA	-	NA
Nov 1994- # 1997-98	145 28	541 87	37 21	-

स्रोत · Government of India Planning Commision '1994-95'

Economic Survey - '1998-99'

तालिका 3 4

भारत मे आई आर डी पी की भौतिक उपलब्धियॉ (1980-85 से 1995-96 तक)

भौतिक प्रगति - सहायता पदत्त परिवार
(लाख में)

अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1980-85	151 02	165 62	109 67
1985-90	151 38	181 77	120 07
1992-93	18 75	20 69	110 35
1993-94	25 73	25 38	98 64
1994-95	21 15	• 9 91	46 86
1995-96	22 15	20 50	92 55

स्रोत · Government of India Planning Commision '1995-96'

3.3 ग्रामीण युवा-स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ट्राइसेम)

ग्रामीण युवाओ के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक अग है, जिसका सूत्रपात ग्रामीण क्षेत्रो मे बढती हुई बेरोजगारी को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार व प्रदेश सरकार के 50 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1979–80 से देश के समस्त विकास खण्डो मे स्वत रोजगार स्थापित करने हेतु लागू किया गया था।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमान्त कृषको, खेतिहर ग्रामीण शिल्पकारो, तथा ग्रामीण नवयुवको को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो को उत्पादक तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

लाभार्थियों का आच्छादन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के जनपदो मे 52 प्रतिशत, तथा उत्तराखण्ड जनपदो मे 30 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियो एव समस्त जनपदो मे 40 प्रतिशत महिलाओ जिसमे से 60 प्रतिशत महिलाए अनुसूचित जाति/जनजाति की होगी तथा 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियो का न्यूनतम आच्छादन किया जाता है।

प्रशिक्षार्थियों की चयन प्रक्रिया

ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियो के चयन के समय निम्नलिखित बिन्दुओ मे अकित शर्तो, प्रतिबन्धो तथा प्राविधानो का अनुपालन किया जाता है।

1 इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारो की सहायता पहले करना है अत जिन परिवारो की आय 6000/– रुपए वार्षिक के अन्दर है उन्हे ट्राइसेम योजना मे पहले चयन कर वरीयता दी जानी चाहिए।

2 चयन करते समय महिलाओ, अनु जाति/जनजाति युवक युवतियो, विधवाओ, परित्यक्ताओ, विकलाग आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

3 एक परिवार से केवल एक ही सदस्य चयन किया जाता है।

4 चयन करते समय प्रशिक्षार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को दृष्टि मे रखना आवश्यक है।

प्रशिक्षण अवधि

सामान्यत प्रशिक्षण की अवधि 6 माह अधिकतम होती है किन्तु प्रशिक्षण विशेष की आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अनुमोदन से यह अवधि बढाई भी जा सकती है।

वित्तीय सहायता

छात्रवृत्ति

प्रशिक्षण अवधि के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियो को 150/— रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होती है। यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था किसी दूरस्थ क्षेत्र 5 किलोमीटर बाहर क्षेत्र मे की जाए तो वह 250/— रुपए प्रतिमाह और वह छात्रावास की सुविधा का लाभ न उठाना चाहे तो उसे प्रतिमाह 300/— रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी।

अनुश्रवण

ट्राइसेम योजना के क्रियान्वयन एव प्रगति की समीक्षा के लिए जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मे एक ट्राइसेम उप समिति का गठन किया जाता है।

इस समिति मे निम्नलिखित सदस्य होगे

1 जिलाधिकारी—अध्यक्ष

2 अपर जिलाधिकारी (परि) परियोजना निदेशक

3 जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक

4 लीड बैक के अधिकारी

5 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण सस्थानो मे प्रधानाचार्य

6 जिला सेवायोजन अधिकारी

इस उपसमिति का कार्य, ट्राइसेम सम्बन्धी सभी विषयो पर मार्ग निर्देश देना तथा प्रशिक्षण कार्य का अनुश्रवण करना है।

3.3.1 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

भारत मे ट्राइसेम योजना को, विभिन्न वर्षो मे भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 50 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तालिका, 3 5 के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1985–86 मे इस कार्यक्रम पर कुल 19 97 करोड रुपए के व्यय को आकलित किया गया था। जिसमे केन्द्रीय और राज्याश व्यय क्रमश 0 62 (3 11 प्रतिशत), 19 35 (96 90 प्रतिशत), करोड रुपए है।

इस कार्यक्रम के विकास के लिए समय–समय पर वित्तीय प्रगति मे वृद्धि की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991'92 मे केन्द्रीय अश 8 00 (16 39 प्रतिशत) और राज्याश 40 79 (83 60 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुआ, जो कि कुल मिलाकर व्यय की हुई धनराशि का 48 79 करोड रुपए होता है। उपरोक्त कार्यक्रमो के अन्तर्गत हुई वित्तीय प्रगति को लेखाचित्र–8 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.5

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1998-99)

वर्ष	केन्द्रीय अश (करोड रु)	राज्याश (करोड रु)	कुल व्यय (करोड रु)
1	2	3	4
1985-86	0 62	19 35	19 97
	(3 11)	(96 90)	(100 00)
1986-87	4 93	17 53	22 46
	(21 95)	(78 05)	(100 00)
1987-88	4 53	20 15	24 68
	(18 35)	(81 65)	(100 00)
1988-89	6 89	23 58	30 47
	(22 61)	(77 39)	(100 00)
1989-90	6 54	24 73	31 27
	(20 91)	(79 09)	(100 00)
1990-91	4 41	28 20	32 61
	(13 52)	(86 48)	(100 00)
1991-92	8 00	40 79	48 79
	(16 39)	(83 60)	(100 00)
1998-99	45 00	44.76	89 76
	(50 12)	(49 06)	(100 00)

स्रोत : Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 Table No - 46, P No 36

नोंट (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है)

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1998-99)

लेखाचित्र 8

3.3.2 भारत में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत मे ट्राइसेम योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत जैसा कि बताया जा चुका है कि इस कार्यक्रम मे प्रशिक्षार्थियो के चयन के समय विभिन्न शर्तो, प्रतिबन्धो, तथा प्राविधानो का अनुपालन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व कुल कार्यो मे लगे युवाओ के अकित आकडे एव उनके प्रतिशत की जानकारी तालिका 3 6 से प्राप्त होती है अध ययनोपरान्त आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1985–86 के वर्षो मे प्रशिक्षित युवाओ की सख्या 1,77,510 लाख थी, जिसमे से कुल कार्यो मे 99,383 युवा लगे हुए थे, जो कि कुल कार्यो मे लगे युवाओ का 55 99 प्रतिशत आकलित किया गया।

इस प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त (तालिका 3 8) यह भी ज्ञात हुआ कि कुल कार्यो मे लगे 99383 युवाओ मे इसी वर्ष इसमे से 82,028 अर्थात् 82 55 प्रतिशत युवा स्वरोजगार मे, तथा 17,355 (17 46 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार मे लगे हुए थे।

विभिन्न वर्षो मे आकडो के अध्ययन के अनुसार वर्ष 1985–86 से 1991–92 तक प्रशिक्षित युवाओ की सख्या मे वृद्धि हुई, जबकि 1990–91 मे 2,36,177 लाख युवाओ को कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, और 1,65,278 लाख (69 98 प्रतिशत) युवा कुल कार्यो मे लगे हुए थे, वही वर्ष 1991–92 मे 2,97,347 लाख प्रशिक्षित युवाओ की सख्या मे वृद्धि तो हुई, परन्तु कुल कार्यो मे कुछ कम, 1,61,993 युवा लगे हुए थे, अर्थात् 54 47 प्रतिशत।

तालिका 3 8 के विश्लेषण के अनुसार 1990–91 मे 1,23,785 युवा स्वरोजगार मे अर्थात् 74 89 प्रतिशत और 41,493 (25 10 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार मे कार्यरत थे, कुल मिलाकर 1,65,278 युवा कुल कार्य मे लगे हुए आकलित किये गये है। जबकि 1991–92 मे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे लगे युवाओ की सख्या कम आकी गयी थी, इसका कारण यह था कि कुल कार्यो मे लगे युवाओ की सख्या कम थी, अर्थात् 1,61,993 लाख थी।

तालिका 3 7 वर्ष 1992–93 मे 2 76, 1993–94 मे 3 04, 1994–95 मे 3 22, लाख युवा प्रशिक्षित किये गये थे। अत इस कार्यक्रम की प्रशिक्षण व्यवस्था का अनुमान वर्ष 1985–86 से 1991–92 तक के लेखाचित्र–9 के माध्यम से भी लगाया जा सकता है।

तालिका 3 6

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ मे से कुल कार्यो मे लगे युवाओ के ऑकडे एव उनका प्रतिशत (1985-86 से 1995-96)

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओ की सख्या	कुल कार्यो मे लगे युवा	प्रतिशत
1	2	3	4
1985-86	1,77,510	99,383	55 99
1986-87	1,84,598	1,06,412	57 64
1987-88	1,96,145	1,25,910	64 19
1988-89	2,27,050	1,32,745	58 47
1989-90	2,10,657	1,30,681	62 03
1990-91	2,36,177	1,65,278	69 98
1991-92	2,97,347	1,61,993	54 47
1993-94	3,03,821	1,50,923	49 67
1994-95	2,81,874	1,31,431	46 62
1995-96	2,91,450	1,41,105	48 41

स्रोत - Annual Repoit of the Ministiy of Rural Development 1991-92, Table No 101-104, 1995-96 Table No 46,

भारत मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ मे से कुल कार्यो मे लगे युवाओ के प्रतिशत वर्ष (1985-86 से 1995-96)

लेखाचित्र 9

तालिका 3 7

भारत मे ट्राइसेम योजना की उपलब्धियॉ (1992-93 से 1997-98)

अवधि	प्रशिक्षित युवा (लाखो मे)
1992–93	2 76
1993–94	3 04
1994–95	3 22
1997–98	• 41 5

स्रोत योजना आयोग भारत सरकार

तालिका 3 8

भारत मे ट्राइसेम योजना मे भौतिक प्रगति के अन्तर्गत (1985-86 से 1995-96) स्वरोजगार और मजदूरी मे लगे व्यक्ति के ऑकडे एव उनका प्रतिशत

	प्रशिक्षित युवाओ मे कार्य मे लगे व्यक्ति		
अवधि	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल
1985-86	82028	17355	99383
	(82 55)	(17 46)	(100 00)
1986-87	88538	17874	106412
	(83 20)	(16 79)	(100 00)
1987-88	99868	26042	125910
	(79 32)	(20 68)	(100 00)
1988-89	97775	34970	132745
	(73 66)	(26 34)	(100 00)
1989-90)	95827	34854	130681
	(73 33)	(26 67)	(100 00)
1990-91	123785	41493	165278
	(74 89)	(25 10)	(100 00)
1991-92	115773	46220	161993
	(71 47)	(28 53)	(100 00)
1993-94	107919	43004	150923
	(71 50)	(28 49)	(100 00)
1994-95	86466	44965	131431
	(65 78)	(34 21)	(100 00)
1995-96	92655	48450	141105
	(65 66)	(34 33)	(100.00)

स्रोत : Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 1995-96 Table No 46 P No 36 Table No 101-104

नोट– (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे है।)

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अक्टूबर 1980 मे पूर्णत चलाए गए कार्यक्रमो जैसे—ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना, प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम से प्राप्त हुए अनुभवो के साथ लागू किया गया था।

31 मार्च 1981 के अन्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता दी थी। 1–4–81 से यह कार्यक्रम छठी पचवर्षीय योजना का एक नियमित अग बन गया था, तब से इसे केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप मे केन्द्र और राज्यो के बीच 50–50 अनुपात के आधार पर चलाया जाता रहा। छठी पचवर्षीय योजना मे इस कार्यक्रम के लिए कुल 1620 करोड रुपए का प्रावधान किया गया था, इस कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम मे भी सम्मिलित कर लिया गया था।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख उद्देश्य रखे गये थे—

1 ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगार तथा अल्परोजगार वाले व्यक्तियो, पुरूषो तथा महिलाओ दोनो के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना।

2 ग्रामीण आधारभूत ढॉचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियो का सृजन करना।

3 ग्रामीण गरीबो के पोषाहार स्तर तथा रहन सहन के स्तर मे सुधार करना।

संगठनात्मक ढॉचा तथा निगरानी

केन्द्र स्तर पर समिति

कार्यक्रम के निगरानी हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की गई थी।

राज्य स्तर पर समिति

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की आयोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की थी।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

कार्यक्रम की आयोजना समन्वय पर्यवेक्षण तथा निगरानी से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सियो को सौपी गयी थी।

मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण

एन आर ई पी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरो को खाद्यान्नो का वितरण निम्न निर्देशो के अनुसार किए गये थे—

1 राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रो को मजदूरो को खाद्यान्नो के वितरण मे सभी स्तरो पर पर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए जहॉ तक सम्भव हो खाद्यान्नो का वितरण उचित दर दुकानो के माध्यम से किया जाना चाहिए।

2 भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्यान्नो को उठाने और उन्हे कार्य—स्थलो तक ले जाने की व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिए कि इस पर परिवहन लागत कम से कम आए।

मजदूरी का भुगतान

निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी के कुछ भाग का भुगतान खाद्यान्नो मे तथा शेष भाग का भुगतान नगदी मे किया गया, मजदूरी के एक भाग का भुगतान प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1 किलोग्राम खाद्यान्नो मे किया गया और शेष धनराशि का भुगतान नगद किया गया था।

जहॉ किसी कारण से मजदूरी का भुगतान खाद्यान्नो मे करना सभव न हो वहॉ पूरी मजदूरी का भुगतान नगद किया जाता था, मजदूरो को मजदूरी का भुगतान शीघ्र किया जाने और किसी भी हालत मे एक सप्ताह से अधिक देरी नही होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेन्सी मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी। अकुशल कार्य के लिए दी जाने वाली मजदूरी उस क्षेत्र के लिए लागू अकुशल मजदूरो के लिए निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरो के बराबर थी जहॉ कार्य किया जा रहा था।

कुशल मजदूरो को दी जाने वाली मजदूरी वह होगी जो या तो

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन उस कार्य के लिए निर्धारित की गई थी अथवा लोक निर्माण विभाग, सिचाई, वन, आदि जैसे विभागो द्वारा निध ारित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो के अभाव मे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी इस आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के लिए दरे निर्धारित कर सकती थी।

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य

उन निर्माण कार्यो की सूची दी गई है जो एन आर ई पी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गये थे—

1 सरकारी तथा पचायतो आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, सडको के दोनो किनारो पर पौधे लगाना, नहरो के तटो पर रेलवे लाइनो आदि के साथ—साथ बेकार पडी भूमि पर पौध रोपण जिनमे ईधन, चारे तथा फलदार पेड शामिल थे। निजी भूमि पर पौधे लगाने हेतु पौधाकुरो का वितरण, उनकी बिक्री, बशर्ते कि उनकी बिक्री—आय सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियो के खाते मे डाली जाए तथा उन्हे एन आर ई पी कार्यक्रम के कार्यो मे दुबारा लगाया जाए।

2 अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो को सीधे लाभ पहुँचाने वाले निर्माण कार्य जैसे भूमि विकास, आवास का निर्माण, पेयजल के कुँए आदि।

3 जल सचयन ढॉचो का निर्माण अर्थात मानवीय उपयोग अथवा पशुओ के लिए जल उपलब्ध कराने, मछली पालन, आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबो का निर्माण।

4 भूमि सरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना।

5 स्कूलो औषधालयो पशु चिकित्सा केन्द्रो बालवाडी, भवनो, पचायत घरो, सामुदायिक केन्द्रो, ग्रामीण बैको के आवास के लिए भवनो, गोशालाओ, सामुदायिक मुर्गी पालन, तथा सुअर पालन गृहो, नहाने तथा कपडा धोने के प्लेट फार्मो, सामुदायिक बायो—गैस सयत्रो, बीज, कीट नाशक दवाइयो, उर्वरको, इत्यादि को रखने हेतु भण्डारो का निर्माण।

6 भूमि को समतल बनाने, जल निकासी नालियो, खेत की नालियो, आदि का निर्माण कार्य।

एन आर ई पी कार्यक्रमो के निष्पादन एव कार्यान्वयन के लिए इन कार्यक्रमो मे पचायती राज सस्थाओ, स्वैच्छिक सगठनो औद्योगिक गृहो आदि की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था।

3.4.1 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोंजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की छठी पचवर्षीय योजना मे अर्थात् वर्ष 1980–81 से 1984–85 के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार कुल मिलाकर 2,473 11 करोड रुपए 1,843 78 करोड रुपए व्यय हुए जो कि कुल व्यय का 74 55 प्रतिशत (तालिका 3 10) प्राप्त होता है। इस योजनावधि मे भौतिक प्रगति के उद्देश्य से ग्रामीणो को रोजगार सृजन मे कुल 1,774 37 मिलियन मानव दिवस की उपलब्धि इस कार्यक्रम से प्राप्त हुई थी, जिसमे व्यय प्रति रोजगार दिवस से 10 40 रूपए आकलित किया गया।

(तालिका 3 9) आकडो के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1985–86 मे कुल मिलाकर 553 46 (100 00 प्रतिशत) करोड रुपए ससाधनो के लिए प्रस्तावित किए गए जिसमे केन्द्रीय अश 229 73 (41 54 प्रतिशत) खाद्यान्न मूल्य पर 96 00 (17 35 प्रतिशत) और राज्याश 227 53 (41 11 प्रतिशत) करोड रुपए था। जबकि इसी वर्ष लक्ष्य के विरूद्ध कुल 622 35 करोड रुपए रिलीज किए गए। आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985–86 से 1987–88 योजनावधि के अन्तर्गत ससाधनो पर प्रस्तावित धनराशि से कुछ अधिक धन रिलीज किए गए थे। परन्तु वर्ष 1988–89 मे ससाधनो पर 935 46 करोड रुपए प्रस्तावित धनराशि से कुछ कम 869 60 करोड रुपए ही रिलीज हुए, इस प्रस्तावित राशि मे से केन्द्रीय अश 407 20 (43 53 प्रतिशत) खाद्यान्न पर 123 56 (13 21 प्रतिशत) राज्याश 404 70 (43 26 प्रतिशत) करोड रुपए आकलित किया गया था।

उपरोक्त आंकडो के मूल्याकन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से वित्तीय लक्ष्यो मे वृद्धि के प्रयास किए गए क्योकि जहॉ छठी पचवर्षीय योजना मे कुल 2,473 11 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए थे वही सातवी योजना मे यह बढकर 3,117 84 करोड रुपए हो गया था।

तालिका 3 9

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज वित्तीय एव भौतिक प्रगति (1985-86 से 1988-89)

रिलीज अश (करोड रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय अश	खाद्यान्नो के मूल्य	राज्याश	कुल
1	2	3	4	5
1985–86	229 75	136 57	256 03	622 35
	(36 92)	(21 94)	(41 13)	(100 00)
1986–87	249 80	349 01	264 57	863 38
	(28 93)	(40 42)	(30 64)	(100 00)
1987–88	363 13	272 04	399 52	1034 69
	(35 09)	(26 29)	(38 61)	(100 00)
1988–89	386 36	92 70	390 54	869 60
	(44 43)	(10 66)	(44 91)	(100 00)

स्रोत Annual Report of the Ministry of Rural Development Table No 46 p 36 SI No IV

नोट – (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे है)

तालिका 3 10

भारत मे छठीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ (1980-81 से 1984-85)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (Financial Progress) प्रस्तावित लक्ष्य (करोड रु.)	व्यय (करोड रु)	प्रतिशत %	भौतिक प्रगति रोजगार का सृजन (मिलियन मानव दिवस)	व्यय प्रति रोजगार दिवस
1980-81	346 32	219 03	63 24	413 58	5 30
1981-82	460 37	317.63	68 99	354 52	9 00
1982-83	540 15	394 76	73 08	351 20	11 25
1983-84	535 59	393 22	73 42	302 76	13 00
1984-85	590 68	519 14	87 89	352 31	14 75
कुल	**2473.11**	**1843.78**	**74.55**	**1774.37**	**10.40**

स्रोत सातवी पचवर्षीय योजना, 1985–90 Vol 11, भारत सरकार योजना आयोग pp.58

3.4.2 भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

भारत मे सातवी पचवर्षीय योजना (1985–86 से 1988–89) मे तालिका 3 11 द्वारा इस कार्यक्रम की उपलब्धियो के अन्तर्गत इस वर्ष कुल मिलाकर 1,682(08 करोड रुपए प्रस्तावित व्यय के द्वारा 4289 42 लाख श्रम दिवस के रोजगार सृजन का लक्ष्य निश्चित किया गया था, जिसमे 5031 51 लाख श्रम दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी जो कि कुल उपलब्धियो का 117 30 प्रतिशत आकलित की गयी है लेखाचित्र–10, 1985–86 से 1988–89 की उपलब्धियो को दर्शाती है। जबकि छठी योजना मे 1774 37 मिलियन मानव दिवस के रोजगार सृजन की उपलब्धि प्राप्त हुई थी जैसा कि तालिका 3 10 मे स्पष्ट किया गया है।

तालिका 3 11

भारत मे NREP की उपलब्धियाँ (1985-80 से 1988-89)
रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन)

वर्ष	प्रस्तावित व्यय (करोड रु मे)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत %
1985-86	230 00	228 00	316 41	138 78
1986-87	442 65	275 08	395 39	143 74
1987-88	480 00	363 56	370 07	101 79
1988-89	529 43	3422 78	3949 64	115 39
कुल	**1682.08**	**4289.42**	**5031.51**	**117.30**

स्रोत :- Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 Table NO 45 p 35

भारत मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) की रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ (वर्ष 1985-86 से 1988-89)

लेखाचित्र 10

3.5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डो मे प्रारम्भ किया गया था।

उद्देश्य :

इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे—

1 भूमिहीन ग्रामीण परिवारो के लिए रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना जिससे परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम से कम 100 दिनो तक कार्य की गारन्टी दिलाई जा सके।

2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ग्रामीण अद्योसरचना को मजबूत बनाना इसके लिए स्थाई परिसम्पत्तियो का निर्माण किया जा सके।

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यक्रमो मे जैसे लघु सिचाई योजनाओ, गावो मे तालाबो का निर्माण, भूमि व जल सरक्षण, भूमि का विकास तथा बेकार पडी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाना प्राथमिक स्कूलो के लिए भवनो का निर्माण, गाव को जोडने वाली सडको का निर्माण इत्यादि कार्यो को अपनाया गया था।

साधन आबंटन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र शासित क्षेत्रो को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर साधन आबटित करने के लिए50 प्रतिशत महत्त्व खेतिहर मजदूरो तथा सीमान्त किसानो की सख्या के आधार पर तथा शेष 50 प्रतिशत महत्त्व निर्धनता के आधार पर दिया जाता था।

खाद्यान्न वितरण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिको को एन आर ई पी के समान एक किलोग्राम प्रति मानव–दिवस की दर से खाद्यान्न 1 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाता था। कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया था कि कार्यस्थल के निकटतम खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाए ताकि श्रमिको को अधिक दूर न जाना पडे।

वित्तीय प्रबन्ध

यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर चालू किया गया था। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ही सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त होती थी।

इस प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो/जनजातियो तथा मुक्त किए गए (बँधुवा) मजदूरो मे से निर्धन, छोटे सीमान्त किसानो, को खुले सिचाई कुए मुफ्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मिलियन वैल्स स्कीम' नाम की नई योजना प्रारम्भ की गई थी। 1988–89 वर्ष के लिए 153 65 करोड रुपए की लागत से 95 930 कुओ के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 1989–90 से इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना' मे मिला दिया गया है।

3.5.1 भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

(तालिका 3 12) वर्ष 1985–86 मे इस योजना के लिए कुल वित्तीय लक्ष्य 595 00 करोड रुपए के अनुरूप 453 17 करोड रुपए की पूर्ति हुई, जो कि पूर्ति का 76 16 प्रतिशत आकी गयी थी। इस समयावधि के अन्तर्गत अर्थात् 1988–89 के वर्षो मे यह बढकर, 708 44 करोड रुपए कुल लक्ष्य के साथ 669 37 करोड रुपए की पूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात् कुल उपयोग की पूर्ति का 94 48 प्रतिशत आकलित किया गया।

तालिका 3 12

भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एव पूर्ति

वर्ष	कुल लक्ष्य (करोड रु मे)	कुल उपयोग की पूर्ति (करोड रु मे)	प्रतिशत %
1985-86	595 00	453 17	76 16
1986-87	707 88	635 91	89 83
1987-88	703 09	653 53	92 95
1988-89	708 44	669 37	94 48

स्रोत – Ministry of Rural Development '1991-92'

3.5.1 भारत में आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

भारत मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 मे 2057 32 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य निध ारित किया गया था, जबकि 2475 76 लाख मानव दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसे उपलब्धियो का 120 34 प्रतिशत तालिका 3 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार आकलित किया गया है। 1987–88 के वर्षो मे 113 29 प्रतिशत की उपलब्धि हुई, और 1988–89 मे 2604 19 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध 2965 57 की उपलब्धि प्राप्त हुई अर्थात् उपलब्धियो का 113 87 प्रतिशत।

उपरोक्त उपलब्धि को लेखाचित्र–11 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.13

भारत में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ
रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत में
1985-86	2057 32	2475 76	120 34
1986-87	2364 47	3061 43	129 48
1987-88	2684 15	3041 06	113 29
1988-89	2604 19	2965 57	113 87

स्रोत :- Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92 Table NO 46 PNo 36 SI No. V

भारत मे भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
की रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ

लेखाचित्र 11

3.6 जवाहर रोजगार योजना

सातवी पचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष मे अर्थात् 1 अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम '(NREP)' 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) नामक दोनो रोजगार कार्यक्रमो का विलय

करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक वृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था।

उद्देश्य

1 ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरूषो और महिलाओ दोनो के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना।

2 सामुदायिक और सामाजिक परिसम्पत्तियो का सृजन करना।

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे समग्र जीवन स्तर मे सुधार करना।

योजना के अन्तर्गत चयनित लक्षित समूह

गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्ति लक्षित समूह मे शामिल किए जाते है। इस योजना के अन्तर्गत.रोजगार के लिए अनुसूचित जातियो/जनजातियो तथा मुक्त बधुवा मजदूरो को वरीयता दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए 30 प्रतिशत अवसर महिलाओ के लिए आरक्षित है।

संसाधनों का आबंटन

इस योजना को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप मे केन्द्र और राज्य के बीच 80 20 के अनुपात मे लागत वहन करने के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

बैंक खाता

जवाहर रोजगार योजना की निधियॉ (केन्द्रीय अश, राज्य अश) सभी राज्यो के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/ग्राम पचायतो द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैक, अनुसूचित बैक अथवा सहकारी बैक के बचत खाते मे रखी जाती है।

ग्राम स्तर पर कार्य योजना

देश/प्रदेश के विभिन्न राज्यो के जिलो मे ग्राम स्तर पर कार्य योजना के क्रियान्वयन मे सहायक विकास अधिकारी, जनपद स्तर के सभी परवेक्षीय अधिकारियो और खण्ड विकास अधिकारियो इत्यादि की नियुक्ति की जाती है।

जवाहर रोजगार के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्य जैसे—भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, भूमि तथा जल सरक्षण कार्य, लघु सिचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिचाई, कुओ का निर्माण आदि, तालाबो का निर्माण, सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे—औषधालयो, पचायत घरो, शिशु ग्रहो, आगन बाडियो आदि का निर्माण कराया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की दो उपयोजनाए इन्दिरा आवास योजना, दस लाख कुओ की योजना, को जिसे 1985—86 के अन्तर्गत शुरू किया गया था, और अप्रैल 1989 मे जवाहर रोजगार योजना मे मिलाकर एक उपयोजना के रूप मे चलाया जा रहा है।

3.6.1 भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

इस योजना मे कार्यक्रमो के सचालन के उद्देश्य से प्रारम्भिक वर्षो मे कुल 2694 30 करोड रुपए की धनराशि रिलीज की गई थी, इसका विवरण तालिका 3 14 के आकडो के अध्ययन से ज्ञात होता है जिसमे केन्द्रीय अश 2044 90 (75 89 प्रतिशत), राज्याश 555 18 (20 16 प्रतिशत), और खाद्यान्य पर 94 22 (3 49 प्रतिशत) करोड रुपए का सहयोग किया गया था। वर्ष 1990—91 मे केन्द्रीय सरकार द्वारा 2000 95 (78 79 प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा 538 35 (21 20 प्रतिशत) अर्थात कुल 2539 30 करोड रुपए रिलीज किये गये थे। इस प्रकार इन दो वर्षो (1989—90, 1990—91) के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इन वर्षो की तुलना मे वर्ष 1991—92 मे कुछ कम 2358 75 करोड रुपए प्रस्तावित किये गये। 1998—99 मे 2078 44 करोड रुपए निर्धारित किये गये हैं। इन आकडो के मूल्याकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षो मे जितनी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई थी, परन्तु उसके बाद के वर्षो मे वित्तीय प्रगति मे कुछ कमी हुई है।

तालिक 3 14

भारत मे जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय प्रगति

(Financial Progress) रिलीज (करोड रु)

वर्ष	केन्द्रीय अश	खाद्यान्य	राज्याश	कुल
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)
1989-90	2044 90	94 22	555 18	2694 30
	(75 89)	(3 49)	(20 61)	(100 00)
1990-91	2000 95	-	538 35	2539 30
	(78 79)	-	(21 20)	(100 00)
1991-92	1815 57	-	543 18	2358 75
	(76 97)	-	(23 01)	(100 00)
1998-99	-	-	-	2078 44

स्रोत .- Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92, Table No 46 PNo 36, SI No VI

नोट .- वर्ष 1989–90 से पूर्व JRY के स्थान पर NREP एव RLEGP कार्यक्रम लागू थे।

नोट - (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गये है)

3.6.2 भारत मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ

ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगार और अल्प–रोजगार वाले पुरूषो और महिलाओ को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से भारत मे जवाहर रोजगार योजना द्वारा वर्ष 1989–90 मे 8757 25 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 8643 87 की (98 71 प्रतिशत) उपलब्धि, तालिका 3 15 के आकडो के विश्लेषण से प्राप्त होती है। वर्ष 1990–91 मे यह उपलब्धि 94 13 प्रतिशत और 1991–92 मे 109 88 प्रतिशत के अनुसार 7354 35 लक्ष्य के विरूद्ध 8081 05 की उपलब्धि प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1989–90, 1990–91, मे रोजगार सृजन के लक्ष्य अधिक निश्चित किए गए, परन्तु उपलब्धि कम प्राप्त हुई। जबकि वर्ष 1991–92 की अवधि मे लक्ष्य कम किन्तु उपलब्धि अधिक प्राप्त हुई थी।

सरकार द्वारा इस रोजगार सृजन मे अथक प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 1992–93 मे 7537 95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के

विरूद्ध 7821 02 (103 76 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त की गई थी। 1993–94 मे इसमे वृद्धि के उपरान्त 10383 26 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 9523 45 लाख मानवदिवस अर्थात् 91 72 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी, जबकि 1994–95 मे 7997 37 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निश्चित किया गया था। 1994–95 मे 93 20 प्रतिशत जबकि 1995–96 98 92 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई।

उपरोक्त तालिका के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यह अनुमानित होता है कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारो को रोजगार प्रदान करने की दिशा मे प्रयास कर रही है।

तालिका 3 15

भारत मे जवाहर रोजगार योजना की भौतिक प्रगति (1989-90 से 1996-97)
[Physical Progress] रोजगार सृजन लाख मानव दिवस

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1989-90	8757 25	8643 87	98 71
1990-91	9291 04	8745 59	94 13
1991-92	7354 35	8081 05	109 88
*1992-93	7537 95	7821 02	103 76
*1993-94	10383 26	9523 45	91 72
*1994-95	7997 37	7453 59	93 20
*1995-96	8042 80	7955 89	98 92
*1996-97	414 4	381 9	92 15

स्रोत :- Annual Report of the Ministry of Rural Development 1991-92, Table No 88, 89,90 P No 87, 88, 89
* Ministry of Rural Development 1995-96, Table No 118-121

3.7 प्रधानमंत्री रोजगार योजना

शहरो मे लगातार बढती बेरोजगारी एव शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए 15 अगस्त 1993 को एक ऐसे रोजगार योजना की घोषणा प्रधानमत्री ने की जिसका उद्देश्य बेरोजगारी दूर करने के साथ–साथ शिक्षित बेरोजगारी मे उद्यमिता की भावना का विकास करना है। वर्ष 1993–94 के समय यह योजना केवल शहरी क्षेत्रो मे लागू थी, तथा 1 अप्रैल 1994 से इसे शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रो मे लागू कर दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियो के लिए उद्योग, सेवा, अथवा व्यवसाय के माध्यम से स्वत रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है चयनित लाभार्थियो हेतु बैक ऋण के साथ–साथ अनुदान एव अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य शिक्षित साधनहीन नवयुवको को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक साधन, प्रोत्साहन एव परामर्श आदि प्रदान करना है।

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हताए होना आवश्यक है–

1 अभ्यर्थी कम से कम कक्षा 10 पास या फेल हो अथवा उसके समकक्ष आई टी आई या अन्य सस्थाओ से तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो।

2 अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3 अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आमदनी (आय) 24,000 रु से अधिक न हो।

4 अभ्यर्थी किसी बैक अथवा वित्तीय सस्था का डिफाल्टर न हो।

5 कम से कम 3 वर्षो से उस क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।

योजना लागत

एक लाख तक की लागत की परियोजना इस योजना के अन्तर्गत शामिल है यदि दो या अधिक व्यक्ति पार्टनर शिप मे परियोज ना लगाते है तो प्रति व्यक्ति प्रोजेक्ट लागत एक लाख तक हो सकती है।

मार्जिन मनी

परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत उद्यमी को अपने मार्जिन मनी के रूप मे कैश मे लगाना आवश्यक होता है, शेष 95 प्रतिशत तक बैक से ऋण के रूप मे उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया द्वारा सामान्य ब्याज दरो पर ब्याज लगेगा।

पूँजीगत सब्सिडी

इस योजना के अन्तर्गत सरकार परियोजना लागत की 15 प्रतिशत तक पूँजीगत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी की सीमा 75,000 रुपए प्रति लाभार्थी है यह सब्सिडी लाभार्थियो को भारतीय रिजर्व बैक के माध्यम से दी जाती है।

प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के बाद लाभार्थियो के लिए चार सप्ताह तक के अनिवार्य प्रशिक्षण का प्राविधान है।

योजना का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन

इसमे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिए 22 5 प्रतिशत तथा अन्य पिछडी जातियो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होगा। महिलाओ एव अन्य कमजोर वर्गो को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसमे कुछ गिरवी रखना आवश्यक नही है केवल इस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियॉ ही बैक मे रखी जाएगी।

जिला, राज्य और केन्द्र के स्तर पर योजना की प्रभावशाली निगरानी के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी तत्र स्थापित किया गया है।

3.7.1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ

तालिका 3 16 के आकडे ये प्रदर्शित करते है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य से वर्ष 1993–94 मे 0 80 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य सचालित किया गया था, जिसमे 0 36 (45 0 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। इस लक्ष्य 4 46 मे वृद्धि के फलस्वरूप 0 31 लाख मानव दिवस की उपलब्धि 1994–95 मे प्राप्त की गयी, जो कि 6 95 प्रतिशत थी। इस प्रकार इन दो वर्षो अर्थात् 1993–94, 1994–95 योजनावधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर 5 26 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के अनुसार 0 67 (12 7 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1998–99 मे 9 1 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी।

इस प्रकार इन आकडो के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी दोनो ही क्षेत्रो मे बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन की दिशा मे प्रयास किया जा रहा है।

तालिका 3 16
भारत मे प्रधानमत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की उपलब्धियॉ (लाख मे)

अ

वर्ष	लक्ष्य	पूति	प्रतिशत
1993-94	0 80	0 36	45 0
1994-95	4 46	0 31	6 95
योग	5 26	0 67	12 7

Source : Economic Survey- 1994-95

ब

	माइक्रोउद्यम			सृजित रोजगार		
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**प्रतिशत**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**प्रतिशत**
1996-97	2 2	1 8	81 8	4 4	2 6	59 1
1998-99	2 2	0 3	13 6	4 4	0 4	9 1
अक्टूबर 1998 तक						
योग	**4.4**	**2.1**	**47.7**	**8.8**	**3.0**	**34.1**

स्रोत :- Economic Survey '1998-99

3.8 सुनिश्चित रोजगार योजना

इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया। पहले यह योजना चुने गए 1752 पिछडे ब्लाको मे लागू की गयी थी किन्तु अब यह योजना देश के कुल ब्लाको के 40 प्रतिशत मे लागू की जा रही है।

योजना का उद्देश्य

इस केन्द्र प्रोनिधानित योजना मे केन्द्र एव राज्य सरकार का

अशदान 80 20 के अनुपात मे है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जरूरत मन्द पुरूषो एव महिलाओ को जो अकुशल निर्माण कार्य करने की इच्छुक हो, गैर कृषि कार्य के महीने (लीन एग्रीकल्चरल सीजन) मे वर्ष मे कम से कम 100 दिनो का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह रोजगार एक परिवार के 2 व्यक्तियो को ही सुलभ हो सकता है। इनमे 18 से 60 वर्ष के आयु के स्त्री पुरूष रोजगार पाने के पात्र होगे।

साधन आबंटन

इस योजना के अन्तर्गत व्यय 80 20 अनुपात मे केन्द्राश/राज्याश पर आधारित होगा।

योजनार्न्तगत कराए जाने वाले कार्य

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यो को प्राथमिकता दी जाती है—

क वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल सरक्षण, भू–सरक्षण, पेडो द्वारा अवरोध, वन रोपण, कृषि बागवानी, वन, चारागाह आदि।

ख लघु सिचाई कार्य, नहर का कार्य, आगनवाडी के लिए भवन इत्यादि।

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिको को उसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जैसा कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिको को मजदूरी की दरे निर्धारित की गयी है।

योजना के कार्यान्वयन प्रगति एव अनुश्रवण राज्य/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर गठित समितियो द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, और ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पचायत अधिकारी इत्यादि होते है। अन्य विभागो की जैसे वित्त विभाग का प्रतिनिधि, नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, वन विभाग का प्रतिनिधि इत्यादि को सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है।

3.8.1 भारत में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

भारत मे सुनिश्चित रोजगार योजना के सचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 मे 600 करोड रुपए और 1994–95 मे 1200 करोड रुपए की राशि खर्च की गई राज्य सरकार द्वारा इन योजनावधियो मे कुल मिलाकर 1,884 करोड रुपए की राशि व्यय की गई थी, सरकार द्वारा भौतिक प्रगति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993–94 मे 494 74, 1994–95 मे 2739 75 लाख श्रम दिवस का रोजगार सचालित किया गया, इसके अतिरिक्त इन वर्षो मे 13,980 और 1,16,800 के लगभग निर्माण कार्य पूरे किए गए थे।

इस प्रकार भारत मे वर्ष 1995–96 मे, अप्रैल से जून 1995 तक दो करोड श्रम दिवस से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए जा चुके है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए राज्यो को केन्द्रीय सहायता के रूप मे 653 30 करोड रुपए की राशि भेज दी है। राज्यो से मई 1995 तक इस योजना पर 107 26 करोड रुपए खर्च किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। वर्ष 1998–99 मे 1571 97 (78 99 प्रतिशत) करोड रुपए व्यय हुए और 2376 14 लाख श्रम दिवस का रोजगार सचालित हुआ।

तालिका 3 17

भारत मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ
(वर्ष 1995-96 से 1998-99)

	वित्तीय प्रगति करोड रूपये में			
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)
1995-96	1570	1816	115 67	346 53
1996-97	1970	1840	93 40	NA
1997-98	1970	1905	96 70	NA
1998-1999	1990	1571 97	78 99	2376 14

स्रोत :- Economic Survey '1998-99'

3.9 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल–विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारो की महिलाओ के लिए है। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप मे सितम्बर 1982 मे शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओ को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम शुरू मे 50 चुने हुए जिलो मे प्रारम्भ किया गया था 1994–95 मे यह कार्यक्रम देश भर के 450 जिलो मे कार्यान्वित किया जा रहा था। आठवी योजना अवधि मे शेष सभी जिलो को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। महिला समूहो के सदस्यो की सख्या 10–15 के बीच रखी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महिला वर्ग को 15,000 का रिवाल्विग कोष स्वीकृत किया जाता है। यह राशि केन्द्र राज्य और यूनीसेफ द्वारा बराबर–बराबर हिस्से मे विभाजित की जाती है।

बैंक ऋण

इस योजना मे महिलाओ को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक बैको से ऋण की व्यवस्था कर दी जाती है बैको के अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कपार्ट से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।

कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी के लिए ग्राम जिला और राज्य, स्तर पर तीन स्तरीय स्टाफ पद्धति होती है।

3.9.1 भारत में ड्वाकारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(तालिका 3 18, 3 19) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10–15 महिलाओ के समूह गठित किए जाते है, जिसमे वर्ष 1985–86 मे महिलाओ को 6,008 समूहो मे बॉटा गया, जिनकी सदस्य सख्या 1,00966 थी, इन पर कुल 4 15 करोड रुपए व्यय किये गये, जो प्रति ग्रुप 6 90 रुपए, और प्रति सदस्य 0 41 रुपए था, 1991–92 के वर्षो मे इनमे वृद्धि के पश्चात बाटे गए 9,327 समूहो की सदस्य सख्या 20,8,492 थी, जिन पर कुछ 10 72 करोड रुपए व्यय किया गया, इस प्रकार व्यय की गई धनराशि मे से प्रति ग्रुप 11 49 रुपए और प्रति सदस्य 0 51 रुपए आकलित किया गया।

वर्ष 1992–93 से 1994–95 तक महिला ग्रुप व उनकी सदस्य सख्या मे वृद्धि के फलस्वरूप 1994–95 की अवधि मे 37884 समूहो के लिए 591696 सदस्य बनाए गए थे। इनका विश्लेषण तालिका 3 19 के आकडो के अध्ययन के द्वारा किया गया है। इन जानकारियो के उपरान्त ऐसा ज्ञात होता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारो की महिलाओ के सामाजिक एव आर्थिक स्तर को ऊँचा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1997–98 मे 4 60 लाख सदस्य बनाए गये है।

तालिका 3 18

भारत मे ड्वाकारा के अन्तर्गत भौतिक एव वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1991-92)

वर्ष	ग्रुपो का वर्गीकरण (सख्या मे)	सदस्य (सख्या मे)	कुल व्यय (करोड रु मे)	रु प्रति ग्रुप	रु प्रति सदस्य
	a	b	c		
1985-86	6,008	1,00966	4 15	6 90	0 41
1986-87	5,545	96,132	6 93	12 49	0 72
1987-88	4,959	82,265	4 66	9 39	0 56
1988-89	5,968	98,936	7 00	11 72	0 70
1989-90	5,551	90,294	7 89	14 21	0 87
1990-91	6,835	1,08172	7 39	10 81	0 68
1991-92	9,327	2,08492	10 72	11 49	0 51

स्रोत :- ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट '1991–92'

तालिका 3 19

भारत मे ड्वाकरा के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धिया (1992-93, 1997-98)

वर्ष	ग्रुपो का वर्गीकरण (संख्या मे)	सदस्य (सख्या मे)	कुल व्यय (लाख रुपए मे)
1992-93	9029	128744	978 61
1993-94	15483	268525	1882 25
1994-95	37884	591696	5419 91
1995-96	37759	505923	5707 66
1997-98	41000	4 60	-

स्रोत :- Economic Survey - 1995-96, 1997-98

3.10 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण ज यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गॉवो मे रहने वाले गरीबो के लिए स्वरोजगार की एकल योजना 1 अप्रैल, वर्ष 1999 को प्रारम्भ की गई है। इस योजना मे पहले के स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमो यथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारो को उन्नत औजारो की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गगा कल्याण योजना, तथा दस लाख कुऑ योजना को समेकित कर दिया गया है।

उद्देश्य

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक सख्या मे सूक्ष्म उद्योगो की स्थापना करना है।

योजना का लक्ष्य

इस योजना के द्वारा प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि मे गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। कम से कम 50 प्रतिशत अनु जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओ तथा 3 प्रतिशत विकलागो को योजना का लक्ष्य बनाया गया है।

योजना का कार्यान्वयन

इस योजना मे विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियो का चयन पचायत समितियो द्वारा किया जाता है, जबकि जिला स्तर पर इस चयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी तथा जिला परिषदो की होती है।

समूह गतिविधियो को प्राथमिकता दी जाएगी और आत्मनिर्भर समूहो के लिए उत्तरोत्तर अधिकाश धन की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक पचायत समिति मे कम–से–कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओ के होगे।

वित्तीय व्यवस्था

योजना मे दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था केन्द्र और राज्यो द्वारा 75 25 के अनुपात मे की जाती है।

ऋण एवं सब्सिडी की पद्धति

यह योजना एक ऋण एव सब्सिडी कार्यक्रम है सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपए होती है, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत या 10,000 रुपए होगी। आत्म निर्भर समूहो के लिए सब्सिडी परियोजना लागत के 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 1 25 लाख रुपए होती है सिचाई परियोजनाओ के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा नही होगी।

उत्तर प्रदेश में रोजगार-
परक कार्यक्रमों
का दिग्दर्शन

उत्तर प्रदेश
का मान चित्र
उत्तरकाशी
टिहरी गढ़वाल
चमोली
पिथौरागढ़
देहरादून
सहारनपुर
हरिद्वार
गढ़वाल
अल्मोड़ा
मुजफ्फरनगर
बिजनौर
नैनीताल
मेरठ
मुरादाबाद
रामपुर
गाजियाबाद
बरेली
पीलीभीत
बुलन्दशहर
बदायूँ
खीरी
शाहजहाँपुर
मथुरा
अलीगढ़
एटा
बहराइच
सीतापुर
हरदोई
आगरा
मैनपुरी
फर्रुखाबाद
गोण्डा
बस्ती
लखनऊ
बाराबंकी
इटावा
कानपुर देहात
उन्नाव
फैजाबाद
गोरखपुर
देवरिया
कानपुर नगर
रायबरेली
जालौन
सुल्तानपुर
मऊ
हमीरपुर
फतेहपुर
प्रतापगढ़
जौनपुर
आजमगढ़
बलिया
झाँसी
गाजीपुर
बाँदा
इलाहाबाद
वाराणसी
मिर्जापुर
ललितपुर
सोनभद्र

अध्याय 4

4.0	**उत्तर प्रदेश में रोजगार परक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन**
4 1	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
4 1 1	उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति
4 2	ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
4 2 1	उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति
4 2 2	उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
4 3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
4 3 1	उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति
4 4	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
4 4 1	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ
4 4 2	उत्तर प्रदेश मे आर एल ई जी पी कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार सृजन
4 5	जवाहर रोजगार योजना
4 5 1	उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ
4 6	ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम
4 6 1	उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ
4 7	सुनिश्चित रोजगार योजना
4 7 1	सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश में रोजगार परक कार्यक्रमों का दिग्दर्शन

देश मे सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 13 91 करोड है अर्थात् कुल जनसख्या का 16 44 प्रतिशत। 1981–91 के दशक के अन्तर्गत राज्य की जनसख्या वृद्धि दर 25 48 प्रतिशत आकलित की गई। 473 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसख्या के घनत्व वाले इस राज्य मे स्त्री–पुरूष अनुपात 879 (प्रति हजार पुरूषो पर महिलाए) है और साक्षरता 41 06 प्रतिशत पायी गई।

27वे एन एस एस की गणना (1972–73 मे) के समय राज्य मे श्रमिको की सख्या 377 42 लाख थी, जो कि एन एस एस की 32वे गणना के अन्तर्गत मार्च 1985 मे 392 42 लाख हो गयी। जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश मे 13 वर्षो की अवधि मे 15 25 लाख मजदूरो की वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य मे 1972–73 मे कुल ग्रामीण मजदूरो की सख्या शहरो की अपेक्षा 79 प्रतिशत थी, और यही सख्या मार्च 1985 मे बढकर 81 प्रतिशत हो गयी, 1995 मे इनमे वृद्धि के द्वारा 83 प्रतिशत आकलित की गयी है। 1981 मे राज्य की कुल जनसख्या मे कार्यगर श्रम शक्ति (मजदूर) 31 26 प्रतिशत थी। जबकि पूरे देश मे यह स्तर 36 77 प्रतिशत था। दूसरे शब्दो मे राज्य मे इनकी निर्भरता का अनुपात 1 2 26 था जबकि पूरे देश मे यह अनुपात 1 1 72 था। 1991 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसख्या मे श्रम शक्ति का प्रतिशत (कार्य सहभागिता दर) 32 20 प्रतिशत है। राज्य मे महिला वर्ग की जो स्थिति है उसके अनुसार 32वे एन एस एस की गणना के समय राज्य के कृषि क्षेत्रो मे 83 प्रतिशत था परन्तु मार्च 1995 मे 84 प्रतिशत और स्वरोजगार मे 81 प्रतिशत महिलाओ का योगदान है। इसके अतिरिक्त कार्यो मे जैसे कि आकस्मिक कार्यो मे 16 प्रतिशत तथा वेतन भोगी मे 5 प्रतिशत महिलाए सलग्न है। इसका अभिप्राय यह है कि महिलाओ के लिए कृषि को छोडकर बाहर के क्षेत्र मे काम करने के कम अवसर उपलब्ध थे।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण सगठन के 27वे चक्र की गणना के अन्तर्गत 15–59 आयु वर्गो मे बेरोजगारी, कुल श्रम शक्ति की सख्या का 3 75 प्रतिशत थी। एन एस एस की 32वे गणना के अन्तर्गत 4 33 प्रतिशत श्रम शक्ति बेरोजगार थी। 1984–85 के वर्षो मे यह 5 29 प्रतिशत और 1994–95 मे बढकर यह 6 25 प्रतिशत हो गयी है।

वर्तमान समय मे उत्तर प्रदेश मे रोजगार की जो मुख्य स्थितियॉ है, वह इस प्रकार है—

1 राज्य मे रोजगार के अवसर मुख्यत कृषि क्षेत्र के द्वारा ही उत्पन्न होते है जिसमे अधिक तर हिस्सा स्वरोजगार किसानो का है।

2 भूमि वितरण के अन्तर्गत भूमि का जो भी भाग किसानो के पास है उसमे असमानताए है, जिसकी वजह से आवश्यकता से कम रोजगार ग्रामीण किसानो व श्रमिको को उपलब्ध हो पाता है।

3 राज्य के सगठित क्षेत्र रोजगार देने की बहुत ही सीमित क्षमता रखते है जिसके कारण बहुत सी श्रम शक्तियॉ बेरोजगार रह जाती है।

4 घरेलू उद्योगो की कमी होने के कारण 15–59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओ को घर मे काम करना पडता है क्योकि राज्य मे घरेलू उद्योगो की क्षमता सीमित है।

बेरोजगारी की ये समस्याए राज्य के पाच आर्थिक क्षेत्रो मे असमान रूप से फैली हुई है जैसे—पहाडी क्षेत्र, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी क्षेत्र, और बुदेलखण्ड। राज्य के पूर्वी क्षेत्र मे 49 प्रतिशत बेरोजगार है जो कि सबसे अधिक है, मध्य क्षेत्र मे 28 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र मे 14 प्रतिशत और बुदेलखण्ड मे 6 प्रतिशत बेरोजगार है, और पर्वतीय क्षेत्र मे सिर्फ 3 प्रतिशत है, जहॉ राज्य की सबसे कम बेरोजगारी है। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य का पूर्वी क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। अत इलाहाबाद जनपद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मे स्थित होने के कारण बेरोजगारी की समस्याओ से ग्रसित है। इस दृष्टिकोण से बेरोजगारी

निवारण अर्थात् रोजगार कार्यक्रमो के कार्यान्वयन की समीक्षा जिले के सन्दर्भ मे की जाएगी। परन्तु इससे पहले प्रस्तुत अध्याय मे एक दृष्टि डालना होगा 'उत्तर प्रदेश मे रोजगार कार्यक्रमो के दिग्दर्शनो पर'।

तालिका 4 1 उत्तर प्रदेश की आवश्यक जानकारी कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है।

	1991	
1	राज्य की कुल जनसख्या	13 91 (लाख)
2	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसख्या	295 88 (लाख)
3	गरीबी रेखा के नीचे जनसख्या का प्रतिशत	43 11 प्रतिशत
4	कुल साक्षरता प्रतिशत	41 6 प्रतिशत
5	राज्य का कुल क्षेत्रफल	294411 वर्ग किमी
6	जिला	83
7	तहसील	294
8	विकासखण्ड	901
9	न्याय पचायत	8814
10	ग्राम पचायत	58605
11	कुल ग्रामीण कृषक	214 (लाख)
12	कुल ग्रामीण खेतिहर श्रमिक	73 (लाख)

स्रोत - साख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश वर्ष 1995–96

4.1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4.1.1 उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

देश मे 2 अक्टूबर 1980 मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश राज्य मे यह कार्यक्रम डीआरडीए के द्वारा सचालित किया गया। इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985–86 मे 6827 25 लाख रुपए व्यय का लक्ष्य निश्चित किया गया, जिसमे से 7,814 29 लाख रुपए की पूर्ति हुई, जो कि व्यय का 114 45 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त वर्षो के अन्तर्गत अर्थात् 1986–87 और 1987–88 मे वित्तीय लक्ष्य क्रमश

10029 68, 11,651 58 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया था, परन्तु इस लक्ष्य के विरूद्ध 11,138 60 (111 05 प्रतिशत), 1303070 लाख रुपए (111 83 प्रतिशत) की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1990–91 की अवधियो मे कार्यक्रम के विकास पर कुल 16,958 98 लाख रुपए व्यय हुए जो कि व्यय का 115 15 प्रतिशत आकलित किया गया, जबकि लक्ष्य 14727 97 लाख रुपए ही निर्धारित किया गया था। आकडो के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि इन कार्यक्रमो के निरन्तर विकास के लिए लक्ष्य से अधिक धन व्यय करने का प्रयास विभिन्न वर्षो मे किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे भौतिक प्रगति के अन्तर्गत परिवार को सहायता देने के लिए 1985–86 के वर्षो मे 5430 परिवारो के लक्ष्य के विरूद्ध 5808 परिवारो को सहायता दी गयी। 1987–88 मे यह लक्ष्य बढकर 7661 के विरूद्ध 7933 अर्थात् 103 55 प्रतिशत प्राप्त किया गया। 1990–91 और 1991–92 की तुलना मे 1989–90 के वर्षो मे 5734 लक्ष्य से अधिक 6,300 (109 87 प्रतिशत) परिवारो को सहायता प्रदान की गयी। उपर्युक्त तथ्यो की इन उपलब्धियो की विवरण तालिका 4 2 के विश्लेषण के आकलन से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा इसलिए किया गया, कि जिससे राज्य मे अधिक से अधिक परिवारो को इन कार्यक्रमो के द्वारा लाभ पहुँचाया जा सके।

राज्य मे उपरोक्त विश्लेषण से सम्बन्धित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति को लेखाचित्र–12 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4.2

उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति एव भौतिक प्रगति (1985-86 से 1995-96 तक)

	वित्तीय प्रगति लाख रुपये मे			भौतिक प्रगति (सख्या' 00)		
वर्ष	लक्ष्य (करोड रु)	पूर्ति (करोड रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	6827 25	7814 29	114 45	5,430	5808	106 96
1986-87	10029 68	11,138 60	111 05	6,320	6,665	105 45
1987-88	11,651 58	13030 70	111 83	7,661	7,933	103 55
1988-89	13,186 37	14,733 79	111 73	6,108	6,882	112 67
1989-90	14,727 97	15,378 18	104 41	5,734	6,300	109 87
1990-91	14,727 97	16,958 98	115 15	4,681	5,088	108 69
1991-92	13,857 12	16,226 71	117 10	4,434	4,623	104 26
**1995-96	44925 00	39532 85	87 99	5,353	5,916	110 52

स्रोत - Ministry of Rural Development Annual Report 1991-92', Table No 47,88, SI No 24 P No 38, 39

** Ministry of Rural Development Programme in U P '1995-96'

लेखाचित्र 12

उत्तर प्रदेश मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति वर्ष 1985-86 से 1995-96

4.2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

4.2.1 उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

देश मे ट्राइसेम कार्यक्रम चूँकि केन्द्र एव राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से सचालित किया जाता है, अत राज्यो मे वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर कुल 341 32 लाख रुपए व्यय हुए थे, जिसमे केन्द्र का 9 10 (2 66 प्रतिशत) और राज्याश 332 22 (97 33 प्रतिशत) लाख रुपए आकलित किया गया था। इसके एक वर्ष बाद (1986–87 मे) केन्द्र सरकार द्वारा व्यय का 19 97 प्रतिशत अर्थात् 76 47 और राज्य द्वारा 80 03 प्रतिशत अर्थात् 306 40 लाख जो कि कुल व्यय का 382 87 लाख रुपए था। तालिका 4 3 के इन आकडो के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा ट्राइसेम कार्यक्रम को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि मे वर्ष 1989–90 से 1991–92 तक निरन्तर वृद्धि की गई थी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1990–91 की तुलना मे 530 04 लाख रुपए से यह बढकर 1991–92 मे 830 21 लाख रुपए कुल व्यय हुआ।

कार्यक्रमो के सफल सचालन मे वित्तीय प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे कार्यक्रमो की सफलता व असफलता का पता लगाया जा सकता है, आकडो के अध्ययन के उपरान्त ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मे इन वर्षो के अन्तर्गत सरकार द्वारा कार्यक्रमो के विकास के लिए वित्तीय धनराशि की आबटन प्रक्रिया मे कमी नही की गयी।

तालिका 4 3

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति (1985-86 से 1991-92)

वित्तीय प्रगति (लाख रुपए मे)			
वर्ष	केन्द्रीय अश	राज्याश	कुल व्यय
1985-86	9 10 (2 66)	332 22 (97 33)	341 32 (100 00)
1986-87	76 47 (19 97)	306 40 (80 03)	382 87 (100 00)
1987-88	103 98 (28 30)	263 40 (71 69)	367 38 (100 00)
1988-89	126 13 (28 19)	321 23 (71 81)	447 36 (100 00)
1989-90	156 94 (34 54)	297 33 (65 45)	454 27 (100 00)
1990-91	156 94 (29 60)	373 10 (70 39)	530 04 (100 00)
1991-92	157 00 (18 91)	673 21 (81 08)	830 21 (100 00)

स्रोत :- Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92' Table No 61 62 Sl No 24 P No 52 53

नोट – (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है)

4.2.2 उत्तर प्रदेश में ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य मे, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओ की सख्या के आकडे तालिका 4 4 मे अकित किए गए है। इन आकडो के अध्ययन से यह व्यक्त है कि वर्ष 1985–86 मे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रशिक्षित युवाओ की सख्या 36,578 थी, जिसमे से 12,826 प्रशिक्षित युवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और 13,840 महिलाए सम्मिलित थी। ग्रामीण क्षेत्रो के बेरोजगारो को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार वर्षो अर्थात् 1985–86 से 1988–89 की अवधि तक प्रशिक्षित युवाओ की सख्या मे कुछ वृद्धि हुई, किन्तु 1989–90 के सालो मे कुछ कम 36,398 युवाओ को ही प्रशिक्षित किया गया था। इसका कारण इन वर्षो मे प्रशिक्षण कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे, कर्मचारियो मे कुशलता का अभाव, व

वित्तीय कमी को ठहराया जाता है। परन्तु प्रदेश मे वर्ष 1990—91 की तुलना मे 1991—92 मे इनमे वृद्धि के फलस्वरूप 70,430 युवाओ को कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित युवाओ एव महिलाओ की सख्या क्रमश 30,856, 37,590 आकलित की गई थी।

राज्य मे सरकार के प्रयत्नो के फलस्वरूप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने युवाओ को प्रशिक्षित किया गया था, उसमे 1985—86 मे कुल 21,054 युवा स्वरोजगार कार्य मे सलग्न थे। इस तथ्य की जानकारी तालिका 4 5 के आकडो के विश्लेषण से प्राप्त होती है। 1986—87 के वर्षो मे कुल 22,684 प्रशिक्षित युवा कार्यो मे लगे हुए थे।

कार्य मे लगे हुए युवाओ मे से 95 64 प्रतिशत युवा स्वरोजगार मे और 4 36 प्रतिशत युवाओ को मजदूरी रोजगार प्राप्त था।

इन आकडो का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी रोजगार की तुलना मे स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवा अधिक थे। इसके अतिरिक्त राज्य मे 1990—91 के वर्षो मे 1991—92 की अपेक्षा कार्य मे लगे प्रशिक्षित युवाओ की सख्या कुछ अधिक थी। 1995—96 के वर्षो मे यह 1991—92 की तुलना मे कम हुई है।

उपर्युक्त विश्लेषण से सम्बन्धित आकड़ो को लेखाचित्र सख्या 13, 14 मे दर्शाया गया है।

तालिका 4 4

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की सख्या के आकडे
(1985-86 से 1995-96)

	प्रशिक्षित युवाओ की सख्या		
वर्ष	कुल	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	महिलाए
1985-86	36578	12826	13840
1986-87	37542	12795	18965
1987-88	38524	14419	20839
1988-89	42977	17125	20864
1989-90	36398	15328	17814
1990-91	57195	25317	29341
1991-92	70430	30856	37590
**1994-95	62394	27102	34046
**1995-96	63721	34222	38142

Source Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92' Table No 55---60 P.No 46---51
**Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh - '1995-96'

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रमो के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा

वर्ष 1985-86 से 1995-96

लेखाचित्र 13

तालिका 4 5

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य मे लगे प्रशिक्षित युवा

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओ मे कार्य मे लगे व्यक्ति		
	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल
1985-86	21,054 (100 00)	NR	21,054 (100 00)
1986-87	21694 (95 64)	990 (4 36)	22,684 (100 00)
1987-88	21,917 (91 05)	2153 (8 94)	24,070 (100 00)
1988-89	17,812 (91 13)	1734 (8 87)	19,546 (100 00)
1989-90	20,524 (84 35)	3809 (15 65)	24,333 (100 00)
1990-91	33,503 (81 88)	7411 (18 11)	40,914 (100 00)
1991-92	31,909 (82 82)	6618 (17 17)	38,527 (100 00)
**1994-95	21,016 (72 75)	7871 (27 24)	28,887 (100 00)
**1995-96	24,618 (78 13)	6889 (21 86)	31,507 (100 00)

Source :- Annual Report of the Ministry of Rural Development '1991-92 Table No ---50 60 P No 46 51
**Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

उत्तर प्रदेश मे ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे लगे युवा (वर्ष **1985-86 से 1995-96**

लेखाचित्र **14**

4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश राज्य मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जुलाई 1982 तक विभिन्न विभागो जैसे पी डब्लू डी इत्यादि की सहायता से सचालित किया गया, अगस्त 1982 से इस कार्यक्रम के सचालन का उत्तर दायित्व पूर्ण रूप से डी आर डी ए को दे दिया गया था। शुरूआत के सालो मे (1980–81) इस पूरे कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती थी, लेकिन 1981–82 की अवधि मे केन्द्र सरकार और साथ–साथ राज्य सरकार के 50 50 के स्तर पर इस कार्यक्रम को वित्त उपलब्ध कराया गया था। राज्य मे इस कार्यक्रम की एक प्रमुख बात ये हुई थी कि राज्य सरकार द्वारा बिना मूल्य के 1 किलोग्राम अनाज प्रतिश्रमिक प्रतिदिन के हिसाब से बाटा गया जो कि 1 50 पैसा प्रति किलो की दर से आकलित किया गया था।

4.3.1 उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

इस कार्यक्रम के लागू होने के प्रारम्भिक वर्षो मे 1980–81 के अन्तर्गत 2373 40 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमे से 364 57 लाख रुपए ही व्यय हुआ (व्यय का 15 36 प्रतिशत) और इस व्यय के साथ 6 82 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया शुरूआत के वर्षो मे इस निम्नस्तर के सचालन का मुख्य कारण था कि अधिकतर प्रयास इस कार्यक्रम के प्रशासन रचना को बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का वास्तविक विकास 1981–82 तक क्षणिक हुआ जबकि भौतिक लक्ष्यो मे 534 40 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लिए वित्तीय लक्ष्य 6680 लाख रुपए निर्धारित किया गया, ये वित्तीय एव भौतिक लक्ष्य व पूर्ति इन सालो मे 87 और 69 प्रतिशत था। ये विकास 1982–83 के वर्ष मे शीघ्रता से बढाया गया, जिसमे लगभग 7928 73 लाख रुपए व्यय हुआ और एक अतिरिक्त रोजगार 565 54 लाख मानव दिवस का सचालित किया गया। उसी साल भौतिकीय और वित्तीय लक्ष्य क्रमश 101 प्रतिशत और 113 प्रतिशत था।

पूर्णत पाचवी और छठी पचवर्षीय योजना के समय 29,279 62 लाख रुपए व्यय के साथ 1912 15 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया। इस प्रभाव की आवश्यक जानकारी तालिका 4 6 से प्राप्त होती है। जो कि लेखाचित्र 15, 16 के रूप मे भी प्रदर्शित है जिसमे वित्तीय व भौतिक प्रगति के आकडो को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य मे इन कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियो की प्रगति के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की सूची तालिका 4 7 मे ऑकलित की गई है। जिसके अनुसार प्रदेश मे इस कार्यक्रमो के द्वारा 1985–86 मे सामाजिक वानिकी का 23804 95 हेक्टर क्षेत्र मे कार्य किया गया और ग्रामीण विकास की दृष्टि से राज्य के अन्तर्गत ग्रामो मे, तालाबो, कुए, व पोखर तथा सडको के विकास, पर विशेष ध्यान देते हुए इन सालो मे ही क्रमश 374 तालाबो, 1,947 कुए व पोखर, 8702 10 किलोमीटर सडको इत्यादि की सख्या मे इनका निर्माण किया गया था। उसी वर्ष 10,824 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सीधे इस कार्यक्रम के द्वारा लाभ पहुँचाया गया। 1988–89 मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शीघ्रतर विकास से इन लाभान्वित जातियो की सख्या बढकर 12,0431 हो गई। कार्यक्रमो के द्वारा स्कूल, बालवाडी पचायत घरो के विकास का कार्य 1986–87, 1987–88 मे क्षणिक हुआ था। जबकि 1985–86 और 1988–89 के वर्षो मे इनका शीघ्रतर विकास किया गया था। जिससे इनकी सख्या 1985–86 मे क्रमश 881 से बढकर 1988–89 मे 923 हो गयी।

तालिका 4.6

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धि (1980-81 से 1984-85 तक)

	वित्तीय प्रगति (लाख रुपये मे)			भौतिक प्रगति लाख मानव दिवस		
वर्ष	लक्ष्य (लाख रु)	उपलब्धि (लाख रु)	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	2373 40	364 57	15 36	6 82	6 82	100 00
1981-82	6680 00	5839 07	87 41	534 40	367 15	68 70
1982-83	7026 00	7928 73	112 85	562 00	565 54	100 63
1983-84	6880 00	6895 90	100 23	550 40	459 80	83 54
1984-85**	9775 13	8251 35	84 41	495 36	512 84	103 53
कुल	32,734 53	29,279 62	89 45	2148 98	1912 15	88 98

Source Rural Development Programme in Uttar Pradesh 1984-85, APC office Govt of U P

**20 Point Programme Physical Progress March 1985

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि (वर्ष 1980-81 से 1984-95)

लेखाचित्र 15

उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक प्रगति
(वर्ष 1980-81 से 1984-95)

लेखाचित्र 16

रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)

तालिका 4 7

उत्तर प्रदेश मे एन.आर.ई पी के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियो की प्रगति

(1985-86 से 1988-89)

वर्ष	सामाजिक वानिकी (हेक्टर क्षेत्र)	वृक्षारोपण (लाख मे)	कार्य से लाभान्वित अनु जाति/जनजाति की सख्या	तालाबो का निर्माण (सख्या मे)	पानी के लिए कुए व पोखर सख्या मे	ग्रामीण सडको का निर्माण (किमी.)	स्कूल बालवाडी पचायत घर (सख्या मे)	अन्य कार्य (सख्या मे)
1985-86	23804 95	1042 44	10824	374	1947	8702 10	881	10446
1986-87	30423 46	708 38	4638	20	213	2155 12	153	5360
1987-88	16750 90	366 45	5684	23	53	2480 74	60	1924
1988-89	29226 81	688 10	120431	196	1281	9824 98	923	13621

Source Ministry of Rural Development Table NO 76----79 P No 70---75

4.4 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

4.4.1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पूर्णत केन्द्रीय वित्तीय योजना के द्वारा 1983–84 के सालो मे राज्य के सभी डी आर डी ए के द्वारा लागू किया गया। 1983–84 के सालो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य के ऊपर 1705 लाख रुपए व्यय का लक्ष्य दिखाया था, जिसमे से केवल 130 93 लाख रुपए व्यय हुआ (व्यय का 7 68 प्रतिशत) और इस व्यय के साथ 10 53 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया था। 1984–85 के वर्षो मे 8599 18 लाख रुपए कोष से राज्य के लिए पारित किया गया, और 7695 86 लाख रुपए की उपलब्धि प्राप्त हुई यह उपलब्धि व्यय का 89 50 प्रतिशत थी, उस साल के लिए भौतिक लक्ष्यो की दृष्टि से 456 34 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार निर्धारित किया गया, जबकि इसके विरूद्ध रोजगार मे 505 62 लाख मानव दिवस की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुई (उपलब्धि का 110 80 प्रतिशत)।

इस प्रकार पॉचवी और छठी पचवर्षीय योजना की अवधि मे इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य मे 516 15 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया, और इस पर व्यय होने वाली राशि 7826 79 लाख रुपए आकलित की गई। उपर्युक्त तथ्यो की जानकारी के आकडे तालिका 4 8 मे विश्लेषित किए गए है। सरकार द्वारा ससाधन उपलब्ध कराने के दृष्टि कोण से केन्द्र सरकार ने प्रदेश मे छठी व सातवी योजना (1985–86) के प्रारम्भिक वर्षो मे 10,169 40 लाख रुपए के कुल ससाधन इन कार्यक्रमो के लिए राज्यो को निर्धारित किये थे, जिसके विरूद्ध 11,329 40 लाख रुपए के कुल ससाधन अवमुक्त हुए, और 11,595 05 लाख रुपए के ससाधन प्रदेश मे प्रयुक्त किए गए, इस प्रकार कुल अवमुक्त व प्रयुक्त ससाधनो का 102 34 प्रतिशत तालिका 4 9 मे आकलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य मे आर एल ई जी पी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के भौतिक विकास और खेतिहर मजदूरो को रोजगार प्रदान करने के लिए

विभिन्न निर्माण कार्यो को अपनाया गया था। जिसमे राज्य के अनुसूचित जातियो एव जनजातियो तथा मुक्त बधुवा मजदूरो के लिए छठी व सातवी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सबसे अधिक वर्ष 1987–88 मे 25,709 मकानो का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के द्वारा किया गया था जो उन्हे नि शुल्क उपलब्ध कराए जाते है। चूँकि यह योजना इस कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप मे शुरू की गई थी, बाद मे यह जवाहर रोजगार योजना का अग बन गई, किन्तु 1996 मे इसे जवाहर रोजगार योजना से पृथक कर एक स्वतत्र योजना का रूप दिया गया है। इस योजना के द्वारा वर्ष 1986–87 मे 5307 हेक्टर क्षेत्र मे सामाजिक वानिकी तथा 723 50 लाख वृक्षारोपण का कार्य सडको के दोनो किनारो पर किया गया अन्य निर्माण कार्यक्रमो मे, लघु सिचाई का कार्य 3449 हेक्टर, 1987–88 व 1988–89 मे क्रमश 922 05, 141 हेक्टर क्षेत्र मे सम्पन्न किया गया था।

तालिका 4 8

उत्तर प्रदेश मे आर एल ई जी पी की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ
(1983-84 से 1984-85)

	भौतिक प्रगति (लाख मानव दिन)			वित्तीय प्रगति (लाख रु मे)		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1980-83	-	-	-	-	-	-
*1983-84	54 95	10 53	19 16	1705 00	130 93	7 68
#1984-85	456 34	505 62	110 80	8599 18	7695 86	89 50
कुल योग	**511.29**	**516.15**	**100.95**	**10304.18**	**7826.79**	**75.96**

स्रोत - # Rural Development Programme in U P 1984-85 APC Office Govt of Uttar Pradesh
** Point Programme, Physical Progress March 1985.

तालिका 4 9

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की वित्तीय उपलब्धियॉ

	निर्धारित ससाधन (लाख रु मे)		अवमुक्त ससाधन			
वर्ष	कैश	कुल ससाधन	कैश	कुल अवमुक्त ससाधन	प्रयुक्त ससाधन	प्रतिशत मे
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	8523 00	10169 40	8723 00	11329 40	11595 05	102 34
1986-87	8738 00	12441 14	8848 87	14652 01	11749 82	80 19
1987-88	8437 00	12877 57	8123 50	12986 71	11018 08	84 84
1988-89	10600 00	12493 55	14105 26	15998 81	12965 20	81 04

स्रोत :- Ministry of Rural Development Table No 80---83 P No 76---80 Sl No 23

4.4.2 उत्तर प्रदेश में आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार सृजन

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के द्वारा 1985–86 के वर्षो मे 385 लाख मानव दिवस रोजगार सचालित करने का लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किया गया था, किन्तु लक्ष्य से अधिक 535 95 लाख मानव दिवस का व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ जो कि उपलब्धियो का 139 21 प्रतिशत था। तालिका 4 10 के आकडो के विश्लेषण से ऐसा स्पष्ट है कि वर्ष 1985–86 से 1988–89 की अवधि मे राज्य मे लक्ष्य से अधिक रोजगार सचालित करने का प्रयत्न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन कुल वर्षो की अवधि के अन्तर्गत 1703 55 लाख मानव दिवस के एक अतिरिक्त रोजगार सृजन के विरूद्ध 2124 13 लाख मानव दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार इन कार्यक्रमो के द्वारा राज्य के ग्रामीण बेरोजगारो को वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

1988–89 के बाद इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विलय कर दिया गया। उपरोक्त आकडो का प्रदर्शन लेखाचित्र 17 मे किया गया है।

तालिका 4 10

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धियॉ

	रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1985-86	385 00	535 95	139 21
1986-87	390 00	527 61	135 28
1987-88	500 85	515 84	102 99
1988-89	427 70	544 73	127 36
योग	**1703.55**	**2124.13**	**124.68**

Source .- Ministry of Rural Development

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उपलब्धियॉ

लेखाचित्र 17

4.5 जवाहर रोजगार योजना

4.5.1 उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

देश मे जवाहर रोजगार योजना की प्रारम्भिक शुरूआत सातवी पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष 1 अप्रैल 1989 मे हुई जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिला दिया गया। प्रदेश मे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार ने 41364 90 (77 38 प्रतिशत) और राज्य ने 12087 82 लाख रुपये (22 61 प्रतिशत) का व्यय दिखाया था। अत कुल 53452 72 लाख रुपए व्यय किया गया। 1990–91 और 1991–92 के सालो मे क्रमश 48538 62, व 44547 01 लाख रुपए व्यय हुआ, इन आकलनो से ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य के अन्तर्गत इन कार्यक्रमो के प्रारम्भिक वर्षो (1989–90) की अपेक्षा 1990–91 और 1991–92 के सालो मे योजना के विकास पर कुछ कम धन उपलब्ध कराया गया। भौतिक प्रगति की दृष्टि से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले पुरूषो और महिलाओ दोनो के लिए ही 1989–90 के वर्षो मे 1436 28 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 1624 93 लाख मानव दिवस अर्थात् उपलब्धियो का 113 13 प्रतिशत अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन हुआ। 1990–91 मे 1628 27 लाख मानव दिवस, 95 61 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई जबकि राज्य मे रोजगार सचालित करने के लिए 1703 11 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1991–92 मे इस योजना का सम्भावित परिणाम लक्ष्य से कुछ अधिक निकला क्योकि 1562 14 लाख मानव दिवस का (106 07 प्रतिशत) एक अतिरिक्त रोजगार सचालित किया गया था जोकि लक्ष्य (1472 69) के विरूद्ध था। इन योजनावधियो के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन का प्रयास राज्य मे किया गया। वर्ष 1995–96 मे 90 प्रतिशत की वृद्धि रोजगार मे प्राप्त की गई। उपर्युक्त तथ्यो का विश्लेषण, तालिका 4 11 मे किया गया है। जिसे लेखाचित्र सख्या क्रमश 18, 19 मे भी प्रदर्शित किया गया है।

उत्तर प्रदेश मे इस योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य 1994—95 के वर्षो मे किए गए, उनकी भौतिक प्रगति की उदाहरणात्मक सूची तालिका 4 1.2 मे निम्नवत् प्रदर्शित की गयी है, जिनमे राज्य के गावो की अनुभूत आवश्यकताओ के अनुसार अन्य निर्माण कार्य भी शामिल किए गए। सरकार और पचायतो आदि की सामुदायिक भूमि पर 4922 20 हेक्टर क्षेत्र मे सामाजिक वानिकी, सिचाई सुविधाओ के विकास के लिए 16145 70 हेक्टर क्षेत्र मे लघु सिचाई कार्य किया गया था। इन्ही वर्षो मे भूमि सरक्षण तथा भूमि विकास का कार्य क्रमश 5293 42, 344 48 हेक्टर क्षेत्र मे शुरू किए गए। मानव अथवा पशु या सिचाई अथवा मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु गावो मे 643 तालाबो का निर्माण व उनका नवीनीकरण किया गया।

ग्रामीण सडको के विकास हेतु राज्य के अन्तर्गत 16671 36 किलोमीटर लम्बी सडको का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के कार्य जैसे 856 स्कूल भवन का निर्माण कराया गया।

अनुसूचित जातियो/जनजातियो के सदस्यो और प्रदेश के मुक्त बधुवा मजदूरो के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत क्रमागत 26,300 भवनो का निर्माण इन वर्षो मे किया गया। उपर्युक्त विवरणो से प्राप्त जानकारी के द्वारा यह अनुमानित होता है कि उत्तर प्रदेश मे इस योजना के द्वारा विभिन्न क्षेत्रो मे भौतिक निर्माण कार्यो की प्रगति के प्रयास किए जा रहे है।

तालिका 4 11

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियाँ (1989-90 से 1995-96)

	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति (रोजगार सृजन लाख मानव दिवस)		
वर्ष	केन्द्रीय अश	राज्याश	कुल व्यय (लाख रु मे)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1989-90	41364 90 (77 38)	12087 82 (22 61)	53452 72 (100 00)	1436 28	1624 93	113 13
1990-91	38830 87 (79 99)	9707 75 (20 00)	48538 62 (100 00)	1703 11	1628 27	95 61
1991-92	35637 61 (80 00)	8909 40 (19 99)	44547 01 (100 0)	1472 69	1562 14	106 07
1995-96**	1667 00 (80 00)	416 75 (20 00)	2083 75 (100 00)	137 04	124 33	90 73

स्रोत :- ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट – 1991–92 तालिका सख्या–88, 89, 90, पेज न 87, 88, 89।
**Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना की वित्तीय उपलब्धियाँ

लेखाचित्र 18

उत्तर प्रदेश मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन

लेखाचित्र 19

तालिका 4 12

उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में भौतिक उपलब्धियॉ

क्रम संख्या	विवरण	
1	सामाजिक वानिकी (हे क्षे)	4922 20
2	लघु सिचाई कार्य (हे क्षे)	16145 70
3	भूमि सरक्षण कार्य (हे क्षे)	5293 42
4	भूमि विकास कार्य (हे क्षे)	344 48
5	लाभान्वित कार्य अनुसूचित जाति/अनु जनजाति (सख्या)	58319
6	वृक्षारोपण (सख्या लाख मे)	582
7	गॉव मे तलाबो का निर्माण (सख्या)	643,
8	पानी पीने के कुओ व पोखर इत्यादि का निर्माण (सख्या)	17996
9	ग्रामीण सडको का निर्माण (किलोमीटर)	16671 36
10	आई ए वाई के अन्तर्गत भवनो का निर्माण (संख्या)	26300
11	स्कूल भवन	856
12	अन्य कार्य	16689

स्रोत - Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

4.6 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

4.6.1 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ मे वर्ष 1982 मे, 50 चुने हुए जिलो मे शुरू किया गया था। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की उपयोजना के रूप मे प्रदेश मे यह कार्यक्रम वर्ष 1983–84 से क्रियान्वित किया गया।

उत्तर प्रदेश मे सातवी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1985–86 मे केन्द्रीय कोष से कुल 29 लाख रुपए इन कार्यक्रमो पर व्यय किया गया और 600 महिला ग्रुप बनाए गए जिनकी कुल सदस्य सख्या 11,523 थी, इस कुल व्यय धनराशि मे से निर्मित प्रति ग्रुपो पर 4,833 रुपए, व प्रति सदस्यो पर 252 /रुपए, व्यय हुए। सातवी पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989–90 मे इस कार्यक्रम के द्वारा 1040 महिला ग्रुप बनाए जा चुके थे, जिनकी सदस्य सख्या 17,992 थी, इस प्रकार प्रति महिला ग्रुपो और सदस्यो पर क्रमश 13461, 778 रुपए व्यय आकलित किया गया। जबकि इन्ही वर्षो मे कुल व्यय धनराशि 140 लाख रुपए थी। आठवी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षो के अन्तर्गत अर्थात् 1991–92 तक प्रदेश मे 1345 बनाए गए महिला ग्रुपो की सदस्य सख्या 50199 थी। इन कार्यक्रमो के विकास पर कुल 119 लाख रुपए का कुल व्यय दिखाया गया जो कि इस व्यय की गई धनराशि मे से निर्मित प्रति ग्रुपो पर 8847 रुपए तथा प्रति सदस्य पर 237 रुपए तालिका 4 13 में विश्लेषित किया गया है। वर्ष 1995–96 मे 249 74 लाख रुपए व्यय हुआ जो कि व्यय का 42 प्रतिशत है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मे इस कार्यक्रम का चरणवार विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिकतर उन परिवारो को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमे महिलाए कम पढी–लिखी हो, यह इसलिए किया जाता है जिससे प्रदेश के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे समाज के सबसे पिछडे हुए महिलाओ व शिशुओ के विकास को सबसे पहले लाभ प्राप्त हो सके।

तालिका 4 13 (अ)

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम (डी डब्लू सी आर ए) के अन्तर्गत वित्तीय एव भौतिक प्रगति (1985-86 से 1991-92)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (करोड रु मे)			भौतिक प्रगति (सख्या मे)		
	केन्द्रीय कोष से अवमुक्त	कुल व्यय	निर्मित ग्रुप	रु प्रति ग्रुप	सदस्य	रु प्रति सदस्य
1985-86	0 59	0 29	600	4833	11523	252
1986-87	0 75	0 73	746	9785	17843	409
1987-88	0 96	0 56	1675	3343	21739	257
1988-89	1 07	0 92	946	9725	20087	458
1989-90	0 44	1 40	1040	13461	17992	778
1990-91	1 28	0 93	1335	6966	21154	439
1991-92	1 04	1 19	1345	8847	50199	237

स्रोत :- 'ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट '1991–92'

तालिका 4 13 (ब)

उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे महिला एव बाल विकास कार्यक्रम की वित्तीय एव भौतिक प्रगति वर्ष (1992-93 से 1995-96)

वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रु मे)			भौतिक प्रगति (सख्या मे)	
	केन्द्रीय कोष से अवमुक्त	कुल व्यय	प्रतिशत	निर्मित ग्रुप	सदस्य
1992-93	168 19 (100 00)	55 70	33 11	1281	19621
1993-94	111 10 (100 00)	74 91	67 43	1441	76232
1994-95	121 50 (100 00)	237 47	195 45	1709	79864
1995-96	600 29 (100 00)	249 74	41 60	2252	22929

Source : Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'

4.7 सुनिश्चित रोजगार योजना

4.7.1 सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

उत्तर प्रदेश राज्य मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक प्रगति की (तालिका 4 14) के आकडो से यह स्पष्ट है कि इस योजना के प्रारम्भिक वर्षो मे कुल 647 68 लाख रुपए व्यय हुए यह व्यय 18 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1995–96 मे 62 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई। इन्ही वर्षो मे रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 318 23 लाख मानव दिवस का एक अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ इसमे कुल रोजगार का 47 प्रतिशत अनुसूचित जाति को और 51 प्रतिशत रोजगार अन्य व्यक्तियो को उपलब्ध हुआ। उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात एक निष्कर्ष यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1993–94 से 1995–96 की योजनावधि मे रोजगार सृजन की उपलब्धियो मे वृद्धि हुई।

तालिका 4 14

उत्तर प्रदेश मे सुनिश्चित रोजगार योजना की वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियॉ (1993-94 से 1995-96)

वित्तीय प्रगति (लाख रुपये मे)				भौतिक प्रगति (लाख मानव दिवस)			
वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत	कुल रोजगार दिवस	SC	ST	अन्य
1993-94	3507 81	647 68	18 46	15 00	NR	NR	NR
1994-95	16597 63	8908 28	53 67	165 63	66 29	5 47	93 87
				(100 00)	(40 02)	(3 30)	(56 67)
1995-96	27139 35	16731 98	61 65	318 23	151 91	5 30	161 02
				(100 00)	(47 73)	(1 66)	(50 59)

स्रोत Ministry of Rural Development Programme in Uttar Pradesh '1995-96'
नोट (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए हैं)

इलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण

अध्याय - 5

5.0 इलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण

5 1 इलाहाबाद जनपद

5 2 चयनित विकास खण्ड

5 2 1 मूरतगज विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद

5 2 2 फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद

5 2 3 जसरा विकासखण्ड इलाहाबाद जनपद

5 3 भूमि का आकार एव उपयोगिता

5 4 व्यावसायिक ढाचा

5 5 इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति

अध्याय - 5

इलाहाबाद जनपद में रोजगार व आर्थिक स्थिति का निरूपण

5.1 इलाहाबाद जनपद

पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जनपद धनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7261 00 वर्ग किलोमीटर है। 1901 से 1991 तक की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसख्या एव ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो के प्रति दशक प्रतिशत अन्तर को तालिका 5 1 मे प्रदर्शित किया गया है जिसमे ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रो के 90 वर्षो (1901 से 1991) मे वृद्धि को क्रमश 206 8, 370 4 आकलित किया गया। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रो की जनसख्या मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 से 1991 मे, जनगणना सम्बन्धी आकडो के आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रदेश मे 377 के विरूद्ध और पूरे देश के 276 की तुलना मे वर्ष 1981 मे इस जिले की जनसख्या का घनत्व 523 प्रतिवर्ग किलो मीटर था। जिले की कुल जनसख्या (1981 मे) 37,97033 और आबाद ग्रामो की सख्या 3,514 थी, जो कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बढकर 49,21,313 व आबाद ग्रामो की सख्या 3,539 हो गयी।

इस प्रकार वर्ष 1971–81 के दशक मे प्रदेश की जनसख्या वृद्धि दर +25 49 प्रतिशत के विरूद्ध जिले की जनसख्या वृद्धि +29 37 प्रतिशत और वर्ष 1991 मे 30 प्रतिशत आकलित की गयी है। जिले मे वर्ष 1981 मे 3021445 ग्रामीण व्यक्ति थे, जबकि इसके विरूद्ध वर्ष 1991 मे 3898948 है। जनपद मे कुल साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत 1981 मे 28 तथा 1991 मे 42 79 प्रतिशत पाया गया है, जिनमे पुरूष व स्त्रियो मे साक्षरता दर क्रमश. 59 1 प्रतिशत, 23 5 प्रतिशत अर्थात् जनपद मे कुल 1664096 साक्षर व्यक्ति है।

वर्तमान समय मे इलाहाबाद जनपद मे कुल ग्रामो की सख्या 3945 और नगरीय कस्बो की सख्या 18 है। ग्रामो के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि ही इस जिले की मुख्य स्थाई जीविका है। ग्राम विकास मे कृषि एक अह भूमिका रखती है अत कृषि विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर कृषि क्षेत्र मे 1981 तक पूर्णकालिक काम करने वालो मे अन्य काम करने वाले व्यक्ति 25 36 प्रतिशत थे, जबकि कृषि क्षेत्र मे काश्तकार 46 28 प्रतिशत व खेतिहर मज़दूर 22 84 प्रतिशत थे।

वर्ष 1981 मे इलाहाबाद जिले मे 7261 8 क्षेत्रफल वर्ग किमी मे कुल अनुसूचित जाति 9,31,075 व अनुसूचित जनजाति की सख्या 256 एव उनके परिवारो की सख्या 6,57,475 थी, 1991 वर्ष मे इनकी सख्या बढकर 1203847 हो गई है इनमे 52 8 प्रतिशत पुरुष व 47 2 प्रतिशत स्त्रिया शामिल है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कुल जनसख्या 2204, और कुल 7,94970 परिवार सम्मिलित है।

उपरोक्त तथ्यो से सम्बन्धित इलाहाबाद जिले के विभिन्न आवश्यक जानकारिया तालिका 5 1 से 5 4 मे प्रदर्शित की गयी है। और इन तालिकाओ के आकडो को अग्राकित लेखाचित्र 20, 21 के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

तालिका 5.1
जनपद मे जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामो की सख्या, जनसंख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर (1901-1991)

जनगणना वर्ष	आबाद ग्रामो की सख्या	जनसख्या			प्रति दशक % अन्तर		
		कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1901	3473	1488129	1270783	217346	–	–	–
1911	3505	1464931	1264147	200784	–2 00	–0 52	–8 00
1921	3525	1402350	1215471	186879	–4 00	–4 00	–7 00
1931	3533	1489303	1275150	214153	6 00	5 00	15 00
1941	3540	1808866	1509581	299285	22 00	18 00	40 00
1951	3524	2044117	1677990	366127	13 00	11 00	22 00
1961	3526	2438376	1994412	443964	19 00	19 00	21 00
1971	3531	2937278	2395175	542103	21 00	20 00	22 00
1981	3514	3797033	3021445	775588	29 00	26 00	43 00
1991	3539	4921313	3898948	1022365	30 00	29 00	32 00
1901–91	–	–	–	–	230 7	206 8	370 4

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994–95, तालिका सख्या 9, पृष्ठ सख्या 28 ।

जनपद इलाहाबाद की जनसंख्या मे जनगणना के अनुसार प्रतिदशक जनसख्या में वृद्धि

लेखाचित्र-20

तालिका 5 2

इलाहाबाद जनपद मे कुल ग्रामीण जनसख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसख्या वृद्धि

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	गत दशक मे % वृद्धि
1971	23,95,175	1244391	1150784	20 10
	(100 0)	(51 9)	(48 0)	
1981	30,23,445	15,84,096	14,39,949	26 20
	(100 0)	(52 4)	(47 6)	
1991	38,98,948	20,63,534	18,35,414	29 00
	(100 0)	(52 9)	(47 0)	

स्रोत . साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका–6, पृष्ठ सख्या 23।

नोट– (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

जनपद इलाहाबाद में कुल ग्रामीण जनसंख्या की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि

लेखाचित्र 21

कुल ग्रामीण जनसंख्या

तालिका 5 3

इलाहाबाद जनपद मे अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसख्या एव परिवार

वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग (किमी)	अनुसिचत जाति कुल	पुरुष	स्त्री	.अनुसूचित जन जाति कुल	पुरुष	स्त्री	परिवारो की सख्या
1971	7255 8	733913 (100 0)	374989 (51 0)	358924 (48 9)	256 (100 0)	145 (56 6)	111 (43 4)	544779
1981	7261 8	931075 (100 0)	484594 (52 0)	446481 (47 9)	256 (100 0)	145 (56 6)	111 (43 4)	657475
1991	7261 0	1203847 (100 0)	635313 (52 8)	568534 (47 2)	2204 (100 0)	1254 (56 9)	950 (43 1)	794970

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका–7, पृष्ठ सख्या 24, 25 ।

नोट– (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

तालिका 5.4
इलाहाबाद जनपद मे साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत
(1971 से 1991)

वर्ष	कुल जनसख्या	कुल साक्षर व्यक्ति	साक्षरता का प्रतिशत
1971	2937278	701293	23 9
1981	3797033	1062932	28 0
1991	4921313	1664096	33 8

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994

5.2 चयनित विकास खण्ड

5.2.1 मूरतगंज विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जिले के चायल तहसील के अन्तर्गत आने वाला मूरतगज विकास खण्ड जनपद के द्वाबा सम्भाग मे स्थित है, जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 34 किलोमीटर और विकास खण्ड के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 2 किलो मीटर है। मूरतगज मे जनसख्या का घनत्व 584 प्रति वर्ग किलो मीटर है। इस विकास खण्ड मे निवास करने वाली प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की

सडको की लम्बाई वर्ष 1991 मे 72 4 किलोमीटर, जो कि वर्ष 1992–93 के आकलन के दौरान 74 किमी हो गई और प्रति हजार वर्ग पर कुल पक्की सडको की लम्बाई 432 5 किलोमीटर पायी गयी।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मूरतगज विकास खण्ड मे कुल 1,22,915 ग्रामीण व्यक्ति है, जिनमे 65,747 (53 5 प्रतिशत) पुरुष और 57168 (46 5 प्रतिशत) स्त्रिया है। गत दशक मे कुल 17 10 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई।[1]

इस विकास खण्ड की कुल जनसख्या मे अनुसूचित जाति/जनजाति के 35 6 प्रतिशत व्यक्ति है, जो कि अन्य दो चयनित (फूलपुर, जसरा) विकास खण्ड के प्रतिशत दर से अधिक है। इसका अभिप्राय यह है मूरतगज मे निवास करने वाली कुल जनसख्या मे अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो की सख्या फूलपुर और जसरा विकास खण्ड की अपेक्षा अधिक है।

फूलपुर और जसरा विकास खण्डो की अपेक्षा मूरतगज विकास खण्ड मे साक्षरता दर कुछ कम, अर्थात कुल जनसख्या के 21 1 प्रतिशत है। कुल जनसख्या मे 35 प्रतिशत मुख्य कर्मकर है जबकि कुल मुख्य कर्मकरो से कृषि मे लगे कर्मकरो का प्रतिशत 40 6 और पारिवारिक उद्योग मे 1 1 प्रतिशत कर्मकर है। अत उक्त आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस विकासखण्ड मे अधिकतर जनसख्या कृषि पर निर्भर है क्योकि पारिवारिक उद्योगो की तुलना मे कृषि व्यवसाय मे काम करने वालो का प्रतिशत अधिक है।

इस विकास खण्ड के कृषको द्वारा प्रति हेक्टर सकल बोए गए क्षेत्रफलो पर कृषि उत्पादनो का मूल्य प्रचलित भावो पर 8222 रुपये निर्धारित किया गया। इस क्षेत्र मे कृषि सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से सकल सिचित क्षेत्र 117 1 प्रतिशत है। जिसमे कुल नलकूपो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्रफल का भाग लगभग 100 प्रतिशत है।

---

1 साख्यिकीय पत्रिका, इलाहाबाद जनपद, (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1994, तालिका–6, पृष्ठ सख्या 23

5.2.2 फूलपुर विकासखण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जनपद मे फूलपुर विकासखण्ड फूलपुर तहसील और गगापार सम्भाग मे स्थित है, जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 43 और विकास खण्ड के कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ये विकासखण्ड धनी जनसख्या वाला क्षेत्र है। यहा जनसख्या का घनत्व 665 प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

वर्ष 1992–93 के आकलन के अनुसार यहा निवास करने वाली प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई 76 7 तथा प्रति हजार वर्ग पर 510 5 किलोमीटर थी।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र मे कुल ग्रामीण व्यक्तियो 149918 के 52 1 प्रतिशत पुरुष और 47 8 प्रतिशत स्त्रिया है। इस प्रकार जहा मूरतगज मे 17 10 प्रतिशत, जसरा मे 15 50 प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध फूलपुर मे गत दशको मे 35 प्रतिशत की वृद्धि जनसख्या मे सरकारी साख्यिकी द्वारा आकलित की गई है।

इससे ये ज्ञात होता है कि इन गत दशको मे मूरतगज और जसरा विकास खण्ड की अपेक्षा फूलपुर क्षेत्र मे जनसख्या वृद्धि से रोजगार के अवसरो को प्राप्त करने वाले श्रम शक्ति मे भी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप रोजगार प्राप्त कर्मकर कुल जनसंख्या के 33 प्रतिशत है। इन कुल मुख्य कर्मकरो मे कृषि क्षेत्र मे 18 9 प्रतिशत एव पारिवारिक उद्योगो मे 3 1 प्रतिशत कर्मकर, कार्यशील है, अत इन मुख्य तथ्यो से यह भी स्पष्ट है कि कुल जनसख्या मे मुख्य कर्मकरो का अधिकाश भाग कृषि व्यवसाय से जुडा हुआ है। कृषि मे सकल सिचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 143 1 है।

क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र मे प्रति सौ आबाद ग्रामो पर गोबर गैस सयत्रो की सख्या 233 8 और विधुतीकृत ग्राम कुल आबाद ग्रामो के 99 3 प्रतिशत है।

5.2.3 जसरा विकास खण्ड, इलाहाबाद जनपद

इलाहाबाद जनपद के जमुनापार सम्भाग मे जसरा विकास खण्ड स्थित है, यह विकासखण्ड बारा तहसील के अन्तर्गत आता है। जिला मुख्यालय से इस विकास खण्ड की दूरी 19 किलोमीटर और निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी केवल 1 किलोमीटर है।

इस विकास खण्ड मे जनसख्या का घनत्व अन्य दो चयनित विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर) के विरूद्ध अर्थात् कुछ कम 417 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई 92 5 किलोमीटर है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गत दशक मे कुल जनसख्या मे 15 5 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई। यहा निवास करने वाली कुल ग्रामीण जनसख्या 1,12,399 लाख है जिसमे अनुसूचित जाति/जनजाति के 22 5 प्रतिशत और 30 3 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये है।

कुल मुख्य कर्मकर 35 8 प्रतिशत है, जबकि समस्त विकास खण्ड मे केवल 33 2 प्रतिशत ही कर्मकर है। जसरा विकास खण्ड मे कुल मुख्य कर्मकरो मे कृषि क्षेत्र मे 31 8 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड मे 30 2 प्रतिशत) और पारिवारिक उद्योगो मे 2 3 प्रतिशत (समस्त विकास खण्ड मे 3 2 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए है।

चयनित विकास खण्डो की विवरण तालिका के आकडो से ये स्पष्ट हुआ कि फूलपुर विकास खण्ड की अपेक्षा मूरतगज और जसरा मे अधिकतर कार्यशील श्रम शक्ति कृषि व्यवसाय से जुडी हुई है।

इस विकास खण्ड मे कृषि विकास की दृष्टि से शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से सकल सिचित क्षेत्रफल 148 9 प्रतिशत है।

चयनित विकास खण्डो की उपर्युक्त तथ्यो की आवश्यक जानकारी तालिका 5 5,5 6, 5 7 से प्राप्त होती है।

तालिका 5 5

इलाहाबाद जनपद मे चयनित विकास खण्डो की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि जनगणना वर्ष - 1991 के आधार पर

चयनित विकास खण्ड	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	गत दशक मे % वृद्धि
मूरतगज	1,22,915	65,747	57,168	17 10
	(100 0)	(53 5)	(46 5)	
फूलपुर	149918	78,160	71,758	35 00
	(100 0)	(52 1)	(47 8)	
जसरा	112399	60,462	51,937	15 50
	(100 0)	(53 8)	(46 2)	

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका–6, पृष्ठ सख्या 23,

नोट- (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

तालिका 5 6

चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदों का विवरण, वर्ष 1991

	प्रमुख मद	मूरतगज	फूलपुर	जसरा
1	जनसख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर	584	665	417
2	अनु जाति/जन जा का कुल जनसख्या से प्रतिशत	35 6	23 3	22 5
3	प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	72 4	75 4	89 0
4	साक्षर व्यक्तियो का कुल जनसख्या से प्रतिशत	21 1	28 2	30 3
5	प्रति हजार वर्ग किमी पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	355 6	490 5	473 9
6	कुछ मुख्य कर्मकारो का कुल जनसख्या से प्रतिशत	35 0	33 1	35 8
7	कृषि मे लगे कर्मकरो का कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत	40 6	18 9	31 8
8	पारिवारिक उद्योग मे कर्मकरो का कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत	1 1	3 1	2 3

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका–3, पृष्ठ सख्या 7

तालिका 5 7

चयनित विकास खण्डो मे प्रमुख मदो का विवरण, वर्ष 1992-93

प्रमुख मद	मूरतगज	फूलपुर	जसरा
1 प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	74 0	76 7	92 5
2 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कुल पक्की सडको की लम्बाई	432 5	510 5	385 8
3 विधुतिकृत ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत	100 0	99 3	90 8
4 प्रति हे सकल बोए गए क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादकता मूल्य (प्रचलित भावो पर) रु	8222	9675	8654
5 सकल सिचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	117 1	143 1	148 9
6 कुल नलकूपो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्रफल का कुल शुद्ध सिचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	100 0	59 4	14 7
7 प्रति सौ आबाद ग्रामो पर गोबर गैस सयत्रो की सख्या	209 5	233 8	78 9

स्रोत · साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994 तालिका–3, पृष्ठ सख्या 8, 9, 10, 11, 12

इलाहाबाद जनपद एव चयनित विकास खण्डो मे रोजगार एव आर्थिक स्थितियो के निरूपण हेतु, जिले मे भूमि उपयोगिता, व्यावसायिक स्तरो के आधार पर जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण, जिले के अन्तर्गत औद्योगीकरण की प्रगति, कृषि एव गैर, कृषि उद्यमो की स्थापना एव उनमे कार्यरत श्रमिको के आकडे इत्यादि कारको को सरकारी साख्यिकी के आकडो की तालिकाओ के माध्यम से प्रस्तुत करके विभिन्न जानकारिया प्राप्त की गयी, जिसे इस अध्याय मे क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया है –

5.3 भूमि का आकार एवं उपयोगिता

इलाहाबाद जिले मे रोजगार एव आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के अन्तर्गत यह पाया गया है कि वर्ष 1990–91 मे भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 738242 लाख हेक्टेयर था, जिसमें 28142 हेक्टेयर (3 8 प्रतिशत) भूमि वनो के अन्तर्गत थी ऊसर एव कृषि के अयोग्य 32856 हेक्टेयर (5 प्रतिशत) भूमि वर्ष 1990–91 मे पायी गयी जबकि 1992–93 के सालो मे ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि की सख्या कम अर्थात् 29387 हेक्टेयर

(4 प्रतिशत) हो गयी चूकि इन वर्षो मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 727425 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 1994–95 मे 731415 लाख हेक्टेयर और 1996–97 मे 518673 लाख हेक्टेयर ही कुल प्रतिवेदित क्षेत्र अनुमानित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 1990–91 की तुलना मे 1992–93 के वर्ष मे ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि मे कमी हुई क्योकि 4 प्रतिशत है। इसके विरूद्ध 8244 हेक्टेयर (11 3 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायो के लिए उपयोग मे लायी गई। इसी प्रकार जिले मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के 92 4 प्रतिशत अर्थात् 671949 हेक्टेयर भूमि सकल बोए गए क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी। परन्तु वर्ष 1996–97 मे सकल बोया गया क्षेत्र 51 प्रतिशत ही है।

उक्त तथ्यो की पुष्टि भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आकडो की तालिका 5 8 के तुलनात्मक अध्ययन से होती है।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जनपद मे चयन किए गए तीन मुख्य विकास खण्ड (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) की आर्थिक स्थितियो के आकलन के अनुसार वर्ष 1996–97 के सालो मे भूमि आकार का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र मूरतगज मे 21839 हेक्टेयर, फूलपुर मे 22529 हेक्टेयर और जसरा मे 26958 हेक्टेयर है। ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि इन विकास खण्डो मे कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के क्रमश 4 6, 5 8, और 4 8 प्रतिशत पायी गयी। इस प्रकार जसरा मे 1318 हेक्टेयर ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि के विरुद्ध लगभग 3125 हेक्टेयर (11 6 प्रतिशत) भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगो मे जैसे भूमि पर उद्योगो कारखानो की स्थापना, होटल निर्माण, दुकान इत्यादि के लिए प्रयोग मे लायी गयी क्योकि कृषि व्यवसाय के मौसमी होने से शेष खाली महीनो मे रोजगार के अवसर कम हो जाते है, जबकि गैर कृषि क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर अधिक होते है जिससे इस विकास खण्ड मे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगो मे लाई गयी भूमि के प्रतिशत क्षेत्र मे वृद्धि हुई, जबकि मूरतगज और फूलपुर मे, जसराकी तुलना मे कम अर्थात् केवल 8 3 प्रतिशत तथा 10 8 प्रतिशत भूमि क्षेत्र ही अन्य उपयेाग मे लायी गयी है।

अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मूरतगज और फूलपुर मे वनो के अन्तर्गत क्षेत्र मे कोई भूमि उपलब्ध नही थी, बल्कि केवल जसरा विकास खण्ड मे 2 हेक्टेयर भूमि पर वन पाए गए।

उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि इलाहाबाद जिला एव चयनित विकास खण्डो मे 1990–91 से 1993–94 के वर्षो मे भूमि आकार के मूल्याकन से यह कहा जा सकता है कि भूमि को व्यवसायात्मक व विभिन्न आर्थिक प्रयोग मे लाने से इन जिलो एव विकास खण्डो की रोजगार व आर्थिक स्थितियो मे कुछ सुधार हुआ परन्तु वर्ष 1996–97 के वर्ष मे भूमि उपयोग का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र कम है। भूमि को विभिन्न आर्थिक प्रयोग में लाने की पुष्टि अग्र लेखाचित्र 22, 23 मे प्रदर्शित है।

तालिका 5 8

इलाहाबाद जनपद मे भूमि उपयोगिता वर्ष 1990-91 से 1996-97

(लाख हेक्टेयर)

वर्ष	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन (हे)	कृषि योग्य बजर भूमि (हे)	वर्तमान परती भूमि (हे)	अन्य परती भूमि (हे)	ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि (हे)	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि (हे)	चारागाह (हे)	अन्य बागो वृक्षो एव झाडियो (हे)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे)	सकल बोया गया क्षेत्र (हे)
1990-91	738242	28142	25663	44538	33991	32856	81253	2223	14834	475550	676295
	(100)	(3 8)	(3 5)	(6 0)	(4 6)	(4 5)	(11 0)	(0 3)	(2 0)	(64 4)	(91 6)
1991-92	729493	28142	27834	47598	34865	29985	82231	2206	13810	471622	665478
	(100)	(3 8)	(3 8)	(6 5)	(4 7)	(4 1)	(11 3)	(0 3)	(1 8)	(64 4)	(91 2)
1992-93	727425	28141	22235	46483	37441	29387	82441	2101	13655	473621	671949
	(100)	(3 8)	(3 0)	(6 3)	(5 1)	(4 0)	(11 3)	(0 3)	(1 9)	(65 1)	(92 4)
¹¹1996-97	518673	19463	15526	33508	26331	20427	56525	1724	8873	336296	264725
	(100)	(3 8)	(3 0)	(6 5)	(5 0)	(4 0)	(11 0)	(0 3)	(1 7)	(64 8)	(51 0)

स्रोत जनपद इलाहाबाद साख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 17, पृष्ठ स 35 36
** साख्यिकीय पत्रिका वर्ष 1998, पृष्ठ संख्या–62
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

तालिका 5 9

चयनित विकास खण्डो मे भूमि उपयोगिता वर्ष 1996-97

चयनित विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन (हे)	कृषि योग्य बजर भूमि (हे)	वर्तमान परती भूमि (हे)	अन्य परती भूमि (हे)	ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि (हे)	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि (हे)	चारागाह (हे)	अन्य बागो वृक्षो एव झाडियो (हे)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे)
मूरतगज	21839	-	1367	1828	751	996	1817	63	280	13945
	(100 0)		(6 3)	(8 4)	(3 4)	(4 6)	(8 3)	(0 3)	(1 3)	(63 8)
फूलपुर	22529	-	632	484	569	1312	2448	175	329	16588
	(100 0)		(2 8)	(2 1)	(2 5)	(5 8)	(10 8)	(0 8)	(1 5)	(73 6)
जसरा •	26958	2	422	2252	1285	1318	3125	13	122	18427
	(100 0)	(0 0)	(1 5)	(8 4)	(4 7)	(4 8)	(11 6)	(0 0)	(0 4)	(68 4)

स्रोत · जनपद इलाहाबाद साख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 17, पृष्ठ स 35, 36
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

लेखाचित्र 22

जनपद-इलाहाबाद मे भूमि उपयोगिता
वर्ष 1996-97 (लाख हेक्टयर)

कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 5.18

जनपद इलाहाबाद मे विभिन्न साधनो द्वारा श्रोतवार सिचित क्षेत्रफल हेक्टेयर

वर्ष 1996-97

लेखाचित्र - 23

5.4 व्यावसायिक ढाँचा

किसी भी व्यवसाय (कृषि एव गैर कृषि क्षेत्र) मे कार्यशील जनसख्या के वर्ग मे मुख्यत कारीगर, कृषक, कर्मकर, कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक इत्यादि आते है जो कि जनपद मे विभिन्न व्यावसायिक स्तरो पर जैसे– पशुपालन, जगल लगाना, खान खोदना, वृक्षारोपण पारिवारिक व गैर पारिवारिक व्यवसाय, निर्माण कार्य, व्यापार एव वाणिज्य इत्यादि मे मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार पर कार्यरत है। अत इलाहाबाद जनपद मे वर्ष 1971 से 1991 के दशको मे व्यवसायिक स्तरो पर जनसख्या के आर्थिक वर्गीकरण की विश्लेषण तालिका 5 10 की सरकारी साख्यिकी से यह स्पष्ट होता है कि इनमे वर्ष 1971 मे 9,48,714 कुल मुख्य कर्मकर उपर्युक्त व्यवसायात्मक कार्यो से जुडे हुए थे। जिनकी सख्या मे हुई वृद्धि के पश्चात वर्ष 1991 तक 15,52,562 हो गई। इनकी सख्या मे हुई उत्तरोत्तर वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि इन गत दशको मे जिले मे रोजगार के अवसरो को उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये। इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय मे लगे हुए कुल मुख्य कर्मकरो मे 6,71,700 अर्थात् 43 3 प्रतिशत कर्मकर कृषक श्रेणी के थे। कृषि श्रमिको की सख्या 402745 (26 प्रतिशत) पशुपालन जगल लगाने, और वृक्षारोपण, मे 8171 (0 5 प्रतिशत) कर्मकर लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त व्यापार एव वाणिज्य मे 6 7 प्रतिशत तथा 11 9 प्रतिशत अन्य कर्मकर भी सम्मिलित थे। उक्त आकडे लेखाचित्र 24 मे प्रदर्शित किये गये है।

इन्ही अवधियो के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डो मे जनसख्या के आर्थिक वर्गीकरण की सरकारी साख्यिकी की तालिका 5 11 के तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि चयनित विकास खण्डो मे से (मूरतगज, फूलपुर, जसरा) कुल मुख्य कर्मकरो की सख्या कुछ अधिक फूलपुर मे आकलित की गयी थी अर्थात यहा पर कुल मुख्य काम करने वाले 49660 थे। जबकि मूरतगज मे 43011 तथा जसरा मे 40237 कर्मकर पाए गए। यह ज्ञात होता है कि गत दशको मे जसरा मे, मूरतगज और फूलपुर की अपेक्षा रोजगार चाहने वाले कर्मकरो की वृद्धि मे भी कमी हुई, जिसके कारण मूरतगज और फूलपुर की अपेक्षा जसरा मे मुख्य कर्मकर कुछ कम थे। इन क्षेत्रो मे मुख्य कर्मकरो मे कृषक कर्मकरो का प्रतिशत 48 5 जबकि फूलपुर मे कर्मकर कृषक 60 1 प्रतिशत पाये गये।

अत उपर्युक्त तथ्यो के विश्लेषण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि मूरतगज और फूलपुर विकास खण्डो मे गत दशको मे रोजगार के अवसरो मे भी कुछ वृद्धि हुई।

तालिका 5 10

इलाहाबाद जनपद मे रोजगार के अनुसार जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1971-1991 तक

वर्ष	कर्मकर कृषक	सख्या कृषि श्रमिक	पशुपालन जगल लगाना वृक्षारोपाण	उद्योग खान खोदना	पारिवारिक	गैर-पारिवारिक	निर्माण कार्य	व्यापार एव वाणिज्य	यातायात सग्रहण एव सचार	अन्य कर्मकर	कुल मुख्य कर्मकर
1971	422523	269252	3346	1555	45114	35284	4811	45788	17423	103618	948714
	(44 5)	(28 4)	(0 4)	(0 2)	(4 7)	(3 7)	(0 5)	(4 8)	(1 8)	(10 9)	(100 0)
1981	520358	256860	4311	21007	62047	64774	8425	53674	29730	285196	1124461
	(54 8)	(46 3)	(0 3)	(1 9)	(5 5)	(5 7)	(0 7)	(4 7)	(2 6)	(25 4)	(100 0)
1991	671700	402745	8171	4847	54658	71459	15377	103565	34705	185335	1552562
	(43 3)	(26 0)	(0 5)	(0 3)	(3 5)	(4 6)	(0 9)	(6 7)	(2 3)	(11 9)	(100 0)

स्रोत जनपद इलाहाबाद साख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 8, पृष्ठ स 26 27
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

तालिका 5 11

चयनित विकासखण्ड मे रोजगार के अनुरूप जनसख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 1991

चयनित विकासखण्ड	कर्मकर कृषक	सख्या कृषि श्रमिक	पशुपालन जगल लगाना . वृक्षारोपाण	उद्योग खान खोदना	पारिवारिक	गैर-पारिवारिक	निर्माण कार्य	व्यापार एव वाणिज्य	यातायात सग्रहण एव सचार	अन्य कर्मकर	कुल मुख्य कर्मकर
मूरतगज	19129	17477	80	13	476	561	289	1105	904	2977	43011
	(44 5)	(40 6)	(0 2)	(0 03)	(1 10)	(1 3)	(0 7)	(2 6)	(2 1)	(6 9)	(100 0)
फूलपुर	29860	9410	217	35	1542	3619	318	1556	476	2627	49660
	(60 1)	(18 9)	(0 4)	(0 07)	(3 1)	(7 3)	(0 6)	(3 1)	(0 9)	(5 3)	(100 0)
जसरा	19538	12800	242	155	936	1164	297	1650	500	2955	40237
	(48 5)	(31 8)	(0 6)	(0 4)	(2 3)	(2 9)	(0 7)	(4 1)	(1 2)	(7 3)	(100 0)

स्रोत इलाहाबाद जनपद साख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 1994, तालिका 8, पृष्ठ स 26, 27
(नोट कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिए गए है।)

लेखाचित्र 24

इलाहाबाद जनपद मे मुख्य कर्मकरो मे विभिन्न कर्मकरो के आकडे

वर्ष 1991

लाख सख्या

5.5. इलाहाबाद जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति

जिले मे वर्ष 1990–91 से 1992–93 मे औद्योगीकरण की प्रगति को देखने से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इलाहाबाद मे पजीकृत कारखानो की सख्या वर्ष 1990–91 मे 445 व 1992–93 मे 372 थी। इन्ही सालो के अन्तर्गत कार्यरत कारखाने क्रमश 211, 212 थे। इन कार्यरत कारखानो में से 1990–91 के वर्ष मे 169 और 1992–93 मे 163 कारखानो से रिटर्न प्राप्त किया गया था जिसमे औसत रूप से दैनिक कार्यरत श्रमिको एव कर्मचारियो की सख्या 1990–91 मे 23476 तथा 1992–93 की अवधियो के अन्तर्गत 25520 आकलित की गई।

इस प्रकार इन उद्यमो मे कार्यरत श्रमिको के सहयोग द्वारा कुल उत्पादन से वर्ष 1990–91 मे 7064672 और 1992-93 मे 5410640 हजार रुपये के उत्पादन मूल्य को प्राप्त किया गया अत यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1990–91 की तुलना मे 1992–93 मे उत्पादन मूल्य मे कमी हुई।

उपर्युक्त तथ्यो की पुष्टि साख्यिकीय पत्रिका की तालिका 5 12 से प्राप्त की गई है।

इलाहाबाद जनपद मे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रो मे औद्योगिक प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 5 13 के आकडो से ज्ञात होता है, जिसके अनुसार इलाहाबाद जिले के गामीण क्षेत्रो मे 5616 कृषि उद्यम स्थापित किए गए, इन्ही वर्षो (अर्थात् 1990) मे नगरो मे इनकी सख्या 2571 थी। अकृषि उद्यम ग्रामीण क्षेत्र मे 36030 व नगरीय क्षेत्रो मे 28102 पायी गयी थी। इस अवधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर कृषि व अकृषि उद्यम ग्रामीण क्षेत्रो मे 41646, और नगरो मे 30673 स्थापित किए गए।

इन जानकारियो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो मे इन उद्यमो की सख्या कुछ अधिक पाई गई जिससे गत वर्षो मे जिले के ग्रामीण व्यक्तियो के रोजगार के अवसरो मे भी वृद्धि हुई।

यह ज्ञात होता है कि इन उद्यमो मे सामान्यतया अवैतनिक तथा भाडे पर कार्यरत पुरुष और स्त्री श्रमिको को मिलाकर नगरीय क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो मे कुछ अधिक अर्थात् 91113 श्रमिक और नगरो मे 76641 श्रमिक उद्यम कार्य से जुडे हुए थे।

अत यह कहा जा सकता है कि इन उद्यमो मे सामान्यतया अवैतनिक तथा भाडे पर कार्यरत व्यक्तियो के रोजगार सृजन मे वृद्धि नगरीय क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र मे अधिक प्राप्त की गयी।

सामान्यतया केवल भाडे पर रोजगार मे लगे हुए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विरूद्ध नगरीय क्षेत्र मे कुछ अधिक थे। वर्ष 1997-1998 मे विभिन्न सस्थाओ के आधीन कार्यशील ग्रामीण उद्योग मे 14385 और लघु उद्योग मे 918 व्यक्ति कार्यरत पाये गये। ग्रामीण एव लघु उद्योग को कुल 15303 व्यक्ति कार्यरत है। (तालिका 5 14)

तालिका 5 12

इलाहाबाद जनपद मे औद्योगीकरण की प्रगति

क्रम सख्या	प्रमुख मद	1989-90	1990-91	1992-93
1	पजीकृत कारखाना	354	445	372
2	कार्यरत कारखाना	216	211	212
3	कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुए है।	196	169	163
4	औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एव कर्मचारियो की सख्या	36345	23476	25520
5	उत्पादन मूल्य (हजार रु मे)	5155000	7064672	5410640

स्रोत · साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1998 तालिका–35, पृष्ठ सख्या 87,

तालिका 5 13

ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो मे औद्योगिक प्रगति (कृषि व गैर कृषि) के आकडे (आर्थिक गणना वर्ष 1990)

मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1 उद्यमो की सख्या			
1 1 कृषि	5616	2571	8187
1 2 अकृषि	36030	28102	64132
1 3 योग	41646	30673	72319
2 सस्थाओ की सख्या जिनमे सामान्यतया भाडे पर व्यक्ति कार्यरत है। (कृषि + अकृषि)	6240	9556	15796
3 स्वकार्य उद्यमो की सख्या (कृषि+अकृषि)	35406	21117	56523
4 उद्यमो मे सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाडे पर कार्यरत)			
4 1 पुरुष	76279	68536	144815
4 2 स्त्री	14834	8105	22939
4 3 योग	91113	76641	167754
5 भाडे पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
5 1 पुरुष	28768	34591	63359
5 2 स्त्री	5603	3229	8832
5 3 योग	34371	37820	72191

स्रोत · साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1994, तालिका–60, पृष्ठ सख्या 102

तालिका 5 14

विभिन्न प्रकार के सस्थाओ के आधीन कार्यशील इकाईयो की सख्या एव कार्यरत व्यक्ति वर्ष 1997-98

सस्थाओ का नाम	पचायत द्वारा	श्रम समिति द्वारा	औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा	पजीकृत सस्थाओ द्वारा	व्यक्ति उद्योगपतियो द्वारा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1 खादी उद्योग	–	–	–	29	–	29
2 खादीग्रामोद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	–	–	57	82	2783	2922
3 लघु उद्योग इकाइया						
3 1 इजीनियरिंग	–	–	–	5	48	53
3 2 रासायनिक	–	–	–	6	8	14
3 3 विधायन	–	–	–	2	3	5
3 4 हथकरघा	–	–	4	–	46	50
3 5 रेशम	–	–	–	–	3	3
3 6 नारियल की जटा	–	–	–	–	7	7
3 7 हस्तशिल्प	–	–	–	–	85	85
3 8 अन्य	–	–	6	9	–	15
4 योग (1+2)	–	–	57	111	2783	2951
5 योग (3 1 से 3 8)	–	–	10	22	200	232
योग ग्रामीण एव लघु उद्योग (4+5)	–	–	67	133	2983	3183
6 कार्यरत (ग्रा उद्योग) व्यक्तियो की सख्या (1&2 मे)	–	–	860	525	13000	14385
7 लघु उद्योग इकाईयो मे कार्यरत व्यक्ति (3 1 से 3 8)	–	–	85	110	723	918
येाग (6+7)	–	–	945	635	13723	15303

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद इलाहाबाद, वर्ष 1998, तालिका–36, पृष्ठ सख्या 88

चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियां

अध्याय 6

6.0. चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियाँ

6.1. चयनित ग्रामो की भूमि उपयोगिता

6 2 चयनित ग्रामो की जनसख्या एव पारिवारिक सरचना

6 3 चयनित ग्रामो की सामाजिक एव रोजगार की स्थितियाँ

6 3 1 कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 2 कालूपुर ग्राम मे ससाधन और रोजगार

6 3 3 सिकन्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 4 सिकन्दरा ग्राम मे ससाधन और रोजगार

6 3 5 पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 6 पल्हना ग्राम मे ससाधन और रोजगार

6 3 7 मौली ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 8 मौली ग्राम मे ससाधन और रोजगार

6 3 9 इरादतगज ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 10 इरादतगज ग्राम मे ससाधन और रोजगार

6 3 11 अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति

6 3 12 अमरेहा ग्राम मे ससाधन और रोजगार

अध्याय 6

चयनित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार की स्थितियाँ

इलाहाबाद जिले मे चयनित ग्रामो की सामाजिक, आर्थिक एव रोजगार परिस्थितियो का आकलन कुछ तथ्यो जैसे—कृषि परिस्थितिया सामाजिक सरचना एव ससाधन विभिन्न व्यवसायो मे कार्यशील जनसख्या की रोजगार स्थिति, ग्रामीण सरचना के विकास मे रोजगार कार्यक्रम की गतिविधिया इत्यादि के आधार पर आकडो को एकत्रित किया गया है जिनका क्रमबद्ध विश्लेषण इस अध्याय मे किया जा रहा है।

6.1 चयनित ग्रामों की भूमि उपयोगिता

इलाहाबाद जनपद मे भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 738242 हेक्टेयर है इसमे बजर भूमि 25663 हेक्टेयर और ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि 32856 हेक्टेयर है।

चयनित ग्रामो मे भूमि का कुल क्षेत्रफल 1454.89 हेक्टेयर आकलित किया गया है। जिनमे बजर भूमि कुल 288 53 हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि 891 56 हेक्टेयर पायी गयी है। दूसरे शब्दो मे कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत क्षेत्र बजर है और लगभग एक तिहाई अर्थात् 61 प्रतिशत क्षेत्र कृषि भूमि के योग्य है।

तालिका 6 1 मे प्रदर्शित भूमि उपयोगिता के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कालूपुर ग्राम से सिकन्दरा ग्राम मे भूमि का कुल क्षेत्रफल कम है। अर्थात् इस गाव मे 98 34 हेक्टेयर के विरूद्ध कालूपुर ग्राम मे 216 11 हेक्टेयर है। इसमे से 42 49 हेक्टेयर कृषि योग्य बजर भूमि व्यर्थ पडी हुई है जो औसत क्षेत्र के 20 प्रतिशत है। कुल 146 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, समुचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत आकलित की गई है।

लगभग 13 प्रतिशत कृषि हेतु अप्रयुक्त भूमि समुचित प्रबन्ध की

कमी के कारण कृषि उत्पादन मे योगदान नही दे सकी है। इस गाव मे सिचाई के मुख्य स्रोत विद्युत चलित नलकूप थे जिनके द्वारा 82 प्रतिशत अर्थात् 119 79 हेक्टेयर क्षेत्रो का सिचाई कार्य सम्भव हुआ, जबकि सिकन्दरा ग्राम मे समुचित कृषि क्षेत्र के शुद्ध सिचित क्षेत्र 43 प्रतिशत आकडो के अनुसार ज्ञात किया गया है। असिचित क्षेत्र लगभग 57 प्रतिशत है, इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालूपुर ग्राम से इस गाव मे कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत सिचित क्षेत्र कम और असिचित क्षेत्र (57 प्रतिशत) अधिक है। कालूपुर ग्राम मे असिचित क्षेत्र 18 प्रतिशत ही है।

पल्हना ग्राम (221 78 हेक्टेयर) से मौली ग्राम मे भूमि का कुल क्षेत्रफल (318 90 हेक्टेयर) अधिक है। पल्हना ग्राम मे 12 प्रतिशत भू क्षेत्र जबकि मौली ग्राम मे 19 प्रतिशत भू क्षेत्र चारागाह, और गोचर के कारण अनुपलब्ध है। 41 प्रतिशत सिचित क्षेत्र पल्हना ग्राम मे, जबकि मौली ग्राम मे शुद्ध कृषित क्षेत्र का 35 प्रतिशत क्षेत्र ही सिचित है, इसमे से 20 प्रतिशत क्षेत्रो की सिचाई विधुन्मय नलकूपो द्वारा और शेष 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्रो की सिचाई कुओ द्वारा की जाती थी। विश्लेषण से एक तथ्य यह भी स्पष्ट हुआ कि इस गॉव मे असिचित क्षेत्र 65 प्रतिशत जबकि पल्हना ग्राम मे 58 प्रतिशत भाग ही असिचित है। अर्थात् पल्हना ग्राम के कुल 154 19 हेक्टेयर कृषि भूमि मे 90 25 हेक्टेयर क्षेत्र असिचित, जबकि मौली ग्राम मे कुल 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि मे 135 98 हेक्टेयर भू क्षेत्र असिचित आकलित किया गया है।

औसत चयनित ग्रामो से इरादतगज ग्राम मे भूमि का कुल क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात् 406 72 हेक्टेयर है। आकडो के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि अमरेहा ग्राम मे कृषि योग्य भूमि कुल उपलब्ध भू क्षेत्र का 76 प्रतिशत है। भूमि का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 193 04 हेक्टेयर आकलित किया गया। चयनित ग्रामो से इरादतगज मे भूमि का कुल क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी कृषि योग्य भूमि कुल 172 8 हेक्टेयर पायी गई जबकि मौली ग्राम मे 209 64 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी।

ग्रामो की भूमि उपयोगिता के विश्लेषण से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि चयनित ग्रामो मे से कालूपुर ग्राम मे असिचित क्षेत्र सबसे कम 26 31

हेक्टेयर अर्थात् 18 प्रतिशत ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि इस गाव मे कृषि कार्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ थी। इस ग्राम मे सबसे अधिक 82 प्रतिशत भू क्षेत्र पर सिचाई कार्य के लिए विद्युत चलित नलकूपो का प्रयोग किया गया।

6.2 चयनित ग्रामों की जनसंख्या एवं पारिवारिक संरचना

वर्ष 1981 की जनगणनानुसार चयनित ग्रामो की जनसख्या 12,407 और कुल 2 184 परिवार आकलित किये गये थे। वर्ष 1991 मे कुल 15,075 जनसख्या वृद्धि आकलित की गई है इनमे 2,169 परिवार सम्मिलित है।

इस प्रकार तालिका 6 2 के आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 मे चयनित ग्रामो से पल्हना और मौली ग्राम की कुल जनसख्या एव परिवारो मे अधिक वृद्धि पायी गई।

(तालिका 6 3) प्रतिदर्श मे सम्मिलित 87 परिवारो के जातिवार विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत अन्य पिछडी और हरिजन जाति के क्रमश 31, 34 परिवार अर्थात् औसत (87) परिवारो के 36 प्रतिशत एव 39 प्रतिशत है जबकि मुस्लिम वर्ग के 9 परिवार जिसे 10 प्रतिशत आकलित किया गया है। प्रतिदर्श मे सामान्य जाति के 13 अर्थात् 15 प्रतिशत परिवार पाये गये है। इस प्रकार सामान्य जाति के अन्तर्गत कुल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के क्रमश 4, 6, 3 परिवार सम्मिलित है।

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित विभिन्न जाति वर्ग के परिवारो मे हरिजन एव पिछडी जाति के अधिक परिवार पाये गये। इसके उपरान्त यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चयनित ग्रामो मे से इरादतगज ग्राम मे एक भी परिवार सामान्य जाति के नही है इसके अतिरिक्त सिकन्दरा और पल्हना ग्राम से चयनित कुल 14 और 16 परिवारो मे क्रमश 50, 43 प्रतिशत परिवार हरिजन जाति के आकलित किये गये है।

6.3 चयनित ग्रामों की सामाजिक एवं रोजगार की स्थितियॉ

चयनित ग्रामो की सामाजिक एव रोजगार स्थितियो का विश्लेषण अलग-अलग ग्रामो के आधार पर किया गया है।

6.3.1 कालूपुर ग्राम की सामाजिक स्थिति

गॉव मे केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध की गयी थी। भूमि क्षेत्र को 2 ट्रैक्टरो और 45 बैलो के जोडो की सहायता से जोता जाता था। इन गॉवो मे करीब 65 दूध देने वाले जानवर घरेलू व व्यावसायिक उपयोग के लिए रखे गये थे।

गॉव मे शिक्षा व्यवस्था के लिए दो प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर बेसिक स्कूल (मिश्रित) और एक सीनियर बेसिक स्कूल (बालक) थे। सेकेन्डरी शिक्षा की सुविधा फूलपुर विकासखण्ड के शहर मे केवल उपलब्ध थी। इस गॉव मे बने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मातृ एव बाल कल्याण केन्द्रो के द्वारा ग्रामवासियो को चिकित्सा सुविधाए प्राप्त होती थी, गॉव की कार्य प्रणाली की व्यवस्था के लिए एक ग्राम सेवक भी नियुक्त किया गया था जो समय–समय पर ग्राम प्रधानो व ग्राम पचायतो को गॉव की आर्थिक एव सामाजिक सुविधाओ और स्थितियो के विषय मे जानकारिया देते थे। गॉव मे पेयजल के स्रोत के लिए 6 पक्के कुएँ और 5 हैण्डपाइप थे। इस गॉव से 5 किमी से कुछ कम दूरी पर डाक व तार सम्बन्धी सुविधाए उपलब्ध थी यहॉ एक बस स्टेशन भी बना था ग्रामवासी अपनी आवश्यक वस्तुओ का क्रय विक्रय महीने के प्रत्येक सप्ताह मे आने वाले मगलवार, और शनिवार बाजार के दिन करते थे।

6.3.2. कालूपुर ग्राम में संसाधन और रोजगार

इस गॉव मे विद्युत का प्रयोग अधिकतर केवल कृषि कार्यो के लिए ही उपलब्ध कराया गया। सर्वेक्षण द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि गॉव के मुख्य पक्के मार्गो को छोडकर भीतरी हिस्सो के कुछ आम रास्ते ककरीट के बने हुए थे परन्तु कुछ साल पहले इन मार्गो को श्रम दान द्वारा ईटो से निर्मित कराया गया था। गॉव का दूसरा मार्ग जो कि वहॉ के निवासियो द्वारा अपने पैसे के ईटो से निर्मित किया गया था। ये कार्य 18 दिन मे स्थानीय मजदूरो द्वारा 20 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से सचालित किया गया।

गॉव के 22 व्यक्तियो को 2 से 10 बिसवा सामुदायिक भूमि प्राप्त हुई। ट्राइसेम योजना के द्वारा पिछडी जाति के पॉच युवको ने कालीन

बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और दो ने अपना स्वय का व्यवसाय स्थापित किया। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत गॉव की 10 महिलाओ ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमे से प्रत्येक को सिलाई मशीन व दूसरे समान खरीदने के लिए 1500/— रुपए का लोन दिया गया था।

लेकिन यह योजना अधिक सफल न हो सकी जैसा कि सर्वेक्षण से यह पता चला कि 6 लाभान्वित महिलाओ मे से 3 की मशीने दो या तीन महीने के पश्चात ही खराब हो गयी, जबकि 3 ने मशीन खरीदा ही नही था, उन्होने फण्ड का गलत इस्तेमाल किया।

दो व्यक्तियो ने आई आर डी पी के अन्तर्गत मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस गॉव मे आई आर डी पी के अन्तर्गत दो व्यक्ति लाभान्वित हुए—जिसमे से एक ने रिक्शा खरीदने के लिए 3000/— रुपए का लोन प्राप्त किया, और दूसरे ने दुकान खरीदने के लिए 5,000/— रुपए का लोन लिया। 4 व्यक्ति दो हरिजन और दो पिछडी जाति को मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भैस खरीदने के लिए दरखास्त दिया, लेकिन 7—8 वर्षो के प्रयत्नो के पश्चात भी उनकी इस सुनवाई के लिए कार्यक्रम के द्वारा किसी प्रकार की सरकारी कार्यवाही नही हुई। आई आर डी पी के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियो के लिए जिनके नाम दर्ज किए गए थे 9500/— रु का फण्ड उपलब्ध कराया गया (इनमे से 5500/— रु निर्माण कार्यो के लिए तथा 4,000/— रु अन्य समान खरीदने के लिए दिये गये थे। आई आर डी पी के अन्तर्गत ही भवन निर्माण के द्वारा 13 घर हरिजनो के लिए बनाये गये, और उसमे से केवल 8 घर लाभान्वित द्वारा अधिकार मे लिया गया। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रो मे कार्यक्रम के द्वारा एक पानी पीने के पक्के कुए हरिजनो के लिए निर्मित किए गये। जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यो मे गॉव के 10 मजदूरो ने तीन से 6 महीने तक का रोजगार प्राप्त किया था।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन से ये ज्ञात होता है कि पिछले कुछ सालो के अन्तर्गत गॉव मे चलाए गए रोजगार कार्यक्रम के द्वारा रोजगार के कई तरीके अपनाए गए जिससे ग्रामीण सरचना और रोजगार सृजन की गतिविधियो का विकास हो सके, परन्तु रोजगार कार्यक्रम की कुछ

अपनी समस्याओ जैसे—प्रबन्धको एव कर्मचारियो मे सगठन का अभाव, वित्तीय कमी, इसके अतिरिक्त गॉव मे ओद्योगिक विकास (कुटीर उद्योगो) की कमी के कारण ग्रामीणो के बीच रोजगार अवसरो के कोई मुख्य परिणाम सर्वेक्षण द्वारा इस दिशा मे नही देखा गया।

6.3.3. सिकन्दरा ग्राम की सामाजिक स्थिति

गॉव की सामाजिक स्थिति के अवलोकन से यह विदित हुआ कि यहॉ के किसानो द्वारा 35 बैलो के जोडे और केवल एक ट्रैक्टर की सहायता से भूमि जोती जाती थी। इस गॉव मे 5 पक्के कुएँ और 4 हैण्डपाइप पानी पीने के लिए प्रयोग किये जाते थे। इसके अतिरिक्त नल के पानी की भी व्यवस्थाएँ उपलब्ध पायी गयी। 4 प्राइमरी स्कूल और एक सीनियर बेसिक तथा दो जूनियर हाई—स्कूल गॉव मे शैक्षिक सुविधाओ के केन्द्र थे। इस गॉव मे बने एक चिकित्सालय और दो रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सक द्वारा ग्रामीणजनो को समय—समय पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती रहती थी। गॉव मे डाकघर, बस स्टेशन भी बने हुए थे।

ग्रामीणजनो को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने के लिए यहॉ बाजार एक सप्ताह के दो दिन रविवार और गुरूवार को लगाये जाते थे। गॉव मे कृषि सुविधा की दृष्टि से शीत गोदामो का निर्माण नही हुआ, जिससे यहॉ के कृषको को अपने निकटतम स्थित फूलपुर नगर के शीत गोदामो मे कृषि उपज की सुरक्षा के लिए खाद्यान्नो को रखने जाना पडता था समाचार पत्रो से ग्रामवासियो को प्रत्येक दिन की देश विदेश मे घटित—घटनाओ और कृषकजनो के परिवारो को कृषि उपज के प्रचलित मूल्य की सूचनाए प्राप्त होती रहती थी।

6.3.4. सिकन्दरा ग्राम में संसाधन और रोजगार

ये गॉव विद्युतीकरण से वचित था केवल कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध थी। आई आर डी पी के अन्तर्गत कोई भी ग्रामवासी को किसी भी प्रकार का समुचित लाभ प्राप्त नही हो सका। सर्वेक्षण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक व्यक्ति को भैस खरीदने के लिए लोन पास किया गया था, लेकिन

सरकारी परेशानियो के कारण वे इस लाभ को प्राप्त नही कर सके। गॉव मे सभी घर कच्चे बने हुए थे गॉव मे चलाए जाने वाले जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गृहो का निर्माण नही कराया गया था। केवल एक मकान जो कि ग्राम प्रधान का था उसके स्वय के पैसे से पक्की ईटो से निर्मित किया गया था। केवल 10 व्यक्तियो के नाम अधिकतर 3 बिसवा से 20 बिसवा भूमि दर्ज की गयी थी जिनमे से अधिकतर दर्जित भूमि ऊसर और बन्जर पायी गयी, जो कि कृषि के लिए अप्रयुक्त थी। यहॉ ग्रामीण औद्योगीकरण के नाम पर केवल दो आटे की चक्की स्थापित थी। ट्राइसेम योजना के द्वारा यहॉ किसी भी ग्रामवासियो को प्रशिक्षण प्राप्त नही हुआ—केवल एक युवक ने ट्राइसेम योजना से प्राप्त लोन के द्वारा साइकिल की दुकान खोली थी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गॉव मे एक पुराने नाले का पुर्ननिर्माण कराया गया जिसमे किसी भी ग्रामवासी को कोई रोजगार नही मिला था, क्योकि ये सभी कार्य ठेकेदारो द्वारा पूर्ण किए गए थे। गॉव मे सिचाई कार्य के लिए नहर खुदवाए गए।

6.3.5 पल्हना ग्राम की सामाजिक स्थिति

यहॉ के कृषक परिवारो के पास कृषि सुविधा के लिए आधुनिक कृषि औजरो मे 2 ट्रैक्टर 2 थ्रेसर और लोहे के हल थे। इन क्षेत्रो मे कृषि कार्य हेतु विद्युत अपूर्ति नही करायी गयी थी।

गॉव मे 2 प्राइमरी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, एव चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा हेतु, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भी स्थापित किए गए। ग्राम प्रधान ग्राम योजना की कार्य प्रणालियो तथा विभिन्न सामाजिक सुवि'धाओ के प्रबन्ध एव सचालन के लिए नियुक्त थे। ग्रामीण जनो के पेय जल स्रोतो की व्यवस्था कुऍ के पानी के अतिरिक्त 4 सरकारी हैण्डपाइप द्वारा उपलब्ध होती थी। गॉव मे डाकघर सचार सम्बन्धी सुविधाओ के लिए बने हुए थे।

सप्ताह मे सोमवार और शुक्रवार बाजार के दिन के लिए निश्चित किया गया था जहॉ से पल्हना ग्राम के निवासी अपनी दैनिक उपभोग व आवश्यकता की वस्तुऍ क्रय करते थे।

6.3.6 पल्हना ग्राम में संसाधन और रोजगार

इस गॉव तक पहुँचने के लिए मुख्य पक्की सडको को छोडकर गॉव की गलियॉ मजबूत ईटो से पक्की नही बनी हुई थी। एन आर ई पी (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) के द्वारा 1984 के सालो मे 8,000 रुपए का फण्ड इनके निर्माण कार्यो के लिए ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा ग्राम सभाओ को उपलब्ध कराया गया था परन्तु इनके द्वारा प्राप्त धनराशि का सही ढग से उपयोग नही किया गया। इस गॉव से बाहर केवल मुख्य सडको के किनारे 5 विद्युत के खम्भे पाए गये। गॉव मे केवल कृषि कार्य हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। इस गॉव मे ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्रामवासी को कोई प्रेरणात्मक प्रशिक्षण नही दिया गया, परन्तु फिर भी इस गॉव के 12 युवको ने पम्पसेट, हैण्डपम्प की मरम्मत तथा बिजली की वायरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चार–पॉच किसानो के द्वारा अपने खेतो के किनारे कुल मिलाकर 20 पौधे बोए गये थे इसके अतिरिक्त और कोई भी कार्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रमो के द्वारा इस गॉव मे नही हुआ।

कल्याणकारी योजनाओ के अन्तर्गत केवल एक प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया और इसे गॉव के एक मैट्रिक पास युवक के द्वारा चलाया जा रहा था। आई आर डी पी कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव की 15 महिलाऍ बडी, पापड और मसाला पिसाई के व्यवसायो मे लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य इस गॉव मे दर्ज नही किया गया था।

6.3.7 मौली ग्राम की सामाजिक स्थिति

सर्वेक्षण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस गॉव मे केवल कृषि कार्य हेतु ही विद्युत उपलब्ध थी। 1 ट्रैक्टर और 35 बैलो के जोडो की सहायता से कृषि भूमि को जोता जाता था। सिवाय एक प्राइमरी स्कूल के गॉव मे कोई दूसरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही थी। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाऍ गॉव से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती थी। ग्राम वासियो के पेयजल स्रोत के लिए 8 पक्के कुऍ और केवल 2 हैण्डपाइप पाये गये। इसके अतिरिक्त 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाने से डाकघर और सचार

सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। यहॉ ग्रामवासियो को अपने आवश्यक वस्तुओ को क्रय करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण बाजार जाना पडता था। अत यह कहा जा सकता है कि इस गॉव मे सामाजिक सुविधाओ का विकास पूर्णतया नही हुआ।

6.3.8 मौली ग्राम में संसाधन और रोजगार

मौली ग्राम के मुख्य सडको पर प्रकाश के लिए केवल 6 बिजली के खम्भे पाये गये थे। इसके अतिरिक्त गॉव के भीतरी हिस्सो मे प्रकाश की कोई व्यवस्था नही थी। इस गॉव मे लागू आई आर डी पी कार्यक्रम के द्वारा 7 लाभान्वितो मे से प्रत्येक को 3,000 रुपए का लोन दिया गया, जिनमे से 4 लाभान्वितो को भैस खरीदने के लिए 3 लाभान्वितो को तागे के लिए यह सहायता उपलब्ध करायी गयी। एक दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी और उसने पास के भरवारी नगर मे अपना दुकान स्थापित किया था। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत तीन महिलाओ ने अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, परन्तु वित्तीय कमी के कारण वे स्वय इस व्यवसाय को स्थापित करने मे असफल हुई। इन तीन महिलाओ के अतिरिक्त गॉव के बेरोजगार पॉच युवक बढईगीरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, इसमे से एक युवक ने अपना कारखाना भी स्थापित किया था इस गॉव के 8 हरिजन परिवारो को 5 से 12 बिसवा भूमि उपलब्ध कराया गया। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यो मे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव के 10 व्यक्तियो ने 200 पेड लगवाए, जिसमे से केवल 30 पेड ही जीवित पाये गये। इस गॉव के प्राइमरी स्कूल मे एक शिक्षित बेरोजगार युवक को (प्रशिक्षण प्राप्त) शिक्षक के रूप मे रोजगार प्राप्त कराया गया था। जे आर वाई कार्यक्रम के द्वारा भवन निर्माण के कार्यो मे इस गॉव के 10 पुरूष कर्मकरो को करीब दो महीने के लिए रोजगार दिया गया।

6.3.9 इरादतगंज ग्राम की सामाजिक स्थिति

इस गॉव मे कृषि कार्य के लिए विद्युत उपलब्ध नही थी कृषक परिवारो द्वारा 2 ट्रैक्टरो और 50 जोडी बैलो की सहायता से भूमि क्षेत्रो को जोता जाता था।

गॉव मे शिक्षा की व्यवस्था के लिए 2 प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त एक सीनियर बेसिक स्कूल और एक जूनियर हाईस्कूल थे। इस गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध थी गॉव मे एक नदी भी पायी गयी। 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर डाकघर, विभिन्न सामाजिक सुविधाओ के केन्द्र तथा ग्रामीण बाजार इत्यादि उपलब्ध थे।

6.3.10 इरादतगंज ग्राम में संसाधन और रोजगार

यह गॉव विद्युतीकरण से वचित था। यहॉ कृषि कार्य के लिए विद्युत उपलब्ध नही करायी गई। इस गॉव से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर केवल 5 विद्युत के खम्भे सडक के किनारे लगे हुए थे। गॉव से 10 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगीकरण की दृष्टि से एक आटे की चक्की और रूई धुनने की मशीन स्थापित की गई थी, जो कि इस गॉव के दो बेरोजगार युवको के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से प्राप्त 5,000 रुपए की सहायता राशि और उसके स्वय के पैसे चलाई जा रही थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाभान्वित–कृषक परिवारो को हल, बैल खरीदने के लिए 2,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। आई आर डी पी के अन्तर्गत 6 लाभार्थी महिलाओ मे से 4 महिलाओ ने अगरबत्ती बनाने और 2 हरिजन महिला ने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमे से एक महिला ने 15,00 रुपये का लोन प्राप्त करके सिलाई मशीन से घर पर सिलाई का कार्य प्रारम्भ किया था। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 1987–88 के सालो मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियो की बस्तियो मे एक पेयजल कुएँ का निर्माण करवाया गया था इसी कार्यक्रम मे सामाजिक वानिकी योजनाओ के अन्तर्गत 4 हरिजन जाति के मजदूरो द्वारा इस गॉव की रेलवे स्टेशनो के पास, लाइनों के किनारे 150 पेड लगवाये गये। जिनमे से केवल 25 पेड ही जीवित पाये गये, इसके अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य उन वर्षो मे इस कार्यक्रम के द्वारा नही हुआ।

गॉव मे लागू जवाहर रोजगार योजना के द्वारा एक स्वच्छ शौचालयों तथा खेत की नालियॉ बनाने के निर्माण कार्य मे गॉव के 10 मजदूरो को 60 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ।

6.3.11 अमरेहा ग्राम की सामाजिक स्थिति

यहॉ कृषक परिवारो के पास कुल मिलाकर 75 जोडी बैल कृषि भूमि की जुताई के लिए उपयोग किये जाते थे।

गॉव मे शैक्षिक सुविधाओ के कोई केन्द्र नही थे, परन्तु गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर यह सुविधा उपलब्ध थी। सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इन गॉवो मे विभिन्न सामाजिक व आवश्यक सुविधाऍ जैसे—चिकित्सा, डाक व तार की व्यवस्थाऍ, सचार सुविधा, ग्रामीण बाजार इत्यादि सभी गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर स्थित थे। पेय जल स्रोत के रूप मे केवल कुऍ और नल का पानी ही उपलब्ध थे, जबकि 2 सरकारी हैण्डपाइप गॉव से 5 किलोमीटर से कुछ कम दूरी के अन्तर्गत पाये गये।

गॉव के सभी मकान कच्चे निर्मित थे केवल एक मकान जो कि ग्राम प्रधान का था पक्की ईटो से बना हुआ था।

6.3.12 अमरेहा ग्राम में संसाधन और रोजगार

अमरेहा ग्राम का सम्पूर्ण भाग विद्युतीकरण से वचित था परन्तु यहॉ केवल कृषि कार्य के लिए ही विद्युत उपलब्ध थी जिसका अधिकतर लाभ सार्मथ्यवान कृषक ही उठा पाते थे। इस गॉव से 2 किलोमीटर पहले लम्बी मुख्य सडको के किनारे 7 विद्युत के खम्भे पाये गये थे। भीतरी हिस्से मे स्थित होने के कारण सरकार द्वारा गॉव मे विद्युत का कोई समुचित प्रबन्ध नही किया गया। गॉव के लगभग सभी घर कच्चे खपरैल या फूस से निर्मित थे।

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गॉव की 3 किलोमीटर तक लम्बी मुख्य पक्की सडको का निर्माण कार्य 1987—88 के सालो मे एन आर ई पी के द्वारा कराया गया था, परन्तु इसमे गॉव के किसी भी व्यक्ति को कोई रोजगार प्राप्त नही हुआ क्योकि ये सभी कार्य ठेकेदारो द्वारा कराये गये थे। इसके अतिरिक्त इन सडको के दोनो किनारो पर सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत पौधे लगाए गए जिसमें गॉव के 15 मजदूरो को 30 दिन का एक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ था।

जवाहर रोजगार योजना के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के पश्चात इस गॉव मे कुछ बजर भूमि पर पौध रोपण का कार्य किया गया, जिसमे ईंधन तथा चारे के पेड सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकास कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा नही हुआ।

आई आर डी पी के अन्तर्गत गॉव के 3 कृषक परिवारो ने नए हल बैल खरीदने के लिए लोन प्राप्त करने की दरखास्त की थी परन्तु 4 वर्ष के प्रयत्नो के बाद 1994 के सालो मे इनमे से केवल एक कृषक परिवार को 3,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी गई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही एक हरिजन लाभार्थी कृषक परिवार को कृषि से सम्बन्धित व्यवसायो के लिए 15,000 रुपये का जमानत मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत लाभान्वित दो हरिजन कारीगरो—एक—ताला बनाने वाले और दूसरा—चमडे का काम करने वाले को 2000 रुपए की लागत के समानो की आपूर्ति की गई थी।

उपरोक्त कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के अतिरिक्त और कोई भी विकास कार्य इन कार्यक्रमो द्वारा इस गॉव मे दर्ज नही कराया गया और न ही इस सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त हुई। अत यह कहा जा सकता है कि जो भी कार्यक्रम इन गॉव मे चलाए गए उनका कोई विशेष प्रभाव ग्रामीण सरचना और रोजगार सृजन के विकास पर नही पडा है।

तालिका 6.1

चयनित ग्रामो में भूमि उपयोग सम्बन्धी ऑकडों का वर्गीकरण

हेक्टेयर में

ग्राम	भूमि का कुल क्षेत्रफल	कृषि योग्य बजर भूमि	कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि	कृषि योग्य भूमि	सिचित क्षेत्र व साधन नलकूप/विधुन्मय नलकूप	कुआ	असिचित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
कालूपुर	216 11	42 49	27 52	146 10	119 79*	-	26 31
	(100 00)	(19 66)	(12 73)	(67 60)	(81 90)		(18 0)
सिकन्दरा	98 34	6 88	28 73	62.73	22 66*	4 05	36 02
	(100 00)	(6 99)	(29 21)	(63 78)	(36 12)	(6 45)	(57 42)
पल्हना	221 78	40 87	26 72	154 19	46 54	17 40	90 25
	(100 00)	(18 42)	(12 04)	(69 52)	(30 18)	(11 28)	(58 53)
मौली	318 90	47 75	61 51	209 64	41 28*	32 38	135 98
	(100 00)	(35 11)	(19 28)	(65 73)	(19 69)	(15 44)	(64 86)
इरादत्तगज	406 72	136 38	97 54	172 8	16 59	11 33	144 88
	(100 00)	(33 53)	(23 98)	(42 48)	(9 60)	(6 55)	(83 84)
अमरेहा	193 04	14 16	32 78	146 1	95 91*	13 36	36 83
	(100 00)	(7 33)	(16 98)	(75 68)	(65 44)	(9 14)	(25 20)
योग	1454 89	288 53	274 8	891 56	342 77	78 52	470 27
	(100 00)	(19 83)	(18 9)	(61 3)	(38 5)	(8 8)	(52 7)

स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, इलाहाबाद जनपद, (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1991'

नोट 1 कॉलम (2) मे प्रदर्शित आकडो को आधार (100) मानकर कॉलम 3, 4, 5 के प्रतिशत आकडे ज्ञात किये गये है।

2 कॉलम (5) मे प्रदर्शित आकडो को आधार (100) मानकर कॉलम 6, 7, 8 के प्रतिशत ज्ञात किये गये है।

* विधुन्मय नलकूप

तालिका 6 2

चयनित ग्रामो मे वर्ष 1981, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसख्या एव परिवारो के आकडे

	कुल जनसख्या		कुल परिवार	
चयनित ग्राम	**1981**	**1991**	**1981**	**1991**
कालूपुर	2605	2890	433	412
सिकन्दरा	1878	2010	209	287
	4483	**4900**	**642**	**699**
पल्हना	2551	2782	489	397
मौली	1431	2774	309	375
	3982	**5556**	**798**	**772**
इरादतगज	2220	2353	493	366
अमरेहा	1722	2266	251	332
	3942	**4619**	**744**	**698**
कुल योग	**12407**	**15075**	**2184**	**2169**

स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका इलाहाबाद जनपद (उत्तर प्रदेश) वर्ष 1981, 1991

तालिका 6 3

चयनित परिवारो का जातिवार वर्गीकरण

ग्राम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	अन्य पिछडी जाति	हरिजन	मुस्लिम	कुल
कालूपुर	1	2	1	5	6	2	17
	(5 88)	(11 76)	(5 88)	(29 41)	(35 29)	(11 76)	(100 00)
सिकन्दरा	–	–	1	5	7	1	14
			(7 14)	(35 71)	(50 00)	(7 14)	(100 00)
पल्हना	2	1	–	4	7	2	16
	(12 5)	(6 25)		(25 00)	(43 75)	(12 05)	(100 00)
मौली	–	1	–	5	6	1	13
		(7 69)		(38 46)	(46 15)	(7 69)	(100 00)
इरादतगज	–	–	–	8	4	2	14
				(57 14)	(28 57)	(14 28)	(100 00)
अमरेहा	1	2	1	4	4	1	13
	(7 69)	(15 38)	(7 69)	(30 76)	(30 76)	(7 69)	(100 00)
कुल योग	4	6	3	31	34	9	87
	(4 59)	(6 89)	(3 44)	(35 63)	(39 08)	(10 34)	(100 00)

स्रोत :- सर्वेक्षण

चयनित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन

अध्याय 7

7.0. चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन

7.1. व्यावसायिक ढॉचा

7 2 पारिवारिक सरचना

7 3 भूमि उपयोग

7 4 परिसम्पत्तियो का विवरण

7 5 आय का विवरण

अध्याय 7

चयनित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का दिग्दर्शन

एक परिवार/या एक व्यक्ति के रोजगार स्थितियो का विश्लेषण करने से पहले उस परिवार/व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक पटतल की जॉच कर लेना अधिक मूल्यवान होगा। अत परिवारो की सामाजिक–आर्थिक स्थितियो का विश्लेषण परिवारो की सख्या, परिवार मे कार्यशील सदस्य, भूमि उपयोग, परिसम्पत्तियॉ, आय का विवरण इत्यादि से सम्बन्धित जानकारियो को ऑकडो के माध्यम से एकत्रित करके इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है।

7.1 व्यावसायिक ढॉंचा

किसी भी परिवार मे कार्यशील व्यक्तियो का विभिन्न व्यवसायो मे सलग्न होना व्यावसायिक ढॉचा कहलाता है। व्यावसायिक ढॉचा आर्थिक क्रियाओ की सरचना को भी स्पष्ट करता है। सामान्यत व्यवसायो को तीन वर्गो, प्राथमिक, द्वितीयक एव तृतीयक क्षेत्रों मे विभक्त किया जाता है। इनमे प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि एव सम्बद्ध क्रियाऍ यथा पशुपालन, वन, मत्स्य, इत्यादि क्रियाये सम्मिलित होती है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारो के अधिकाश कार्यशील सदस्य इन व्यवसायो मे सलग्न होते है, और इस प्रकार एक परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायो के द्वारा रोजगार को प्राप्त करते है।

चयनित परिवारो द्वारा उस रोजगार को मुख्य व्यवसाय माना गया, जिससे एक परिवार को अधिकतम आय प्राप्त होती है। अत व्यावसायिक ढाचे को ध्यान मे रखते हुए प्रतिदर्श मे सम्मिलित 87 परिवारो को तीन मुख्य वर्गो मे विभक्त किया गया है–

1 कृषक, 2 गैर कृषक, 3 मजदूर वर्ग

1. कृषक वर्ग

इस वर्ग मे सीमान्त कृषक, लघु कृषक और अन्य कृषक आते है।

2. गैर कृषक वर्ग

इस वर्ग के अन्तर्गत कारीगर, व्यापारी, परिवहन सेवक, पेशवर नौकर, इत्यादि सम्मिलित है।

3. मजदूर वर्ग

इस समूह के अन्तर्गत कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर दोनो ही वर्ग सम्मिलित है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गैर कृषक और मजदूर वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कुछ परिवार भूमि के कुछ छोटे टुकडे के ही अधिकारी थे जो उन्हे पैत्रिक सम्पत्ति के रूप मे पूर्वजो के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा दर्ज की हुई भूमि के रूप मे प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से प्राप्त भूमि के टुकडे छोटे होने के कारण, उनसे उपज कम मात्रा मे प्राप्त होती थी, जो कि दूसरे स्रोतो से प्राप्त आय की तुलना मे कही अधिक कम था। अत इन्ही कारणो से उनके पास भूमि होते हुए भी उन्हे कृषक के वर्ग मे सम्मिलित नही किया गया। व्यावसायिक ढॉचे के विश्लेषण के लिए चयनित परिवारो का वर्गीकरण, आकडो के माध्यम से क्रमश तालिका 7 1, 7 2 मे किया गया है। इन ऑकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारो के अन्तर्गत 21 प्रतिशत कृषक परिवार 26 प्रतिशत गैर कृषक परिवार तथा 53 प्रतिशत मजदूर पाये गये। यहाँ इस तथ्य की ओर भी इगित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र मे इतनी शक्ति (क्षमता) नही थी कि वह ग्रामीणो को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। इसके अतिरिक्त जनसख्या की अधिकता से भूमि के टुकडे खण्डित और छोटे हो जाने के कारण बेरोजगारी जैसी समस्याएँ अग्रसित हो गई थी।

चयनित कृषक परिवारो की श्रेणी तीन वर्गो से मिलकर बनी थी। कुल कृषक परिवारो की श्रेणियो मे लगभग 56 प्रतिशत सीमान्त कृषक, 33 प्रतिशत लघु कृषक तथा 11 प्रतिशत अन्य कृषक थे।

कुल मिलाकर खेती करने वाले परिवारो के 89 प्रतिशत सीमान्त और लघु कृषक थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य मे 91 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि चयनित ग्रामो मे कृषि कार्य की आर्थिक दशा तुलनात्मक रूप से राज्य की अपेक्षा कमजोर थी।

मजदूर परिवारो मे 59 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 41 प्रतिशत गैर कृषि श्रमिक पाये गये, गैर कृषि मजदूर परिवार की तुलना मे कृषि मजदूर अधिक थे। इस प्रकार कृषि मजदूरो के पाँस गैर कृषि मौसमो के अन्तर्गत खाली समय मे कोई रोजगार प्राप्त न होने के कारण ये श्रमिक अपनी आवश्यकता के लिए समीप के शहरो मे गैर कृषि कार्यो जैसे कुली, होटल के नौकर, दुकानो मे नौकरी, इत्यादि करते थे, और इनमे से कुछ गैर कृषि मजदूर, अकौशल पूर्ण कार्य, उन ग्रामो मे स्थापित छोटे मोटे उद्योगो जैसे—दियासलाई बनाने के कारखाने, कागज की लुगदी बनाने इत्यादि मे सलग्न थे। सर्वेक्षण के द्वारा प्राय यह भी देखा गया कि मशीनीकरण के कारण भी बहुत से मजदूर स्थानान्तरित हुए और यह स्थानान्तरण गॉव के कृषि मजदूर का गैर कृषि क्षेत्रो मे शहर की ओर रोजगार की तलाश मे हुआ था। इसके अतिरिक्त गैर कृषि कार्य के मजदूरो को मिलाकर गॉव के कारीगर और हस्तशिल्पी भी स्थानान्तरित हुए।

तालिका 7.1

कृषक गैर कृषक एवं मजदूर वर्ग के परिवारों के प्रतिशत आंकडे

श्रेणी	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
कृषक वर्ग		
1 सीमान्त कृषक	10	55 55
2 लघु कृषक	6	33 33
3 अन्य कृषक	2	11 11
योग	**18**	**100.00**
गैर-कृषक वर्ग		
1 कारीगर	11	47 82
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	12	52 17
योग	**23**	**100.00**
मजदूर-वर्ग		
1 कृषि मजदूर	27	58 69
2 गैर—कृषि मजदूर	19	41 30
योग	**46**	**100.00**

स्रोत : सर्वेक्षण

7.2 पारिवारिक संरचना

तालिका 7 2 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे लगभग पॉचवा हिस्सा कृषक वर्ग का, चौथाई से अधिक गैर कृषक वर्ग, तथा शेष आधे से कुछ अधिक मजदूर वर्ग के परिवार है।

कृषक वर्ग मे सर्वाधिक प्रतिशत सीमान्त कृषक का है जबकि गैर कृषक वर्ग मे कारीगर एव अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार आते है। इसमे अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारो का प्रतिशत कारीगर परिवारो से कुछ अधिक है। मजदूर वर्ग के अन्तर्गत कृषि मजदूर (31 प्रतिशत) गैर कृषि मजदूर (21 8 प्रतिशत) से अधिक है। यह स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे कृषि मजदूर परिवारो के उपवर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है।

जब हम विभिन्न वर्गो—उपवर्गो के अन्तर्गत परिवार के औसत आकार पर दृष्टिपात करते है तो हम यह देख पाते है कि कृषक वर्ग (8 44) एव गैर कृषक वर्गो (6 83) के परिणाम का औसत आकार (6 6) से अधिक है, जबकि मजदूर वर्ग का औसत परिवार आकार (5 76) कम है। स्पष्ट है कि कृषक वर्ग का औसत परिवार आकार अधिक है।

इस वर्ग के अन्तर्गत भी अन्य कृषक वर्ग का परिवार आकार अधिक (10 0) है। इसी प्रकार गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार का औसत आकार 7 42 कारीगर परिवारो के औसत (6 18) से अधिक है। यह भी देखने मे आता है कि कारीगर परिवारो का औसत आकार प्रतिदर्श के औसत आकार से कम है। मजदूर वर्ग के अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारो का औसत आकार गैर कृषि मजदूर परिवारो से कम है।

उपरोक्त निष्कर्ष सामान्यत प्रचलित इस धारणा की पुष्टि करते है कि ग्रामीण क्षेत्र मे अभी भी कृषक वर्ग बडे परिवार की आकाक्षा रखते है तथा मजदूर वर्ग थोडे कम बडे परिवार रखते है, जबकि मजदूर वर्ग अपने परिवार को थोडा छोटा रखने का प्रयास कर रहे है।

जब हम परिवार मे कार्यशील सदस्यो की सख्या वर्गो के उपवर्गो पर दृंष्टिपात करते है तो यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार प्रतिदर्श मे औसत कार्यशील सदस्यो की सख्या 3 1 है। यह सख्या कृषक वर्ग के लिए सर्वाधिक (5 5) तथा गैर कृषक वर्ग के लिए न्यूनतम (2 26) है। मजदूर वर्ग के लिए यह औसत (2 5) है।

तालिका 7 2

चयनित परिवारों की संख्या और कर्मकरो का मानक वर्गीकरण

व्यावसायिक वर्ग	परिवारो की सख्या				परिवार मे कार्यशील सदस्यो की सख्या	
	कुल	प्रति परिवार	परिवार मे सदस्यो की सख्या	परिवार का औसत आकार	कुल	प्रति परिवार
अ. कृषक वर्ग	18	(20 68)	152	8 44	99	5 5
1 सीमान्त कृषक	10	(11 5)	86	8 6	73	7.3
2. लघु कृषक	6	(6 9)	46	7 67	21	3 5
3 अन्य कृषक	2	(2 3)	20	10 0	5	2 5
ब. गैर कृषक वर्ग	23	(26 43)	157	6 83	52	2 26
1 कारीगर	11	(12 6)	68	6 18	26	2 36
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	12	(13.8)	89	7 42	26	2 16
स. मजदूर वर्ग	46	(52 87)	265	5 76	115	2 5
1 कृषि मजदूर	27	(31 0)	150	5 55	58	2 15
2 गैर कृषि मजदूर	19	(21 8)	115	6 05	57	3 0
कुल योग	**87**	**(100.00)**	**574**	**6,6**	**266**	**3.1**

स्रोत : सर्वेक्षण

लेखाचित्र 25

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिन परिवारो का आकार बडा है वहॉ कार्यशील सदस्यो की सख्या भी औसतन अधिक है जबकि यह सख्या गैर कृषक वर्ग तथा मजदूर वर्ग के लिए कम है। उपवर्गो के अनुसार कृषि मजदूर परिवार तथा मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग वाले परिवारो मे कार्यशील सदस्यो की सख्या सबसे कम (2 15, 2 16) है जबकि सीमान्त कृषक परिवारो के लिए यह सख्या सर्वाधिक (7 3) है।

7.3 भूमि उपयोग

तालिका (7 3) विभिन्न स्रोतो से एकत्रित आकडो के माध्यम से, प्रतिदर्श मे औसत परिवारो के पास उपलब्ध भूमि क्षेत्र 34 83 हेक्टेयर पाया गया। इनमे से 27 18 हेक्टेयर क्षेत्र की भागीदारी कृषक वर्ग को प्राप्त थी, और शेष बची हुई 7 65 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र गैर कृषक वर्ग मे सम्मिलित कारीगर एव मिश्रित व्यावसायिक वर्ग के परिवारो तथा मजदूर वर्ग के

अधिकार मे थी। ये सभी परिवार भूमि क्षेत्रो के छोटे भाग मे कृषि करते थे, वे अपने मुख्य व्य वसाय से प्राप्त आय के अतिरिक्त इस भूमि क्षेत्र को पूरक व्यवसाय के रूप मे प्रयोग करते थे। यह भी देखा गया कि इनमे से कुछ परिवार ऐसे थे उन्हे छोटे भूमि क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होते हुए भी उनसे पर्याप्त उद्देश्य की पूर्ति नही होती थी, परन्तु फिर भी यह सन्तुष्टि बनी हुई थी कि वे भूमि के मालिक है।

प्रतिदर्श मे सम्मिलित औसत कृषक परिवार 1 51 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रो के मालिक थे। जब हम कृषक वर्गो की भूमि उपयोगिता पर दृष्टिपात करते है तो स्पष्ट है कि सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषको के पास कुल 7 50 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध पायी गयी इनमे से एक सीमान्त कृषक को 0 75 हेक्टेयर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त थी। लघु कृषक के प्रति परिवार (1 62 हे) से अधिक अन्य कृषक वर्ग के प्रति परिवारो को (4 98 हेक्टेयर) भूमि उपलब्ध थी। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि लघु कृषक के औसत परिवारो के पास कुल 9 72 हेक्टेयर ही भूमि उपलब्ध थी जबकि अन्य कृषक के परिवारो के पास कुल 9 96 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य कृषक परिवार की भूमि उपयोगिता पर एक महत्त्वपूर्ण विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श मे गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्गो से अधिक कृषक वर्ग को भूमि की भागीदारी प्राप्त हुई। मजदूर वर्ग के औसत परिवार 0 08 हेक्टेयर और गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित व्यावसायिक वर्ग के प्रति परिवार क्रमश 0 12, 0 22 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के अधिकारी थे।

7.4 परिसम्पत्तियों का विवरण

एक परिवार की रोजगार स्थितियो को सम्पत्ति का आकार भी प्रभावित करता है। अत प्रतिदर्श मे औसत परिवारो द्वारा रखी गई परिसम्पत्ति की कुल कीमत रुपए 4,77,663 अर्थात् प्रति परिवार औसत कीमत रुपए 5,490 थी। इसकी पुष्टि तालिका 7 3 के आकडो के विश्लेषण से होती है। प्रतिदर्श मे कृषक वर्ग के औसत परिवार 2,78000 रुपए की सम्पत्ति के भागीदार थे। ऑकडो के अध्ययन से, कृषक वर्गो की परिसम्पत्ति के आकार मे एक बडी विभिन्नता प्रदर्शित होती है इसमे सीमान्त कृषक वर्ग

के प्रति परिवार 9,000 रुपये कीमत के सम्पत्ति के भागीदार थे, वही अन्य कृषक के प्रति परिवारो के पास 37,000 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी। इसी प्रकार जब हम प्रतिदर्श मे गैर कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के परिसम्पत्तियो के विवरण पर दृष्टिपात करते है तो स्पष्ट है कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर परिवारो के पास मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारो की अपेक्षा परिसम्पत्ति अधिक है। इस प्रकार कारीगरो के प्रति परिवार 4,413 रुपए की सम्पत्ति रखते थे वही मिश्रित व्यावसायिक परिवारो द्वारा प्रति परिवार 3,029 रुपये की सम्पत्ति पायी गयी। मजदूर वर्ग के प्रति परिवार 2,495 रुपये की परिसम्पत्ति के भागीदार थे।

उपरोक्त विश्लेषण सामान्यत इस तथ्य की पुष्टि करते है कि मजदूर वर्ग के पास परिसम्पत्ति कम उपलब्ध थी।

गॉव के गरीब व पिछडे समुदाय के सदस्यो के पास कम परिसम्पत्ति उपलब्ध होने के कारण रोजगार मे वृद्धि प्राप्त करने के सीमित अवसर ही उपलब्ध होते थे।

तालिका 7.3

चयनित परिवारो मे व्यावसायिक वर्गो के आधार पर आय और परिसम्पत्तियो का विवरण

	भूमि उपयोग(हेक्टेयर)		परिसम्पत्ति (रूपये में)	
वर्ग	कुल	प्रति परिवार	कुल	प्रति परिवार
अ कृषक वर्ग	27 18	1 51	2,78,000	15,444
1 सीमान्त कृषक	7 50	0 75	90,000	9,000
2 लघु कृषक	9 72	1 62	1,14,000	19,000
3 अन्य कृषक	9 96	4 98	74,000	37,000
ब गैर कृषक वर्ग				
1 कारीगर	1 32	0 12	48,543	4,413
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	2 65	0 22	36,350	3,029
स. मजदूर वर्ग	3 68	0 08	1,14,770	2,495
कुल योग	**34.83**	**0.40**	**4,77,663**	**5,490**

स्रोत सर्वेक्षण

7.5 आय का विवरण

आय यद्यपि रोजगार का परिणाम है, दूसरे शब्दो मे एक व्यक्ति की उसके रोजगार मार्ग को आगे बढाने अर्थात् वृद्धि करने मे सहायता करती

है, एक सम्पन्न व्यक्ति अधिक पूँजी वाले कार्य या व्यवसाय का चयन कर सकता है, जबकि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ऐसा करने मे असमर्थ होते है, क्योकि उनके पास परिसम्पत्ति व आय के स्रोत कम उपलब्ध होते है।

अत इस दृष्टिकोण से परिवारो की आय के विवरण का विश्लेषण करने के लिए उनकी रोजगार परिस्थितियो का ज्ञान रखना मूल्यवान है। अग्रलिखित तालिका 7 4 मे आकडो के अनुसार चयनित परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त कुल आय 4,40,484 रुपये के द्वारा औसत परिवारो की वार्षिक आय 5,063 रुपये आकलित की गई, चयनित परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से उपार्जित आय का औसत हिस्सा क्रमश 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत था। स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार द्वारा प्राप्त आय से गैर कृषि मजदूर परिवार की तुलना मे एक किसान परिवार की आर्थिक परिस्थितिया अच्छी थी। आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारो की आय मे काफी विभिन्नताए थी, जिसके अन्तर्गत औसत मजदूर और कारीगरो के प्रति परिवार वार्षिक आय से क्रमश 4,079 रुपये और 4,870 रुपये उपार्जित करते थे। जबकि (स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार) सीमान्त किसानो के प्रति परिवार 5,250 रुपये और लघु कृषको के प्रति परिवार ने 7,530 रुपये प्राप्त किया। इसका अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर परिवार की आय मे ऐसा अन्तर उनकी परिसम्पत्तियो के आकार मे विभिन्नता के कारण था।

यथार्थ रूप से देखने पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि मजदूर और कारीगर परिवारो के अतिरिक्त सीमान्त कृषको की आर्थिक स्थिति पिछडी हुई थी। विभिन्न व्यावसायो से जुडे हुए प्रति परिवारो की औसत वार्षिक आय 6,390 रुपये आकलित की गई, जबकि लघु कृषको के प्रति परिवार को औसत 7,530 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लघु कृषक परिवारो की आर्थिक स्थितियां मजदूर कारीगर सीमान्त कृषक वर्गो की अपेक्षा अच्छी थी। अन्य कृषको की औसत वार्षिक आय 12,460 रुपये प्रति परिवार पायी गयी। गॉव

मे उच्च सामाजिक जातियो ने कमजोर वर्ग के अधिकतर रोजगार अवसरो को अपने अधिकार मे ले रखा था, जिसके कारण मजदूर वर्ग, कारीगर और सीमान्त कृषक अपनी आर्थिक कमजोरियो के कारण उपलब्ध श्रम शक्ति के होते हुए भी अपनी आर्थिक गतिविधियो को बढाने मे असक्षम थे।

तालिका 7 5 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित व्यावसायिक वर्गो मे कृषक वर्ग ने अपने कुल आय का स्वरोजगार से 83 5 प्रतिशत, और दैनिक मजदूरी रोजगार से 16 5 प्रतिशत आय प्राप्त किया। इसमे सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कृषको के औसत परिवार अपनी कुल आय का 78 प्रतिशत स्वरोजगार से प्राप्त करते थे, जबकि लघु कृषक परिवार अपनी कुल आय का स्वरोजगार से 82 प्रतिशत और अन्य कृषक परिवारो ने शत–प्रतिशत प्राप्त किया। इनके विश्लेषण से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि बडे कृषक परिवार अपनी सुदृढ आर्थिक स्थितियो के कारण वाणिज्यक कार्यो मे अधिक पूँजी निवेश करते थे, जिससे वे नियमित रूप से एक अच्छी आय प्राप्त कर लेते थे। और सम्भवतः इन्ही वाणिज्यक निवेशो के कारण बडे कृषक वर्ग को गैर कृषक वर्ग से अधिक आय प्राप्त हुई। यह भी स्पष्ट हुआ कि औसत मजदूर परिवार ने अपने दैनिक मजदूरी से 73 प्रतिशत और स्वरोजगार से 28 प्रतिशत आय प्राप्त किया। औसत कारीगर परिवार को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से कुल आय का क्रमश 71 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत प्राप्त हुआ। एक मुख्य तथ्य यह देखा गया कि गैर कृषक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कारीगर व मिश्रित व्यावसायिक परिवार अपने पारम्परिक व्यवसायो को मजदूरी रोजगार से अधिक महत्त्व देते थे क्योकि पारम्परिक व्यवसायो जैसे–बढईगीरी, लोहारी, दर्जी, इत्यादि कार्य परिश्रम वाले और उनकी दैनिक मजदूरी (मजदूरी रोजगार) की तुलना मे अधिक प्रतिफल देने वाले थे। इस प्रकार घर बैठे इन कार्यो को करने से एक सन्तुष्टि होती थी जो कि इन्हे अपने पैत्रिक व्यवसाय को करने की प्रेरणा देती थी। उनका यह मत कि यदि वे दैनिक मजदूरी के लिए जाते भी है तो उनके परिवार के अन्य सहायक सदस्य जैसे (बच्चे, महिलाए और वृद्ध जन) घर मे बेकार रह जायेगे। उनका यह भी विचार था कि वे अपने

सहायक सदस्यो की सहायता से पारम्परिक व्यवसायो द्वारा अधिक आय प्राप्त कर सकते है उसकी तुलना मे जिनमे दैनिक मजदूरी पर नित्य रोजगार से जो वे केवल स्वय उपार्जित कर सकते थे।

लगभग कुछ ऐसा ही विचार सीमान्त कृषको का भी था, वे दूसरे के खेतो मे पूरे दिन रोजगार प्राप्त करने की तुलना मे अपने छोटे भूमि के टुकडे पर लगभग आधे दिन का रोजगार प्राप्त करना अधिक पसन्द करते थे। सम्भवत इन्ही तथ्यो के कारण कारीगरो और सीमान्त किसानो का स्वरोजगार से प्राप्त आय, मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय की तुलना मे कही अधिक था।

उपरोक्त परिणामो से एक निष्कर्ष यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिदर्श मे कृषक वर्ग, गैर कृषक वर्ग का स्वरोजगार से प्राप्त आय का हिस्सा मजदूर वर्ग के स्वरोजगार से प्राप्त आय से अधिक था।

उपयुक्त विश्लेषण से चयनित परिवारो की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियो के अवलोकन के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारो के अन्तर्गत सम्मिलित पिछडे कमजोर वर्ग के व्यावसायिको को भूमि सम्पत्ति से रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए और इसलिए इनमे से अधिकतर सदस्यो को गैर कृषि कार्यो पर निर्भर रहना पडता था। दूसरा मुख्य तथ्य यह प्राप्त हुआ कि लघु कृषक और अन्य कृषक परिवार जो कुल मिलाकर औसत चयनित परिवारो के लगभग 9 प्रतिशत थे को छोडकर शेष परिवारो की आर्थिक स्थिति पिछडी हुई थी। केवल बडे किसान ही अपनी सम्पन्नता के कारण बडे व्यावसायिक कार्यो से जुडे हुए थे। सम्भवत इन्ही कारणो से चयनित परिवारो मे कृषक वर्ग और गैर कृषक वर्गो, की आय में-

एक बडी मात्रा मे असामनताए विद्यमान थी।

तालिका 7.4

चयनित परिवारों के द्वारा स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय का विवरण

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार से प्राप्त आय		दैनिक मजदूरी से प्राप्त आय		स्वरोजगार + मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	
	कुल	प्रति परिवार	कुल	प्रति परिवार	कुल योग	प्रति परिवार
अ. कृषक वर्ग	1,02,362	5,687	20,238	1124	1,22,600	6,811
1 सीमान्त कृषक	40,950	4,095	11,550	1,155	52,500	5,250
2 लघु कृषक	36,492	6,082	8,688	1,448	45,160	7,530
3 अन्य कृषक	24,920	12,460	-	-	24,920	12,460
ब. गैर कृषक वर्ग						
1 कारीगर	38,049	3,459	15,521	1,411	53,570	4,870
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	70,476	5,873	6,204	517	76,680	6,390
स. मजदूर वर्ग	51,612	1,122	1,36,022	2,957	1,87,634	4,079
कुल योग	**2,62,499**	**3,017**	**1,77,985**	**2,046**	**4,40,484**	**5,063**

स्रोत : सर्वेक्षण

तालिका 7.5

चयनित परिवारों के द्वारा कुल प्राप्त आय में स्वरोजगार और दैनिक मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आंकडे

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	दैनिक मजदूरी रोजगार	कुल योग
अ. कृषक वर्ग	83 5	16 5	100 00
1 सीमान्त कृषक	78 0	22 0	100 00
2 लघु कृषक	80 8	19 2	100 00
3 अन्य कृषक	100 0	—	100 00
ब. गैर कृषक वर्ग			
1 कारीगर	71 0	29 0	100 00
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	91 9	8 1	100 00
स. मजदूर वर्ग	27 5	72 5	100 00
कुल योग	**59.6**	**40.4**	**100.00**

स्रोत : सर्वेक्षण

चयनित परिवारों का रोजगार ढाँचा

अध्याय 8

8.0. चयनित परिवारों का रोजगार-ढाँचा

8.1 औसत रोजगार

8 2 चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

8 3 कृषि और गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार

8 4 विभिन्न फसल मौसमो मे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

8 5 कर्मकरो के व्यवसाय के अनुसार रोजगार

अध्याय 8

चयनित परिवारों का रोजगार ढाँचा

यह रोजगार योजनाओ के घोषित उद्देश्यो मे से एक है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिकतर कार्य गैर कृषि मौसम की अवधियो मे ही लिया जाता है, इस समय अधिकतर ग्रामीण मजदूर बिना काम के या अर्द्ध बेरोजगार रहते है। इस प्रकार के मौसम मे कृषि क्षेत्रो मे लगभग 6 महीने तक खाली समय रहता है।[1]

मोती लाल गुप्ता ने यह निरीक्षण किया कि कृषक और खेती करने वाले श्रमिको के लिए एक साल मे चार से छ महीने बेरोजगारी का मौसम रहता है।[2]

अत रोजगार को मौसमी प्रभाव द्वारा भी चित्रित किया गया है।

जुलाई के मौसम मे खरीफ फसलो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य जैसे जोतना, बीज बोना, पौधे लगाना इत्यादि वर्षा के प्रारम्भ होने से पहले शुरू किये जाते है और ये कार्य सितम्बर माह तक चलते है। इस समय के अन्तर्गत स्थानीय मजदूर पर्याप्त काम के अवसरो को प्राप्त कर लेते है। अक्टूबर से दिसम्बर के माह मे बीच के समय मे रबी फसलो को लगाने के बाद कृषि मे लगभग मार्च के मध्य समय (खाली समय) को गैर मौसम के रूप मे चित्रित किया गया है।

इस प्रकार कृषि क्षेत्रो मे मौसमी प्रभाव को ध्यान मे रखते हुए, उद्धृत सालो को महीने के चार भागो मे विभाजित किया गया–जैसे 1 जुलाई–सितम्बर, 2 अक्टूबर–दिसम्बर, 3 जनवरी–मार्च, 4 अप्रैल–जून।

सर्वेक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि एव गैर कृषि क्षेत्रो से रोजगार सम्बन्धी आकडो को एकत्र किया गया। इस प्रकार विभिन्न व्यावसायिक

---

1 The Slack Agriculture Seas on frequently extends from three to six months' Fourth five year Plan-A Draft Outline, Planning Commission, Govt of India, New Delhi, 1966, pp 110

2 Motilal Gupta "Problems of Unemployment in India" Nedandsche, Economische Hooge School the Rotterdam 1955, pp. 29.

कर्मकर परिवारो द्वारा प्राप्त रोजगार के विषय मे जो जानकारिया प्राप्त की गई। इनका विश्लेषण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

8.1 औसत रोजगार

चयनित परिवारो मे 266 कर्मकर पाये गये, उनमे से 204 पुरूष, 49 महिलाएँ और 13 बाल कर्मकर सम्मिलित थे। कर्मकर परिवारो ने आलोच्य वर्ष मे 53,679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया। इसका अभिप्राय यह है कि एक औसत श्रमिक को 202 दिनो का वार्षिक रोजगार, अर्थात् प्रतिमाह 17 दिन के लिए मिला। अग्रलिखित तालिका 8 1 के आकडो से यह स्पष्ट होता है कि एक पुरूष कर्मकर को वार्षिक रोजगार 214 अर्थात् एक महीने मे 18 दिन के लिए, जबकि एक महिला कर्मकर ने 182 दिन के वार्षिक रोजगार को प्राप्त किया अर्थात् प्रतिमाह 15 दिन और बाल कर्मकर ने वर्ष मे 85 दिन रोजगार प्राप्त किया जो कि प्रति कर्मकर प्रतिमाह 7 दिन हुआ।

8.2 चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

कर्मकर परिवारो द्वारा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे भाग लेने वाले श्रमिको का निरीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया कि अधिकाशत स्वरोजगार मे सम्मिलित वर्ग पारिवारिक व्यवसायो जैसे कि कृषि, घरेलू उद्योग, और व्यापार इत्यादि से सम्बन्धित स्वरोजगार मे लगे हुए थे। कर्मकरों के स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के विश्लेषण को आकडो के एकत्रीकरण की अग्रलिखित तालिका 8 2 व लेखाचित्र 26 मे प्रस्तुत किया गया है। इसके अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर एक औसत कर्मकर ने साल मे क्रमश 111 दिन और 91 दिन के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार को प्राप्त किया जिसे क्रमश 55 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के भाग मे आकलित क़िया गया है। प्राय यह भी देखा गया कि स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार का हिस्सा पुरूष महिलाओ और कर्मकर बच्चो मे भिन्न था। एक औसत (204) पुरूष कर्मकर को 117 दिन (55 प्रतिशत) और 97 दिन (45 प्रतिशत) के लिए स्वरोजगार व मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक महिला (49) कर्मकर 182 दिन के वार्षिक कुल रोजगार के अन्तर्गत 109 दिन (60 प्रतिशत) स्वरोजगार, और 73 दिन (40 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार प्राप्त करती थीं

और बाल कर्मकर कुल 85 वार्षिक रोजगार दिन मे 24 दिन अर्थात् 28 प्रतिशत स्वरोजगार एव 61 दिन (72 प्रतिशत) मजदूरी रोजगार मे भाग लेते थे। अत यह स्पष्ट है कि महिला कर्मकरो को पुरूषो की तुलना मे मजदूरी रोजगार के लिए कम अवसर प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि महिलाओ को कृषि व अन्य निर्माण कार्यो मे मजदूरी पर रोजगार के केवल सीमित अवसर ही प्राप्त थे जबकि पुरूष कर्मकर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रो के कार्यो के अतिरिक्त समीप के शहरो मे जैसे—होटल, बाजार, दुकान, निजी व्यवसाय तथा स्टेशन बस स्टाप इत्यादि मे मजदूरी पर रोजगार सरलता से प्राप्त कर लेते थे। परन्तु महिलाओ के लिए घरेलू बोझ और दूसरे सामाजिक पुर्ननिर्देशो के कारण ऐसा अवसर प्राप्त करना असम्भव था। कार्यशील सदस्यो मे कारीगर, सीमान्त कृषक वर्ग के अतिरिक्त मजदूर श्रमिको के बच्चो का एक बडा भाग भी रोजगार मे सम्मिलित था, इन कर्मकर सदस्यो के बच्चे स्कूल जाने के बजाय कृषि मे मजदूरी करते थे। वे जानवरो को चराने के अतिरिक्त बडे किसानो और गॉव प्रमुख के घरो मे घरेलू कार्यो मे भी लगे हुए पाये गये थे। आकडो के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन बाल श्रमिको की भागीदारी स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी रोजगार मे अधिक थी। इस तथ्य का एक मुख्य कारण यह भी था कि अधिकाश बाल श्रमिक शहर के समीप गैर कृषि कार्यो मे सलग्न पाये गये थे इसलिए इनकी स्थिति मजदूरी रोजगार मे स्वरोजगार की अपेक्षा अधिक अच्छी पायी गयी।

8.3 कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार

सर्वेक्षण के समय यह देखा गया कि चयनित 266 कर्मकरो ने औसत रूप से कृषि क्षेत्रो मे 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्रो मे 47 दिन (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 दिन को जोडकर) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। दूसरे शब्दो मे कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र मजदूरी रोजगार द्वारा क्रमश 48 प्रतिशत और 52 प्रतिशत अश देते थे जो यह सूचित करता है कि चयनित कर्मकरो को गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र से कम मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि मे अधिकतर स्थानीय मजदूर बडे या मध्यम कृषको के खेतो मे साधारणत मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त करते थे। लेकिन आधुनिक यत्रो जैसे कि ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, थ्रेसर डिब्लर्स

इत्यादि के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण अब पहले से कही अधिक कृषि मजदूर गैर कृषि क्षेत्रो मे समीप के शहरो की तरफ स्थानान्तरित हुए। तालिका 8 3 और 8 4 इस तथ्य को प्रस्तुत करती है कि एक औसत पुरूष कर्मकर ने कृषि क्षेत्र की तुलना मे गैर कृषि क्षेत्रो से अधिक मजदूरी रोजगार को प्राप्त किया, जबकि महिला कर्मकरो को गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र से अधिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। आकडो के स्पष्टीकरण से इस तथ्य के विषय मे यह कहा जा सकता है कि एक औसत पुरूष कर्मकर को कृषि क्षेत्र से 44 दिन और गैर कृषि क्षेत्र से 53 दिन का (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 दिन को जोडकर) रोजगार प्राप्त हुआ जबकि एक महिला कर्मकर कृषि क्षेत्र से 48 दिन और गैर कृषि क्षेत्र से केवल 25 दिन का रोजगार प्राप्त करती थी। दूसरे रूप मे इसका अभिप्राय यह है कि पुरूष कर्मकर को कुल मजदूरी रोजगार का कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र से क्रमश 45 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत और महिला कर्मकर को 66 प्रतिशत और 34 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ।

चयनित गॉव से सर्वेक्षण के द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि गैर कृषि क्षेत्र बाल कर्मकर को रोजगार दिलाने मे अधिक प्रमुखता रखते थे क्योकि प्राप्त आकडो से यह स्पष्ट है कि एक आदर्श बाल कर्मकर ने गैर कृषि क्षेत्र से 44 दिन अर्थात् अपने कुल मजदूरी रोजगार का 72 प्रतिशत रोजगार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि महिला कर्मकरो ने कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार के सीमित अवसर प्राप्त थे, जबकि पुरूष कर्मकरो को कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए।

तालिका 8.1

चयनित कर्मकर परिवारों का वार्षिक रोजगार

			रोजगार दिवस	
श्रेणी	**कर्मकरो की सख्या**	**कुल रोजगार दिन**	**प्रति कर्मकर**	**प्रतिमाह**
पुरूष	204	43,656	214	18
स्त्री	49	8,918	182	15
बच्चे	13	1,105	85	7
कुल योग	**266**	**53,679**	**202**	**17**

स्रोत - सर्वेक्षण

तालिका 8 2

चयनित कर्मकर परिवारो के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के आकडे

कर्मकर	रोजगार दिवस	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार
पुरूष	214 (100 0)	117 (54 7)	97 (45 3)
स्त्री	182 (100 0)	109 (59 9)	73 (40 1)
बच्चे	85 (100 0)	24 (28 2)	61 (71 8)
औसत	202 (100 0)	111 (54 95)	91 (45 04)

स्रोत .- सर्वेक्षण

नोट – (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिये गये है)

चयनित कर्मकर परिवारों के वार्षिक रोजगार दिवस के अन्तर्गत स्वरोजगार

लेखाचित्र - **26**

तालिका - 8 3

चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार

		मजदूरी रोजगार			(प्रतिकर्मकर दिवस)	
श्रेणी	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
	1	2	3	4	(2+3+4)	(1+5)
पुरूष	117	44	42	11	97	214
	(9 8)	(3 6)	(3 5)	(0 9)	(8 1)	(17 8)
स्त्री	109	48	24	1	73	182
	(9 1)	(4 0)	(2 0)	(0 1)	(6 1)	(15 2)
बच्चे	24	17	33	11	61	85
	(2 0)	(1 4)	(2 8)	(0 9)	(5 1)	(7 1)
औसत	111	44	38	9	91	202
	(9 3)	(3 6)	(3 2)	(0 75)	(7 6)	(16 8),

स्रोत : सर्वेक्षण
नोट (कोष्ठक मे दिन प्रति कर्मकर प्रतिमाह के आकडे दिए गए है।)

चयनित कर्मकरो का वार्षिक रोजगार ढॉचा

श्रेणी	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
	1	2	3	4	(2+3+4)	(1+5)
पुरूष	23868	8976	8494	2318	19788	43656
स्त्री	5341	2368	1153	56	3577	8918
बच्चे	312	215	431	147	793	1105
योग	29,521	11,559	10,078	2521	24,158	53,679

तालिका 8 4॰

चयनित कर्मकर परिवारो का कुल मजदूरी रोजगार के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक आंकडे

	रोजगार के आंकडे		
श्रेणी	कुल मजदूरी रोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र
पुरूष	97	44	53
	(100 0)	(45 4)	(54 6)
स्त्री	73	48	25
	(100 0)	(65 8)	(34 2)
बच्चे	61	17	44
	(100 0)	(27 9)	(72 1)
औसत	91	44	47
	(100 0)	(48 4)	(51 6)

स्रोत : सर्वेक्षण
नोट (कोष्ठक मे प्रतिशत आकडे दिये गये हैं)

8.4 विभिन्न फसल मौसमों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

तालिका 8 5 के आकडे इस तथ्य को प्रकाशित करते है कि चयनित कर्मकर परिवारो का रोजगार कृषि मौसम के द्वारा प्रभावित था। यह ज्ञात हुआ कि जुलाई से सितम्बर और अप्रैल से जून माह मे (जो कि कृषि व फसल के प्रमुख समय से जुडा हुआ है) एक आदर्श कर्मकर 56 और 55 दिन का कुल रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि अक्टूबर–दिसम्बर और जनवरी–मार्च माह के अन्तर्गत क्रमश 49 दिन और 42 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया। दूसरे शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि एक आदर्श कर्मकर को जुलाई से सितम्बर माह मे 19 दिन और अप्रैल से जून माह के अन्तर्गत 18 दिन प्रतिमाह कुल रोजगार प्राप्त हुआ। जबकि अक्टूबर–दिसम्बर, जनवरी–मार्च माह मे क्रमश 16 और 14 दिन प्रतिमाह कुल रोजगार प्राप्त कर पाते थे। जुलाई–सितम्बर माह मे बीज रोपाई के कारण, और अप्रैल जून माह मे प्रमुख फसलो की कटाई व गेहूँ के पैदावार का मौसम होने के कारण कर्मकरो को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुआ जबकि जनवरी–मार्च का यह माह रोजगार की दृष्टि से सबसे अधिक मन्द समय है। इस समय रबी फसलो के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित छोटे–कार्य जैसे सिचाई इत्यादि किए जाते है जिसमे केवल थोडे कर्मकरो की आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात हुआ कि इन मौसमो (जुलाई–सितम्बर और अप्रैल–जून) मे कर्मकरो को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए जबकि मन्द मौसम (जनवरी–मार्च, अक्टूबर–दिसम्बर) मे रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हुए विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहाँ जुलाई से सितम्बर माह मे औसत कर्मकर को 30 दिन अर्थात् प्रतिमाह 10 दिन का स्वरोजगार और 26 दिन (प्रतिमाह 8 दिन) मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि मन्द मौसम (जनवरी–मार्च) के माह मे 19 दिन मजदूरी रोजगार, और 23 दिन (7 दिन प्रतिमाह) का स्वरोजगार औसत कर्मकरो ने प्राप्त किया। इसी प्रकार अप्रैल–जून माह मे (रबी फसलो की कटाई और जायद फसल के समय) औसत कर्मकर 24 दिन मजदूरी पर रोजगार व 31 दिन अर्थात् 11 दिन प्रतिमाह स्वरोजगार मे सलग्न पाये गये। उपरोक्त विश्लेषण के परिणामो से एक मुख्य तथ्य यह भी ज्ञात हुआ कि कर्मकरो का व्यवसाय कृषि मौसमो से भी प्रभावित था, इसमे गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र मे कृषि मौसमो से मजदूरी रोजगार अधिक प्रभावित हुआ।

तालिका 8.5

विभिन्न फसल मौसमो मे चयनित कर्मकरो का स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

(प्रति कर्मकर दिवस)

फसल माह	मुख्य कृषि फसल	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल योग
जुलाई–सितम्बर	खरीफ फसलो की बुवाई व निराई गुडाई	30 (10 0)	26 (8 6)	56 (18 6)
अक्टूबर–दिसम्बर	खरीफ फसल की कटाई और रबी की बुवाई	27 (9 0)	22 (7 3)	49 (16 3)
जनवरी–मार्च	रबी फसलो की निराई गुडाई	23 (7 7)	19 (6 3)	42 (14 0)
अप्रैल–जून	रबी तथा जायद फसलो की कटाई	31 (10 3)	24 (8 0)	55 (18 3)
कुल योग		**111 (9 3)**	**91 (7 6)**	**202 (16.8)**

स्रोत सर्वेक्षण

(कोष्ठक मे दिन प्रतिमाह के आकडे दिये गये है)

कृषि मे मन्द मौसम मे कम रोजगार प्राप्त होता था जबकि इस समय अधिकाश श्रमिक दूसरे क्षेत्रो मे कार्य करने के लिए चले जाते थे। इस प्रकार कृषि मे मौसमी प्रभाव को देखने के पश्चात कुछ बडे कृषको का यह कहना था कि उन्हे इन समयो मे विशेष रूप से (पौधो को लगाने और गेहूँ की फसल कटाई के समय) नित्य मजदूरी पर प्राप्त होने वाले मजदूरो की कमी रहती थी जिसके कारण उन्हे इन समयो मे श्रमिको की तलाश करनी पडती थी।

कृषि मे ऐसे तथ्यो को देखने के पश्चात क्लार्क और हैसवेल ने कहा है कि "बेरोजगारी मौसमी है और वर्ष भर निरन्तर नही बनी रहती थी, प्रस्तुत किया गया तर्क भी अस्पष्ट रह जाता है कृषि प्रणाली मे माग के मुख्य अवसरो पर मजदूरो को उपलब्ध कराया जाए, विशेष रूप से फसल की कटाई और बुवाई के समय, जबकि वास्तविक रूप से साधारणत श्रम शक्ति की कमी होती है।[1] "The unemployment is seasonal and not continued throughout the year, the argument presented also remains intact The farming system will be geared to the availability of la-

1 Clark C and M Haswell "The Economics of subsistence Agriculture, 4th edition (1970) Macmillan pp 97)

bour at the tımes of peak deman .d-usually at seedıng and harvest tımes-when there ıs generally an actual shortage of manpower

डा वी डी मेहता ने कृषि क्षेत्र के मौसमी और अनिश्चित रोजगार के विषय मे कहा है कि "Agrıculture ıs essentıally seasonal ın character. There are always perıods of both reduced actıvıty and ınactıvıty-long and short"[2]

8.5 कर्मकरों के व्यवसाय के अनुसार रोजगार

एक परिवार का रोजगार ढॉचा उस व्यवसाय के द्वारा सीधे प्रभावित होता है जो उस परिवार द्वारा किये जाते है। इसलिए विभिन्न व्यावसायिक वर्गो से जुडे हुए कर्मकरो के रोजगार ढॉचे का अध्ययन करने का प्रयास किंया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकत्रित किये गये आकडे तालिका 8 6 मे यह सूचित करते है कि स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मकर एक वर्ष मे औसत 202 दिन कुल रोजगार प्राप्त करते थे। प्रतिदर्श मे सम्मिलित कर्मकरो मे कृषि श्रमिक, और गैर कृषि श्रमिक, को एक वर्ष के अन्तर्गत क्रमश 182 और 192 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सीमान्त कृषक औसत 209 दिन का एक अच्छा रोजगार भागो का उपभोग करते थे, जबकि एक कारीगर ने 207 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। लघु कृषको के प्रति कर्मकरो के लिए 223 दिन का वार्षिक रोजगार आकलित किया गया। अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवारो के प्रति कर्मकर 227 दिन के रोजगार मे लगे हुए देखे गये थे। इन आकडो को लेखाचित्र 27 के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है।

अन्य कृषक परिवार के प्रति कर्मकरो ने अधिक से अधिक 248 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया इन कृषक परिवारो के रोजगार मे वृद्धि भूमि जोतो के औसत आकार के बडे होने से तथा विभिन्न वाणिज्यक कार्यो मे सलग्न होने से सम्बन्धित था। तालिका 8 6 से यह भी सूचित हुआ कि कृषि श्रमिक एक साल मे 40 दिन (22 प्रतिशत) स्वरोजगार और 142 दिन (78 प्रतिशत) के लिए मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। तालिका 8 7 मे सकलित आकडो के द्वारा इन्हे प्रतिशत के रूप मे प्रदर्शित किया गया है

---

2 Mehta, V D "Poverty and Employment in Rural Indıa" (A Paradox) NBS Publıshers and Dıstrıbutors, New Delhı, 1987, pp 1

इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गैर कृषि श्रमिको की स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मे भागीदारी लगभग कृषि श्रमिको के समान थी क्योकि गैर कृषि श्रमिको ने स्वरोजगार और मजदूरी मे क्रमश 43, 149 दिन रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार कारीगरो, सीमान्त कृषको, और मिश्रित व अन्य व्यावसायिक धन्धो से जुडे हुए परिवारो के स्वरोजगार और मजदूरी मे प्राप्त रोजगार के अवसर परस्पर भिन्न थे। स्वरोजगार मे भागीदारी की यह विविधता कारीगरो मे 70 प्रतिशत और अन्य व्यावसायिक वर्ग के कार्यशील सदस्यो मे 76 प्रतिशत पायी गयी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कारीगरो की स्थिति श्रमिको से भिन्न थी, इस तथ्य से एक विचार यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक सम्पत्तिहीन गरीब व्यक्ति थे इसलिए वे रोजगार के लिए अधिकतर मजदूरी श्रम के ऊपर निर्भर रहते थे, परन्तु कारीगरो के परिवार अपने पैत्रिक व्यवसाय जैसे कि बढईगीरी, दर्जी, लोहारी इत्यादि कार्यो को महत्व देते हुए वे इनके द्वारा कुल मिलाकर एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कर लेते थे। सीमान्त कृषको ने औसत 209 दिन के लगभग 73 प्रतिशत स्वरोजगार और 27 प्रतिशत मजदूरी रोजगार प्राप्त किया। वे वर्ष के अधिकतर समयो मे अपने छोटी जोत के भूमि के टुकडो से लगाव होने के कारण इनसे जुडे रहते थे और पूर्ण रोजगार की तुलना मे अर्द्ध बेरोजगार रहना अधिक पसन्द करते थे जिसके कारण उन्होने मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार की अपेक्षा कम दिनो कें लिए प्राप्त किया। लघु कृषक को अपने कुल वार्षिक रोजगार मे अधिक हिस्सा स्वरोजगार के द्वारा 93 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि मजदूरी रोजगार का भाग उनके कुल रोजगार का केवल 8 प्रतिशत था।

उपरोक्त तथ्यो से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित कृषक और गैर कृषक वर्ग की रोजगार मे भागीदारी मजदूर वर्ग से अधिक प्राप्त थी। मजदूर वर्ग के परिवार मजदूरी रोजगार पर अधिक निर्भर पाये गये इसलिए इस वर्ग की स्वरोजगार की अपेक्षा मजदूरी रोजगार मे भागीदारी अधिक आकलित की गई है।

तालिका 8.6

चयनित कर्मकर परिवारो का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढॉचा

(प्रतिकर्मकर दिवस

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम	कुल	योग
1	2	3	4	5	(3+4+5)	(2+6)
अ कृषक वर्ग						
1 सीमान्त कृषक	152	33	15	9	57	209
2 लघु कृषक	206	2	13	2	17	223
3 अन्य कृषक	246	–	–	2	2	248
ब गैर कृषक						
1 कारीगर	145	22	26	14	62	207
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	172	26	28	1	55	227
स मजदूर वर्ग						
1 कृषि मजदूर	40	109	22	11	142	182
2 गैर कृषि मजदूर	43	28	107	14	149	192
द औसत	111	44	38	9	91	202

स्रोत सर्वेक्षण

चयनित कर्मकर परिवारो का व्यवसाय के अनुसार रोजगार ढाचा

लेखाचित्र 27

कुल स्वरोजगार
कुल मजदूरी रोजगार,

तालिका 8.7
चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा कुल रोजगार से प्राप्त स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे

व्यावसायिक वर्ग	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	कुल रोजगार दिवस
अ कृषक वर्ग			
1 सीमान्त कृषक	152	57	209
	(72 7)	(27 3)	(100 00)
2 लघु कृषक	206	17	223
	(92 4)	(7 6)	(100 00)
3 अन्य कृषक	246	2	248
	(99 2)	(0 8)	(100 00)
ब गैर कृषक वर्ग			
1 कारीगर	145	62	207
	(70 0)	(30 0)	(100 00)
2 मिश्रित व अन्य	172	55	227
व्यावसायिक वर्ग	(75 8)	(24 2)	(100 00)
स. मजदूर वर्ग	40	142	182
कृषि मजदूर	(22 0)	(78 0)	(100 00)
गैर कृषि मजदूर	43	149	192
	(22 4)	(77 6)	(100 00)
औसत	111	91	202
	(54 9)	(45 0)	(100 00)

स्रोत सर्वेक्षण

कर्मकरो के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडो से यह प्रकाशित हुआ कि औसत कर्मकर कृषि क्षेत्र मे मजदूरी पर रोजगार 48 प्रतिशत और गैर कृषि क्षेत्रो मे 52 प्रतिशत (रोजगार कार्यक्रम के 9 8 प्रतिशत को जोडकर) प्राप्त किया। इसके अन्तर्गत कृषि श्रमिक कृषि क्षेत्र से 77 प्रतिशत जबकि गैर कृषि श्रमिक केवल 19 प्रतिशत ही मजदूरी रोजगार प्राप्त करते थे। दूसरे शब्दो मे कृषि श्रमिक ने एक वर्ष मे 109 दिन कृषि कार्यो से जबकि एक गैर कृषि श्रमिक को 28 दिन मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ। आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी रोजगार के विषय मे कारीगरो की स्थिति कृषि क्षेत्र की अपेक्षा गैर कृषि क्षेत्रो मे उत्तम पायी गयी। कारीगर गैर कृषि कार्यो से 40 दिन (रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 दिन जोडकर) अर्थात् 65 प्रतिशत और कृषि कार्यो से 22 दिन (36 प्रतिशत) मजदूरी पर रोजगार प्राप्त किया। एक आदर्श सीमान्त कृषक

का कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार मे योगदान क्रमश 58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि कृषि श्रमिक और सीमान्त कृषक कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार को अधिक महत्व देते थे जबकि गैर कृषि श्रमिक और कारीगर परिवार गैर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी पर रोजगार को महत्व देते थे।

तालिका 8 8

कर्मकर परिवारों के मजदूरी रोजगार के प्रतिशत आकडे

व्यावसायिक वर्ग	दिवस	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	रोजगार कार्यक्रम
अ कृषक वर्ग				
1 सीमान्त कृषक	57	57 9	26 3	15 8
2 लघु कृषक	17	11 8	76 5	11 8
3 अन्य कृषक	2	–	–	100 0
ब. गैर कृषक वर्ग				
1 कारीगर	62	35 5	41 9	22 6
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	55	47 3	50 9	1 8
स मजदूर वर्ग				
1 कृषि मजदूर	142	76 8	15 5	7 7
2 गैर कृषि मजदूर	149	18 8	71 8	9 4
औसत	91	48 4	41 8	9 8

स्रोत सर्वेक्षण

ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी का आकलन करना विशेष रूप से एक बहुत ही जटिल कार्य है। इन क्षेत्रो मे कुछ ग्रामवासी काम करने के लिए नही जाते है, जबकि उनके लिए कार्य के बहुत से अवसर उपलब्ध रहते है। कुछ ग्रामीण जन ऐसे भी है जो अन्य व्यावसायिक अवसरो के होते हुए भी अपने पारिवारिक कार्यो (पैत्रिक व्यवसायँ) को ही करना अधिक पसन्द करते है, और इस प्रकार वे शेष समय मे बेरोजगार रहते है।

बेरोजगारी के विषय मे विभिन्न विद्वानो द्वारा भिन्न–भिन्न मत भी प्रकट किया गया है। केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन के अनुसार "वे कर्मकर जो रोजगार मे लगे हुए है सप्ताह मे दिए गए कितने घण्टे की मजदूरी पर कार्य करते है परन्तु बेरोजगार उन्हे जिन्होने एक कार्य भी नही किया है, ज़बकि वे कार्य की तलाश मे थे।[1]

1 CSO Central Statistical Organization, Government of India, New Delhi

श्रम नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रति साल 250 मानव दिवस को अनुमानित किया गया है।

मोती लाल गुप्ता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 250 दिन प्रतिवर्ष अनुमानित किया गया है।[2]

बी डी मेहता के अनुसार एक कर्मकर के पूर्ण रोजगार का नमूना 300 दिन प्रति वर्ष था।[3]

मोहम्मद् मासूम ने भी 300 दिन के पूर्ण रोजगार के नमूने को स्वीकारा ।

इलाहाबाद जिले के सर्वेक्षण अध्ययन के समय 250 मानव दिवस को पूर्ण रोजगार के नमूने के स्तर के रूप मे लिया गया है। इस नमूने के आधार पर यह पाया गया कि एक आदर्श कर्मकर एक वर्ष मे 48 दिन और एक महीने मे 4 दिन बेरोजगार रहते थे। तालिका 8 9 से यह ज्ञात होता है कि कृषि मजदूर एक साल मे 68 दिन और गैर कृषि मजदूर 58 दिन बेरोजगार थे। आकडो के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि कारीगर 43 दिन और सीमान्त कृषक 41 दिन के लिए बेरोजगार पाये गये, जिसे प्रतिमाह क्रमश 4 व 3 दिन आकलित किया गया।

लघु कृषक परिवार एक वर्ष मे 27 दिन अर्थात् प्रतिमाह 2 दिन बेरोजगार थे। विभिन्न व्यावसायो से जुडे हुए कर्मकर एक साल मे 23 दिन और प्रतिमाह 2 दिन बेरोजगार पाये गये। जबकि अन्य कृषक परिवार लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करते थे उदाहरण के लिए नमूने के 250 दिनो के पूर्ण रोजगार स्तर के विरूद्ध 248 दिन।

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रतिदर्श मे कृषक, गैर कृषक और मजदूर वर्गो मे से सबसे अधिक कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर बेरोजगार पाये गए दूसरी ओर प्रतिदर्श मे सबसे कम बेरोजगारी अन्य कृषक परिवारो मे पायी गयी।

2 Motilal Gupta, "Problems of Unemployment in India" 1955, pp 29)

3 V D Mehta "Poverty and Unemployment in Rural India" NBS Publishers and Distributors, New Delhi, 1987, pp 15

तालिका 8.9

विभिन्न व्यावसायिक वर्गो से सम्बन्धित कर्मकर परिवारो मे बेरोजगारी के आकडे

व्यावसायिक वर्ग	वार्षिक प्रति कर्मकर रोजगार	वर्ष	प्रतिमाह
अ कृषक वर्ग			
1 सीमान्त कृषक	209	41	3
2 लघु कृषक	223	27	2
3 अन्य कृषक	248	2	0 2
ब गैर कृषक वर्ग			
1 कारीगर	207	43	4
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	227	23	2
स मजदूर वर्ग			
1 कृषि मजदूर	182	68	6
2 गैर कृषि मजदूर	192	58	5
औसत	202	48	4

नोट (वर्ष मे 250 दिन को पूर्ण रोजगार (Full Imployment days) का दिन मानकर बेरोजगारी की दर ज्ञात की गई है)

सर्वेक्षण के द्वारा यह भी विदित हुआ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए है जैसे कि प्रतिदर्श मे मजदूर वर्गो मे कृषि मजदूर कृषि क्षेत्रो मे मजदूरी रोजगार पर अधिक निर्भर पाये गये कृषि क्षेत्र से हटाये जाने पर दूसरे रोजगार अवसरो की कमी के कारण ये बेरोजगार रहते थे, इसके अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रो मे रोजगार की तलाश करनी पडती थी। चूँकि कृषि क्षेत्रो मे अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है।

अत छिपी हुई बेरोजगारी के विषय पर अर्थशास्त्रियो द्वारा किये गये अध्ययन कार्यो के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है– श्री एम एल गुप्ता ने 1953 मे ग्रामीण क्षेत्रो की छिपी हुई बेरोजगारी के विस्तार पर कार्य किया, उन्होने अनुकूलतम आर्थिक जोत का विचार प्रस्तुत किया उनके अनुसार एक अनुकूलतम जोत वह होती है जो कृषि करने वाले परिवार के सदस्यो के लिए पूर्ण रोजगार जुटा सके।[4]

4 Gupta, M L Problems of Unemployment in India, 1955)

इसी सन्दर्भ मे श्री आहूजा ने 1970–71 के एक अध्ययन मे यह अनुमान लगाया कि राजस्थान मे कृषि क्षेत्रो मे रबि फसलो के मौसम के समय 36 2 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।[5] श्री भारद्वाज और दवे ने श्रमिको की माग और पूर्ति के आधार पर अनुमान लगाया कि 5 2 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।[6] श्री माथुर ने 1955 मे आकडो के विश्लेषण द्वारा अनुमान लगाया कि यू पी (उत्तर प्रदेश) मे 8 8 प्रतिशत, पजाब मे 4 5 प्रतिशत, और पश्चिम बगाल मे 31 1 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूर थे।[7]

नुआरवलि जिले के एक साबिलपुर गॉव मे अध्ययन के पश्चात श्री मेहरा ने भारतीय कृषि मे 17 1 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति को आकलित किया।[8]

मि साधवी ने 1956–57 मे मैसूर जिले के दो गॉव के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात किया कि कृषि मे 47 20 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति थी।

श्री रूद्रा ने अतिरिक्त श्रम का कुछ निम्न अनुमान लगाया—हुगली जिले के 148 खेतो के आकडो का विश्लेषण करने पर उन्होने पाया कि कृषि उत्पादन को प्रभावित किये बिना 27 प्रतिशत पुरूष श्रम शक्ति को हटाया जा सकता है।[9]

---

5 Ahuja, K "Agricultural Under Employment in Rajasthan", Economics and Political Weekly, September 1973, pp 101-6

6 Bhardwaj, V P and P K Dave "Measurement of Rural Unemployment in Gujrat" Artha Vikas, January-June 1976

7 Mathur, A The Anatomy of Disguised Unemployment" Oxfored Economic Paper July 1964, pp 161, 193

8 Mehra, S "Surplus Labour in Indian Agriculture Indian Economic Review, Vol-I, April, 1966, pp 114-26

9 Rudra, A "Direct Estimation of Surplus Labour in Agriculture "Economic and Political Weekly, February, 1973, pp 277-80

पार्था सारथी और रामाराव के अनुसार 1971–72 के अन्तर्गत पश्चिमी गोदावरी जिले (आन्ध्रप्रदेश) मे कृषि मे 20 6 प्रतिशत बेरोजगारी थी।[10]

NSS के 32वे दौर मे 1977–78 के वर्षो मे आकडो के एकत्रीकरण के अनुसार मि सुब्राहमनियम ने बेरोजगारी की दर को आन्ध्र प्रदेश मे पश्चिमी गोदावरी जिले के कृषि श्रमिको के लिए 16 49 प्रतिशत अनुमानित किया (पुरूषो के लिए 14 04 प्रतिशत और स्त्रियो के लिए 21 18 प्रतिशत खेतिहर श्रमिको के लिए 2 49 प्रतिशत और अन्य दूसरो के लिए 4 42 प्रतिशत)[11]

उपरोक्त निष्कर्षो से प्राप्त परिणामो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि से अतिरेक श्रम शक्ति को हटाने के लिए गैर कृषि क्षेत्रो मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि की जानी चाहिए।

---

10 Partha Sarathy, G G D RamaRao, "Employment and Unemployment Among Rural Household - A study of West Godavari District Economic and Political Weekly-Review of Agriculture December 29, 1973 pp 118-32

11 Subrahmanyams "Poverty Unemployment and Per spective of Development" Chugh Publications Allahabad 1987 pp 99)

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

अध्याय 9

9.0. रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

9.1 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित परिवारो द्वारा प्राप्त रोजगार

9 2 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा विभिन्न मौसमो मे प्राप्त रोजगार

9 3 चयनित कर्मकर परिवारो द्वारा रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय

अध्याय 9

रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार और आय का सृजन

9.1 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित परिवारों द्वारा प्राप्त रोजगार

प्रस्तुत अध्याय मे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारो के द्वारा प्राप्त रोजगार सृजन का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि चयनित 87 परिवारो मे कुल सदस्यो की सख्या 574 थी जिनमे कुल 266 कर्मकर पाये गये। रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष मे चयनित कर्मकर परिवारो को कुल 2,521 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ अर्थात् प्रति कर्मकर को 9 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ। तालिका 9 1 के आकडे यह प्रदर्शित करते है कि चयनित 266 कर्मकरो मे 204 पुरूषो (11 दिन प्रति कर्मकर), 49 महिलाएँ (1 दिन प्रति कर्मकर) और 13 बच्चो (11 दिन प्रति कर्मकर) ने रोजगार प्राप्त किया। इससे एक तथ्य यह स्पष्ट हुआ कि महिला कर्मकरो को पुरूष कर्मकर की तुलना मे बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि सामाजिक रीति रिवाजो के कारण महिलाएँ कार्य स्थल पर जाने मे सकोच करती थी, इसके अतिरिक्त कार्यस्थलो के दूर होने के कारण महिलाएँ पहुँचने मे असमर्थ थी। इन कार्यक्रमो द्वारा कुल रोजगार सृजन का हिस्सा पुरूष, महिला और बाल कर्मकरो मे परस्पर क्रमश 92 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 6 प्रतिशत था जो यह सूचित करता है कि महिला और बाल कर्मकरो की तुलना मे पुरूष कर्मकर को कार्यक्रम के द्वारा अधिक रोजगार प्राप्त हुआ ।

अग्रलिखित तालिका 9 2 मे प्रदर्शित आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यावसायिक कार्य से जुडे हुए 204 पुरूष कर्मकरो मे कृषि श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, कारीगर और सीमान्त किसान रोजगार योजनाओ के मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता थे। रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार मे उनका हिस्सा कुल 2318 मानव दिवस का था अर्थात् कुल रोजगार के 2521 दिन का 92 प्रतिशत। जिनमे गैर कृषि श्रमिक और

कारीगरो के प्रति कर्मकर 14 दिन का अन्य व्यावसायिक कार्यो से जुडे हुए परिवारो की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त किया। जबकि औसत कृषि श्रमिक के प्रति कर्मकर को केवल 11 दिन और सीमान्त कृषको के प्रति कर्मकर 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। जैसा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि श्रमिको की तुलना मे गैर कृषि श्रमिक इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक रोजगार पाते थे, ऐसा इसलिए था क्योकि इन योजनाओ के अन्तर्गत गैर कृषि काम अधिकतर पूरे साल उपलब्ध रहता था। कृषि श्रमिक इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यो मे मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करते थे, जबकि गैर कृषि श्रमिको और कारीगरो के विषय मे ऐसी स्थिति नही थी। वे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि कार्यो के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो (गैर कृषि कार्य) को करते थे और सम्भवत इन्ही तथ्यो के कारण गैर कृषि मजदूरो ने कृषि श्रमिको की अपेक्षा इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक रोजगार प्राप्त किया। लघु कृषक (1 से 2 हेक्टेयर भूमि को रखने वाले) इन कार्यक्रमो के द्वारा अधिक दिन का रोजगार प्राप्त नही हुआ जैसे कि वर्ष मे प्रति कर्मकर 2 दिन के लिए रोजगार प्राप्त करते थे। आकडो के अध्ययन के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि, अन्य कृषको से सम्बन्धित परिवार इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत वर्ष मे 2 दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि अपने भूमि जोतो मे कार्य के अवसरो की अधिकता के कारण तथा कम मजदूरी दर पर वे इन कार्यक्रमो मे रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नही करते थे। इसके अतिरिक्त मिश्रित व अन्य व्यावसायिक धन्धो से जुडे हुए प्रति कर्मकरो को भी इन कार्यक्रमो के द्वारा कम दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ।

तालिका 9.1

चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार दिवस

श्रेणी	कर्मकरो की सख्या	कुल रोजगार दिवस	प्रति कर्मकर दिवस
पुरूष	204	2318	11
स्त्री	49	56	1
बच्चे	13	147	11
कुल	**266**	**2521**	**9**

स्रोत सर्वेक्षण

तालिका 9 2

विभिन्न व्यावसायिक वर्ग मे सम्मिलित कर्मकरों द्वारा प्राप्त रोजगार

व्यावसायिक वर्ग	पुरूष			स्त्री			बच्चे			योग		
	कर्मकरो की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरों की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरों की संख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस	कर्मकरो की सख्या	कुल दिवस	प्रति कर्मकर दिवस
कृषक वर्ग												
सीमान्त कृषक	57	627	11	12	11	1	4	33	8	73	671	9
लघु कृषक	16	37	2	5	–	–	–	–	–	21	37	2
अन्य कृषक	5	10	2	–	–	–	–	–	–	5	10	2
गैर कृषक वर्ग												
कारीगर	20	329	17	5	14	3	1	10	10	26	353	14
मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	21	30	1	5	–	–	–	–	–	26	30	1
मजदूर वर्ग												
कृषि मजदूर	44	625	14	10	9	1	4	15	4	58	649	11
गैर कृषि मजदूर	41	660	16	12	22	2	4	89	22	57	771	14
योग	**204**	**2318**	**11**	**49**	**56**	**1**	**13**	**147**	**11**	**266**	**2521**	**9**

स्रोत :- सर्वेक्षण

9.2 रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा विभिन्न मौसमों में प्राप्त रोजगार

सर्वेक्षण से प्राप्त तालिका 9 3 के आकडो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सन्दर्भ वर्ष मे प्रत्येक माह मे सृजित कृषि मौसमो के दिनो को मिलाकर कुल 53,679 मानव दिवस के रोजगार सृजन के अन्तर्गत (266) कर्मकरो ने 2521 दिन का रोजगार, रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 53,679 मानव दिवस रोजगार के अन्तर्गत 24158 दिन मजदूरी रोजगार सृजित हुआ। आकडो को विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक माह मे प्राप्त किये गये विभिन्न कृषि मौसमो के अनुसार व्यस्त समय से लेकर मद समय तक के दिनो मे विभाजित किया गया इससे यह ज्ञात हुआ कि कुल रोजगार दिन मे जुलाई–सितम्बर और अप्रैल–जून माह के व्यस्त मौसम की तुलना मे जनवरी–मार्च के माह मे कम दिन रोजगार के लिए उपलब्ध हुआ। जुलाई–सितम्बर माह मे कुल 6,646 दिन के मजदूरी रोजगार के विरूद्ध जनवरी–मार्च के मन्द समय मे 5,165 दिन और रोजगार कार्यक्रम द्वारा 891 दिन रोजगार उपलब्ध हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि औसत कर्मकरो द्वारा रोजगार कार्यक्रम के दिन कुल रोजगार के दिन का 4 7 प्रतिशत और मजदूरी रोजगार का 10 4 प्रतिशत प्राप्त किया गया। सरकारी वार्तालापो व पूछताछ के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि, गैर कृषि से सम्बन्धित ग्रामीण कार्य जैसे कि लिक रोडो, नालो, सिचाई के लिए नहरो तथा भवन इत्यादि के निर्माण कार्य एक बार प्रारम्भ हो जाने पर उन्हे लगातार समयो मे पूरा करने का प्रयास किया गया, क्योकि कर्मचारियो व ऑफिसरो का यह विचार था कि यदि भूमि से सम्बन्धित इस प्रकार के कार्यो को अधूरा छोड दिया जाएगा, तो बरसात के मौसम मे निर्माण कार्य मे कठिनाई हो सकती है। अत इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब मजदूरो को मद मौसम मे कृषि से सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर कृषि कार्य ही जैसे ग्रामीण परिसम्पत्तियो का निर्माण इत्यादि कराते थे। क्योकि रोजगार कार्यक्रमो के ऑफिसर व कर्मचारी सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने लक्ष्य की पूर्ति मे अधिक रूचि रखते थे।

सक्षेप मे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य आवश्यकता के आधार पर नही अपितु लक्ष्य को पूरा करने के लिए किये गये।

आकडो के विश्लेषण से यह सूचित होता है कि विभिन्न कृषि मौसमो मे व्यावसायिक वर्गो के अन्तर्गत चयनित औसत (266) कर्मकर रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा 9 दिन का वार्षिक रोजगार प्राप्त करते थे। जबकि कर्मकरो के द्वारा औसत 91 दिन वार्षिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ था।

यह भी देखा गया कि चयनित औसत्त कर्मकरो मे सम्मिलित एक कृषि श्रमिक जुलाई–सितम्बर और अक्टूबर–दिसम्बर के माह मे 2 से 3 दिन और जनवरी–मार्च तथा अप्रैल–जून के माह मे क्रमश 5 और 1 दिन कार्यक्रमो के द्वारा रोजगार प्राप्त करते थे अर्थात् इन परिवारो के कर्मकरो द्वारा रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत विभिन्न कृषि मौसमो मे कुल 11 दिन का वार्षिक रोजगार आकलन किया गया। इसके विरूद्ध मे एक गैर कृषि श्रमिक और कारीगर परिवारो ने विभिन्न कृषि मौसमो मे औसत 14 दिन का वार्षिक रोजगार, रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा प्राप्त किया। आकडो के विश्लेषण के उपरान्त एक तथ्य यह निकलता है कि एक कृषि श्रमिक कर्मकरो की तुलना मे गैर कृषि कर्मकर को रोजगार कार्यक्रमो से अधिक दिन का रोजगार प्राप्त हुआ दूसरा मुख्य तथ्य यह भी था कि रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो मे गैर कृषि से सम्बन्धित कार्यो की ही प्रधानता थी। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्न कृषि मौसमो मे एक सीमान्त कृषक को कुल 57 दिन के वार्षिक मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ और रोजगार कार्यक्रमो से प्रत्येक महीने के कुल 9 दिन वार्षिक रोजगार प्राप्त किया। एक लघु कृषक परिवार को 17 दिन के वार्षिक मजदूरी रोजगार और प्रत्येक माह मे औसत 2 दिन इन कार्यक्रमो से वार्षिक रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार तालिका यह भी स्पष्ट करती है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित औसत कर्मकर परिवार जुलाई–सितम्बर और अप्रैल–जून के प्रत्येक महीने मे औसत 2 दिन इन कार्यक्रमो से रोजगार प्राप्त करते थे और जनवरी–मार्च के मद मौसम मे तीन दिन रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार बेरोजगार परिस्थितियो मे रहने वाले ग्रामीण गरीबो के लिए रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्य उपलब्ध रहता था, परन्तु स्थानीय ठेकेदारो की उपस्थिति के कारण इन कार्यो से ग्रामीण बेरोजगार गरीब

परिवार लाभ नही उठा पाते थे क्योकि अधिकतर कार्य उन्ही ठेकेदारो के नियमित कराये जाते थे। इन्ही कारणो से ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार योजनाएँ ग्रामीण गरीबो को स्थानीय ठेकेदारो के शोषण से मुक्त नही करा सकी थी। अत हमारी ये परिकल्पना कि "रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई" उपयुक्त नही रही, क्योकि स्थानीय ठेकेदारो की उपस्थिति से इनके कार्य सचालन मे बाधाएँ उत्पन्न हुई है।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नमूने के एक आदर्श कर्मकर को प्रति माह केवल 0 75 दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ। इससे गरीब ग्रामीण मजदूरो के रोजगार मे कोई उल्लेखनीय वृद्धि नही हुई जिससे ग्रामीण गरीबो की बेरोजगारी पर नियत्रण किया जा सकता। अत ये परिकल्पना कि "रोजगार परक योजनाओ से ग्रामीण बेरोज़गारी नियत्रित" हुई है उपयुक्त सिद्ध नही होती है। दूसरी यह परिकल्पना कि रोजगार परक कार्यक्रमो से ग्रामीण मजदूरो की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है विशेष रूप से सार्थक नही है क्योकि इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति मे कोई विशेष सुधार सम्भव नही हुआ।

तालिका 9.3

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकारो द्वारा विभिन्न मौसमों मे प्राप्त रोजगार

माह	कुल रोजगार दिवस	मजदूरी रोजगार	रोजगार कार्यक्रम	रोजगार कार्यक्रमो के दिवस से प्रतिशत कुल रोजगार से %	मजदूरी रोजगार से %
जुलाई–सितबर (खरीफ बुवाई)	14,822	6,846 (26)	400 (2)	2 7	5 8
अक्टूबर–दिसम्बर (खरीफ+कटाई+रबी बुवाई)	13,030	5,772 (22)	723 (3)	5 5	12 5
जनवरी–मार्च (निराई-गुडाई)	11,280	5,165 (19)	891 (3)	7 9	17 3
अप्रैल–जून (रबी कटाई)	14,547	6,375 (24)	507 (2)	3 5	8 0
योग	**53,679**	**24,158 (91)**	**2,521 (9)**	**4 7**	**10 4**

स्रोत: सर्वेक्षण

9.3. चयनित कर्मकर परिवारों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों से प्राप्त आय

सरकार द्वारा सचालित रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत चयनित कर्मकर परिवारो को 2521 दिन के रोजगार सृजन के द्वारा कुल 22,592 रुपए की आय उपार्जित हुई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए आकलित की गई जिसे तालिका 9 4 मे प्रस्तुत किया गया है।

आकडो के अध्ययन से यह भी सूचित होता है कि व्यावसायिक वर्गो मे सम्मिलित अन्य कृषक और मिश्रित व अन्य व्यावसायिक कार्यो से जुडे हुए परिवार को आय कम प्राप्त हुई, इसका कारण यह है कि इन परिवारो को रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा कम दिन रोजगार उपलब्ध हुआ। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि 27 कृषि श्रमिक् के परिवार कुल 7290 रुपए की आय रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त करते थे जिसमे प्रत्येक परिवार को 270 रुपए की आय उपर्जित हुई। इसके विरूद्ध गैर कृषि श्रमिको के 19 परिवार 7,410 रुपए की कुल आय रोजगार से प्राप्त किया जिसे प्रति परिवार 390 रुपए आकलित किया गया। इन आकडो के विश्लेषण के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि कृषि श्रमिक परिवारो की अपेक्षा गैर कृषक परिवार को रोजगार के द्वारा अधिक आय प्राप्त हुई इस तथ्य का एक मुख्य पहलू यह है कि कृषि श्रमिक परिवार अधिकाशत कृषि से सम्बन्धित कार्यो मे व्यस्त रहते थे। केवल गैर कृषि मौसमो मे ही उन्हे रोजगार की आवश्यकता पडती थी। जबकि प्रतिदर्श मे मजदूर वर्ग से गैर कृषि श्रमिक परिवारो ने कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यो मे अभिरूचि रखने के कारण रोजगार कार्यक्रमो से अधिक आय प्राप्त किया। क्योकि वे पूरे साल रोजगार कार्यक्रमो मे भाग लेते थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि रोजगार कार्यक्रमो से कारीगरो की कुल 3,652 रुपये की आय की तुलना मे, सीमान्त कृषक को 2,000 रुपये की आय उपार्जित हुई। इन सबके विपरीत 240 रुपये की कुल आय लघु कृषक परिवार प्राप्त करते थे जिसमे लघु कृषको को 40 रुपये, प्रति परिवार आय प्राप्त होती थी।

अग्रलिखित तालिका 9 5 मे विभिन्न व्यावसायिक वर्गो के अन्तर्गत

चयनित प्रति परिवार कर्मकरो की कुल आय, और इसमे सम्मिलित मजदूरी आय का प्रतिशत, रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार आय के आकलन के आधार पर किया गया है। इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि प्रतिदर्श मे सम्मिलित एक कृषक वर्ग के परिवार कुल 3151 रुपये की आय प्राप्त करते थे इसके अन्तर्गत उनकी कुल 2,251 रुपये की मजदूरी आय जोडी गयी थी। रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 270 रुपये, उनकी कुल आय का लगभग 9 प्रतिशत और मजदूरी आय का 12 प्रतिशत आकलित किया गया। सर्वेक्षण के द्वारा एक गैर खेतिहर श्रमिक को मजदूरी उपभोग का 10 प्रतिशत और कुल आय का 7 प्रतिशत रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त होने वाली प्रति परिवार 390 रुपये की आय के द्वारा जाना गया।

इसी प्रकार औसत परिवार मे सम्मिलित एक कारीगर और सीमान्त किसानो के रोजगार उपार्जन से क्रमश 332 रुपए (उनकी कुल आय का लगभग 7 प्रतिशत) और 200 रुपए (उनकी कुल आय का 4 प्रतिशत) आकलित किया गया। लघु कृषक परिवारो द्वारा प्रति परिवार 1,448 रुपये की मजदूरी आय, को जोडकर कुल 7,530 रुपये की आय प्राप्त की गई। रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त प्रति परिवार 40 रुपये, उनकी कुल आय का 0 5 प्रतिशत और मजदूरी आय का 3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर तालिका 9 5 मे एकत्र किये गये आकडो के विश्लेषण के उपरान्त इस निष्कर्ष का सक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है कि प्रतिदर्श मे औसत प्रति परिवारो की मजदूरी आय (2,046) रुपये को जोडकर कुल 5,063 रुपये की आय आकलित की गई जो कि रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त 259 रुपये उनकी कुल आय का क्रमश 5 1 प्रतिशत और मजदूरी आय का 12 6 प्रतिशत है अत इसका अभिप्राय यह है कि इन कार्यक्रमो से उपार्जित आय उनकी आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त नही थी। क्योकि रोजगार कार्यक्रमो द्वारा चयनित परिवारो को 22,592 रुपये की सहायता दिये जाने के बाद भी प्रति परिवार औसत आय 5063 से 5322 रुपये प्राप्त हुई, जो कि गरीबी रेखा के मानक 6,400 रुपये से काफी नीचे रही।

तालिका 9.4

रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त चयनित परिवारो की आय

व्यावसायिक वर्ग	कुल परिवार	रोजगार कार्यक्रम से प्राप्त आय	प्रति परिवार आय
कृषक वर्ग			
सीमान्त कृषक	10	2,000	200
लघु कृषक	6	240	40
अन्य कृषक	2	200	100
गैर कृषक वर्ग			
1 कारीगर	11	3,652	332
2 मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	12	1,800	150
मजदूर वर्ग			
कृषि मजदूर	27	7,290	270
गैर कृषि मजदूर	19	7410	390
योग	**87**	**22,592**	**259**

स्रोत . सर्वेक्षण

तालिका 9 5

कुल आय मे मजदूरी रोजगार एव रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय के प्रतिशत आकडे

व्यावसायिक वर्ग	कुल आय (प्रति परिवार)	मजदूरी आय (प्रति परिवार)	रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय (प्रति परिवार)	कुल आय से (प्रति परिवार) %	मजदूरी आय से (प्रति परिवार) %
कृषक वर्ग					
सीमान्त कृषक	5,250	1,155	200	3 8	17 3
लघु कृषक	7,530	1,448	40	0 5	2 8
अन्य कृषक	12,460	–	100	0 8	–
गैर कृषक वर्ग					
कारीगर	4,870	1,411	332	6 8	23 5
मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग	6,390	517	150	2 3	29 0
मजदूर वर्ग					
कृषि मजदूर	3,151	2,251	270	8 6	12 0
गैर कृषि मजदूर	5,398	3,961	390	7 2	9 8
औसत	5,063	2,046	259	5 1	12 7

स्रोत सर्वेक्षण

उपर्युक्त विश्लेषण से मुख्य निष्कर्ष यह है कि रोजगार कार्यक्रमो ने ग्रामीण परिवारो को इतना लाभान्वित नही किया जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारो की आर्थिक स्थिति अपेक्षा के अनुरूप सुधर सके।

स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय 4,40,484 रुपए मे रोजगार कार्यक्रमो द्वारा उपार्जित कुल 22,592 रुपये की आय जोडने पर कुल 4,63,076 रुपए की आय प्राप्त की गई जो कि प्रति परिवार औसत 5,322 रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रु की गरीबी रेखा से काफी नीचे रही है।

इस तथ्य से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा रोजगार सचालन का कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारो की आय को बढाने मे कोई विशेष सफल नही रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय 10

10.0 निष्कर्ष एवं सुझाव

10.1 निष्कर्ष

10 2 रोजगार कार्यक्रमो की समस्याए

10 3 रोजगार कार्यक्रमो को सुचारू रूप से सचालित करने के सुझाव

10 4 रोजगार कार्यक्रमो के विषय मे ग्रामीणो एव कर्मचारियो के विचार

अध्याय 10

निष्कर्ष एवं सुझाव

10.1 निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए —

1 87 परिवारो के प्रतिदर्श मे कृषको के 18 और गैर–कृषक के 23 एव मजदूर वर्ग के 46 परिवार सम्मिलित पाये गये
प्रतिदर्श मे कृषक परिवारो मे तीन श्रेणियो के परिवार सम्मिलित थे। सीमान्त कृषक (10) लघु कृषक (6) अन्य कृषक (2) गैर–कृषक वर्ग मे कारीगर व मिश्रित व अन्य व्यावसायिक वर्ग के परिवार पाये गये जबकि मजदूर वर्ग मे कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर थे। प्रतिदर्श मे सम्मिलित परिवारो मे सदस्यो की सख्या 574 थी जिनमे 266 अर्थात् 46.3 प्रतिशत कार्यशील सदस्य थे। चयनित परिवारो की भूमि जोतो का औसत आकार 0 40 हेक्टेयर आका गया है।

2 इन परिवारो की कुल रुपये 4,77,663 की सम्पत्ति थी जो प्रति परिवार औसत सम्पत्ति थी 5,490 रुपये आकलित की गयी रोजगार के द्वारा कुल रुपये 4,40,484 मात्र की आय स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त की गई जो प्रति परिवार रुपये 5,063 वार्षिक आय के रूप मे थी। चयनित कर्मकर परिवारो की आय मे विभिन्नताओ के कारण ही लघु कृषक और अन्य कृषक परिवारो को छोडकर शेष परिवार गरीब व कमजोर आर्थिक स्थिति के थे।

3 चयनित परिवारो मे सम्मिलित 266 कर्मकरो मे 204 पुरूष, 49 महिलाएँ और 13 बाल कर्मकर पाये गये। चयनित कर्मकर परिवारो ने आलोच्य वर्ष मे 53,679 दिन का कुल रोजगार प्राप्त किया अर्थात् औसत श्रमिक को 202 दिन का वार्षिक रोजगार

उपलब्ध हुआ जो कि 17 दिन प्रतिमाह आकलित किया गया। औसत श्रमिक (266) के 202 दिन के वार्षिक रोजगार मे 111 दिन का स्वरोजगार और 91 दिन का मजदूरी रोजगार सम्मिलित था। औसत कर्मकरो को कृषि मौसम के मन्द मौसम मे 42 दिन अर्थात् 14 दिन प्रतिमाह और व्यस्त मौसम मे 55 दिन अर्थात् 18 दिन प्रतिमाह का रोजगार प्राप्त हुआ।

4 इस प्रकार औसत कर्मकर को मन्द मौसम मे वार्षिक कुल 42 दिन मे 19 दिन (6 दिन प्रतिमाह) कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार और 23 दिन स्वरोजगार प्राप्त हुआ। जबकि व्यस्त मौसम मे वार्षिक कुल 55 दिन मे 24 दिन (8 दिन प्रतिमाह) स्वरोजगार प्राप्त किया। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि मौसमो का गैर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र मे मजदूरी रोजगार पर विशेष प्रभाव पडा।

5. जहॉ तक बेरोजगारी का प्रश्न है 250 दिन के पूर्ण रोजगार के स्तर के विरूद्ध चयनित परिवारों के औसत कर्मकर एक साल मे 48 दिन अर्थात् एक महीने मे 4 दिन बेरोजगार रहते थे।

6 रोजगार कार्यक्रमो द्वारा चयनित कर्मकर परिवारो को आलोच्य वर्ष मे कुल 2,521 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जो कि प्रति कर्मकर 9 दिवस का रोजगार आकलित किया गया। 204 पुरूषो को 2318 मानव दिवस (11 दिन प्रतिकर्मकर) 49 महिलाएँ 56 दिन (1 दिन प्रति कर्मकर) और 13 बच्चो को 147 दिन (11 दिन प्रतिकर्मकर) रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुरूष कर्मकरो ने कुल रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त रोजगार का 92 प्रतिशत प्राप्त किया और महिला एव बाल कर्मकरो को क्रमश 2,6 प्रतिशत ही रोजगार प्राप्त हुआ। 2521 मानव दिवस के रोजगार सृजन के द्वारा कुल 22,592 रुपए की आय उपार्जित की गई जो कि प्रति परिवार 259 रुपए थी।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अतिरिक्त आय को सम्मिलित करने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एक औसत परिवार की आमदनी मे कोई विशेष सुधार सम्भव नही हुआ।

7 आकडो के विश्लेषण से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि कृषि मजदूर बुवाई और कटाई के समय रोजगार कार्यक्रमो मे भाग नही लेते थे क्योकि इन अवसरो पर उन्हे कृषि कार्यो मे ही पर्याप्त रोजगार मिल जाता था जबकि गैर कृषि मजदूर और कारीगर इन मौसमो मे भी रोजगार कार्यक्रमो मे कार्य करने के लिए उपलब्ध रहते थे।

8 सर्वेक्षण से यह भी विदित हुआ कि कृषि मजदूर रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यो मे ही अभिरूचि रखते पाये गये जबकि गैर कृषि मजदूर और कारीगरो के विषय मे ऐसी स्थिति नही थी वे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि कार्यो के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो को भी करते थे। सम्भवत इसी कारण से गैर कृषि मजदूरो ने कृषि मजदूरो की अपेक्षा इन कार्यक्रमो से अधिक रोजगार प्राप्त किया जबकि अन्य धन्धो से जुडे हुए कर्मकरो ने इन कार्यक्रमो से कम दिन का रोजगार प्राप्त किया क्योकि वे अपने मुख्य व्यवसाय जैसे व्यापार इत्यादि से अधिक आय प्राप्त करते थे।

9. आकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न कृषि मौसमो मे रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कृषि मजदूर परिवारो ने कुल 11 दिन प्रति कर्मकर का वार्षिक रोजगार प्राप्त किया जबकि गैर कृषि मजदूर परिवारो को कुल 14 दिनो का वार्षिक रोजगार उपलब्ध हुआ जो कि कृषक मजदूरो की अपेक्षा अधिक था।

10 सर्वेक्षण से एक और उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत हुआ कि पुरूष कर्मकरो की तुलना मे स्त्री कर्मकरो को बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध हुआ। स्त्री कर्मकर सामाजिक परिस्थितियो तथा कार्यस्थल की दूरी के कारण रोजगार कार्यक्रमो का अपेक्षित लाभ प्राप्त नही कर सकी।

11 रोजगार कार्यक्रमो के मूल्याकन से यह भी विदित हुआ कि इन कार्यक्रमो के लक्ष्यो की पूर्ण प्राप्ति नही की जा सकी। समय–समय पर इनके सचालन मे आने वाली अनेक समस्याओ से रोजगार कार्यक्रमो के क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित होती रही जिनसे लक्ष्य प्राप्ति न हो सकी। कुछ प्रमुख समस्याए जैसे कार्यक्रमो मे

ठेकेदारो की उपस्थिति कर्मचारियो मे सहयोग एव समन्वय की कमी, जनसहभागिता का अभाव, कार्यक्रमो मे समायोजन का अभाव, कार्य की रूप रेखा एव उनके कार्यान्वयन मे कमी, कार्यक्रमो मे प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियो का अभाव, धन के आबटन मे उत्पन्न अनियमितताए इत्यादि उल्लेखनीय बाधाएँ थी।

12 उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह परिकल्पना कि रोजगार योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई पुष्ट नही हुई क्योकि स्थानीय ठेकेदारो की उपस्थिति से इनके कार्य सचालन मे बाधाएँ उपस्थित हुई थी।
अन्य अवाछित समस्याओ ने भी कार्यक्रमो को विधिवत सम्पन्न नही होने दिया।

13 यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आवश्यकता के आधार पर नही अपितु लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गये। मन्द मौसम मे रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा गरीब मजदूरो से कृषि से सम्बन्धित रोजगार दिलाने की अपेक्षा गैर कृषि कार्य कराये गये।

14 एक औसत कर्मकर को प्रतिमाह 0 75 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ इससे गरीब ग्रामीण मजदूरो के रोजगार मे कोई उल्लेखनीय वृद्धि नही हुई। यह परिकल्पना भी कि रोजगार–परक योजनाओ से ग्रामीण बेरोजगारी नियत्रित हुई है पुष्ट नही हुई।

15 यह परिकल्पना कि रोजगार–परक कार्यक्रमो से ग्रामीण मजदूरो की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है सिद्ध नही हुई क्योकि इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत रोजगार से प्राप्त आय के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति मे कोई विशेष सुधार सम्भव नही हुआ।

16 स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय मे रोजगार कार्यक्रमो द्वारा उपार्जित आय जोडने पर कुल 4,63,076 रुपए की आय प्राप्त की गयी जो कि प्रति परिवार औसत 5,322 रुपए आकलित की गई यह वर्तमान मानक 6400 रुपए की गरीबी रेखा से काफी नीचे रही है इस तथ्य से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि सरकार द्वारा रोजगार सचालन का कार्यक्रम रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीब परिवारो की आय को बढाने मे कोई विशेष सफल नही रहा है।

10.2 रोजगार कार्यक्रमों की समस्यायें

हमारे देश की भारतीय अर्थव्यस्था मुख्यत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहा की लगभग 74 3 प्रतिशत जनसख्या गावो मे निवास करती है इस प्रकार प्रत्येक चार भारतीय मे से तीन भारतीय गावो मे रहते है देश की राष्ट्रीय आय मे कृषि का योगदान लगभग 34 प्रतिशत है, तथा देश के निर्यात मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से ही आता है अत यह निर्विवाद है कि भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है।

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि, सिचाई, पशुपालन, परिवहन एव सचार स्वास्थ्य सहकारिता, ग्रामीण उद्योग आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त कृषि का मौसमी स्वरूप तथा लघु एव कुटीर उद्योग की दयनीय स्थिति, और गरीब परिवार की भूमिहीन महिलाओ, इत्यादि को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने एव अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु विभिन्न रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। जिससे ग्रामीणो की रोजगार की व्यवस्था एव गरीबी को दूर किया जा सके।

जैसा कि आधुनिक भारत के निर्माता प जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा है –

''ग्रामीण भारत की बेरोजगार एव अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियो को कम करना सबसे बडा राष्ट्रीय प्रयास है।[1]

विभिन्न कार्यक्रमो के मूल्याकन से यह विदित हुआ कि इनका लाभ लगभग कुछ ग्रामीण गरीबो तक पहुच रहा है लक्ष्य प्राप्ति मे भी कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई, परन्तु आय बढाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां लगभग आधी ही रही है। समय–समय पर इनके सचालन कार्य मे आने वाली समस्याओ से रोजगार कार्यक्रमो के क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित होती रही जिससे लक्ष्य प्राप्त न हो सकी। रोजगार कार्यक्रमो की कुछ प्रमुख समस्याए इस प्रकार प्रस्तुत है –

---

1 शिवेन्द्र नारायण सिह ''ग्रामीण बेरोजगारी एव रोजगार योजनाए'' कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 1989, पृष्ठ स 35

1. कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय की कमी अथवा जनसहभागिता का अभाव :

रोजगार कार्यक्रमो का लाभ उन लोगो को प्राप्त नही हो सका है, जिनके लिए ये योजनाए शुरू की गई थी। इसका प्रमुख कारण जनसाधारण की इन योजनाओ के प्रति अज्ञानता, तथा कार्यक्रम सम्बन्धी इन योजनाओ की जटिल प्रक्रियाए है, इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमो के प्रति, कर्मचारियो मे सहयोग एव समन्वय का अभाव भी पाया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अपने व्यक्तियो को कार्यक्रमो का लाभ दिलाने मे सफल हो जाते है, तथा जरूरतमद वचित रह जाते है।

2. कार्यक्रमों में समायोजन का अभाव

सरकार द्वारा सचालित केन्द्रीय स्तर पर बनाये गये कार्यक्रम, सम्पूर्ण देश मे समान रूप से लागू कर दिए जाते है जबकि इन कार्यक्रमो मे क्षेत्र–विशेष के अनुसार आवश्यक समायोजन का अभाव है। उदाहरण स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रो की भौगोलिक एव सामाजिक परिस्थितिया मैदानी क्षेत्रो से पूर्णत भिन्न है केवल इतना ही नही अपितु ग्रामीण क्षेत्रो मे भी लागू किये जानेवाले इन कार्यक्रमो का समायोजन वहा की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियो के अनुकूल नही है। अत कार्यक्रम की इन समस्याओ से लोगो को पर्याप्त लाभ प्राप्त नही हो सका है।

3. कार्य की रूपरेखा एवं उनके कार्यान्वयन में कमी

जिला ग्रामीण विकास एजेसियो तथा जिला परिषदो द्वारा नई योजना मे नए कार्यो को शुरू कर दिया जाता है तथा अधूरे कामो को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान नही दिया जाता, और न ही नई योजना मे नए कार्यो को शुरू करने से पहले उनके प्राथमिक सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था की जाती है। जिससे कार्यो को उचित ढग से सचालित करने मे कठिनाईया आती हैं।

4. कार्यक्रमों में ठेकेदारों की उपस्थिति

रोजगार कार्यक्रमो की प्रमुख समस्या ठेकेदारो की उपस्थिति है। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत किये जाने वाले अधिकाश कार्य ठेकेदारो द्वारा कराये जाते है। ठेकेदारो की इस उपस्थिति से इन कार्यक्रमो के कार्यो का लाभ

उन बेरोजगार गरीब परिवारो को प्राप्त नही हो पाता जो कि वास्तव मे इन कार्यो के अधिकारी है।

5. कार्यक्रम में प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव

योजनाओ मे सम्मिलित प्रशिक्षित एव कुशल कर्मचारियो के अभाव के कारण समय समय पर कार्यक्रमो के सफल कार्य सचालन मे कठिनाईया उपस्थित होती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम चुनने, और उस पर अमल करने की योजना, बनाने का पूरा अधिकार निश्फल हो जाता है, और इस प्रकार कार्य का सचालन नियमत नही हो पाता है।

6. धन के आबंटन में अनियमितता

कार्यक्रम हेतु, धन के आबटन तथा वास्तविक प्राप्ति की अवधि मे पर्याप्त अन्तर होता है। इसका प्रमुख कारण सरकारी अधिकारियो द्वारा धन का व्यर्थ कार्यो मे खर्च होना, तथा निर्धारित धनराशि से कम धन वितरित करना, इत्यादि समस्याए पायी.जाती है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न जिलो मे कार्यरत कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे धनराशि विलम्ब से प्राप्त (वितरित) होती है। जिससे रोजगार और परिसम्पत्तियो को उद्देश्यो के अनुरूप ठीक ढग से पारित करने मे विलम्ब होता है। अत- धन के आबटन मे अनियमितता रोजगार कार्यक्रमो की समस्याओ से जुडी है।

7. कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति में रूचि

अधिकारी वर्ग द्वारा इन कार्यक्रमो के केवल लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष बल दिया जाता है प्राय वास्तविक लाभार्थी को खोजने मे उनकी रूचि कम होती है। उदाहरण के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम मे लाभार्थी को प्रशिक्षण हेतु भेजने से पूर्व उनकी रूचि आदि पर कोई विशेष ध्यान नही दिया जाता परिणामस्वरूप प्रशिक्षण के बाद भी लाभार्थी उस व्यवसाय को नही अपनाता। वस्तुस्थिति यह है कि लक्ष्य प्राप्ति ही अधिकारी की कुशलता एव कार्यक्षमता का मापदण्ड बन गई है।

8. प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय का अभाव :

हमारे देश मे ग्रामीण प्रशासन बहुस्तरीय है एक ओर जिलाधिकारी, एस डी एम , तहसीलदार, चिकित्सक, शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, ग्रामीण

कार्यकर्ता आदि योजना के कार्यो के प्रति उत्तरदायी होते है तथा दूसरी ओर पचायती राज के प्रतिनिधि – सरपच, पच प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला प्रमुख आदि होते है। वे जिला प्रशासन मे अधिकाशत शहरी क्षेत्रो से आते है जो ग्रामीण परिवेश से पूर्णत परिचित नही होते। ग्रामीण क्षेत्रो के प्रशासन मे खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता है जिसे एक ओर पचायती राज के प्रतिनिधियो को सन्तुष्ट करना होता है तथा दूसरी ओर वह जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इस प्रकार अधिकारो की सीमितता के कारण वह न तो अपने कर्मियो पर पर्याप्त नियत्रण रख पाते है और न ही साधनो, आवश्यकताओ और प्राथमिकताओ मे समन्वय स्थापित कर पाते है।

9. स्थानीय संस्थाओं की गैर मौजूदगी :

जिला ग्रामीण विकास एजेसिया अपने विभिन्न कार्यरत विभागो के माध्यम से भी स्थानीय सस्थाओ की गैर उपस्थिति के कारण कार्यक्रमो के कार्य निरीक्षण मे समन्वय स्थापित करने मे असफल रही है क्योकि स्थानीय सस्थाओ की उपस्थिति से कार्यो को सुनिश्चित ढग से सचालित किया जा सकता है। स्थानीय सस्थाए समय–समय पर परियोजना के कार्यो पर भी दृष्टि रख सकते है।

10. सरकारी सेवकों की मानसिकता :

रोजगार कार्यक्रमो मे सलग्न कर्मचारियो की ग्रामीण क्षेत्रो की सस्कृति, परम्पराओ और समस्याओ के प्रति कोई अभिरूचि नही होती, अत· नियुक्ति के साथ ही वे अपने स्थानान्तरण हेतु प्रयत्नशील हो जाते है। जिससे इन कार्यक्रमो के सचालन मे कठिनाई आती है। आवासीय तथा शहरी सुख सुविधाओ की कमी के कारण ये लोग अपनी नियुक्ति अवधि मे भी गावो मे रूकना नही चाहते।

उपरोक्त रोजगार योजनाओ की समस्याओ की विवेचना से यह दृष्टिगोचर होता है, कि ये कार्यक्रम अपने इच्छित तरीके से न तो ग्रामीण आय को मजबूत कर सकी, और न ही ग्रामीण बेरोजगारी को मिटा सकी। अत इन कार्यक्रमो की आशातीत सफलता के लिए इनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया का पुर्नमूल्याकन की आवश्यकता है, तथा कार्यक्रम की सफलता लक्ष्य–प्राप्ति पर आधारित न होकर लाभ परिमाण पर आधारित होनी

चाहिए। इन समस्याओ के निराकरण तथा रोजगार योजनाओ को सुचारू रूप से सचालित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश व सुझाव है –

10.3. रोजगार परक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के सुझाव

1. प्राथमिक सर्वेक्षण की तैयारी :

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को प्रारम्भ करने से पहले उनका प्राथमिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है, जिससे कर्मचारियो द्वारा कार्य के गुण और दोषो पर विचार करके उसमे सुधार किया जा सके इससे कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे सुविधाजनक रूप से सफलता प्राप्त होती है।

2. ठेकेदारों पर पाबंदी

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी कोई भी काम ठेकेदारो से नही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई बिचौलिया या मध्यस्थ एजेसी को भी शामिल नही करना चाहिए। जिससे मजदूरो का शोषण न हो सके और मजदूरी का पूरा लाभ बेरोजगार श्रमिको को मिले इसके अतिरिक्त ठेकेदारो या बिचौलियो को दिए जाने वाले कमीशन से लागत न बढे। क्योकि इनकी उपस्थिति रोजगार योजनाओ के मुख्य लक्ष्यो को निश्फल कर देती है।

इसका एक उपयुक्त उपाय यह भी हो सकता है कि शिक्षित युवको को अपना एक सगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अथवा स्थानीय कार्यकर्ता को भी सगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हे इस प्रकार के कार्यो मे सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रयत्न से कई प्रकार की समस्याओ जैसे – ठेकेदारो पर पाबदी, योजनाओ की तकनीकी समस्याए, इत्यादि पर सफलता प्राप्त कर सकते है।

3. जनसाधारण की सम्पत्ति का रख रखाव :

योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियो को सम्बन्धित विभागो को सौप देना चाहिए। ग्रामीणो की सम्पत्तियो की देख भाल के लिए उचित प्रबन्ध होना

चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय सस्थाओ को भी शामिल किया जा सकता है।

4. नगद मजदूरी का भुगतान

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत खाद्यान्न के रूप मे मजदूरी का भुगतान किया जाता है, खाद्यान्नो मे मिलावट होने से मजदूरो को आपत्ति होती है। अत सभी मजदूरो को मजदूरी का नगद भुगतान किया जाना चाहिए।

रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से अलग करने का प्रयास नही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर मजदूरो को दी जाने वाली सुविधाए जैसे पीने का पानी उपलब्ध कराना, आराम करने के लिए शैड, तथा मजदूर महिलाओ के बच्चो के बालगृह के लिए मजदूरी मे से कोई कटौती नही करनी चाहिए।

5. वित्तीय अनुमोदन की शीघ्रतर स्वीकृति

वित्तीय ऐजेन्सियो (जैसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार) को योजना सम्बन्धी कार्यो के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र वित्त निर्गत करना चाहिए। जिससे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो के विभिन्न विभागो के माध्यम से प्रत्येक जिलो मे धन वितरित किया जा सके, जिससे योजना सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यो को भी उद्देश्यो के अनुसार पूरा किया जा सकता है।

6. गैर मौसम में कार्यो का कार्यान्वयन

रोजगार योजनाओ द्वारा कार्य मुख्य रूप से गैर मौसम मे कराया जाना चाहिए, जब कृषि क्षेत्र मे श्रमिको को कम रोजगार उपलब्ध होता है, तभी गरीब ग्रामीण जन रोजगार योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसलिए योजना को लागू करने वाली एजेन्सियो को ये निर्देशित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण कार्य गैर कृषि मौसम के समय मे किये जाने चाहिए।

7. स्त्री श्रमिकों के लिए कार्य की व्यवस्था

रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत साधारणत कठिन परिश्रम वाले कार्य जैसे नालो की खुदाई, निर्माण सम्बन्धी कार्य, ग्रामीण सडको की मरम्मत

इत्यादि महिला श्रमिको के लिए उपयुक्त नही होता इसके अतिरिक्त ये सभी कार्य गॉव से कुछ दूर के क्षेत्रो मे भी किये जाते है जहॉ महिला श्रमिक कार्य स्थलो के दूर होने के कारण पहुँच पाने मे असमर्थ होती है। अत रोजगार योजनाओ को उन सभी कार्यो को अपने कार्यक्रम मे सम्मिलित करने की प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमे महिला श्रमिको की भागीदारी को सरलता से सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि पौध गृह का रख रखाव, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, दरी कालीन की बुनाई, अगरबत्ती बनाना, पापड, अचार मुरब्बा बनाना इत्यादि।

8. प्रशिक्षकों को सुविधाएँ

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त बहुत सी समस्याओ का सामना करना पडता है जैसे स्थानीय बाजार मे उनके स्वरोजगार हेतु समानो की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण इस लक्ष्य को निश्फल कर देती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक कच्चे माल के क्रय हेतु वित्तीय कमी भी उन्हे स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने मे असर्मथ होती है। अत रोजगार योजनाओ द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सुविधाए प्रदान करनी चाहिए। उदाहरणार्थ ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ होते ही प्रशिक्षण की अवधि के समय टूलकिट सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धनराशि स्वरोजगार/सवेतन दोनो श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियो को देनी चाहिए। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि मे प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से धनराशि कोष से उपलब्ध करायी जाए।

9. कोष के प्रयोग में सावधानी

रोजगार कार्यक्रमो के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य व्यर्थ कार्यो में व्यय नही करना चाहिए। इससे रोजगार कार्यक्रमो के उपयोगी कार्य पद्धतियो के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पडता है। अत कोष मे निर्धारित धनराशि को उपयोगी कार्यो मे व्यय करके धन का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे रोजगार और ग्रामीण परिसम्पत्तियो को पारित हुए उद्देश्यो के अनुसार बनाया जा सके।

10.

योजना द्वारा कार्यक्रम को रेखाकित करते समय ग्रामीणो के दृष्टिकोणो को आत्म विश्वास मे लेना चाहिए जिससे वे अपने आप को इस कार्यक्रम मे सम्मिलित होने का अहसास कर सके और परिसम्पत्तियो की सुरक्षा, एव रख रखाव इत्यादि से सम्बन्धित कार्यो मे आवश्यक सहयोग दे सके।

11.

कार्यक्रमो के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे योजनाओ का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका चयन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि पचायत के प्रत्येक गॉव को लाभ मिल सके।

12.

कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अर्थ सरचना एव विशेषज्ञो की कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाए तभी इन कार्यक्रमो के सचालन कार्य मे सफलता प्राप्त हो सकती है।

13.

रोजगार कार्यक्रमो के कार्यान्वयन हेतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रो मे पचायते उन सभी प्रधान क्षेत्रो एव ससाधनो पर विशेष दृष्टि रखे जिनके निजी क्षेत्र के हाथो मे चले जाने के बाद रोजगार के अवसर कम हो जाते है। इसके अतिरिक्त पचायतो की उपलब्धियो एव समस्याओ का भी समय–समय पर मूल्याकन किया जाना चाहिए।

14.

कार्य का चयन, स्थल का चयन, कार्य का निम्न स्तर, एव मजदूरी भुगतान, सम्बन्धी कोई शिकायत होने पर उसके शीघ्र जॉच की व्यवस्था हो। दोषी व्यक्ति के विरूद्ध शीघ्र उचित कारवाई भी होनी चाहिए।

15.

रोजगार कार्यक्रमो मे भाग लेने वाले प्रत्येक ग्रामीण मजदूर को रिकार्ड बुक दिया जाना चाहिए जिसमे उनका परिचय पत्र भी शामिल होना

चाहिए। जिस प्रकार का भी रोजगार और मजदूरी का भुगतान वह प्राप्त करते है, उसे रिकार्ड बुक मे अच्छी तरह दर्ज करवाना चाहिए।

यदि उपरोक्त उपयो पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो नि सन्देह रोजगार परक कार्यक्रम आशा के अनुकूल प्रभावकारी सिद्ध होगे तथा उनके द्वारा गरीबी और बेरोजगारी पर नियत्रण किया जा सकेगा। परन्तु यह तभी सभव है जबकि इन कार्यक्रमो के वास्तविक लाभार्थियो अर्थात् ग्रामीण वर्गो – विशेषकर भूमिहीन मजदूरो, कृषि श्रमिको, एव महिलाओ, को जागृत किया जाए और तथ्यो की उन्हे सही जानकारी दी जाए इसके बिना दलालो एव बिचौलियो के द्वारा उनका शोषण होता रहेगा और रोजगार कार्यक्रमो के सचालन कार्यो मे बाधा पहुँचती रहेगी।

इसी सन्दर्भ मे पडित नेहरू का यह कथन है कि "हम जो भी योजना तैयार करे उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखो देशवासी, जो मात्र अपनी जीविका पूर्ण कर पाते है उनको इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है।"

10.4 रोजगार कार्यक्रमों के विषय में ग्रामीणों एवं कर्मचारियों के विचार

इलाहाबाद जनपद के चयनित ग्रामो मे सर्वेक्षण के समय रोजगार कार्यक्रमो से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियो तथा समस्याओ को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इलाहाबाद के कार्यालय के कर्मचारियो एव मुख्य विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियो के माध्यम से जाना गया इसके अतिरिक्त कुछ चयनित ग्रामो के ग्रामवासियो के द्वारा भी इसे जानने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत अध्याय मे ग्रोजगार कार्यक्रमो के विषय मे ग्रामीणो एव कर्मचारियो द्वारा दिए गए विचारो के कुछ बिन्दु इस प्रकार निम्नवत है

1 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत दिए जाने वाले निर्माण सम्बन्धी कार्यो मे श्रमिको के पारिश्रमिक मे वृद्धि की जाए।

2 रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा श्रमिको को निरन्तर रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण कृषि श्रमिको के लघु तथा सीमान्त

कृषक परिवारो को गैर कृषि मौसम मे भी रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके।

3 कुछ ग्रामीण जनो एव कर्मचारियो का यह भी सुझाव था कि कार्य स्थल गॉव के समीप होना चाहए, जिससे पुरुष श्रमिको के अतिरिक्त इन कार्यक्रमो मे हिस्सा लेने वाले विशेषकर महिला व बाल श्रमिक बिना किसी कठिनाई के कार्य स्थल तक पहुॅच सके।

4 रोजगार मे सम्मिलित होने वाली महिला श्रमिको के साथ कोई भेदभाव नही बरतना चाहिए। उन्हे पुरुष श्रमिको के समान कार्य मे बराबर हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए इसके अतिरिक्त कार्यक्रमो के अन्तर्गत उनके अनुसार उपर्युक्त कार्यो को प्राथमिकता देनी चाहिए।

5 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य श्रमिको को उपलब्ध होते है उन्हे ठेकेदारो के द्वारा कराया जाता है। अत कार्यक्रम मे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जिससे श्रमिको को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके।

6 रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा परिसम्पत्तियो के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

7 रोजगार कार्यक्रमो से जुडे हुए कार्य को करने वाले श्रमिको व मजदूरो को फावडे, कुदाल, खडन्जा इत्यादि समान समय पर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे मजदूरो को कार्य करने मे सुविधा उपलब्ध हो सके।

8 रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरो के नियमित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरी भुगतान श्रमिको को कैश व नगद किया जाए।

9 रोजगार पर जाने वाली महिला श्रमिको के बच्चो की देखभाल की समुचित व्यवस्था कार्य स्थल पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

10 कुछ ग्रामीण जनो का यह भी सुझाव था कि रोजगार कार्यक्रमो के अन्तर्गत रहने के लिए जिन भवनो का निर्माण कार्यदायी सस्था द्वारा किया गया है उसको कार्याध्यक्ष शीघ्र अधिग्रहण करले और उनमे पाई गई कमियो को शीघ्र दूर कराये।

11 कार्यक्रमो के अन्तर्गत जिन भवनो का निर्माण कराया जाए उन प्रत्येक भवनो मे उथले नलकूपो की व्यवस्था की जाए।

12 कार्यक्रम द्वारा आबटित धनराशि के प्रयोजन को ध्यान मे रखते हुए सर्वप्रथम अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की शीघ्र प्राथमिकता दी जाए।

13 प्रत्येक ग्रामो मे इन कार्यक्रमो द्वारा पशुओ का टीकाकरण एव उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

14 योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर चल रहे कार्य के समय स्थल बोर्ड पर श्रमिको की देय न्यूनतम मजदूरी का उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे कि श्रमिको को इसका ज्ञान हो सके।

15 कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को देय मजदूरी का भुगतान कार्य स्थल पर ही प्रत्येक सप्ताह मे स्थानीय व्यक्तियो जैसे – ग्राम प्रधान, सरपच, पच, क्षेत्र समिति के सदस्यो की उपस्थिति मे किया जाए।

16 पुरुष और महिला श्रमिको को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जानी चाहिए और पुरुष तथा महिला श्रमिको मे कोई भेदभाव नही बरतना चाहिए।

17 योजनान्तर्गत कार्यान्वित परियोजनाओ के कार्यस्थल पर श्रमिको को यथावश्यक निम्न सुविधाओ पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे – पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, श्रमिको के शिशुओ के लिए शिशु सदन की सुविधा।

18 कार्यक्रम द्वारा श्रमिको को मजदूरी के रूप मे उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न का मूल्य भारत सरकार द्वारा योजना के लिए समय–समय पर निर्धारित मूल्यो से अधिक नही होना चाहिए।

19 जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाए जाने वाले 10 लाख कूप योजनान्तर्गत ग्रामो के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषको के खेतो मे नि शुल्क बोरिग की व्यवस्था सुलभ कराया जाए।

20 इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऐसे अनुसूचित जाति/जनजाति के और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वे परिवार जो भूमिहीन, आवासहीन तथा निर्धन है उनको आवासीय आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

21 रोजगार कार्यक्रमो के द्वारा प्रत्येक जिले के ग्रामो मे सफाई व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम नालियो, व सडको का निर्माण कराया जाना चाहिए।

22 ग्रामीणो के अनुसार—स्वरोजगार मे स्थापित युवाओ के द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री की समस्या रहती है। अत जनपद मे ऐसे विभागो को चिन्हित किया जाए जो इस प्रकार सामग्री का उपभोग करते हो। इसके अतिरिक्त अधिकारियो की अध्यक्षता मे यह प्रयास किया जाए कि शासकीय सरस्थाए इस उत्पादित माल को क्रय करे।

सन्दर्भ सूची
(BIBLIOGRAPHY)

1 Adke, A S (1974), Rural Construction in India, Dharwar, Karnataka University

2 Agarwal, S N , (1944) The Gandhian Plan, Allahabad, Padma Publications

3 Appu, P S. (1975) Agrarlian Stiucture and Rural Development, New Delhi, Training Division, Cabinet Secretariat.

4 Arora, R.C (1978), Industry and Rural Development, New Delhi Asian Centre for Development Administration, (1976), Strategies of Rural Development in Asia A Discussion, Kuala-Lumpur ACDA

5 Aiyanger, K V R (1957) Akhil Bharat Sarva Seva Sangh, Planning for Sarvodaya, Kashi

6 All India Khadi and Village Industries Board, (1956), Building from Below Bombay

7 Asirvatham Eddy, Association of Voluntary Agencies for Rural Development, YMCA Publishing House

8 Athvale, M C (1973), Small Farmer's Development Agencies · M P , Jabalpur, Agro Economics Research Centre.

9 Aziz Abdul, (1980), Organising Agricultural Labourers in India, a Proposal, ISER, Bangalore, Minerva Associates Publication

10 Baden powell, B H , (1974), The Land System of British India, Delhi Oriental Publishers

11 Banerji, Hiranmay, (1966), Experiments in Rural Reconstruction, Calcutta Viswa Bharti

12 Banerjee, P K (1977) Indian Agricultural Economics, Financing Small Farmers, New Delhi, Chetna Publications

13 Bawa D S, (1975) Rural Project Planning Methodology and Case Studies, New Delhi

14 Basham, A L, (1966) Aspects of Ancient Indian Culture, Bombay, Asia

15 Bepin Behari (1976) Rural Industrialisation in India, Delhi Vikas.

16 Bhattacharya, S N, (1970), Community Development. An Analysis of the Programme in India, Calcutta, Academic Publishers

17 Bhatnagar, S (1976), Rural Local Government in India, New Delhi, Ajanta Book International.

18 Bosselmann, Axel, (1978), Indian Rural Development Its Instruments and Post Independent Reality, Summer Semester

19. Brahmanand P.R., (1978), Planning for a Futureless Economy, Bombay, Himalaya.

20 Braibanti, Ralphand Spengler, Joseph Jcede, (1963) Administration and Economic Development in India, London, Cambridge University.

21 Brayhe, F L (1954), Socrates in An Indian Village, Calcutta, Oxford University Press

22 Brown, D.H Agricultural Development in Indian's Districts. Cambridge University Press

23 Carter, Anthony T, (1974), Elite Politics in Rural India. Political Stratification and Political Alliance in Work in Maharashtra, Cambridge, Combridge University Press.

24 Chakravarty, T K., (1980), Development of Small and Marginal Farmer and Agricultural Labourers, Hyderabad, National Institute of Rural Development.

25 Chaturvedi, H.R, (1977), Bureaucracy and the Local Community Dynamics of Rural Development, Bombay, Allied

26 Choudhary, P , (1972), Readings in Indian Agricultural Development London, George Allen and Unwin Ltd

27 Connelle, J.,B. Das Gupta, R Laishley, and M. Lipton, (1976) Migration from Rural Areas, Delhi, Oxford University Press

28 Connelle, John & M. Lipton (1977) Assessing Village Labour Situations in Development Countries, New Delhi, Oxford University Press

29 Dash, V (ed), (1970), Infrastructure for the Indian Economics Bombay Vara,

30 Dandekar, V M , and N Rath, (1971), Poverty in India, Poona, Gokhale School of Political Economy.

31 Dantwala, M L (1973) Poverty in India Then and Now 1870-1970, Bombay Macmillan.

32 Das gupta, Sugata, (1962), A Poet and a Plan (Tagore's Experiments in Rural Reconstruction) Calcutta Thacker Spink & Co,

33 Deogaonkar, (1980), Administration for Rural Development in India, New Delhi, Concept

34 Desai, A R (1978), Rural Sociology in India, Bombay, Indian Society of Agricultural Economics 1961 (1953), Rural India in Transition, Bombay, Popular Prakashan.

35 Dholkia, J , (1977), Unemployment and Employment Policy in India, New Delhi, Sterling.

36 Dube, S C., (1958), India's Changing Villages, London, Routledge and Kegan Paul.

37 Dutta, B , (1960), The Economics of Industrialisation, Calcutta, World Press

38 Dwivedi, R-C(1972) New Strategy of Agricultural Development in India, Meerut, Loyal Book Depot.

39 Dubhasi, P.R , (1970), Rural Development Administration in India, Bombay, Popular Prakashan

40 Franda, Marcus F (1978), Rural Development, Bengalı Marxıststyle

41 Hanover NH, Amerıcan Unıversıty field.

-(1979) Small ıs Polıtıcs · Organısatıonal Slternatıve ın Indıa's Rural Development, New Delhı, wılley Eastern lımıted

42 Gandhı, M K , (1970), Gandhı Jı on Rural Development, New Delhı, Department of Communıty Development Co-operatıon (1966)The Vıllage Reconstructıon(ed) by A T , Hingorani, Bombay, Bharatıya Vıdya Bhanvan (1965) On Rural Reconstructıon, New Delhı, Mınıstry of Informatıon and Broadcastıng

43 -Ganguli, B N., (1966), Problems of Rural Indıa, Calcutta, Calcutta Unıversıty. (1973) Gandhı's Socıal Phılosophy Perspective and Relevance, Delhı Vıkas.

44 Ganorker, P L., (1978) Youth Partıcipation in Agrıculture and Development, Allahabad, Chugh Publicatıons.

45 Ghosh, B N (1977), Dısguised Unemployment ın Underdevelopment Countrıes, New Delhı, Harıtage Publıshers

46 Grover, D and Rayappa P.H., (1980) Employment Plannıng for the Rural Poor, Bangalore, Instıtute for Social and Economıc Change

47 Gupta, A P , (1977), Fıscal Polıcy for Employment Generatıon ın Indıa, New Delhı, Tata Mcgraw Hıll.

48 Gupta, M.L (1955). Problems of Unemployment ın Indıa, New Delhı

49 Haldıpur, R N (1974), Local Government, Rural Development and Mıcro-Level Plannıng, New Delhı, Traınıng Dıvısıon, Department of Personel and Admınıstratıve Reforms Cabinet Secretarı at.

50 Haldipur, R.N , V.R K Pramahamsa, (ed) (1970), Local Government Institutions in Rural India : Some Aspects, Hyderabad, National Institute of Community Development

51 Hargopal, G , (1980), Administrative Leadership and Rural Development in India, New Delhi, Light & Life Publishers

52 Hiramani, A B , (1977), Social Change in Rural India A study of the Village in Maharashtra, B R. Sub Corpn

53 Hoda, M , (1974), Problems of Unemployment in India, Bombay, Allied

54 Hunter, Guy , (1970) The Administration of Agricultural Development, Lessons from India, London Oxford

55. Hunter, Guy & A. Bottrall, (ed), (1974) Serving the Small Farmer Policy Choices Indian Agricultural Development, The Over seas Development Institute.

56 Inamder, M R. (ed). (1954), Indian Council of World Affairs, Rural Development Schemes in India, New Delhi

57 Jain, N P, (1970), Rural Reconstruction in India and China, Sterling New Delhi

58 Jain, S C , (1967), Community Development and Panchayati Raj in India, Calcutta, Allied Publishers.

59 Kapoor, Sudarshan, (1958), India Village Service, A Development Programme in Uttar Pradesh, Delhi, Delhi School of Social Work

60 Katju, K N. (1953) Rural Development Through Self help, New Delhi, Community Project Administration

61 Khusro, A M , (1968) Reading in Agricultural Development, Bombay, Allied.

62 Krishan, Ram., (1966), Grasroots of Agricultural and Community Development Programme in India, Bombay, Allied.

63 Krishnamachari, V T , (1962), Community Development in India, Delhi, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

64 Kumarappa, J C , (1960) An Over all Plan for Rural Development, Rajghat, Akhil Bharat Serva Seva Sangh

65 Mandal, G P, (1961), Problems of Rural Development, Calcutta, World Press

66 Mazumdar, N A., (1961), Some Problems of Unemployment, Bombay, Popular Prakashan

67 Mehta, S R , (1984) Rural development policies and Programmes, New delhi, Sage

68 Mellor, John W , Weaver, F Thomas, Uma Lele. J and Simon, R Sheldon., (1972) Development Rural India, Plan and Practice, Bombay, Indian Reprient Lalvani Publishing House.

69. Mellor, John and Mohinder, (1974), Modernising Agriculture, Employment and Economic growth, A Simulation Model, Ithaca Cornell University Press

70 Mishra, R P and K.V. Sundram (ed), (1979) Rural Area Development Perspective and Approaches, New Delhi, Sterling

71 Mukherjee, B (1961) Community Development in India, Bombay, Orient Longman

72 Mukhtar Singh, Chowdhury, (1946), Rural Reconstruction, Allahabad kitabistan

73 Mishra, R P, and K V, Sundram (ed), (1980) Multi Level Planning and Integrated Rural Development in India, New Delhi, Heritage

74 Mishra, S N (1977), Pattern of Emerging Leadership in Rural India, Associated Book Agency

75 Mehta, V D , (1987), "Poverty and Unemployment in Rural India" NBS Publishers and Distributors, New Delhi

76 Narayana, D L , et al (ed), (1980). Planning for Employment, New Delhi Sterling

77 Narayana, D L , (1970), Studies in Rural India, Triupati, Ventkateswar University

78 Padhy, K C , (1980), Commercial Bank and Rural Development, New Delhi, Asian Publication Services.

79 Panchamadikar, K C & J. Pamchandikar (1978), Rural Modernisation in India A Study in Development Infrastructure, Bombay, Popular Prakashan

80 Pandey, V P, (1967), Village Community Projects in India, Bombay, Agra

81. Parthasarathy, G , (1976), Agricultural Development and Small Farmers, Bombay, Vikas Publication

82 Potter, David C., (1964), Government in Rural India : An Introduction to Contemporary District Administration, London, London School of Economicsand Political Science

83 Prasad M , (1958), Social Philosophy of Mahatma Gandhi Gorakhpur, Viswavidyalaya Prakashan.

84 Rao, R V., (1978), Rural Industrialisation in India : the Changing World, Delhi, Concept

85 Samant, B B and A K Mishra , (1978), Evaluation of Drought-Prone Programme, Baroda, Panchmahal

86 Sen, A.K , (1975), Employment Technology and Development, Oxford Clarendon Press

87 Saran Paramatma, (1978), Rural Leadership in the Context of India's Modernisation Vikas, Bombay.

88 Sen, L.K (ed), (1972), Readings in Micro Rural Planning and Rural Growth Centre Hyderabad, National Institute of Community Development

89 Sen, Sudhir (1943) Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, Calcutta Viswa Bharti

90 Seshari, K., (1976) Political linkage and Rural Development, New Delhi, National

91 Sharma, S K. and S L Malhotra, (1977), Integrated Rural Development, Approach, Strategy and Per spective, New Delhi, Abhinav Publications

92 Singh, V B , (1964), "Agrarian Relations in India" in edited book Agriculture, Land Reforms and Economic Development, Vol III PWN-Polish Scientific Publishers, Warsa

93 Subrahmanyama S (1980) Poverty Unemployment and Perspective of Development' Chugh Publications, Allahabad

94 Shehoi, P V., (1975), Agricultural Development in India A New Strategy in Management Delhi, Vikas, 1975.

95 Singh, S , (1976), Modernisation of Agricultural, New Delhi, Heritage.

96 Singhvi, L M. (ed) (1977) Unemployment problems in India, New Delhi, National.

97 Srinivasam, T.N , and P K Bardhan (eds), (1974), Poverty and Income Distribution in India, Calcutta, Statistical Publishing Society

98. Srivastav. U K and P.S. George, (1977), Rural Development in Action The Experience of Voluntary Agency, Bombay, Somaiya Prakashan

99 Srivastav, U K (1978) Managment of Drought Prone Areas, Delhi, Abhinav Prakashan

100 Thimmaih, G(1971), Studies in Rural Development Institute for Social and Economic Change, Bangalore, Chugh publications, Allahabad

101 Troleman, Thomas and Freebairn, K Donaled (ed), (1973), Food Population and Employment the Impact of the Green Revalution New Delhi, Praeger Publication

102. Vekantappiah, B (1974), Recent Trends in Rural Development Objectives and Programme Waltair, A V Press

103 अवध प्रसाद, गॉधी जी और औद्योगीकरण।

104 आर सी दत्ता, भारत का आर्थिक इतिहास।

105 एम एल झिगन, विकास का अर्थशास्त्र एव आयोजन।

106 मिश्रा एव पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था।

107 डॉ सत्या, भारत मे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद।

108 दत्ता एव सुन्दरम्, भारतीय अर्थव्यवस्था।

109 रजनी पाम दत्ता, आज का भारत।

110 डा बद्री बिशाल त्रिपाठी, भारतीय अर्थव्यवस्था।

Government of India Publications.

Ministry of Community Development and Co-operation, A Guide to Community Development Annual Reports 1966-74.

Ministry of Agriculture Report 1992-93.

Planning Commission

- First Five Year Plan, New Delhi, 1952.
- Review of First Five Year Plan, New Delhi-1957
- Second Five Year, New Delhi. 1956
- Third Five Year Plan, New Delhi, 1962
- Fourth Five Year Plan, New Delhi, 1969
- Draft Fifth Five Year Plan, New Delhi 1976-79.
- Sixth Five Year Plan (1980-85), New Delhi August 1980.
- Seventh Five Year Plan (1985-90) New Delhi, 1984.
- Eight Five Year Plan, New Delhi (1992-97)

- Cencus of India 1961. New Delhi, 1964
- Cencus of India 1971, New Delhi, 1971
- Cencus of India 1981, New Delhi, 1981.
- Cencus of India 1991, New Delhi, 1991

REPORTS

1. Reports of the Committee of Expects on Unemployment Estimates, 1990
2. National Sample Survey Reports.
3. National Commission on Agriculture Interim Report on Whole Village Development Programme, New Delhi, 1992.
4- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1994–95, 1998–99।
5 जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, इलाहाबाद जनपद वर्ष 1981, 1991।
6 साख्यिकी पत्रिका उत्तर प्रदेश वर्ष 1995–96
7 साख्यिकी पत्रिका, जनपद इलाहाबद वर्ष 1994–95, 1997–98।
8 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की मार्ग निर्देशिका (वर्ष 1994–95)
9 ग्रामीण विकास मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट बुक (1994–95)

SELECTED ARTICLES

Administrative Change, Special Number on Rural Development, July-Dec 1975

Ahmed, Yunus J., Administration of Integrated Rural Development Programme

A Note on Methodology-International Labour Review, 1975.

AVARD, Volunatary Organisations and Rural Development, VA, XIV (1) Jan, Feb , 1972

Ahmed Iftekhar "Employment in Bangladesh-Problems and Prospects",

A Paper Presented at the International Economic Association conference held in Dacca, January-1993 (Memeographed)

Ahuja, K 'Agricultural Under employment in Rajasthan, Economic & Political Weekly, September 1973, pp. 101-6

Bardhan, P K On the Incidence of Poverty in Rural India of Sixties, Economic and Political Weekly, Annual Number, Feb , 1973,

Bhardwaj, V P and P K Dave . "Me asurement of Rural Unemployment in Gujarat" Artha vikas, January-June, 1976

Chaiyulu, U.V.N., Voluntary Organisations in Rural Development, Kurukshetra XX VIII (15) May, 1980

Dantwala, M.L., Some Neglected Issues in Employment Planning, Economics & Poilitical Weekly. (EPW), Vol 13, The Annual Number, 1978

Das Gupta, S., The Hadcore Gandhi's Social and Economics Thought, K.G , Vol. 15, Number 10, July 1967

Decision-Special Issue on Rural Development, Vol. 6, Number 4, October, 1979

Dubhasi, P R , Approaches to Integrated Rural Development in India Administrative and Organisation Issues, Administrative Change, 6 (1-2) July, 1978-June, 1979.

Etienne, G , Economic Growth and Social Values Some Indian Village and Districts Resurveyed, 1963-64/1975, C.D and PR Digest, Vol 8 Number, July, 1976

Gaikwad, V R , Management of Rural Development Programme · Organisational Deficiencies and Strategies for Improve (IJPA) 1-2 (4) October-Dec. 1975

Horbst, P G , Note on Rural India, N.L.I. Bulletin 12 (16), 1976.

Iyer, K G , Orissa, A Study of Poverty and Bondage, NLI Bulletin, (10), 1978.

Johnston, Bruce F , and Tellay, G.S , Strategy for Agricultural Development, Journal of Farm Economics (JFE), May-1964

Krishan Raj, Unemployment in India, Economic and Political Weekly (EPW), 8 March-1973

-Unemployment in India, Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII No 3, July september, 1973 pp 123

Mathur, A , Anatomy to Disguised Unemployment, Oxford Economics Papers. 16, (2) July 1966 , July 1964, pp 161-163

Mehra, S Surplus Labour in Indian Agriculture, Indian Economic Review Vol I, April, 1966, pp, 114-26

Minhas, B.S., Rural Development for Weaker Sections, Experience and Lessons 24 1, July, 1970

Mishra, G.P , Rural Unemploymentand land Ceiling policy Journal of Social and Economic Studies, Sept., 1974

- 'Distributional Effects of Rural Development Strategies'. A case study Economic and Political Weekly, 14 (39) 1979.

Ojha, P D., Configuration of Indian Poverty Inequality and Leavels of Living, RBI-Bulletin, Vol-24, 1970.

Padhy, K C , Intergrated Rural Development, Economic Times (ET), April 1979.

Partha Sarathy G ,G D Rama Rao,

Employment and Unemployment Coming Rural Household-A Study of West Godavari District, Economic and Political Weekly, Review of Agriculture December 29, 1973, pp 118-32.

Rudra, A · "Direct Extimation of Surplus Labour in Agriculture", Economic & Political Weekly, February, 1973, pp 277-80.

Robinson Joah, Disguised Unemployment, Economic Journal, 46 June, 1936.

Saigal K , Management of Rural Development Programme at the District Level, Management in Government, 9 (3) 1971

Shah, S M , Growth Centre as a Strategy for Rural Development : India's Experience EDCC 22 Jan 1974.

Tarlok singh, Integrated Rural Development, kurukshetra, Jan, 1977

Tripathi, P.M , AVARDS. Strategies for Rural Development, VA 16 (1) 1974

Visaria, P M , and C Employment Planning for weaker Sections in Rural India, Economic and Political Weekly, 13, (6-7) 1978

Vyas, V.S , Farm and Non-farm Employment in Rural Areas-A Perspective for Planning, Economic and Political weekly, 13, (6-7) 1978

MAGAZINES AND JOURNALS

Agricultural Situation in India

American Economic Review.

Co-operative News Digest

Community Development and Panchayati Raj Digest

Economic Studies

Financing Agriculture

Harijan

Indian Finance

Indian Management

Indian Economic Review

Indian Economic Journal

Indian Journal of Economic

Indian Journal of Labour Econonics

Indian Journal of Industrial Relations

Indian Journal of Public Administration

International Development Review

International Labour Review

Journal of Farm Economics

Khadi Gramodyog

Kuruskshetra

Monthly Commentary on Indian Economic condition

Reserve Bank of India Bulletin

Southern Economist

Social Welfare

State Bank Monthly Review

The Economics and Political Weekly

Varta

Yojana

News Papers

Financial Express, New Delhi Edition.

Times of India, New Delhi Edition.

The Economic Times, New Delhi Edition.

प्रश्नावली

1 परिचय

गॉव का नाम

विकासखण्ड

तहसील

जिला

2 परिवार के मुखिया का नाम

3 जाति

4 व्यवसाय

1 मुख्य व्यवसाय

2 गौण व्यवसाय

5 पारिवारिक संरचना

परिवार के सदस्यो के नाम व मुखिया से सम्बन्ध –

क्र स	सदस्यो के नाम	लिग स्त्री/पु	आयु	मुखिया से सम्बन्ध	शिक्षा का स्तर	विवाहित/ अविवाहित	कर्मकर सदस्य	व्यवसाय	कार्य का स्थान

6 भूमि सम्बन्धी विवरण (हे)

1 स्वामित्व/बटाई पर

2 उपजाऊ भूमि

3 बजर भूमि

4 कुल क्षेत्रफल

5 सिचाई– नलकूप/नहर

6 सिचित क्षेत्र

7 परिसम्पत्ति का विवरण

1 मकान–कच्चा/पक्का

2 खेत/बाग

3 तालाब

4 कुऑ

8 पशुओ एव उपकरणो की सख्या, उनकी कीमत है/नही

गाय		भैस		बैल		घोडे		मुर्गी		बकरी		कुल कीमत
सख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	सख्या	मूल्य	सख्या	मूल्य	सख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	रु

ट्रैक्टर		थ्रेसर		हल		पम्पिग सेट		अन्य उपकरण		कुल कीमत
संख्या	कीमत	स	कीमत	स	कीमत	स	कीमत	स.	कीमत	रु

9. आय का विवरण

व्यवसाय	कृषिक्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र	मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	कुल आय
आय रुपये मे				

10 कार्य मे भागीदारी के दिन

	जुलाई-सितम्बर					अक्टूबर-दिसम्बर					जनवरी-मार्च					अप्रैल-जून				
		मजदूरी रोजगार					मजदूरी रोजगार					मजदूरी रोजगार					मजदूरी रोजगार			
सदस्य	स्व-रोजगार	कृ क्षे.	गै कृ क्षे.	कुल मजदूरी दिवस	कुल दिवस	स्व रोजगार	कृ क्षे.	गै कृ क्षे	कुल मजदूरी दिवस	कुल दिवस	स्व रोजगार	कृ क्षे	गै कृ क्षे	कुल मजदूरी दिवस	कुल दिवस	स्व-रोजगार	कृ क्षे	गै कृ क्षे	मजदूरी दिवस	कुल दिवस
पुरुष																				
स्त्री																				
बच्चे																				

11 रोजगार कार्यक्रमो द्वारा आपको कितने दिन का रोजगार प्राप्त हुआ।

सदस्य	माह	दिवस
पुरूष		
स्त्री		
बच्चे		

12 सरकार द्वारा सचालित किस रोजगार कार्यक्रम से आपको रोजगार/प्रशिक्षण/लोन प्राप्त हुआ–

1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2 ट्राइसेम

3 जवाहर रोजगार योजना

13 क्या रोजगार कार्यक्रमो से प्राप्त आय के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ। हॉ/नही।

1 यदि हुआ है तो कितने प्रतिशत

2 यदि नही तो कारण

14 रोजगार कार्यक्रमो की समस्याएँ एव सुझाव

1

2

3

4

5

6

7

15 रोजगार कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे परिवारो/कर्मचारियो के विचार

1

2

3

4

5

6

7

8